Uncorrected and unedited/Not for Publication Thursday, July 29, 2021

छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **एकादश सत्र**

गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021

(श्रावण 07, शक सम्वत् 1943)

[अंक 04]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021

(श्रावण 7, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय आज आपकी मेचिंग पूर सत्र में सबसे अच्छी लग रही है।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा है नेताजी का भी तो है थोड़ा सा

श्री अजय चन्द्राकर :- और इस टिप्पणी पर आज आप थोड़ा सा मुह खोलकर मुस्कुरा भर दीजिये आज आप।

अध्यक्ष महोदय :- मैं मुस्कुरा दूंगा उसका सवाल नहीं है मेरा हमारे माननीय संसदी कार्य मंत्री जी, उधर भगत जी सब पीला-पीला है आज गुरूवार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम तो रेड पहन के आये हैं सर हम तो लाल झंडा लेकर आये हैं आज।

अध्यक्ष महोदय :- जी, आप तो लाल झंडा वाले हो गये हैं आजकल। अरूण वोरा जी।

<u>हरित क्रांति योजना व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत धान एवं मक्के के बीज की खरीदी</u>

1. (*क्र. 599) श्री अरूण वोरा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हरित क्रांति योजना व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वर्ष 2019 एवं 2020 में प्रदेश के कितने किसानों ने धान व मक्के के हाईब्रिड बीज की खरीदी की? (ख) प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि पर मक्के की खेती होती है? किसानों से मक्का खरीदी प्रति क्विंटल किस दर से की जाती है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) हरित क्रांति विस्तार योजना में 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों द्वारा हाईब्रिड धान बीज खरीदी का प्रावधान है. जिसके तहत वर्ष 2019 में 1,974 एवं वर्ष 2020 में 2,259 किसानों द्वारा हाईब्रिड धान बीज की खरीदी की गई है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसानों द्वारा धान एवं मक्का हाईब्रिड बीज तथा हरित क्रांति विस्तार योजना में मक्का हाईब्रिड बीज की खरीदी का प्रावधान नहीं है. (ख) प्रदेश में मक्के का वर्ष 2019-20 का क्षेत्रफल 1,30,433 हेक्टेयर एवं वर्ष 2020-21 का अनुमानित क्षेत्रफल 1,44,466 हेक्टेयर है. भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का की खरीदी खरीफ वर्ष 2019-20 में रु. 1760/- तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में रु. 1850/- प्रति क्विंटल की दर से की गई है.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं अपने प्रश्न के जवाब में प्रदेश के 14 जिले जिसमें गरियाबंद।

श्री अजय चंद्रकार :- जो जानना हो सही-सही जानना लंद-फंद नहीं पूछना।

श्री अरूण वोरा :- मैं सही -सही पूछ रहा हूं बिल्कुल सही।

श्री अजय चंद्रकार :- बोलते तो लंद-फंद हो।

श्री अरूण वोरा :- प्रदेश के 14 जिले जिनमें गरियाबंद, महासमुंद, दुर्ग, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, सूरजपुर, जांजगीर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव एवं जगदलपुर जिले के कितने किसानों को हरित क्रांति योजना के अंतर्गत वर्ष 2019, 2020 में खेती के लिए धान के बीज का वितरण किस दर पर किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय एक और पूछ लूं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप दुर्ग के प्रश्नकर्ता हैं, दुर्ग के उत्तरदाता है और इतना लंबा प्रश्न कहां से कौन ला कर दिया इससे बेहतर है कि आप उनके कक्ष में चले जाओ और बैठ लीजिये चौबे जी और समझा दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अरूण वोरा को क्या फायदा होता है ये सदन जानना चाहता है

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अरूण वोरा जी को क्या फायदा होता है वो उन्होंने स्वयं दो दिन पहले इस सदन में कहा है 12 बजे रात तक वो पढ़ते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- 12 बजे रात के बाद उत्तेजना होती है बोला।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं मैं क्या बोला, 12 बजे रात तक पढ़ते हैं ये खुद उन्होंने कहा है इसलिए इतना गंभीर प्रश्न है अध्यक्ष जी पहला प्रश्न उन्होंने रेट के बारे में पूछा है सब जिलों का अलग-अलग रेट नहीं ये पूरा प्रदेश स्तर का प्रश्न था उसको जो प्रक्रिया के तहत रेट मंगाया गया था रेट लिस्ट अगर आप कहे तो मैं उसको प्रस्तुत भी कर देता हूं पढ़ कर भी सुना देता हूं लेकिन ये बहुत विस्तृत है माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो खुद ही बोल रहा हूं बहुत विस्तृत प्रश्न है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनकी कौन सी इंद्रियां जागृत होती है ये तो बता दें।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं फिर से कहा माननीय अरूण वोरा जी 12 बजे रात तक पढ़ते हैं और उसके बाद।

श्री अजय चंद्राकर :- पढ़ते हैं नहीं कहा है वो सामने है पूछ लीजिये क्या कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- अरे भाई हाईब्रिड खाने से ज्ञानेद्रियां बढती हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उनका अर्थ कुल मिलाकर ये निकलता है अध्यक्ष महोदय जी, अरूणा वोरा के कहने का अर्थ ये है कि वह 12 तक राज कुंद्रा द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का प्रयोग करते हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 12 बजे के बाद क्या करता हूं ये जानने का अधिकार क्यों है चंद्राकर जी को और धर्मजीत जी को।

श्री अजय चंद्राकर :- ये तो आप ही बताये हो 11 बजे रात के बाद का।

श्री अरूण वोरा :- मैं तो सबके लिए बोला हूं आप सब के लिए, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये डमरूधर जी आपका डमरू बजे।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको हो गया क्या प्रश्न पूरा।

धर्मजीत सिंह :- अरे इतनी जल्दी।

अध्यक्ष महोदय :- वहीं आएंगे आप कक्ष में ले लीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय मंत्री जी कक्ष में जानकारी देंगे मुझे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वोरा जी को हम मानते थे कि जवान है इतनी जल्दी संतुष्ठ हो जाएंगे ये हम को नहीं मालूम।

<u>प्रदेश में संचालित विभिन्न पेंशन योजना</u>

2. (*क्र. 653) श्री डमरूधर पुजारी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में विभाग द्वारा पेंशन की कौन-कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसमें कितनी राशि केन्द्रांश व कितनी राशि राज्यांश की है तथा हितग्राहियों को पेंशन योजनांतर्गत कितनी राशि दी जाती है? (ख) जन घोषणा पत्र 2018 जिसे राज्य सरकार के द्वारा आत्मसात किया गया है उसके अनुसार क्या पेंशन की राशि विभिन्न योजना में बढ़ायी गई है? यदि हां, तो कितनीबढ़ायी गई है व यदि नहीं, तो कब तक बढ़ायी जावेगी? (ग) बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा में उक्त योजनाओं अंतर्गत कितने पेंशन हितग्राही है व इनको कब तक पेंशन का भुगतान कर दिए हैं व लंबित पेंशन का भुगतान कब तक किया जावेगा?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) प्रदेश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं प्रतिमाह दी जा रही पेंशन राशि की जानकारी केन्द्रांश व राज्यांश सहित निम्नानुसार है :–

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्र.	योजना का नाम		पेंशन दर (प्रतिमाह प्रति हितग्राही)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना				
		60-79 आयुवर्ग –	200/-	150/-	350/-
		80 वर्ष या अधिक –	500/-	150/-	650/-
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		300/-	50/-	350/-
3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना		300/-	200/-	500/-
4.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना		-	350/-	350/-
5.	सुखद सहारा योजना		-	350/-	350/-
6.	मुख्यमंत्री पेंशन योजना		-	350/-	350/-

(ख) इन योजनाओं की पेंशन राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत 38,184 हितग्राही है व माह जून, 2021 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. कोई भी भुगतान लंबित नहीं है.

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सामाजिक प्रसंग के संबंध में लगाया था तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि 2018 की जनघोषणा पत्र में पेंशन 1000 और 1500 देने का वायदा किया गया था और कब तक कराएंगे मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्रीमती अनिला भेंडया :- अभी जन घोषणा में हमारा है पर अभी तो हमारे पास समय है न ढाई साल बचा है तो जब शासन तय करेगी तब हो जाएगा ।

श्री डमरूधर पुजारी :- नहीं शासन तो आप है और जन घोषणा में आप किये हैं कि 2018 में हमारी सरकार बनेगी तो हम।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- मैं बताई तो अभी तो समय है ढाई साल।

श्री डमरूधर पुजारी :- नहीं समय आप दे देते, लागू करा देते 1500 और 1000 तो कल्याण हो जाता माननीय महोदय जी मेरा क्षेत्र है और निराश्रित पेंशन दो प्रकार के मिलते हैं एक बैंक खाता से और एक नगदी ग्राम पंचायत देता है उसको भी थोड़ा क्लियर बता देते माननीय मंत्री जी ग्राम पंचायत में नगदी हो जाना चाहिए । मेरा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है तो बैंक दूर-दूर में है तो उसके लिए प्रक्रिया सरल कर दीजिए और बैंक खाता में ट्रांसफर न करके ग्राम पंचायतों को दे दीजिए ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी तो देते हैं, बैंक के खाता के माध्यम से भी भुगतान किया जाता है । अगर तीन किलोमीटर के अंदर बैंक नहीं है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में नगद भुगतान भी किया जाता है । नगद भुगतान कलेक्टर के अनुमोदन से होता है और पंच सरपंच, सचिव के साथ दो गणमान्य ग्रामीण नागरिक जाकर करते हैं ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र वनांचल क्षेत्र है और सामने में बैंक नहीं है । बैंक नहीं होने के कारण आधी राशि बैंक से मिलती है और आधी राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलती है । उसका पूरा भुगतान ग्राम पंचायत के माध्यम से करा देंगे तो अच्छा हो जाएगा ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, अगर आपके क्षेत्र में ऐसी समस्या है तो हम परीक्षण कराकर सरपंच, पंच और ग्रामीणों के माध्यम से भुगतान करा देंगे।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 का 1500 रूपए और 1000 रूपये भी करा देते, उसको भी करेंगे क्या ?

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको बताया कि अभी हमारे कार्यकाल के ढाई साल का समय बचा है, जब जन घोषणा पत्र में यह बात है तो धीरे-धीरे सारी घोषणा पूरा कर रहे हैं तो इसको भी कर देंगे ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ढाई साल निकल गया है और अभी सामने चुनाव आने वाला है । उसको करा देते तो वहां के लोगों को आपका आशीर्वाद मिल जाता ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल । सभी घोषणाएं पूरी हो रही हैं, यह भी घोषणा पूरी हो जाएगी । अभी शासन के कार्यकाल का समय है ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको तत्काल कराकर लागू करा देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका जो क्षेत्र है, वह इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है, देवभोग तक आपके भी कोई मंत्री अभी तक नहीं गए हैं। वह क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का और हमारे पुराने रायपुर जिले का सबसे अंतिम छोर है तो वहां पर आप परीक्षण की बजाय यह घोषणा कर दें कि हम उनको वहां पर नकद भुगतान करवा देंगे । वह उड़ीसा बार्डर है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके विधान सभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो हम बिल्कुल नकद भुगतान करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रही हूं कि करा दूंगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा हो रही है तो ऐसी स्थिति है । आप घोषणा कर दें क्योंकि माननीय विधायक का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल साहब, कई जगह नगद भुगतान किया जाता है, वह पंच-सरपंच की जेब में चला जाता है, इसको देखते हुए लोगों ने बैंक से व्यवस्था कराई है, आप ही लोगों ने व्यवस्था कराई है । इनका क्षेत्र विशेष है तो माननीय मंत्री जी ने इनके लिए विशेष कह दिया कि मैं कर दूंगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक नई व्यवस्था जो शुरू हुई है-बैंक मित्र । बैंक वाले जाकर भुगतान करते हैं। उस व्यवस्था के तहत करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- इनका क्षेत्र तो जंगल है । उधर तो सब चीज है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जो बैंक जहां देते हैं, वहां उस बैंक का मित्र जाये न । बैंक की ओर से उनका कुछ कमीशन फिक्स है । उससे व्यवस्था करवा दें । बैंक मित्र की जो व्यवस्था है, वह ज्यादा बेहतर है ।

अध्यक्ष महोदय :- बैंक वाले जो घर-घर जाकर देते हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, हम बैंक मित्र के माध्यम से करा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- बैंक मित्र के माध्यम से भुगतान करा दीजिएगा ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- जी ।

श्री डमरूधर पुजारी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

<u>ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हेतु आयोजित परीक्षा हेतु अभ्यार्थियों का चयन</u>

3. (*क्र. 579) श्री सन्तराम नेताम : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 348 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन किस दिनांक को जारी किया गया, परीक्षा किस तिथि को आयोजित की गई एवं परिणाम कब घोषित किए गए? (ख) प्रश्नांक "क" की परीक्षा हेतु जारी प्रतीक्षा सूची दिनांक 28 अगस्त, 2019 में से कितने चयनित अभ्यार्थियों ने पदभार ग्रहण किया? उक्त प्रतीक्षा सूची में सभी चयनित अभ्यार्थियों के पदभार ग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में पूर्ति हेतु किस-किस संवर्ग के कितने पद रिक्त हैं? उक्त शेष रिक्त पदों की पूर्ति कब तक चयनित अभ्यार्थियों की मेरिट सूची में से की जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के 348 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 05-07-2017 को जारी किया गया. दिनांक 13 अगस्त, 2017 को परीक्षा आयोजित की गई एवं दिनांक 28-10-2017 को परिणाम जारी किया गया. (ख) प्रश्नांश "क" की परीक्षा हेतु कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हुई है. शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नही होता.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रामीण विस्तार अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन निकला था, जिसमें आदिवासी संवर्ग के लिए 111 पद आरक्षित था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने 23 अगस्त, 2019 को प्रतीक्षा सूची जारी की, उसमें से जो आदिवासी बच्चों ने पदभार ग्रहण नहीं किया तो जो शेष पद बचे हुए हैं, उस पद में कब तक नियुक्ति करेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी लंबे समय से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी । प्रतीक्षा सूची की प्रथम नियुक्ति 7.9.2018 को 123 पद की प्रतीक्षा सूची जारी की गई, जिसमें 80 लोगों ने उपस्थिति दर्ज की । द्वितीय प्रतीक्षा सूची 6.10.2018 को जारी किया गया, जिसमें 21 लोगों ने उपस्थिति दर्ज की । तृतीय वैधता (वेलेडिटी) लिस्ट थी, उसकी समाप्ति के पश्चात् 23 अप्रैल, 2018 को 18 पदों की प्रतीक्षा सूची जारी की गई, उसमें 12 लोग उपस्थित हुए, 6 अभ्यर्थी फिर से गैर हाजिर हुए और चौथी बार वेलेडिटी समाप्ति की तारीख के पश्चात् की सूची है, वह 6 लोगों की जारी की गई, उसमें से 3 लोग ने पदभार ग्रहण किया और 3 अभ्यर्थी फिर से गैर हाजिर रहे । तो 3 पद शेष है । 3 पद के लिए आपका ही प्रश्न है कि इनकी नियुक्ति कब तक की जायेगी ? प्रश्न यह है कि दो बार नियुक्ति हुई थी तो उसकी वैधता यही एक प्रश्न चिह्न है । उसके पश्चात् कैसे किया गया, कब किया गया और तीन पद बचे हैं, उसकी क्या स्थिति बन सकती है, मूल बात यह है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ आदिवासी बच्चे हैं, जिसमें एक दिव्यांग भी है । मैंने उन बच्चों से डायरेक्टर से कई बार निवेदन करवाया, कम से कम 15 बार आवेदन दिलवाया, जब उसके बाद नहीं हुआ तो मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला, पत्राचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे पास यह पत्र आया तो उसमें एक नियम का हवाला दिया गया, उसमें लिखा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक साल से ज्यादा के बाद उसकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, फिर उन्होंने एक साल बाद एक वेटिंग सूची निकाला, उस नियम के बीत जाने के बाद फिर 11.06. को एक सूची निकाला जिसमें 18 लोगों की नियुक्ति दी गई। फिर उसके बाद वेटिंग सूची निकला, फिर उसके बाद एक सूची निकला, जिसमें 28.08.2019 को फिर 6 लोगों का निकाला, तब 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो मेरा यह कहना है कि वे आदिवासी बच्चें हैं, उन बच्चों को लेना चाहिए। मैंन डायरेक्टर से भी मिला, सचिव, प्रमुख सचिव से मिला, कमिशनर से मिला लेकिन फिर भी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। आपने 2 नियम को तोड़ दिया, मेरा यह कहना है कि ये आदिवासी बच्चें हैं, उनके रोजगार का मामला है। हमने निवेदन किया, फिर भी अधिकारी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। ये बच्चें कहां जायेंगे ? जो अधिकारी इस प्रदेश में इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। मेरी मांग है कि ये जो 3 आदिवासी बच्चों का मामला है, मंत्री जी उनके बारे में आज ही घोषणा करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप उत्तर देंगे या इनकी (श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य) सुनकर देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं सुन भी लूंगा और उत्तर भी दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले आप उनका जवाब दे दीजिये फिर मैं पूछ लूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप इन्हीं के साथ पूछ लीजिये, मैं एक साथ उत्तर दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिये, एक साथ उत्तर दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप क्यों नया नियम बना रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- यदि वह सस्पेण्ड कर देंगे फिर क्या फायदा होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमत: एक प्रश्नकर्ता का उत्तर आने के बाद दूसरा प्रश्न होता है। दो प्रश्नकर्ता कैसे प्रश्न करेंगे और उत्तर देंगे। यदि आपकी अनुमति हो तो उनके प्रश्न का उत्तर दे दें फिर मैं पूछूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय संतराम नेताम जी को उनकी जागरूकता के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार इस मसले पर अपनी बात उठाई है। यह भी सत्य है कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क किया था, अपना प्रेजेन्टेशन किया था। यह भी सत्य है कि 3 पद के लिए 3 बच्चे शेष थे, उन्होंने भी विभाग को समयावधि में अपना आवेदन दिया था। लेकिन जिस जी.ए.डी. के पत्र का उल्लेख कर रहे हैं, तो जो वेटिंग लिस्ट है, उसकी जो अवधि है, एक साल तक ही मान्य किया जाये, ऐसा जी.ए.डी. ने पत्र लिखा, उसके बाद भी 2 नियुक्तियां हुई, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उस वेलेडिटी के समाप्त होने के बाद भी, जी.ए.डी. की चिट्ठी के बाद भी संचालक ने की है। मैं आपके सामने तारीख का भी उल्लेख किया कि 11.06.2019 को 18 पदों के लिए और 23.08.2019 को 6 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी हुआ। यह मैंने अपने पहले उत्तर में ही स्वीकार किया। अब सवाल उन 3 बच्चों का जो वेटिंग लिस्ट में रह गये, जो 3 पद खाली थे, आखिर दो बार किया गया तीसरा क्यों नहीं किया गया ? माननीय विधायक जी का प्रश्न है कि उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जायेगी। प्रथम दृष्टयां लगता तो है कि अधिकारी ने गलती किया है। उसको शो-कॉज नोटिस देंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई है, वह करेंगे।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासी बच्चों का मामला है। इसमें उन बच्चों का क्या दोष है ? अधिकारी मनमानी करें, अधिकारी गलती करें और हम जो मांग कर रहे हैं वह हमारी जायज मांग है। अध्यक्ष महोदय, हमारा आरक्षण है। हम जैसे विधायक के साथ उन लोगों ने जिस प्रकार से आज विधानसभा में स्थिति निर्मित की, आज उनके कारण ही समय बर्बाद हो रहा है। मेरी मांग है कि आज ही मंत्री जी घोषणा करें, मैं कोई नियम-कायदा नहीं जानता।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,..।

श्री शिवरतन शर्मा :- उनका उत्तर तो आ जाने दो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आ जायेगा, वह पूछ रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप अजय चन्द्राकर जी को प्रश्न करने से क्यों रोक रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं नहीं रोक रहा हूं, पहले उसका उत्तर आ जाये, आपकी पार्टी का विधायक है।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो बार-बार खड़े हो जाये न, उनका भी प्रश्न आ जाये न।

अध्यक्ष महोदय :- उनका भी प्रश्न आ जाने दीजिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप पहले संतराम जी को संतुष्ट कर दीजिये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- क्या है कि आप अभी सस्पेण्ड कर देंगे तो संतराम जी के प्रश्न में सस्पेण्ड हो जायेगा और इसी बात को फिर अजय जी बोलेंगे तो आपको सस्पेण्ड करना ही पड़ेगा। इसलिए शिवरतन जी पहले चाह रहे हैं पहले सस्पेण्ड कर दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके विधायक को क्रेडिट मिल जाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप मूल प्रश्न में आये। दो बार गलत क्यों हुआ, उसका उत्तर मैंने दे दिया। लेकिन तीसरी बार आपकी चिंता है और आदरणीय संतराम नेताम जी ने कहा, हमारी भी चिंता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी चिंता तो दो साल से झलक रही है। चिंता के बजाय आप वरिष्ठ मंत्री हैं, नियम के ज्ञाता हैं, आपने दो साल में कोई कार्यवाही नहीं की। उन बच्चों के लिए मैं तीसरी बार भी सूची जारी करवाऊंगा और नियुक्ति दूंगा, यह घोषणा करिये। यदि यह नहीं करते हैं तो अभी कार्यवाही की घोषणा कीजिए। सो-कॉज नोटिस के चक्कर में, आपकी बातों की जगलरी में यह सदन नहीं फंसने वाला है।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम लोगों को गलतफहमी है कि आप विद्वान हैं। बगैर नोटिस के कोई कार्यवाही होगी तो आप समझ रहे हैं न कि क्या हो सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 02 साल।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसीलिए तो मैंने कहा न कि अगर सदन में बात आई है तो उसके खिलाफ कार्यवाई की जायेगी, उसको नोटिस दिया जायेगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है उनकी विद्वता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है। उसको दूर कैसे किया जाये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय चौबे जी, आपने जो भी कहा, यह सब ठीक है। इनके दोनों बच्चों के बारे में तो बोल दीजिए कि आप नियमों को शिथिल करेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- इसको विलोपित किया जाये।

श्री रविन्द्र चौबे :- किसको विलोपित किया जाये ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- आपने अजय चन्द्राकर जी की विद्वता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अजय जी को क्यों विलोपित करें, हम अजय जी का सम्मान करते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- दिव्यांग बच्चे हैं उनके बारे में आप विधानसभा में फैसला कर दीजिए। आप घोषणा करिये न कि उन दोनों बच्चों को आप नौकरी में रखेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- देखिये, आपसे अपेक्षा है इसलिए मांग की जा रही है। आप घुमा-फिराकर बात करेंगे तो मेरी विद्वता को छोड़िये, वह आपकी प्रतिष्ठा के विपरित होगा।

श्री सौरभ सिंह :- आप जान कर रहे हैं, आप कर सकते हैं इसलिए आपसे मांग की जा रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- विधानसभा में मंत्री माने सरकार होता है। जी.ए.डी., आर.डी.ए. सब आप ही हैं। आप जो चाहें वहां बोलकर अभी घोषणा कर सकते हैं। वह भी एक गरीब आदिवासी बच्चे के लिए बोलने में क्या तकलीफ है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप समझें, यह लोग लड़ते रहेंगे, आप ही उधर जायेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बोलिये न। आप जैसा उधर बोलेंगे, वह आपकी बात मानेंगे।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मामला गरीब आदिवासी बच्चे का है और वह दिव्यांग है। माननीय मंत्री जी आज ही घोषणा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे और मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, शासन का भी यह मत है कि तीनों बच्चों के साथ न्याय होना ही चाहिए। हमने पहले भी निर्देश किया हुआ है। उसमें केवल बाधा जी.ए.डी के validity date के साल बीतने का है। लेकिन सदन सबसे सर्वोपरि है। उन बच्चों के साथ न्याय करेंगे। उनको यह जो 03 रिक्तियॉ हैं, उनमें उनके लिए आदेश जारी किया जायेगा। हम जी.ए.डी. से इसके बाद अनुमति ले लेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री संतराम नेताम :- माननीय मंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह दम की बात हुई। यह अपेक्षा सदन आपसे करता है।

<u>गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर की कमी, चोरी होने तथा पानी में बह जाने की शिकायतों पर कार्यवाही</u>

4. (*क्र. 648) श्री धरमलाल कौशिक : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि प्रदेश में गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर की कमी, चोरी होने व पानी से बह जाने इत्यादि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई है व उन पर क्या कार्यवाही की गई है? जिलेवार जानकारी देवें? क्या यह सही है, कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भी उक्तानुसार शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) गोबर खरीदी केन्द्रों में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितना गोबर खरीदा गया है? कितने गोबर का भुगतान किया गया हैं व कितना भुगतान शेष है? जिलेवार जानकारी देवें? कितने खाद का व अन्य सामग्री का निर्माण हुआ है, कितने की बिक्री हुई है, कितना बिक्री हेतु शेष है, जिलेवार जानकारी देवें? (ग) खाद बिक्री हेतु स्व सहायता समूह को कितनी राशि दिए जाने के क्या नियम हैं व नियमानुसार कितनी राशि का भुगतान किया जाना था, कितने का भुगतान किया गया है व कितने का शेष है तथा कब तक भुगतान कर दिया जावेगा? जिलेवार जानकारी देवें?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. प्रदेश के 4 जिलों में गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर की चोरी होने व पानी में बह जाने इत्यादि की शिकायतों पर की गई कार्यवाही का जिलेवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में उक्ताशय से संबंधित कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है. (ख) गोबर खरीदी केन्द्रों में योजना प्रारंभ से प्रश्नांक दिनांक तक की स्थिति में 4,86,904.86 टन गोबर खरीदा गया है, जिसके विरूद्ध रु. 9,709.71 लाख का भुगतान किया गया है तथा रु. 28.48 लाख का भुगतान प्रक्रियाधीन है. जिलेवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है. क्रय गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट तथा अन्य सामग्री का उत्पादन, विक्रय तथा शेष मात्रा का जिलेवार विवरण † संलग्न[1] परिशिष्ट पर है. (ग) खाद बिक्री हेतु स्व सहायता समूहों को लाभांश राशि का 85त्न तथा प्रति कि.ग्रा. पैकेजिंग लागत रु. 0.65 की दर से भुगतान का प्रावधान है. स्व-सहायता समूहों को देय राशि, भुगतान की गई राशि, भुगतान हेतु शेष राशि एवं लंबित राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है. जिलेवार विवरण † संलग्न परिशिष्ट पर है.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी जिस बात को हम पहले ही बोल रहे थे कि जो योजना है वह ड्रीम प्रोजेक्ट है कि धरातल पर क्या है और कागज पर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि आज कृषि विभाग के जितने प्रश्न लगे हैं, उसमें आधा प्रश्न इसी में लगे हैं जिसको आप कह रहे हैं। आप भी उसमें प्रश्न किये हैं, मेरे बहुत सम्मानित धर्मजीत भैया का भी प्रश्न है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं न। यह योजना मूर्त रूप ले रही है। इस योजना का लोगों को लाभ हो रहा है इसलिए सारे जनप्रतिनिधि आज इसी पर प्रश्न कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि आपकी गोबर की क्या स्थिति है ? यह गोबर की स्थिति को देखकर पूरे प्रदेश में यह दिख रहा है कि आपकी कितना गंभीरता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उनके गोबर की बात कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

[1] परिशिष्ट- "एक"

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो आप हम सब लोगों को गोबर पर भाषण देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गोबर पर हम लोगों को भाषण देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- उस संदर्भ में चौबे जी नहीं जानते, अमरजीत भगत जी जानते हैं कि किसका-किसका गोबर है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय नेता आपकी गोबर जो बोल रहे हैं न, उसकी जगह में केवल गोबर बोलिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- अरे भाई, आपकी योजना की गोबर बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसमें दिक्कत क्या है। अमरजीत जी बताते हैं कि मैं सूंघ-सूघकर जानता हूं कि कौन सा गोबर है इसलिए वह आपके गोबर पर एतराज कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से गोबर की खरीदी की बात आई और गौठान की बड़ी-बड़ी बातें हुईं। उसके बाद में मॉडल गौठान की भी बात आई और उसके बाद में अभी आपके गोबर चोरी होना और गोबर बहना। ये दो प्रकार की घटना हुई है तो इसमें एक ये बता दे कि चोरी कौन-कौन से गोठान से हुई है, और गोबर बहने का कौन-कौन से गोठान का है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब इतना प्रदेश में इतने विस्तृत में अब आप कहें अध्यक्ष जी तो पूरे विभाग को धर्म भैया के यहां भेज दूंगा जानकारी दे देंगे अब किस गोठान में कहां गोबर चोरी हुआ। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो पुलिस भी नहीं बता सकती।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह पुलिस का काम नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये बहुत ज्यादा जगह का तो अभी आया नही हैं, रिकार्ड में तो कुल मिला कर के ये पढ़ने में नहीं आ रहा है दिक्कत ये हैं। मैं एक प्रश्न भी आपको नहीं करता देख लीजिए उसको पढ़ने में नहीं आ रहा है कि चोरी कहां के हो गे और बोहा के कहा चले गे। तो ये पता तो लगे कि कहां का चोरी हुआ और कहां के गोबर बोहा गे।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब मैं पढ़ के कोशिश कर देता हूं जो इसमें लिखा है उत्तर उसको आपके सामने।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है जो लिखा है उसी को पढ़ के बता दीजिए अब आप।

श्री रविन्द्र चौबे :- (1) गोठान ग्राम नेवरा, देवरी खुर्द, बेटुकरी। यहां 230 टन गोबर की बहने की शिकायत मिली है

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मंत्री जी।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब मैं पूरा पढ़ूंगा ना अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात सुन लीजिए। ये बरसात के पहले बह गया कि बाद का है, ये पूछ रहा हूं। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी का उत्तर पहले आ जाए ना। माननीय अध्यक्ष जी सर्वोपरि है। आसंदी से प्रश्न आया है उसका उत्तर पहले दीजिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं पहले विधायक जी का उत्तर दूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- अभी श्री धरमलाल कौशिक जी सूरजपुर गये थे तो वहीं खोजने गये थे कि कहां गया है गोबर।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपका न प्रश्न काल के बाद में है कि क्या खोजने मैं गया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह जो शिकायत थी उसके विरूद्ध 4 लाख रूपये की वसूली की गयी मतलब वह गलत था। जहां की गोठान का नाम मैं पहले बताया जहां की ये चोरी की घटना हुई यह जो बहने की घटना हुई। दूसरा ग्राम डुरेना में गोबर लगभग मात्रा 30 क्विंटल, इसकी चोरी की सूचना है। माननीय अध्यक्ष महोदय और पूरे प्रदेश का पढ़ने को कहेंगे तो मुझे काफी पढ़ना पढ़ेगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- चलिये, मैं पूछ लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं यह पूछ रहा हूं कि आज आपके क्वेश्चन पेपर में कितने गोबर, गोठान के प्रश्न है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- बाकी 25 तथ्य अभी नहीं देखा हूं अध्यक्ष जी, लेकिन दो धर्मात्मा, एक श्री धरमलाल कौशिक और एक भैया धर्मजीत सिंह। तो दो दिग्गज प्रथम पंक्ति में अगर प्रश्न किये हैं तो मुझे लगता है कि हमारी इस योजना की सफलता निश्चित रूप से बहुत अच्छी है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा । तो जब आपकी सफलता अच्छी है तो इसी प्रश्न पर ही आज पूरी बहस हो जाए कि कितना बहा कितना चोरी हुआ, कितना बहने वाला है और जहां से बहता है वहां पर हैण्डपम्प लगा है क्या और कल मुख्यमंत्री जी आपको कह रहे थे कि इनको समझा दीजिए कि गोबर में कितना पानी है और कितना मिट्टी है। हो जाएगा पूरा आज।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। मतलब दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, नेता प्रतिपक्ष जी और दूसरा ये जे.सी.सी.आई. ये कांग्रेस के । (हंसी) वो भी नेता प्रतिपक्ष जैसे ही है। अब दो दल के नेता ये प्रश्न कर रहे हैं इसका महत्व आप समझ रहे हैं। और आसंदी से भी यदि आप निर्देश दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- विपक्षी दल के दोनों नेता यह बात कह रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, दोनों मिल करके गोबर कर रहे हैं।(हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं गलत शब्द मत उपयोग कीजिए। गुड़ गोबर कर रहे हैं।(हंसी)

श्री रविन्द्र चौबे :- और अगर आप इसी में चर्चा के लिए अवसर देंगे माननीय अध्यक्ष जी। तो सभी माननीय विधायकों को एक एक प्रश्न करने दीजिए न। कल संभव होगा तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये एक दुल्हे राजा पिक्चर आयी थी। गोविंदा और कादर खान के बीच में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ऐसी ही होता था जैसा अभी ये बोले ना तो कादर खान बोलते थे कि डायलाग तो ठीक से बोलो यार, कहावत को तो ठीक से बोलो। वो गोबर बोले, आपने कहा गुड़ गोबर। तो ऐसी है अब इन लोगों को ।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेकिन इसको विलोपित करवायें अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- किसको ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये जो गुड़ गोबर का व्यंग्य कर रहे हैं श्री धर्मजीत भैया। गोबर यहां अमृत हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- गुड़ गोबर संसदीय भाषा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग इतने असहिषुण हो चुके हैं मैं तो अध्यक्ष जी की बात का कोड किया। इन्होंने कहा कि ये हम लोग गोबर कर रहे हैं तो अध्यक्ष जी ने कहा गुड़ गोबर बोलिये। तो मैं बोला कादर खान का एक डायलाग था तो मैं बोला कि गोंविदा और कादर खान का एक डायलॉग था। वह कभी डॉयलाग सही नहीं बोलता था, उसको वह सुधार कर बताते थे।

श्री अमरजीत भगत :- उस फिल्म का नाम राजा बाबू था।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, राजा बाबू। तो अध्यक्ष जी, राजा बाबू के गोविंदा सरीखे हैं और आप कादर खान सरीखे हो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- भईया, डायलॉग बताईये?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह आपकी जानकारी में है या नहीं है ? यह जो नेवरा गौठान है। हमारी जो विधायिका जी बैठी हुई हैं, उनके यहां का है।

श्री रविन्द्र चौबे :- किनके यहां का है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. रश्मि आशिष सिंह के गांव का है।

अध्यक्ष महोदय :- वह संसदीय सचिव हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह संसदीय सचिव हैं। असल में आज तक वह क्लियर नहीं हो रहा है कि इनके अधिकार और कर्त्तव्य क्या है ? तो समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह और जांच का विषय है। वह हमारी सरकार की संसदीय सचिव हैं। उनका प्रश्न भईया धरमलाल कौशिक जी क्यों कर रहे हैं ? यह जांच का विषय है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। उसमें एक और महत्वपूर्ण है यह मॉडल गौठान है और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी किये हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नेवरा का गौठान खण्डर हो गया, मवेशी भी नहीं, चौकीदार भी नहीं, ताला बंद। ताला बंद होने के बाद में वहां का गोबर चोरी हो गया, बह गया और जो गोबर बहने की बात है। यह जून का मामला है जब बारिश नहीं हुई थी। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- नहीं। आप आरोप लगा भी नहीं सकते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बिलासपुर से कोटा जाओ तो गाड़ी में डण्डा रखकर जाना पड़ता है। रास्ते में हांक-वांक कर जगह बनानी पड़ती है। वही सड़क में सब दिन में और रात में सारे गरूआा और गाय बैठे रहते हैं तो आप तो ठीक ही बोले हैं कि वह गौठान खण्डहर हो ही चुका है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आप जो बात कर रहे थे। आपका मॉडल गौठान का मुख्यमंत्री जी ने जाकर लोकार्पण किया। लोकार्पण करने के बाद में न वहां पर चारा की व्यवस्था है, वहां ताला लगा हुआ है, न वहां पर मवेशी है। जून के महीने में गोबर पानी में बह गया। यह आपकी सरकार चल रही है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जितनी जगह भी यह गोबर जो पानी में बह गये और चोरी हो गये। पिछली बार आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों ने रोका-छेका अभियान लगाया। इन्हीं के विधान सभा क्षेत्र में 75 गायें मर गई, उसको बंद कर दिया गया।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- वह 75 गायें नहीं थीं, आप उसको ठीक करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रश्मि जी कितनी गायें थीं ?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- क्या है आप बिल्हा के साथ-साथ तखतपुर की जवाबदारी उठाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जवाबदारी उठाने दीजिए। हम जवाबदारी क्यों नहीं उठायेंगे ? यहां पर पूरे प्रदेश की जवाबदारी उठाने के लिए खड़े हुए हैं। आप तखतपुर की बात बोल रहे हैं। वहां कितनी गायें मर गईं ?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जब गौधन न्याय योजना शुरू हुई।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं भई। वहां कितनी गायें मर गईं ? मैं यह पूछ रहा हूँ ?

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- वहां 40 गायें मर गईं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां 40 गायें मर गईं, बोल रहे हैं। वहां रश्मि जी भी गईं थीं और मैं भी गया था, वह कैसे नहीं बोलेंगी।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- भईया, मैं केवल गई नहीं थी वहां पर 7 घण्टे तक लगातार खड़ी रही थी क्योंकि उस घटना को कुछ और डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां गायें मरने के बाद, आज तक किसी की जवाबदारी सुनिश्चित नहीं हुई। यह जितने गोबर घोटाले हो रहे हैं यह मामला अभी कम आया है। पूरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नदी किनारे के गांवों की बात आ रही है कि वहां गोबर बह गया। यह जो गोबर बहा है इसके लिए कोई जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे कि किसकी जवाबदारी है, उससे राशि वसूल की जायेगी ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने उत्तर में ही आपको बताया कि वसूली करने का तो आंकड़े भी दे दिया कि कितनी वसूली हुई, यह भी आपको बता दिया, उसके बाद भी प्रश्न पूछ रहे हैं। ग्राम नेवरा, देवरीखुर्द, बेलटुकरी इन तीनों गौठानों से लगभग 230 टन, उसके विरूद्ध 4 लाख 60 हजार की वसूली गौठान समिति के खाते में कर ली गई है। यह तो मैं आपको उत्तर में ही बताया। आपको पढ़कर भी सुनाया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह जो टोटल गोबर की खरीदी हुई है और आपने जो जवाब दिया है 97 करोड़ रूपये। टोटल 97 करोड़ रूपये की गोबर खरीदी के बाद में यह जो आपके वर्मी कम्पोस्ट है, सुपर कम्पोस्ट है अन्य जो बनायें हैं। वह कुल मिलाकर आपने उसमें कितना पैसा बेचकर वापस गौठानों या सरकार की जानकारी में हो। आपने 97 करोड़ रूपये की गोबर खरीदी और आपने कितने का बेचा, वह थोड़ा सा बता देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सतत् प्रक्रिया है। पूरे प्रदेश में 11 हजार ग्राम पंचायतें हैं, उसमें सभी ग्राम पंचायतों में गौठान बनाने का निर्णय लिया है। 3,4 बिन्दु को एक साथ जोड़कर सभी लोग प्रश्न कर रहे थे। आदरणीय अजय जी रोका छेका के बारे में पूछ रहे थे। अभी धर्मजीत भैया ने कहा कि सड़कों में गैय्या दिखती है। यह पूरा कान्सेप्ट को आप एक साथ मिला देते हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा है, गर्मी के दिन में गैय्या वैसे भी विचरण करती है। राऊत चराने जाता नहीं है। अब तो रोका छेका हुआ ना, अब तो धीरे-धीरे रूकेगा। यह योजना शुरू किए तो पहला साल है। पिछले हरेली के दिन शुरू किया गया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- दूसरा साल है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हरेली में किए थे कि पहले किए थे। हमारे यहां तो हरेली में परंपरा है। हरेली में गांव में परंपरा है। आपने हरेली के पहले शुरू किया था।

श्री अजय चंद्राकर :- जे दिन पंरपरा शुरू कर देहू उही दिन छत्तीसगढ़ मान लेही।

श्री रविन्द्र चौबे :- मानेल पड़हिच तोला। उसके बाद यह सब कार्यक्रम शुरू हुआ।

श्री अजय चंद्राकर :- मानेल पड़ही मतलब साजा में राऊत मन लउड़ी कब धरथे ऐला बता तो। राउत मन साजा में एक जुलाई के लउड़ी धरिस। आप मान लेव सरकार के नियम ला। तोर गांव वाला मन मान लिस।

श्री रविन्द्र चौबे :- अगर माननीय अजय जी हमारी परंपराओं को नहीं जानते तो मेरे को इसका दुख है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं जो पूछ रहा हूं, उसको बोलो ना।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया। हम लोगों ने 97 करोड़ रूपए की गोबर की खरीदी की, उसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और दो से ढाई लाख क्विंटल सुपर कम्पोस्ट हमने विक्रय कर लिया है। 54 करोड़ रूपये की राशि उस कम्पोस्ट के विक्रय से टोटल प्राप्त हो गया है और भी गतिविधियों में गोबर का उपयोग हुआ है। कहीं गमला बनाए, कहीं गो कास्ट बनाए, कहीं दीया बनाए, बहुत प्रकार से उपयोग हुआ है। यह दो तीन गौठानों का जिक्र करके आप गोबर के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरा आशय उसमें एक और है। मैं आपको बता देता हूं। आप बता रहे हैं कि आपकी योजना बहुत अच्छी है। आपने 97 करोड़ रूपए का गोबर खरीदा और खरीदने के बाद में आप आज यह बताने की स्थिति में नहीं हो कि 97 करोड़ रूपए का हिसाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी पूछा था, आप हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी भी चौबे जी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात, आप गोबर खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में आपके ऐसे कितने गौठान हैं, जिसको आपको गोबर खरीदने के लिए पैसा देने की जरूरत न पड़े और वह गौठान संचालन करने वाले उसको संचालित कर सके, उनकी स्थिति निर्मित हो गयी हो, ऐसे गौठानों की आप संख्या बता दें। जिनको आपको पैसा देना न पड़े और वे कर लें।

श्री रविन्द्र चौबे:- हां-हां। छत्तीसगढ़ में लगभग हमने कहा ना 11 हजार ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण हो रहा है, नंबर एक। लगभग 8 हजार से अधिक गौठानों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, नंबर दो। 5,586 गौठानों में हम गोबर का सीधे क्रय कर रहे हैं, नंबर तीन। छत्तीसगढ़ में लगभग 1,100 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं जिसमें अब हम गोबर खरीदी के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। वर्मी कम्पोस्ट बेचते हैं और वह आत्मनिर्भर गौठान है।

अध्यक्ष महोदय :- अब बहुत हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसका आप मेरे को मत बताईये। लेकिन आप मेरे को एक हजार गौठान की सूची दे देना जो स्वावलंबी हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दे देंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें अंतिम प्रश्न है। जो गौठान समिति की राशि है, जो गौठान की है, उसका कितना देय इस गोबर के माध्यम से दिया जाता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गोबर विक्रय की जानकारी तो मैंने आपको दे दिया है, गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय की जानकारी दे दिया। लाभांश लगभग यह जो टोटल एस.एन.जी. की महिला समिति है, उसको 3.27 और गौठान समिति को लाभांश 0.58 जो टोटल लाभ होता है, उसका प्रतिशत दिया जाता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश के चार जिलों में गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर की चोरी होने व पानी में बह जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोबर को सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है ? इसकी नियुक्ति का आधार क्या है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आप सभी माननीय सदस्य ग्रामीण परिवेश से आते हैं और विद्वान सदस्य हैं । गौठान पंचायती राज एक्ट के तहत ग्राम पंचायत की संपत्ति होती है । इस कार्य के लिये गौठान समिति का गठन किया गया है, एस.एच.जी. की महिलाओं को वहां रोजगार के लिये जोड़ा गया है, गोबर खरीदी करने का काम गौठान समिति करती है तो नेचुरल है कि सुरक्षा का काम गौठान समिति का है लेकिन नोडल कर्मचारी और अधिकारी के रूप में जो विभागीय पंचायत का सचिव है, हमारे विभाग के जो फील्ड के कर्मचारी हैं उस कार्य में लगे रहते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गौठान पंचायत की संपत्ति है और गौठान समितियों का गठन किया गया है । मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि यदि गौठान पंचायतों की संपत्ति है तो गौठान समितियों का गठन किसने किया और गठन करने का आधार क्या था ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बताइए न कि क्या प्रावधान है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने आपको बता दिया न ।

अध्यक्ष महोदय :- आप इस तरह 2-2, 3-3 प्रश्न थोड़ी करेंगे । आप 2 प्रश्न कर चुके हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गौठान समितियों के नाम से पूरे प्रदेश में राजनीति हुई है । पंचायतों ने जो प्रस्ताव शासन को भेजा उस आधार पर गौठान समितियां नहीं बनीं । गौठान समितियों में एक पार्टी विशेष के लोगों को नामांकित कर दिया गया । माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । अगर पंचायत की संपत्ति गौठान है तो गौठान समिति के गठन का अधिकार भी पंचायत को होना चाहिए । प्रभारी मंत्री को क्यों ? गौठान समितियों का गठन प्रभारी मंत्री ने किया है तो गौठान समितियों के गठन का अधिकार आप पंचायतों को दीजिए । आप पंचायतों के अधिकार का अतिक्रमण कर रहे हैं । आप यह बता दीजिये कि यदि प्रभारी मंत्री ने गौठान समिति का गठन किया तो क्या पंचायतों के अधिकार पर अतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के किसी अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है । ग्राम सभाओं से अनुमोदन भी कराया गया है लेकिन जहां विवाद है, जहां डिसपुट है वहां इस तरीके से गौठान समिति ने यानी नाम निर्देशन किया गया है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं ग्राम सभाओं के अनुमोदन का पालन नहीं किया गया है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पालन नहीं किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ग्राम सभाओं ने जो अनुमोदन भेजा उस आधार पर नियुक्ति नहीं हुई । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- उस आधार पर नियुक्ति नहीं हुई । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- इसमें पूरी तरह से राजनीति हुई, मैं पच्चीस उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं और इसकी शिकायत भी शासन को हुई है ।

श्री सौरभ सिंह :- हाईकोर्ट में केस लंबित है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हाईकोर्ट में भी केस गया है । (व्यवधान) गौठान समिति के नाम से पूरे प्रदेश को गुमराह किया जा रहा है । (व्यवधान) हाईकोर्ट में केस लंबित है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से माननीय मंत्री जी को आदेशित किया जाये कि जो पंचायत अर्थात् सामान्य सभा ने पारित किया है उस आधार पर गौठान समिति का गठन किया जाये, आप आदेशित करें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां पर ग्राम पंचायत में अनुमोदन हुए हैं, जो नाम आया था तो इंडयॉरेक्टली यह कहा गया कि पार्टी में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, वे उसका निर्णय लेंगे कि गौठान समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर तो मैं नहीं दे पाउंगा कि इंडयॉरेक्टली किसने कहा । अभी आदरणीया रंजना जी पूछ रही हैं कि इंडयॉरेक्टली कहा गया ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अच्छा, डॉयरेक्टली प्रभारी मंत्री जी का नाम लिया गया । डॉयरेक्टली प्रभारी मंत्री जी और इंडॉयरेक्टली पार्टी के पदाधिकारी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- तो फिर इंडॉयरेक्टली प्रभारी मंत्री का नाम कैसे लिया गया? आप प्रश्न से कंफ्यूज कर रही हैं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जिस-जिस जिले के प्रभारी हैं उनका नाम लिया गया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप प्रश्न को घुमा रहे हैं । पंचायतों को यह निर्देश हुआ था कि ग्राम सभा से 50 नाम का अनुमोदन करके दें । उस 50 में से गौठान समितियों के नाम चयनित किये जायेंगे । पंचायतों ने जो नाम चयनित करके दिया उन नामों को नहीं लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बताईए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- पूरा विपक्ष के दिमाग में गोबर भर गया है । उससे वे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, भरे रहने दीजिए अच्छी बात है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब ऐसा है कि आप लोगों की तो मॉडल योजना है न गोबर ।

श्री नारायण चंदेल :- घोर आपत्तिजनक है ।

श्री अरूण वोरा :- आप गोबर का महत्व अब समझ रहे हैं, 15 सालों तक नहीं समझे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है । उसको आप विलोपित कर दें ।

श्री अजय चंद्राकर :- उसको विलोपित करवाने के लिये मुख्यमंत्री जी मांग नहीं करेंगे, उनको मजा आया । वे तो मस्त उनकी टिप्पणी पर जोरदार मुस्कुराए । माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में दो बातें कहना चाहूंगा कि पंचायती राज में कितनी समितियां होती हैं वह पंचायती राज में उल्लेखित है उसके एक गठन की प्रक्रिया है लेकिन उस प्रकिया का पालन नहीं किया गया है । पंचायत राज की समिति गठित कैसे होती है इसमें आप एक दिन चर्चा करवा लें तो मंत्री जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं वह सामने आ जाएगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भुगतान की राशि, आप परिशिष्ट लें। आपने लिखा है कि 30/07/2021 तक भुगतान हो जायेगा। जो गोबर खरीदते हैं। एस.एस.जी. खरीदे चाहे आपके सक्रिय तथाकथित निष्क्रिय गौठान खरीदे, कौन खरीदे, समिति खरीदे, भुगतान कितने दिन में होता है? और सोसाइटी से गौठान समिति को खाद बेचने के बाद उन्हें कितने दिन में भुगतान होता है? आपके परिशिष्ट के हिसाब से जो लंबित भुगतान हैं, वे सारे लंबित भुगतान आज की तारीख में हो गये क्या? आपने कहा है कि 30 तारीख तक होगा।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रदेश में हम सबका सौभाग्य है कि भुगतान के लिए और वह भी गोबर खरीदी में गौ पालकों के भुगतान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिट किया है 15 दिन।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इसमें परिशिष्ट पढिए, फिर अपनी पीठ थपथपाइए। आप परिशिष्ट पढ़ने के बाद पीठ थपथपाइए। आप सदन में बोल रहे हैं। सबसे जिम्मेदार मंत्री हैं। जिस तारीख से प्रश्न गया है और जिस तारीख से उत्तर आया है, 15 दिन से ज्यादा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत लंबा समय हो गया। आप बोलिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, प्रक्रिया है। निरंतरता रहती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो आप 15 दिन बोल रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने 15 दिन का कमिटमेंट बोला।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप परिशिष्ट को देख लीजिए। 15 दिन से ज्यादा हो चुका है। आप जिस दिन खरीदे हैं। आपके परिशिष्ट में लिखा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निरंतर पेमेंट हो रहा है और कहीं किसी का पेमेंट बकाया नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- सत्यनारायण शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं रहेगा। आप 30 तारीख तक कर देंगे, ये लिखे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर नहीं आ रहा है। (व्यवधान) ग्राम पंचायत द्वारा जो गौठान समिति का गठन किया गया था, उसको प्रभारी मंत्री द्वारा निलंबित किया गया है। ये पंचायतों के अधिकारों का हनन है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- गौठान समिति का मामला है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- पंचायतों के अधिकारों का हनन किया गया है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह पंचायत के अधिकार का हनन है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित किया जायेगा क्या? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- किस नियम के तहत् किया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे क्या? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। नेता जी। नेता जी। नेता जी। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पंचायती राज अधिनियम में ये जबरदस्ती घुसा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अब सुन न भईया। तुमन अउ किसी माध्यम से चर्चा मांगना हे तो मांग लेवौ अउ एखर ले ज्यादा समय प्रश्नकाल में नहीं हो सकै।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो मंत्री जी तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, इहू उत्तर नहीं आइस।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर नहीं है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये प्रश्न को घूमा रहे हैं। ये घुमावदार मंत्री हैं। (व्यवधान) एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका तो जवाब दो जो आप लिखे हो। इसमें पूरा घबला है। (व्यवधान) आप बोलिए भुगतान हो जायेगा करके। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- गौठान में आपको क्या परेशानी हो रही है? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गौठान समिति का जो अधिकार पंचायत को है, उस पंचायत के अधिकार पर कोई अतिक्रमण न हो। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- पंचायत का एक नोटिफिकेशन भी है। एक समिति अतिरिक्त बनायी जायेगी करके, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। (व्यवधान) उसकी लिए प्रक्रिया है। आपने क्या पूरी प्रक्रिया का पालन किया ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- गौठान पंचायत की संपत्ति है। पंचायत के नियमों का हनन हो रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज आप लोग बैठिए। बहुत हो गया। मैंने कहा न आप चर्चा के लिए समय ले लीजिए। आप आधा घण्टा चर्चा कर लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आधा घण्टा। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- जवाब आ जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- किसका जवाब आ जाये। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- वे बस पीठ थपथपा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- विपक्ष को तो हर मुद्दे में बात करनी है। हर बिंदु में नुस्क निकालना है। ये चर्चा के नाम पर भागते हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरा सदन एक प्रश्न का जवाब चाहता है कि गौठान समिति में पंचायतों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सरकार क्या आदेश जारी करेगी और पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित किया जायेगा क्या? बस इतना बता दें।

श्री नारायण चंदेल :- बस, ठीक बोल रहे हैं। सदन में घोषणा हो जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- शुभ अवसर है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा है, मैंने स्वयं सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि एक दिन प्रबोधन कार्यक्रम लेकर सब बता दीजिए। उस दिन बता देंगे। बहुत ज्यादा हो गया। अब आधा घंटा हो चुका है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पंचायतों से जुड़ा विषय है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कैसे बनता है? उसमें कितना गोबर लगता है? (व्यवधान) पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह तो प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- पंचायतों से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- पंचायतों के अधिकारों का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि हैं। उनका सबका अपमान यह सरकार कर रही है। एक लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों का अपमान कर रही है। हम उनके सम्मान की बात कर रहे हैं कि पंचायतों को आप गौठानों के पूरे अधिकार देंगे क्या ? और नहीं देंगे तो किस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नियम के तहत् उन्हें नहीं देंगे और नहीं तो आप घोषणा करिए कि पंचायतों के अनुसार ही गौठान चलेगा।

श्री नारायण चंदेल :- बृजमोहन जी, दोनों बातें साफ हो जायें। देंगे या नहीं देंगे। हां या नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- बृजमोहन जी, दोनों बातें साफ़ हो जाएं । देंगे या नहीं देंगे, हां या नहीं ?

श्री भूपेश बघेल :- अब मैं चंदेल जी से पूछूंगा कि भाभीजी ने आपको मारना-पीटना छोड़ दिया, हां या ना में उत्तर दो (हंसी)। अध्यक्ष जी, इसका हां या ना में क्या उत्तर होगा ?

श्री नारायण चंदेल :- मुख्यमंत्री जी, बात ला एती-ओती झन किंदार । ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है । पंचायत के अधिकार का मामला है और पंचायत प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि है ।

श्री अमरजीत भगत :- चंदेल जी, ये गोबर ख़रीदी योजना बहुत अच्छी योजना है, इसमें आप लोग गोबर पोतने का काम मत करिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, हम गोबर ख़रीदी योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, गोबर ख़रीदी के लिए जो गौठान समिति बनी है, वे पंचायत के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए । उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिलना चाहिए । प्रभारी मंत्री घोषित करने वाले कौन होते हैं ? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आपने कहा था कि गोबर बोहा गे ।

अध्यक्ष महोदय :- एती देख ना । बहुत लम्बा हो गे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- नारायण चंदेल जी इधर देखते ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- 11 बजकर 51 मिनट हो गे गा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 49 और 30 (ख) के तहत ग्राम गौठान प्रबंधन समिति का गठन हुआ है । इसके द्वारा पंचायती राज के किसी भी अधिकार का हनन् नहीं हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये असत्य कथन है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- ये असत्य कथन है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी असत्य कथन कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सत्यनारायण जी शर्मा ।

(भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की ओर से उत्तर नहीं आया है । हम असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11:52 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में.

(श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

जल संसाधन विभाग के अस्थाई संभागीय कार्यालय

5. (*क्र. 321) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन विभाग में कितने संभागीय कार्यालय कब से अस्थाई हैं? (ख) इन्हें स्थाई न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) कुल 34 संभागीय कार्यालय सृजन होने के दिनांक से अस्थाई है, जानकारी †[2] संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) स्थाईकरण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 34 संभागीय कार्यालय अस्थायी हैं । अध्यक्ष जी, ये कार्यालय 1977 से अस्थायी हैं । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब तक इनका स्थायीकरण कर देंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, एक तो स्थायी ही कर देंगे, ऐसा कोई कमिट नहीं हो सकता । दूसरा, आपने कहा कि कब तक कर देंगे, तो इसकी तिथि भी बताना संभव नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए महाराज, खींचिए जितना मिनट खींच सकते हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया है कि स्थायीकरण के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं । प्रस्ताव किसने नहीं दिया, स्थायीकरण का प्रस्ताव देने में विलम्ब क्यों हुआ, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है ?

श्री रविन्द्र चौबे :- प्राप्त का आशय, विभाग ही है । इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष जी, 1977 से स्थायीकरण का प्रस्ताव ही नहीं दिया । माननीय मंत्री जी कोशिश करिये कि स्थायीकरण हो ।

---

[2] † परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह आवश्यक ही नहीं है इसलिए प्रस्ताव की जरूरत नहीं है । प्रस्ताव आया या नहीं आया, यह दूसरी बात है । दोनों में अंतर केवल यह है कि निरन्तरता का एक प्रमाण पत्र लगता है । इसको अस्थायी इसलिए भी रखा जाता है कि आधे से ज्यादा डिविज़न का गठन प्रोजेक्ट के लिए होता है, कभी क्षीरपानी के लिए हुआ, कभी कर्रा बैराज के लिए हुआ, कभी मोंगरा बैराज के लिए हुआ, कभी अरपा-भैंसाझार के लिए हुआ । कम्प्लीशन के बाद अस्थायी डिविज़न को दूसरे नये प्रोजेक्ट के लिए शिफ्ट किया जाता है । वह अस्थायी रहता ही है, परम्परा है, प्रक्रिया है ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपने निरन्तरता आदेश का ज़िक्र किया, निरन्तरता आदेश दो-दो, तीन-तीन महीने जारी नहीं होता । आप बता दें कि निरन्तरता आदेश कब पारित किया गया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, यह तो शासन के मध्य के कार्य की सतत् प्रक्रिया है । इसमें तारीख़ क्या, हर वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग से निरन्तरता का आदेश लिया ही जाता है, यह प्रक्रिया है । आदरणीय सत्तू भइया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है । डिविज़न स्थायी है या अस्थायी है, वर्किंग में कोई प्रभाव नहीं, फायनेन्स में कोई प्रभाव नहीं, डी.डी. में कोई प्रभाव नहीं, पोस्टिंग में कोई प्रभाव नहीं, उनकी वर्क कैपेसिटी में कोई प्रभाव नहीं । ये केवल इसलिए जाता है प्रोजेक्टवाइस कई डिविज़न के निर्माण हो जाते हैं । प्रोजेक्ट समाप्त होते ही डिविजन की शिफ्टिंग होती है इसलिए अस्थायी जैसा डिविजन बनाया जाता है ताकि उसको भविष्य में जरूरत हो तो शिफ्ट किया जा सके ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, ये निरन्तरता आदेश जारी होता है इसमें काफी विलम्ब होता है । निरन्तरता आदेश जल्दी जारी हो, विलम्ब न हो, इसके लिए आप निर्देश देंगे क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- ये अंतरविभागीय मामला है । माननीय सत्तू भइया कह रहे हैं तो इस संबंध में कार्यवाही करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू ।

<u>चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र</u>

6. (*क्र. 638) श्री राजमन बेंजाम : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और इनमें से कितने केन्द्र निजी भवन में संचालित हैं? (ख) कितने आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की रंगाई-पोताई की गयी और कितने केन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में है? विकासखण्डवार और वर्षवार (2019-20 और 2020-21 हेतु) जानकारी देवें?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंड़िया) : (क) चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत 737 आंगनबाड़ी केन्द्र और 35 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र है और इनमें से 34 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र निजी भवन (किराये के भवन) में संचालित है. (ख) 545 आंगनबाड़ी केन्द्रों की रंगाई पोताई की गई है और 41 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में है. विकासखण्डवार और वर्षवार (2019-20 और 2020-21 हेतु) जानकारी परिशिष्ट पर †[3] संलग्न है.

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का जवाब आया है । मेरे क्षेत्र में 41 आंगनबाड़ी केन्द्र जर्जर हैं । ये जर्जर नहीं हैं, ये अतिजर्जर हैं । वे भवन आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करने योग्य नहीं हैं । वहां किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों को जो 41 आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आंगनबाड़ी 41 हैं वो जर्जर नहीं हो के अति जर्जर हैं तो अतिजर्जर को जर्जर बनाना है कि जर्जर को ठीक बनाना है।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी ढाई साल बाकी है।

श्री राजमन बेंजाम :- नहीं, नहीं स्वीकृति प्रदान करना है।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय जर्जन आंगनबाड़ी की स्थिति 41 है तो आप पी.डब्लू.डी. के माध्यम से अगर प्रमाणीकरण करके उनके डिसमेंटल करने की कर दे उसके बाद आपकी आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति दे देंगे, हां बचा है अभी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये आप प्रस्ताव भेजवाइये।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आज आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित नहीं हो रही हैं उसको विभाग से जांच कराने की जरूरत नहीं है आप उनको यहां से स्वीकृति देंगे क्या।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं नियम के तहत पी.डब्लू.डी. ही भवन को जर्जर डिसमेंटल करते हैं मैं मैं स्वीकृति दे दूंगी न आप आपके 41 भवन को।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी आप हमको क्यों बोल रही है कि वो करवा के भेजे आपको इतना बड़ा विभाग है आप अपने विभाग में बोलों बच्चे लोग जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं चेक करवाइये डिसमेंटल का प्रतिवाद करवा के खुद करिये न उनके उपर जिम्मेदारी वो तो जानकारी दे रहे हैं आप करिये न।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं, नहीं माननीय बड़े भईया, ऐसे ही आप आंगनबाड़ी भवन को डिसमेंटल कर देंगे तो कल के दिन में कार्यवाही हो जाएगी इसलिए हमारे विभाग के माध्यम से नहीं करा सकते पी.डब्लू.डी. कर देगा। हम तो तुरंत स्वीकृति दे देंगे कह रहे हैं हमारे पास पैसा का कमी नहीं है।

---

[3] †† परिशिष्ट "तीन"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह:- आप अपने अधिकारी को भेज दो न कि वो पी.डब्लू.डी. के पास कि वो जांच कर ले अब वो कहां जाएंगे कितने जगह जाएंगे ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- वो जाएंगे नहीं अगर हम हमारे विधानसभा में ऐसा है तो स्थिति हम बताते है कि नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, अधिकारी, अधिकारी से मिलकर कराएगा न बहन जी, उनको भेज दीजिये आप

श्रीमती अनिला भेंडिया :- नहीं बिल्कुल हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विभाग के अधिकारी जाकर करा देंगे वो भी सक्षम है हमारे विधायक जी इसलिए मैं बोल रही थी, ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बेंजाम जी आप सक्षम हैं आप सक्षम हैं न।

श्री राजमन बेंजाम :- नहीं सक्षम नहीं हूं सर आपके माध्यम से अगर स्वीकृति आज मिल जाती है क्योंकि आज वाकई वहां आंगनबाड़ी संचालित नहीं हो रही हैं इसलिए मैं सदन में इस बात को रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा और मेहनत करिये, पी.डब्लू.डी. वालों से।

श्री राजमन बेंजाम :- और मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है उसकी अगर तत्काल विभाग से डिसमेंटल करने का आदेश जारी कर के स्वीकृति आज ही दे दे तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपके साथ हूं, आप नये-नये आये हैं इसलिए आपको पूरी मदद मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- बिल्कुल विभाग के माध्यम से चले चले जाएंगे डिसमेंटल हो जाएगा आपकी स्वीकृति मिल जाएगी।

श्री राजमन बेंजाम :- धन्यवाद मैडम।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये प्रश्न क्रमांक 7

जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही

7. (*क्र. 591) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि जल संसाधन विभाग में सिंचाई का रकबा विगत दस वर्षों से लगातार बढ़ रहा है और कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या प्रतिवर्ष घट रही है? (ख) यदि हां, तो विभाग में रिक्त पदों की भर्ती हेतु वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : (क) जी हां. (ख) विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) एवं (वि.यां.) के रिक्त पदों की भर्ती हेतु छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर को प्रस्ताव भेजा गया है, तृतीय एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

चतु,र्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति व्यवसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के माध्यम से किये जाने बाबत् वित्त विभाग से अनुमति चाही गयी है. वर्तमान में कार्यवाही छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर एवं वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में कुछ कितने कर्मचारी क्सास 3, क्लास 4 सब इंजीनियर, असिसटेंस इंजीनियर, एक्ज्यूकेटीव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और पी.एन.सी. के कितने पद किये थे और उसमें से कितने पद भरे हुए हैं और क्या आने वाले दो सालों में सिर्फ सिंचाई विभाग में 16 प्रतिशत कर्मचारी बचेंगे तो आपने उसकी भर्ती के लिए क्या कर रहे हैं पूरा सिंचाई विभाग खाली हो जाएगा सिंचाई की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो आपने क्या व्यवस्था करने की तैयारी की है इसको बतायें।

अध्यक्ष महोदय :- पूरा प्रश्न समझ लीजिये न। नहीं आपने प्रश्न समझ लिया।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, समय हो रहा है मैं संक्षिप्त में उत्तर दे दूंगा ये प्रश्न बहुत जागरूकता का परिचय दे रहे हैं आदरणीय बृजमोहन भईया लेकिन 15 साल पलट के नहीं देखे इसलिए ये प्रश्न उपस्थित हुआ है नंबर 1, नंबर दो 2 टोटल रिक्तियों की जानकारी कहे तो पूरा पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा 58 हो गया है 1158 इसलिए मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नंबर 3 माननीय अध्यक्ष महोदय जो प्रथम वर्ग का है वो तो पदोन्नति के पद है। असिसटेंट इंजीनियर 42 पदों के लिए भेजा गया था उसका इंटरव्यू चल रहा है 80 पदों के लिए अभी हमने विभाग से पीएससी को भेज दिया है उसकी तत्तकाल नियुक्ति की प्रक्रिया चालू होगी और टोटल सब इंजीनियर के लगभग 1303 पदों में से 667 पद वेकेंट हैं उसके लिए भी फाइनेंस की स्वीकृति मिल चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और जो आप चिंता कर रहे हैं कि सचमुच इस विभाग में ऐसी स्थिति है उसको दूर करना है तो हमको इन पदों की पदस्थापनाएं तत्काल करना आवश्यक है इसलिए 667 पद सब इंजीनियर के वेकेंट हैं उसको हम शीघ्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- असिसटेंट इंजीनियर के कितन पद रिक्त हैं। सीधी भर्ती सब इंजीनियर दोनों में होती है असिसटेंट इंजीनियर के कितने पद रिक्त हैं। श्री रविंद्र चौबे :- उसकी जानकारी भी दे देता हूं। मैं असिसटेंट इंजीनियर की जानकारी दिया न 42 पदों की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप समय मत जाया करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- चलिय 480 टोटल कार्यरत पद हैं जिसमें रिक्तियों लगभग समझ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 पटल पर रखता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005(क्रमांक 16 सन् 2005)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020-21 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूं ।

(3) थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे, पिता-श्री राजाराम नोरंगे, निवासी परियरा की हुई मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आोग का जांच प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे, पिता-श्री राजाराम नोरंगे, निवासी परियरा की हुई मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आोग का जांच प्रतिवेदन पटल पर रखता हूं ।

(4) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961)

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूं।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/खाद्य/2009/29-1, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं ।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए चयनित उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कृत करने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में विधान सभा परिसर स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी प्रेक्षागृह में शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 को दोपहर 01:30 बजे आयोजित किया गया है ।

समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं ।

समय :
12:04 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समाप्त हो चुकी है । छत्तीसगढ़ कभी शांति का टापू कहलाता था, वह अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है । चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि अब मंत्री का परिवार, मंत्री के रिश्तेदार, पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदार भी सुरक्षित नहीं हैं । मध्यप्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री आदरणीय प्यारे लाल जी कंवर के परिवार में हत्या की घटना घटित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुई। हमारे सदन के मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया के रिश्तेदार की हत्या हुई । राजधानी में हत्या की घटनाएं लगातार घटित हो रही है । छत्तीसगढ़ में ढाई वर्ष के अंदर 3408 बलात्कार हुए हैं, जो पुलिस ने मार्च तक पंजीकृत किये हैं । छत्तीसगढ़ में चोरी की 8632 घटनाएं घटित हो चुकी हैं, 10,275 आत्महत्या की घटना, 404 आमजनी की घटना और 1,197 बलात्कार की घटना घटित हो चुकी है। यानि छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के अपराध घटित हो रहे हैं और यह सरकार इन अपराधों को रोकने में असफल रही है। माना में जुआ, सट्टा, गांजा का कारोबार शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं, अवैध वसूली के आरोप में फरार गैंगस्टर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, सेक्स रैकेट के छापे के दौरान तीसरी मंजिल से कूदने वाली महिला की मौत, यानि सब प्रकार की घटना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा छत्तीसगढ़ अपराध से ग्रसित हो रहा है, उसके जड़ में नशा है। इस सरकार ने शराबबंदी की बात की थी और अब शराबबंदी करने की बात तो दूर है, घर पहुंच सेवा शुरू हो गई है। उसके चलते सब प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। हमने इस विषय पर स्थगन दिया है, आप हमारे स्थगन को ग्राह्य करके चर्चा कराये, यह हमारा निवेदन है।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय को माननीय शिवरतन जी ने रखा है, हम सब लोगों ने इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव दिया है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि अब छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में तब्दील हो रहा है। प्रतिदिन ऐसा काई दिन नहीं है, जहां समाचार-पत्रों इन सुर्खियों पटी न हो। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, सट्टा, जुआ, अफीम, गांजा, चरस और शराब का खुले आम अवैध व्यापार, रेत माफिया, जमीन माफिया ये सारे नित नये किस्म के अपराध की घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है। अभी हमारे जांजगीर-चांपा में रेत माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ गया था कि एस.डी.एम. और तहसीलदार की गाड़ी पर हाईवा चढ़ा दिया था। इस तरह की रोज घटनाएं घटित हो रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। आप इस महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर इस सदन में चर्चा करायें, यह हमारा आग्रह है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घटना, आंकड़े सारी चीजें हैं, काफी मोटे हैं, सब हैं। महत्वपूर्ण सवाल इस बात का है कि अपरध क्यों घट रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं ? छत्तीसगढ़ की एक नई उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कहे या गृहमंत्री जी के संरक्षण में कहे, गांजा और नशा का कारीडोर बन गया है। यदि मुझ फिर से जन्म लेने के लिए कहा जाये, यदि अगले जन्म में सरकारी नौकरी करूं तो मैं बागबाहरा का टी.आई. बनना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे कितना पकड़ना है और कितना छोड़ना है, यह वहां बैठकर तय होता है। जहां तक हत्या की बात है, मैं जहां रहता हूं पहली बार दोहरा हत्याकाण्ड हुआ। हमने कभी मॉब लीचिंग देखी नहीं थी, छत्तीसगढ़ में कभी सुना नहीं था कि मॉब लीचिंग होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रायगढ़ में मॉब लीचिंग हुई।

आप रोज पढ़ लीजिये, पेपर में छपा रहता है कि सायबर ठगी का गढ़ छत्तीसगढ बन गया है। यानि प्रतिदिन सायबर ठगी होती है। पुलिस को सक्षम बनाने की कोशिश नहीं हुई कि सायबर ठगी कैसे रोकी जाये। सायबर ठगी के बाद दूसरी अन्य तरह की ठगी होती है, तमाम लोग जामताड़ा गिरोह बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, उन सब का मुख्यालय छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ इनका मुख्यालय क्यों बन रहा है ? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। तो सामाजिक ताना-बाना पूरी तरह से भिन्न हो चुका है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि छत्तीसगढ में संवैधानिकेत्तर सत्ता काम कर रही है। उनको संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस के हाथ-पैर बांध दिए गए हैं और दूसरे तत्व एक गिरोह के रूप में जुआ, सट्टा, शराब से लेकर नशा, रेत, अवैध दवाई, अवैध खाद दवाई, उनके सारे संस्थागत स्वरूप ले चुके हैं और जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। छत्तीसगढ़ बर्बादी के कगार पर है। गोबर बीनने से कुछ नहीं होना है, धान का 2500 रूपये देने से कुछ नहीं होना है। जब आदमी के जीवन की रक्षा नहीं हो रही है, जब आदमी के संपत्ति की रक्षा नहीं हो रही है, जब आदमी असुरक्षित है, यह कहां का वेलफेयर स्टेट हुआ ? इसलिए इसको ग्राह्य करके आप चर्चा करायें । जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, सारे के सारे गृहमंत्री को मालूम है, यदि वह नहीं करते हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछने के लिए बाध्य रहूंगा कि इस प्रदेश में गृह मंत्री हैं या नहीं है ? वह यह भी बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, गृह मंत्री जी उपस्थित हैं, आखिर छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ क्यों बन रहा है ? यह माफियाओं का गढ़ क्यों बन रहा है ? यहां पर शराब माफिया क्यों तैयार हो रहे है ? यहां पर रेत माफिया क्यों तैयार हो रहा है ? यहां पर जंगल माफिया क्यों तैयार हो रहे हैं, यहां पर भूमि माफिया क्यों तैयार हो रहे हैं ? यहां पर खाद बीज माफिया क्यों तैयार हो रहे हैं ? यहां पर ड्रग माफिया क्यों तैयार हो रहे हैं ? अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है, अवैध पैसा आना, अवैध कमाई होना । मुझे तो बहुत बार आश्चर्य होता है, जब समाचार पत्रों में रोज हम पढ़ते हैं, इतना गांजा पकड़ा गया, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती नहीं, गांजे की खेती होना शुरू हो गयी है । इतना अवैध शराब पकड़ा गया । सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी ...।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- बृजमोहन भईया, गांजा की बात कर रहे हो, गांजा कहां से आ रहा है ? बाहर के प्रदेशों से । हमारी पुलिस पकड़ रही है, मतलब पुलिस सजग है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे छत्तीसगढ़ में चिन्ता का विषय है कि 10,275 लोग आत्महत्या किये हैं, आखिर यह मार्च तक की स्थिति है । छत्तीसगढ़ के लोग अवसादग्रस्त क्यों हो रहे हैं ? यह अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जब कोई नवजवान या किसान उससे अपनी तुलना करता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं एक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मोटर सायकल नहीं खरीद पा रहा हूँ, परन्तु यह शराब बेचकर, रेत बेचकर, ड्रग्स बेचकर, इतना पैसा कमा रहा है, उसकी हवेली बन गई, उसके मोटर सायकल आ गई, उसके पास में कार आ गई, इसलिए छत्तीसगढ़ के नवजवान आज अवसादग्रस्त हो रहे हैं । आज रायपुर में क्या स्थिति है ? हम कल धर्मान्तरण का मुद्दा उठा रहे थे, रोहिंग्या का मामला उठा रहे थे, बंगलादेश का मामला उठा रहे थे । माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी बातों को गलत साबित नहीं कर सकते । राजनांदगांव में 7 बांग्लादेशी पकड़े गये, वह बंग्लादेशी वहां पर बर्तन बेचने के नाम पर लूटमार का काम करते थे, चोरी का काम करते थे । यह उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ । रायपुर में वी.आई.पी. रोड में आपके लोग पकड़ने जाते हैं या अवैध शराब पिलाई जा रही है, परन्तु अपना हाथ बांधकर इंसपेक्टर चुपचाप वापस आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं ? उसको बाद में एस.पी. सस्पेंड करते हैं । क्यों आ जाते हैं, किसका फोन चला गया ? रायपुर में जयस्तंभ चौक पर हत्या हो जाती है । रायपुर में लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है, अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बाकी कौन सुरक्षित होगा ? पूरी तरह शासन, प्रशासन व्यवस्था लचर हो गयी है । कानून व्यवस्था की स्थिति पर आप चर्चा करवायें, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है और मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी, रायपुर में विशेष रूप से कई बार आपकी गाड़ी के सामने कुछ लड़के मोटर बाईक वाले इतनी तेजी से जाते हैं, हम लोग सड़क से गुजरते हैं, कल एक्सीडेंट हो जायेगा, तो आप कहेंगे कि बृजमोहन की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया । पेपरों में छपेगा, आप उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते, ऐसा गाड़ी लहराते हुये रात को रायपुर शहर की 25 से ज्यादा मोहल्ले और कॉलोनियां ऐसी है, जहां पर यह बाइकर्स इतनी तेजी से गाड़ी चलाते हुये और 10-10, 20-20 की संख्या में हल्ला करते हुये, घर के लोग डर जाते हैं, यह बाहर क्या हो गया । जब वह बाहर निकलकर देखते हैं तो बाइकर्स बड़ी तेजी से हल्ला करते हुये जा रहे हैं । रायपुर में कोई कानून व्यवस्था है, लॉक डाउन में पूरा शहर बंद है और दो-चार मुहल्ले खुले हुये हैं, क्यों खुले हुये हैं ? किनका संरक्षण हैं ? पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करती है ? यह सब कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर में बहुत गंभीर हो गयी है । निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप इस स्थगन पर चर्चा करवायेंगे । अगर राजधानी सुरक्षित नहीं है तो पूरे प्रदेश की कल्पना हम नहीं कर सकते । इसको आप स्वीकार करें, इस पर चर्चा करवायें, हम पूरे प्रदेश के तथ्य आपके सामने रखेंगे ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अवैध जुंआ का कारोबार पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। जगह-जगह पर जुएं की फड़ खुली हुई हैं। टी.आई. बदलते हैं तो कोई फड़ बंद हो जाती है और कोई फड़ चालू हो जाती है। स्थान बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, थोड़ा बहुत जिला बदल जाते हैं, जुंआ का पूरा सरंक्षण का कार्य चल रहा है। पूरी जितनी एस.ई.सी.एल. की खदाने हैं, चाहे कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपूर जिले में हों, सारे जिलों में अवैध डीजल, अवैध कोयला, अवैध लोहा का कारोबार फल-फूल रहा है। पूरा कबाड़ी का गिरोह सक्रिय है जो इन खदानों से,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बड़े-बड़े प्लाण्टों से कोयला चोरी करके ला रहा है। अनेकों बार जनप्रतिनिधि शिकायत करते हैं। यह कबाड़ी, डीजल चोरी के जो गिरोह हैं, यही आगे चलकर बड़े अपराधी बनते हैं। बड़े गिरोह के सरगना बनते हैं। इन पर पुलिस कार्यवाही क्यों नहीं करती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, उन इंडस्ट्रियल एरिया में गार्डों के नाम पर, नौकरियों के नाम पर, कर्मचारियों के नाम पर उत्तरप्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के तड़ीपार और अपराधी तत्व के लोग आकर यहां पर नौकरियां कर रहे हैं और कहीं पर पुलिस उनका वेरीफिकेशन नहीं करती है। यह कौन व्यक्ति है, प्रदेश के बाहर का व्यक्ति है, यहां पर आकर क्यों काम कर रहा है, उसका वेरीफिकेशन तो होना चाहिए। कहीं पर कोई वेरीफिकेशन नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब थाने में कोई प्रकरण दर्ज करने जाता है तो थाने में बोलते हैं कि एक सफेद कागज में अपनी शिकायत लिखकर दे दो। एफ.आई.आर. करना मूल अधिकार है। एफ.आई.आर. क्यों नहीं की जा रही है? अभी सुबह फोन आया था। 7 दिन पहले कोरबा जिले के दर्री थाना में धारा 376 की एफ.आई.आर. हुई है। जिस महिला ने 376 की एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है, उस महिला के एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के बाद नामजद एफ.आई.आर. होने के बावजूद भी आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। इस ढंग से प्रदेश चलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस स्थगन को ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करायें।

श्रीमती रंजना डीनेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दु:ख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी भी बैठे हैं। जिस विषय पर विपक्ष को आज स्थगन लाना पड़ा, प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाये रखना सत्तापक्ष की प्रमुख जिम्मेदारी है। यह अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं इसलिए विपक्ष को मजबूर होकर इस विषय को लाना पड़ा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को हो क्या गया है? क्या यह सरकार कानून व्यवस्था बना नहीं पा रही है? मुझे बहुत दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यदि आप रोज समाचार पत्र उठाकर पढ़ते हैं तो हर समाचार पत्र में दो से तीन घटनायें ऐसी रहती हैं, प्रदेश की सरकार को इस विषय पर लज्जाजनक होना चाहिए कि सरकार ने इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं बना रखी है। यदि रोज समाचार पत्र उठाते हैं, हमारी पास आज इतनी सारी कटिंग है। आज हम उसे यहां पर लेकर आये हैं कि आप उस समाचार पत्र को पढ़ें कि आपके प्रदेश में हो क्या रहा है। रोज चोरी, डकैती, ठगी के मामले हो रहे हैं। यहां तक की आज प्रदेश की महिलायें सुरक्षित नहीं हैं। इस प्रदेश में क्या हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। मैं बिलासपुर की तोरवा की उस घटना का यहां पर उल्लेख करना चाहती हूं। क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और उस दर्द से शायद मैं भी गुजर सकती हूं। बहुत दु:ख के साथ में कहती हूं कि वहां पर एक 17-18 साल की बालिका है। हम बड़ी-बड़ी बात करते हैं, हम दिल्ली की घटना की बात करते हैं, निर्भया घटना की बात करते हैं। जब वह घटना हुई थी तो पूरा देश हिल गया था। लेकिन जब बिलासपुर में तोरवा की वह घटना हुई, शायद उस घटना को दबा दिया गया। 17-18 साल की उस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार, अनाचार हुआ। उसमें केवल और केवल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और दो आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं। उनके मॉ-बाप के दु:ख और दर्द को कौन समझेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि शायद वह दु:ख, पीड़ा को मैं यहां पर समझ सकती हूं, लेकिन इस दु:ख और पीड़ा को प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए। उस बच्ची के दुराचारी यदि आज भी खुले घूम रहे हैं तो यह प्रदेश की सरकार के बहुत दु:ख, लज्जा की बात है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विषय को आप स्वीकार करिये और इस पर चर्चा कराईये।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने आज प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव लाया है। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहता हूं। अभी पिछले डेढ़ वर्षों में दुराचार के 10829, अहपरण के 2599, चाकूबाजी के 1047, गैंगरेप के 150, नाबालिग गुम के 6125 मामले हैं और जो नेशनल क्राईम रिपोर्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ का अपहरण में सांतवां स्थान है। बच्चों के साथ अपराध में तीसरा स्थान है और आत्महत्या जैसे मामलों में दूसरा स्थान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार हम देखें सीरिज में आत्महत्याएं हो रही हैं। एक परिवार के 5 लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। हत्या हो जा रही है 5-5, 7-7 लोगों की। पिछले 1.5 साल में यदि देखें तो एक सीरीज चल रही है। रोज हफ्ता 10 दिन में कहीं न कहीं ये सामूहिक गैंग रेप का मामला हो, चाहे आत्महत्या का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो और पुलिस प्रशासन जिनकी मुख्य रूप से जवाबदारी है। लाईन आर्डर खड़ी करने की देखने की उनका मनोबल गिरा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारा स्थगन स्वीकार करके इस पर चर्चा करायी जायें ऐसी आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो हत्या और अपहरण ये बहुत से मामले रोज पेपर में आप भी पढ़ते होंगे सभी माननीय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री और सभी पढ़ते होंगे। ये बड़ी सोचने और चौंकाने वाली बात है। एक बलात्कार लड़की की होती है बलरामपुर में। दो लोगों की चचेरे बहन-बहन का और अगर हम बात करें तो बलौदा बाजार में, पुठौर में 7 वर्ष, 12 वर्ष की बच्ची के साथ भी बलात्कार होता है अनुसूचित जाति के केड़वा जाति का। कोरबा में हो जाती है उसी तरह घटना और जय स्तंभ के नाम से, धर्मपुर, कर्वधा जिले में हो जाती है । माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में भी चार लोगों की हत्या हो जाती है, ये सब पता नहीं चलता और जल के राख हो जाती है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जो दर्दनाक घटनाएं हैं। उन घटनाओं का जिक्र हम इस कारण कर रहे हैं कि आज ये सब बातों को लेकर आज विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब नियम 138 एक के अधीन।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गिरते हुए कानून व्यवस्था कि स्थिति और जिस प्रकार से हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है।

समय :
12:22 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराध पहले भी हुआ है लेकिन इस प्रकार का जो कल्चर डेव्हलप हो रही है कि तीन चार लोग पकड़ के एक को चाकू से गोदते हैं और गोदने के बाद में उसका विडियो बनाते हैं और विडियो बना करके उसको वायरल करते हैं। ये नयी संस्कृति पनप रही है। एक एक घटना नहीं कई ऐसी घटनाएं हो गयी । आखिर उनका इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। पुलिस का दबाव कहां पर है, पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर पा रही है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रदेश में। जय स्तंभ चौक में दिन दहाड़े जिस प्रकार से घटना होती है गोली चल जाती है, चाकू से गोद- गोद करके उसको मार डालते हैं। पूरे प्रदेश में अनाचार की घटनाएं लगातार हो रही है और उसके बाद में अभी डी.जी.पी. साहब जब बैठक लिए तो उन्होंने एस.पी और अधिकारियों की बैठक में कहा कि मुझे मालूम है कि तुम लोग किसको संरक्षण दे रहे हो। तंबू लगाते हैं टेन्ट लगाते हैं और टेन्ट लगा करके उसमें सारी चीज परोसे जाते हैं और वहां पर जुंआ खिला रहे हैं। उसको घोषित किया जाता है, चाकआउट किया जाता है। आज कहां पर जुंआ होगा फलाने स्थान पर, कल कहां पर जुंआ होगा, ये करोड़ों का जुंआ है। और उसका बकायदा चाकआउट किया जाता है और चाकआउट करने के बाद में जो खिलाड़ी है वहां पर पहुंचते हैं लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पाती क्योंकि पुलिस का वहां बंधा हुआ है और टेण्ट लगा करके जैसे सर्कस में हम लोग देखते थे कि खम्बा लगा करके जिस प्रकार से वहां पर। ऐसी ही तंबु लगा करके यहां पर जुंए का कारोबार चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- कहां ? आपके क्षेत्र में।

श्री धरमलाल कौशिक :- मेरे क्षेत्र में नहीं, आपके क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में। ये तंबु लगाने वाली घटना एक क्षेत्र की नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की घटना है। दूसरी बात जब शराब की बात होती है तो पंजाब से लेकर के रायुपर शराब पहुंच जाती है। आपने नार्थ इस्ट से लेकर के शराब यहां पहुंच रही है, आपकी महाराष्ट्र की शराब छत्तीसगढ़ में, झारखण्ड की शराब छत्तीसगढ़ में। क्या छत्तीसगढ़ शराब की मंडी बन गया है कि पूरे हिन्दुस्तान के लोगों को शराब यदि खपाना है तो छत्तीसगढ़ में आ करके शराब खपाएं।

श्री अजय चन्द्राकर :- गांजा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी सेवन चंद्राकर जी बोल रहे थे कहां से। गेट पर आप बैठे हुए हो महासमुंद के और उड़ीसा से उसका व्यापार है, और उड़ीसा से यहां ला करके जिला-जिला में खपाने का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

काम किया जा रहा है तो उसका प्रवेश द्वार है आपके उड़ीसा का महासमुंद जिला और महासमुंद से उसका प्रवेश हो करके बाकी प्रदेशों को और यहां छत्तीसगढ़ के जिलों को सप्लाई किया जा रहा है। एक दिन ऐसा नहीं है। अच्छा गांजा का भी आजकल नई-नई तस्करी के तरीके हैं। कोई सब्जी वाला है तो उसकी गाड़ी में डालकर किया जाता है, कहीं पर उसको रस्सी वाली गाड़ी है तो रस्सी के बीच में डालकर तस्करी होती है। मतलब अलग-अलग ईजात कर रहे हैं कि कैसे गांजा को पहुंचाया जाए और सारे बेरियर में हमारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, एक्साईज़ वाले बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उड़ीसा से लेकर कवर्धा पहुंच जाते हैं। आपके लोरमी तक पहुंच जाते हैं। जो प्रदेश की सीमा में गेट में बैठे हुए हैं वह आखिर क्या चीज की रखवाली कर रहे हैं। उसका मतलब है कि उसकी एंट्री फीस बंधी हुई है। जैसे यहां से निकल गये तो दूसरे बेरियर से निकल गए। कहीं न कहीं पकड़ में आ गये तो पकड़ में आ गये। यहां पर छत्तीसगढ़ अवैध नशे का भण्डार है और उसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ विधायक जी ने जिस बात की चर्चा की कि आज रायपुर में आम लोग सुरक्षित नहीं हैं, यहां पर जिस प्रकार से अवैध नशों का कारोबार फल-फूल रहा है। आज छत्तीसगढ़ पूरा अशांत हो गया है। यहां कोई सुरक्षित नहीं है। आये दिन लूट, डकैती, हत्या बलात्कार, लगातार यह घटनाएं हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप सारे विषयों को रोककर चर्चा करवाएं। हम लोगों के पास सारे दस्तावेज हैं। हम लोग आपके सामने उसको विस्तार से रखेंगे, जिससे आने वाले समय में यहां के कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो सके, छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू आज अपराधगढ़ के रूप में बदल रहा है उसको रोकने में हम कैसे सफल हो सकें ? इसके लिए हम इसमें चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए। मैंने आपके सब विचार सुनें। आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किये हैं। मगर केवल दो दिन का कार्यकाल है इसको देखते हुए, फिरहाल आपका स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ढाई साल के अंदर 4 हजार से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो गईं। हजार से ऊपर हत्या की घटनाएं हो गईं। रायपुर शहर राजधानी है, वह हत्या का गढ़ बन चुका है। मुख्यमंत्री निवास के आस-पास हत्या की घटनाएं घटित हो रही हैं। सामान्य जन सुरक्षित नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय प्यारे लाल जी कंवर, जो आपके साथ काम किये हैं उनके परिवार के तीन लोगों की हत्या हो गई। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री अनिला भेंड़िया के रिश्तेदार की हत्या हो गई। पूर्व मंत्री श्री प्यारेलाल कंवर के रिश्तेदार के बेटे की हत्या हो गई। ऐसी घटनाओं पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उनके बच्चे की हत्या जिनने की, सब तो अंदर हो गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन घटनाएं तो घटित हो रही हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस प्रदेश में घटनाएं तो घटित हो रही हैं। कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी उजागर हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में रोज गांजा पकड़ा रहा है। रोज आत्महत्याएं हो रहीं हैं। माननीय गृहमंत्री के रिश्तेदार, उनके भतीजे ने आत्महत्या कर ली, यह पेपर में छपा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्महत्या में पूरे हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ 7 वें नंबर पर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हत्या में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।

अध्यक्ष महोदय :- गांजा। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हत्या में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। यह महत्वपूर्ण विषय है। हम ऐसे विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलात्कार की घटना 7 हजार से ऊपर हो गईं हैं, (व्यवधान)यह सरकार ने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मैंने सुन लिया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था का मामला है यह बहुत गंभीर विषय है। किसी भी राज्य, किसी भी सरकार के लिए ..।

अध्यक्ष महोदय :- मैडम डॉ. रेणु जोगी जी का पहली बार ध्यानार्कषण आ रहा है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। सभी ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका ध्यानाकर्षण पहली बार आ रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। आपको धन्यवाद् है।

अध्यक्ष महोदय :- आप शांत हो जाईये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन कानून और व्यवस्था किसी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम सदन में बैठेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन में जितने बजे तक बोलेंगे, हम उतने बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं, पर कानून व्यवस्था की स्थिति से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी बात सही है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी प्रदेश के विकास के लिए अगर वहां की कानून-व्यवस्था ठीक रहेगी तो वहां पर तेजी से विकास होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रदेश में निवेश आये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निवेश आएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कानून व्यवस्था की स्थिति के ऊपर में आप स्थगन प्रस्ताव को ग्राहय कर या उसकी ग्राह्यता के ऊपर में चर्चा करवा लें जिससे कि पूरे प्रदेश की स्थिति हम आपके सामने रख सकें। क्योंकि शायद बहुत सी घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के नॉलेज में भी नहीं आती हैं, जो पुलिस के द्वारा छिपा दी जाती हैं, माफियाओं के द्वारा छिपा दी जाती हैं। उन सब घटनाओं को भी हम आपके सामने रखेंगे, जिससे शासन-प्रशासन की आंख खुल सके, इसलिए आप इसको स्वीकार करें या ग्राहयता पर चर्चा करवा लें। इस बात का अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको धन्यवाद्।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो हम बाकी विषय में क्या चर्चा करेंगे ? आज महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से यहां पर लचर कानून व्यवस्था की स्थिति है और वास्तव में जिस बात को कहा कि गृहमंत्री कहां हैं ? सिलेगर की घटना हो गई, वहां आज तक नहीं पहुंच पाये। आज भी वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलगेर जिनके विधान सभा में आता है। माननीय कवासी लखमा जी के निर्वाचन क्षेत्र का बूथ क्रमांक एक है, वहां वह नहीं पहुंच पा रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी नहीं पहुंच पाये हैं। केवल यहां बात करते हैं, लेकिन वहां सिलेगर नहीं पहुंच पाये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां सिलेगर में हजारों लोग बैठे हुए हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आम आदमी आज सुरक्षित नहीं है। पूरे विकास कार्य यहां पर ठप्प हो गये हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार स्वीकार किया है। नक्सलियों के कारण काम ठप्प हुआ है। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। (व्यवधान) ऐसे मामलों में यदि हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो..।

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार के संरक्षण में रेत माफिया पैदा हो रहे हैं। (व्यवधान) सारे माफिया हो गये। भू माफिया हो गया, रेत माफिया हो गया, शराब माफिया हो गया। सब प्रकार के माफिया हो गये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सरकारी संरक्षण में माफिया चल रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:30 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम उसको लेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण पर चर्चा करेंगे। आप पहले स्थगन पर चर्चा कराईये। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इसके ऊपर में निर्णय कर लें। हमने आपको कहा है कि हम सदन में पूरे समय तक बैठेंगे। रात तक बैठना पड़ा तो भी हम बैठेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- कल भी बैठे थे। पहले दिन भी बैठे थे।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आज भी बैठेंगे और कल भी बैठेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हमने शासकीय कार्य को पूरा करने के लिए हम साढ़े सात बजे तक पहले दिन भी बैठे, कल भी बैठे और हम बैठने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आज भी बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करवाएं। आपसे इस बात का आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक यू सर।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि यह विषय पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर है, आप इस पर चर्चा कराएं। इस बात का आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- Thank you very much. डॉ. रेणु जोगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गयी है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- पूरा प्रदेश इस सदन की तरफ निहार रहा है कि कानून और व्यवस्था पर चर्चा हो। यह सबसे बड़ी पंचायत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी तरफ निहार रहा हूं, आप मेरी तरफ निहार रहे हो। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- बलात्कारी पकड़े नहीं जा रहे हैं। इनको किसका संरक्षण है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- आपके जिले में घटनाएं हो रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- Thank you very much घटना घटी है, उसके लिए बोल रहे हैं ना।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपने पूरा सदन का ध्यान आकर्षित किया है। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बातों को बिल्कुल कान से सुन रहे हैं। होम मिनिस्टर जी सुन रहे हैं। सब आपकी बातों को सुन रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, वे तो सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कान में रख ऐला। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप किसी न किसी विषय में चर्चा करा लें। (व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ईयर फोन इसलिए लगाया हूं कि आपने श्रीमती रेणु जोगी को आमंत्रित कर लिया और रेणु जोगी जी बहुत ही भद्र महिला हैं और बहुत ही धीमी गति से बोलती हैं तो मैंने कहा पहले से लगा लूं। भाभी जी क्या बोलेंगी ?

श्री अजय चंद्राकर :- बाकी लोग अभद्र हैं क्या । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- मान लो अजय जी की बात है तो वे तो बिना माईक के भी बोल देंगे तो सुनाई देगा। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- बाकी लोग अभद्र हैं क्या आप यह बताईये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आदरणीय भाभी जी भद्र महिला हैं, उसके बाद भी उनको कांग्रेस में शामिल नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, भाभी जी आप ही खड़े हो जाईये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बहिर्गमन कर दो।

अध्यक्ष महोदय :- करिए ना। बहिर्गमन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उस पर चर्चा करवाएं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा करवा लें।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:33 बजे

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में)

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, भाभी जी।

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(1) प्रदेश में पेंशनरों के प्रकरणों के निराकरण में विलंब होना।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधान अनुसार दोनों राज्यों में परिसम्पत्तियों का बंटवारा 74 अनुपात 26 फार्मूला के तहत हुआ है परंतु अधिनियम की धारा..।

(संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) एवं नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) के दूसरी जगह उपस्थित होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय दोनों मंत्रिगण, आप लोगों में क्या बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं बताईये।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- अधिनियम की धारा 49 की छठवीं अनुसूची के प्रावधानों को विलोपित करने में हुई त्रुटि का खामियाजा राज्य के लगभग एक लाख से अधिक पेंशनर और उनके परिवार के सदस्य भुगत रहे हैं तथा उनके समस्त स्वत्वों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कोष लेखा एवं पेंशन में पेमेंट आर्डर जारी होने के बाद सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल नोडल बैंक भोपाल में हैं, जहां दोनों राज्यों के पेंशन प्रकरणों के जांच की व्यवस्था है, जिसकी सहमति पर ही संबंधित बैंक पेंशनर को पेंशन राशि का भुगतान करता है। इससे पेंशनर के प्रकरण निपटारा में छ: माह से अधिक समय लग जाता है । इस गंभीर समस्या के निराकरण हेतु न तो मध्यप्रदेश राज्य और ना ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है, जबकि पृथक से छत्तीसगढ़ रायपुर में नोडल बैंक की स्थापना कर छत्तीसगढ़ के निवासी पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया जा सकता था । पेंशनर एवं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उनके परिवार के सदस्यों में समस्या के निराकरण के लिए उचित कदम नहीं उठाने के कारण शासन एवं प्रशासन के विरूद्ध रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय शासन द्वारा अधिनियमित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 एवं छठी अनुसूची में पेंशन दायित्व का प्रभाजन संबंधी प्रावधान है । छठी अनुसूची के बिंदु 1 के अनुसार प्रथमत: मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य पेंशनरों को अपने-अपने खजाने से पेंशन देंगे तथा जिसे बिंदु 3 के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में प्रभाजन किया जायेगा और अपने द्वारा देय अंश से अधिक का संदाय करने वाले राज्य को आधिक्य की प्रतिपूर्ति कम संदाय करने वाले राज्य द्वारा की जायेगी । यह कार्य राज्य शासन तथा महालेखाकार द्वारा किया जाता है । इस प्रावधान के फलस्वरूप पेंशन भुगतान में कोई विलम्ब नहीं होता है । अत: यह कहना सही नहीं है कि अधिनियम के प्रावधानों की त्रुटि के कारण राज्य के पेंशनर एवं उनके परिवार खामियाजा भुगत रहे हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य में 31 मई 2018 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन भुगतान एवं पुनरीक्षित पेंशन भुगतान हेतु राज्य में ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम "आभार-आपकी सेवाओं का" लागू किया गया है । जिसके अंतर्गत संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन पेंशन भुगतान आदेश (ई-पी.पी.ओ.) जारी किये जा रहे हैं । पेंशन भुगतान आदेश जारी होने के उपरांत ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ही कोषालयों द्वारा पेंशनरों के बैंक खाते में प्रथम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और पेंशन भुगतान के पश्चात् ई-पी.पी.ओ. को ऑनलाईन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ही भारतीय स्टेट बैंक के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल (सी.पी.पी.सी.) भोपाल को प्रेषित किया जा रहा है ।

पेंशन प्रकरणों के निपटारे के लिए शासन के सकारात्मक पहल के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक, शासकीय व्यवसाय विभाग द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2021 को भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय, बैरन बाजार रायपुर में सेन्ट्रलाईज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल एक्सटेंशन ऑफिस दिनांक 19 फरवरी, 2021 को प्रारंभ कर दिया गया है और इसके लिए कोऑर्डिनेटर की भी नियुक्ति की गई है । अत: यह कहना सही नहीं है कि पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्यों के समस्या के निराकरण के लिए उचित कदम नहीं उठाये गये हैं और ना ही शासन एवं प्रशासन के विरूद्ध कोई आक्रोश है ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी और यह बताना भी चाहूंगी कि 21 वर्षों तक मैं शासकीय सेवा में थी और उनकी समस्या को भली-भांति समझते हुए यह कहना चाहती हूं कि वर्तमान में प्रदेश में 3 लाख 11 हजार अखिल भारतीय सेवा के शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाओं के कर्मचारी कार्यरत हैं और उनको अभी जो पेंशन की पात्रता है वह 10 परसेंट अंशदान शासकीय कर्मचारियों का कट रहा है और अखिल भारतीय सेवा के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर्मचारियों का 14 परसेंट अंशदान या प्रोविडेंट फण्ड भी शायद उसे कहते हैं वह कट रहा है, जिसका भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद किया जायेगा और यह इस महंगाई और उनकी सेवा मान लीजिए 25-30 साल की होगी तो उनको बहुत ही कम राशि यानी उनका जीवन-यापन सुगम रहे तो क्या सरकार इसमें कुछ संशोधन करने की स्थिति में है ताकि सम्मानपूर्वक रिटायरमेंट होने के बाद वह अपना जीवनयापन कर सकें ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पेंशन की बात है उसके बारे में मेरे उत्तर में व्यापक रूप से इसकी जानकारी दे दी गयी है । भाभी जी ने कहा कि वे शासकीय सेवक रही हैं और उनको यह सब मालूम है । मेरा दुर्भाग्य, मैंने नौकरी नहीं की है तो मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं खेती-किसानी से आता हूं तो मुझे इन सबके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन विभाग ने उसके बारे में जो जानकारी दी। सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन प्रकरण हैं, मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन पेंशन मैनेटमेंट सिस्टम, आभार आपकी सेवाओं का, के द्वारा अप्रैल, 2020 से जून, 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से कुल 10,790 पेंशन प्रकरण सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल, भोपाल को प्रेषित किये गये, जिसमें से एक 10,003 पेंशन प्रकरणों के भुगतान प्रारंभ कर दिये गये हैं। केवल 368 प्रकरण ही शेष हैं। जो 30 दिवस से अधिक अवधि तक प्रक्रियाधीन हैं। केवल 368 प्रकरण हैं, जिनका भी 30 दिवसों के भीतर निपटारा कर दिया जायेगा। तो इस प्रकार से सारे प्रकरण हैं, वे समयावधि में ही किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये सारे सिस्टम लागू होने के बाद पेंशन में किसी को परेशानी हो रही हो।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। 10 प्रतिशत राशि पेंशन के लिए अंशदान के रूप में कर्मचारियों की कट रही है। जो पूर्व में कहीं ज्यादा थी। तो रिटायरमेंट के बाद जो वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह कम है तो उन्हें इस हिसाब से मात्र 500-600 रूपया मिलेगा। तो क्या आप इस स्थिति में हैं कि उस अंशदान को बढ़ा दिया जाये, क्योंकि सारे कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना, जिसकी मैं पात्र हूं मैं संतुष्ट हूं कि मुझे लगभग 50,000 मिल रहा है और बाकी लोगों यानी मैं वर्ग- 3 और 4 की ज्यादा फिक्र कर रही हूं कि उन्हें तो मात्र 500-600 रूपये ही मिलेगी। अगर 10 प्रतिशत कटेगा तो 10 प्रतिशत सरकार देगी और उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं रहती है। तो क्या शासन इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और जो कर्मचारी हैं, वे भी चाहते हैं कि राज्य में पुरानी ही पेंशन योजना चालू रहे। क्या आप विचार करेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भाभी जी बार-बार पेंशन के बारे में बात कर रही हैं। बढ़ाने के बारे में पिछले सवाल में भी उन्होंने कहा कि 14 प्रतिशत केन्द्रीय कर्मचारियों का कटता है और 10 प्रतिशत राज्य कर्मचारियों का, लेकिन नयी पेंशन योजना में इनको पेंशन देने की कोई योजना नहीं है। जितनी भर्तियां 2004 या 2005 के बाद हुईं, जब से जो नई पेंशन योजना लागू हुई हैं, इसमें पेंशन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

देने की योजना नहीं है। केवल 14 प्रतिशत केन्द्रीय कर्मचारियों का और 10 प्रतिशत राज्य कर्मचारियों का कटता है। तो इस योजना के बारे में कोई विचाराधीन नहीं है।

डॉ. रेणु अजीत जोगी :- धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने पेंशनधारी कर्मचारियों का 27 फीसद डी.ए. बढ़ाया है तो छत्तीसगढ़ सरकार कब तक पेंशनधारी कर्मचारियों का डी.ए. बढ़ाने का निर्णय करके घोषित करेगी। कृपया, आप इसकी जानकारी दे दें।

श्री भूपेश बघेल :- आपने ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि कुछ उद्‌भूत नहीं होता और इसमें आपका नाम भी नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उद्‌भूत होता है। पेंशनर से संबंधित मामला है।

श्री भूपेश बघेल :- पेंशन का मामला है। आप कहां डी.ए. में पहुंच गये। जो रिडायर्ड हैं और जो सरकारी नौकरी करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप उसके बारे में सवाल कर रहे हैं और जो भाभी जी का सवाल है, जो रिटायर्ड हो गये हैं, उससे संबंधित है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं पेंशनर के डी.ए. का सवाल कर रहा हूं। मैं पेंशनर के डी.ए. की बात कर रहा हूं। हां, मैं पेंशनर के डी.ए. की बात कर रहा हूं जो केन्द्र सरकार ने 27 प्रतिशत पेंशनर का डी.ए. बढ़ाया है। मैं शासकीय कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं। जो पेंशनर्स हैं, उनका भी डी.ए. बढ़ा दिया है। भाभी जी की जो चिंता है कि पेंशनर्स को जीवनयापन करने के लिए कोई साधन नहीं है। उनके पेंशन बहुत कम हैं। अगर 27 प्रतिशत डी.ए. पेंशनर्स को भी मिलना शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से उन्हें जीवनयापन करने में सुविधा होगी। मेरा इसके बारे में प्रश्न है।

श्री भूपेश बघेल :- इनको पेंशन देने की कोई योजना नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जिनको पेंशन मिल रही है, उनके डी.ए. की बात है।

श्री किस्मत लाल नंद (सराईपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह जो ध्यानाकर्षण है, वह पेंशनरों से संबंधित है। मैं एक मिनट का समय लेना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के एक constable से डी.एस.पी. तक Gallantry awarded हैं by the president of India तो रिटायरमेंट होने केग बाद वह दो हजार रूपए की मानदेय राशि वो उनके पेंशन में नहीं जोड़ी जा रही है । ऐसे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स के मेरे पास फोन आए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लिखकर दे दीजिएगा, उस पर माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ।

श्री किस्मत लाल नंद :- इसका निराकरण भी करने का अतिशीघ्र प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12:45 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

<u>(1) बिलासपुर जिले की बिल्हा तहसील के धौराभाठा अंतर्गत खसरा नम्बर 599 के भू-स्वामी को मुआवजा वितरण नहीं किया जाना.</u>

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना इस प्रकार है - बिलासपुर जिले अंतर्गत बिल्हा तहसील के धौराभाठा प.ह.न. 13 के अंतर्गत पुश्तैनी भूमि जिसका खसरा न. 599 रकबा 8.81 एकड़ है, जिसका विवरण मिसल बंदोबस्त 1928-29 एवं वाजिब-उल-अर्ज में दर्ज है, जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 1155/अ-71/1964-65 शासन के विरूद्ध प्रकरण में पुन: आदेश दिनांक 25 जून 1968 को भू-स्वामी के पक्ष में दर्ज करने आदेशित कर दिया गया । उसके उपरांत उसी वक्त शासन के राजस्व अभिलेखों में भू-स्वामी का नाम अंकित हो जाना था, किंतु ऐसा नहीं किया गया एवं तालाब शासन के नाम से ही चलता रहा । इसी बीच 1990 के लगभग शासन द्वारा भू-स्वामी की अनुमति के बिना उस तालाब को भूमि में परिवर्तित कर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कर दिया गया। जब उसकी जानकारी भू-स्वामी को हुई तो उसने सभी दस्तावेजों के साथ न्यायालय तहसीलदार बिल्हा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1/अ-6(अ)/2001-02 वास्ते भूमि को नामांतरित करने हेतु लगाया । जिस पर तहसीलदार बिल्हा के आदेश पर दिनांक 29.04.2002 को खसरा न.599/28.50 एकड़ भू-स्वामी वगैरह एवं 599/2 शासन के नाम पर दर्ज कर शासन के नाम पर इसलिए शासन के पक्ष में त्याग कर दिया गया है ऐसा लिख दिया गया । शेष भूमि 8.50 एकड़ भूमि को भूमि स्वामी के नाम पर चढ़ा दिया गया । सन् 2009 में शासन द्वारा भू-स्वामी के नाम से दर्ज भूमि खसरा न. 599/2 में पूर्व मा. शाला का अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कर दिया गया । जिसके संबंध में भू-स्वामी ने अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में आपत्ति दर्ज की प्रकरण में दिनांक 24.06.2015 राजस्व संभाग आयुक्त ने मुआवजा प्रदान करने का आदेश पारित किया ।

(माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा, मुख्यमंत्री के आसन पर खड़े होकर बात करने पर)

श्री शिवरतन शर्मा :- ये जय-वीरू की जोड़ी है या ठाकुर और गब्बर सिंह की जोड़ी है, यह स्पष्ट कर दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जय-वीरू की फोटो खींचिए आज ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कल तो ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर और गब्बर सिंह की भूमिका में हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका जो सिक्का है ना, वे दोनों तरफ एक जैसा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री भूपेश बघेल :- अरे, कालिया और सांभा कौन है यह बताओ और गब्बर सिंह कौन हैं (हंसी) ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका सिक्का, शोले फिल्म की तरह, दोनो तरफ एक जैसा है, ये समझ रहे हैं कि दोनों तरफ अलग है (हंसी) ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए शैलेष भाई ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- उपाध्यक्ष महोदय, फिर से पढ़ूं क्या या वहीं से जहां छोड़ा था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जय-वीरू की जोड़ी की चर्चा हो जाने दीजिए, उसके बाद पढ़वाएं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कल ही प्रस्ताव पारित हुआ है ना । अजय जी और नारायण चंदेल के बीच से कांच हटाना है या नहीं हटाना है । उपाध्यक्ष जी, कल पहले इसी में निर्णय करवा दीजिएगा ।

श्री नारायण चंदेल :- कल कांच के कारण ही तो लफड़ा हुआ था (हंसी)।

श्री रविन्द्र चौबे :- सही में यह कांच होता तो पूरी परिस्थिति का निर्माण नहीं होता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी अपने कमरे में चर्चा नहीं कर सकते । विधान सभा में अध्यक्ष जी के कमरे में चर्चा नहीं कर सकते । बीच में कांच के माध्यम से दूरी बनाकर बात कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्वास्थ्य मंत्री जी, आप रविन्द्र चौबे जी को जो चिट्ठी लिखते हो, अभी आपस में बात करिये, हम लोग सुनना चाहते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कांच को हटवाकर आपको सुनवा दूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- पहले बताओ कि इसमें कालिया, सांभा और गब्बर सिंह कौन है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कालिया, सांभा रविन्द्र चौबे जी हैं (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- (हंसी) वह उधर ही होगा, इधर नहीं हो सकता ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बेचारा अभी सांभ बन गे हे (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- आप गब्बर सिंह बनने की कोशिश मत करिये ना । आप गब्बर सिंह क्यों बन रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अरूण जी ।

श्री अरूण वोरा :- हां बोलिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये ।

श्री शैलेश पांडेय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय 2019 में शासन द्वारा भूमि स्वामी के नाम पर 10 खसरा नं. 599/2 में पूर्व माध्यमिक शाला का अतिरिक्त भवन भी निर्माण कर दिया गया जिसके संबंध में भूमि स्वामी ने अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में आप्पित्त दर्ज की प्रकरण में दिनांक 24-06-2015 को राजस्व संभागायुक्त ने मुआवजा प्रदान करने का आदेश पारि किया भूस्वमी की अनुमति के बगैर शासन द्वारा भूमि अधिग्रहणकी जबरन कार्यवाही की गई पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पारित स्पष्ट आदेश को भी नहीं माना गया तथा भू स्वामी को आज तक कोई मुआवजा पारित नहीं किये जाने की जनता में शासन द्वारा के विरूद्ध आक्रोश व्याप्त है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर जिले के बिल्हा तहसील ग्राम धौराभाठा कीभूमि खसरा नंबर 599 रकबा 8.81 एकड़ मिसल रिकार्ड में पानी के नीचे मद में मालगूजार-प्रभाकर राव दर्ज है। वाजिबउल अर्ज में 'तालाब' तालाब मालिक-प्रभाकर राव दर्ज है। खसरा पांचशला वर्ष 1999-2000 में खसरा नंबर 599 रकबा 8.81 एकड़ मध्यप्रदेश शासन के नाम पर दर्ज है। कैफियत कॉलम में खसरा नंबर 599 में से 5.00 एकड़ भूमि पूर्व मा. शाला हेतु सुरक्षित दर्ज है। वर्ष 2001-02 खसरा पांचशाला मे ख्सरा नंबर 599/1 रकबा 0.31 एकड़ म.प्र. शासन एवं खसरा नंबर 599/2 रकबा 8.50 एकड़ उदय अरूण पिता अरूण गुप्ते मालती बेवा अरूण गुप्ते, प्रभात अरूण पिता अरूण गुप्ते, ग्राम तिलकनगर बिलासपुर न्यायालय तहसीलदार बिल्हा के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्रं./अ-6 (अ)/2001-02, दिनांक 29.04.2002 अनुसार दर्ज है।

वर्तमान खसरा पांचशाला में खसरा नंबर 599/1 रकबा 0.1250 हेक्टेयर छ.ग. शासन एवं ख्सरा नंबर 599/2 रकबा 3.4300 हेक्टेयर उदय अरूण पिता अरूण गुप्ते मालती बेवा अरूण गुप्ते दर्ज है। वर्तमान नक्शा अनुसार खसरा नंबर 599 में शास. पूर्व मा. शाला, हाई स्कूल, शासकीय उचित मूल्य दुकान एवं अन्य ग्रामवासियों के मकान-बाड़ी निर्मित हैं। न्यायालय आयुक्त बिलासपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 108/अ-19/2014-15 में वाद का विधिवत निराकरण करने तथा अपीलार्थी उदय अरूण गुप्ते के पक्ष में जांच उपरांत समाधान होने पर विधिपूर्वक राहत मिलना चाहिए का आदेश दिनांक 24.06.2015 पारित किया गया है ।

वाद भूमि के मुआवजे संबंधी आवेदन कलेक्ट्रेट कार्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर में लंबित नहीं है। आवेदक द्वारा मुआवजे हेतु दस्तावेजों सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय बिलासपुर, जिला बिलासपुर में आवेदन प्रस्तुत करने पर विधिवत कार्यवाही की जावेगी।

श्री शैलेश पांडेय :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद अपने जवाब में बता रहे हैं कि जब आवेदक ने आवदेन किया और कमिशनर कार्यालय से उसका आदेश पारित किया गया और कलेक्टर को लिखा गया उसका डेट भी आदरणीय मंत्री जी बता रहे हैं उसके बाद भी मंत्री जी ये कैसे कह सकते हैं कि आवेदके ने कलेक्टर के आवेदन नहीं किया जबकि आपके जवाब में स्वयं स्पष्ट है कि कलेक्टर को कमिश्नर ने आदेश दिया था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी की सहनशीलता की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी उसकी जमीन में पहले स्कूल बना दिया स्कूल बनाने के बाद उसने बोला भाई साहब जमीन दान दे दो उसने आधा एकड़ जमीन दान दे दी। उसके बाद बाकी जमीन उसके नाम पर चढ़ा दी गई उसके बाद कुछ सालों बाद फिर उसकी जमीन मेंफिर से भवन बना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया गया उसमें प्ले ग्राउंड बना दिया गया आप किसी आदमी की और उसके बाद उसको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है इसके दस्तावेज की शिकायत कर रहा है लगभग 15 सालों से वह भटक रहा है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार है कम से कम आप इसका न्याय करिये इसको मुआवजा दीजिये घोषित कीजिये अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही कीजिये माननीय मंत्री जी और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं क्योंकि ये व्यक्ति बहुत भटक चुका है इसकी कार्यवाही के लिए आप इसको मुआवजा देने की घोषणा आप जरूर कीजिये।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि आयुक्त ने मुआवजा देने का आदेश पारित किया, लेकिन ऐसा आदेश पारित नहीं हुआ है । इसमें न्यायालय आयुक्त, बिलासपुर के अपील प्रकरण क्रमांक 24.6.2015 के वाद का विधिवत् निराकरण करने तथा अपीलाथी उदय अरूण गुप्ते के पक्ष में जांच उपरांत जांच करने पर उसके पक्ष में पाया जाता है तो उसके बारे में उसने आदेश पारित किया है ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप खुद जान रहे हैं कि उसकी जमीन है । शासन जानता है कि जमीन उसी व्यक्ति की है । पंचनामा बना, पंचनामा बनकर यह रिकार्ड भी सामने आया है, यह भी रखा हुआ है कि उसकी जमीन पर अधिग्रहण कर दिया गया, उसको मुआवजा नहीं दिया गया और अतिरिक्त भवन का निर्माण कर लिया गया, यह भी सब शासन के दस्तावेज में दर्ज है । उसमें मांगने के लिए और कौन सी बात आ जाती है । माननीय मंत्री जी, मेरा यह कहना है कि उसको न्याय दिलाईए । सारी चीजें आपके विभाग में है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें परीक्षण करा लेंगे और परीक्षण के उपरांत जो भी आएगा...।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना परीक्षण कराएंगे ? 15 सालों से परीक्षण चल रहा है, हम लोग अगले और 15 साल तक परीक्षण ही करते रह जाएंगे । इसमें परीक्षण की जरूरत नहीं है । सारे दस्तावेज माननीय मंत्री जी के विभाग के पास में है । माननीय मंत्री जी को सिर्फ आदेश पारित करना है कि जिला कलेक्टर उसका मुआवजा देने का कष्ट करें क्योंकि इसके अलावा किसी भी दस्तावेज की कोई जरूरत ही नहीं है, किसी परीक्षण की जरूरत नहीं है । सारी चीजें साबित हो चुकी हैं कि जमीन उसी की है और माननीय मंत्री जी ने खुद अपने रिकार्ड में बताया है कि उस नाम पर जमीन दर्ज है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच में वह जमीन शासन के पक्ष में दर्ज थी और जब अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया, उस समय उन्होंने आपत्ति की । उसके बाद कमिश्नर ने जो आदेश किया है, उसमें मुआवजा देने का आदेश नहीं किया, उसमें जांच करने करने के लिए आदेश

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिया कि जांच उपरांत करेंगे । मैंने जांच करने के लिए कहा कि उसका परीक्षण करा लेंगे और उसमें जो भी विधि सम्मत होगा, वह कार्यवाही की जाएगी और मुआवजा की जो स्थिति बनेगी, उसके बाद उसका निर्णय किया जायेगा ।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमिश्नर ने सन् 2015 में यह आदेश दिया था, आज 6 साल हो गए हैं । मंत्री जी, 6 साल में शासन यह तय नहीं कर पाया है, जांच नहीं कर पायी है, एक आदमी को मुआवजा नहीं दिला पाया है । 6 साल हो गए हैं, आप कितनी जांच और करवाएंगे, जांच कब तक चलेगी ? मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी जांच की कोई जरूरत नहीं है । माननीय मंत्री जी, आप घोषणा कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, उदारता दिखाईए ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि उसमें परीक्षण करा लेंगे और उसमें जो स्थिति है, उसकी जमीन में स्कूल भवन बना है, बीच में वह जमीन शासन के पक्ष में दर्ज थी, बाद में उसने अपील किया तो वह जमीन उसके नाम वापस दर्ज हुई । बाद में उसका निर्माण भी किया गया । उसमें दूसरे लोगों के अतिक्रमण भी हैं, उसमें कब्जे भी है । इसलिए मेरा मानना है कि एक बार उसका परीक्षण करा लेते हैं, परीक्षण करने के बाद जो भी होगा...।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी अभी भी परीक्षण कराने के पीछे पड़ गए हैं तो ठीक है । आप परीक्षण की अवधि बता दीजिए कि तीन महीने में परीक्षण करके निराकरण कर देंगे क्या ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन महीने में कर देंगे।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पांडे जी, उसमें एक बात और जोड़ लीजिए कि परीक्षण के समय आप की उपस्थिति भी सुनिश्चित हो जाये ।

श्री शैलेश पांडे :- नहीं, नहीं । इसकी आवश्यकता नहीं है । मुझे मंत्री जी पर पूरा विश्वास है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी तो इतना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे कि परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है और अभी बोल रहे हैं कि पूरा विश्वास है । आप यह दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप जल्दी निराकरण कर देंगे तो पांडे जी गुट बदलकर मुख्यमंत्री जी के गुट में आ जाएंगे, बाबा जी का साथ छोड़ देंगे ।

संसदीय सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्री से सम्बद्ध) (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसी तरह का एक प्रकरण मेरे विधान सभा क्षेत्र सकरी में है । आदरणीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि सकरी में जो शासकीय स्कूल है बचनबाई स्कूल, उसमें जमीन दान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दी गई थी और उसमें बिना अनुमति के थाना बन गया है और अब वहां पर राजस्व का भी कोई कार्यालय बनने वाला है तो कृपया स्कूल की भूमि को बचाकर रखा जाये, यह मेरा भी निवेदन है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अकबर जी, संसदीय सचिव महोदया बिना किसी नोटिस के बातचीत कर रही थीं । आप कानून के ज्ञाता हो, अब आप देख लो।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- मैं अपने क्षेत्र की बात उठाने के लिए विधायक हूं । मैं एल.एल.एम. हूं, एल.एल.बी. (गोल्ड मेडलिस्ट) हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अकबर भाई ने बता दिया है कि संसदीय सचिव क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- वे बताएंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते इसीलिए तो दिक्कत है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप बैठिए । माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या से उसकी जानकारी ले लूंगा और उसका निराकरण करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

(3) प्रदेश के धान संग्रहण केन्द्रों में धान का उठाव नहीं होना।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) तथा श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में धान खरीदी की अव्यवस्था के कारण संग्रहण केन्द्रों में जगह-जगह धान जाम हो गया है। धमतरी जिले के 89 उपार्जन केन्द्रों में 42 लाख क्विंटल धान खरीदने के पश्चात 72 घंटे में इसका उठाव करना जरूरी था, लेकिन महीनों उठाव नहीं किया गया, जिसके चलते 5,213 टन धान जो लगभग 13 करोड़ रूपये का है, वह सूख गया, जिससे शासन को भारी हानि हुई है। एक ओर विभाग कहता है कि सहकारी समिति इसकी भरपाई करेगी, वहीं सहकारी समिति का कहना है कि परिवहनकर्ता के द्वारा धान नहीं उठाने से धान सूख गया है। संस्थाओं के बीच में अन्तर्विरोध के कारण शासन को होने वाली क्षति में लगातार वृद्धि हो रही है। जिले के संग्रहण केन्द्रों में अभी भी 40 हजार टन से अधिक धान संग्रहित है, जिसका उठाव नहीं किए जाने से यहां पर भी धान में सूखत/खराब होने की भी संभावना है। सरगुजा, राजनांदगांव, महासमुन्द सभी जिलो में धान का उठाव आज पर्यन्त पूर्ण नहीं हुआ है। बल्कि 2019-20 में खरीदे गये धान का भी अभी तक प्रदेश के संग्रहण केन्द्रों से उठाव नहीं हुआ है और 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान संग्रहण केन्द्रों में शेष है या खराब हो चुका है। मगर सरकार के द्वारा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जारी है। इसी प्रकार सरकार के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से धान के विक्रय हेतु निविदा के माध्यम से एजेंसी तय की गई है, लेकिन इन एजेंसियों के द्वारा अनुबंध निर्धारित समय-सीमा पर धान नहीं उठाया गया है। जिन एजेंसियों ने अनुबंध का पालन नहीं किया है, उसकी जानकारी भी जनता को नहीं है। निविदिाकर्ताओं द्वारा अनुबंध का पालन न करने से तथा विभाग की लापरवाही से करोड़ों के धान सूख जाने से जनता में भारी रोष व्याप्त है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 92.02 लाख टन धान में से वर्तमान में 13.92 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रों में तथा 2.10 लाख टन धान उपार्जन केन्द्रों में उठाव हेतु शेष है। समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्रचलित है। धमतरी जिले में खरीफ वर्ष 2020-21 में 89 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 4.27 लाख टन धान का उपार्जन किया गया। इनमें से उपार्जन केन्द्रों से 3.88 लाख टन धान राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु उठाव किया गया। 0.05 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रों में भण्डारण किया गया तथा 0.78 लाख टन धान क्रेता द्वारा उठाव किया गया। वर्तमान में जिले के उपार्जन केन्द्रों में धान शेष नहीं है। धमतरी जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों के अंतिम डेटा मिलान की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। डेटा मिलान उपरांत 5,219 टन धान सूखत पाई गई है। उपार्जन केन्द्रों में धान सूखत मान्य नहीं है। उपार्जन केन्द्रों में आई सूखत की भरपाई समितियों को देय कमीशन की राशि से समायोजन की जाती है। अत: समितियां में धान सूखत से राज्य शासन को हानि नहीं हुई है। धमतरी जिले के संग्रहण केन्द्रों में वर्तमान में 31,971 टन धन निराकरण हेतु शेष है। संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाव निरंतर किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान में से वर्तमान में जिला सरगुजा में 1,027 टन राजनांदगांव में 30,141 टन तथा महासमुन्द जिले में 29,968 टन धान समितियों में उठाव हेतु शेष है। शेष धान की कस्टम मिलिंग हेतु उठाव की कार्रवाई प्रचलित है। खरीफ वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 83.94 लाख टन धान में से 81.48 लाख टन की कस्टम मिलिंग की गई है तथा 0.91 लाख टन धान संग्रहण केन्द्रों में शेष है। जिसके कस्टम मिलिंग की कार्रवाई प्रचलित है। खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान में से 9.20 लाख टन अतिशेष धान का विक्रय निविदा के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों को किया गया है। एजेंसियों द्वारा अनुबंध अनुसार क्रय किये गये धान का उठाव किया जा रहा है। अत: धान उपार्जन एवं धान के निराकरण के संबंध में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आपके जो उपार्जन केन्द्र हैं और उपार्जन केन्द्र से जो धान का उठाव है, वह कितने दिनों के अंदर में, कितने घण्टों के अंदर में किया जाना चाहिये ? पहली बात तो आप यह बता दो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह तो पहले से ही तय है कि 72 घण्टे में उठाने का प्रावधान है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- 72 घण्टे में ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब में आया है, 5219 टन धान सूखत पाई गई, जिसका समितियों से उसका भरपाई किया जाना है । जब 72 घण्टे के अंदर में यदि उठाव होना है तो समितियों से भरपाई की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब यह है कि 72 घण्टे के बाद में आपका धान का उठाव हुआ है, दूसरी बात आपने लिखा है कि अभी 31,971 टन धान का निराकरण नहीं हुआ है । थोड़ा सा बतायेंगे कि उसका निराकरण क्या है और कैसे नहीं हुआ है? फिर उसके बाद में आगे प्रश्न करता हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 31,971 टन धान का निराकरण शेष है, ऐसा बता रहे हैं । संग्रहण केन्द्र में है । अभी संग्रहण केन्द्रों में कस्टम मिलिंग का काम प्रचलन में है । अभी हमारे पास अक्टूबर तक का समय है, कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कस्टम मिलिंग में नहीं है, निराकरण नहीं हुआ है, मतलब वह विवाद में है । विवाद में क्या है, मैं बता देता हूँ । आप उसको छिपाना चाह रहे हैं । यह समिति के ऊपर में डाल रहे हैं कि आप इसका भरपाई करो । जो संग्रहण केन्द्र वाले हैं, इसके लिए समिति वाले जब हाई कोर्ट में गये, हाई कोर्ट के द्वारा कलेक्टर को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है, कलेक्टर के द्वारा अब उसको निर्धारित किया जाना है, वास्तविक में गलती किसकी है, समितियों की गलती नहीं है, गलती है इनके धान उठाने वालों की, जिनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, जो परिवहन माफिया है, उनकी गलती है, उसको समितियों के ऊपर में डालना चाहते हैं, 72 घण्टे के अंदर धान नहीं उठाया तो गलती किसकी है ? आप उसके लिए किसको पनिशमेंट करेंगे ? माननीय मंत्री जी जो आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया है, उसको आप क्यों छिपा रहे हैं ? निराकरण नहीं हुआ है, उसी का निराकरण होना है । यह गलती समितियों की नहीं है । आप जबरदस्ती उनके ऊपर में डाल रहे हैं, यह जो परिवहनकर्ता है, जो आपके धान उठाने वाले विभाग है, आप क्या उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि समिति स्तर पर सूखत मान्य नहीं है । समिति को हम कई तरह के इंसेटिव देते हैं, उसमें उसका समायोजन होता है । अगर हम देखें कि समिति में मिलने वाले जो इंसेटिव है, कितना-कितना है, भण्डारण एवं सुरक्षा व्यय के लिए...।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो पूछ ही नहीं रहे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- मैं तो बता दे रहा हूँ ना कि समिति स्तर पर सूखत समिति को क्यों मान्य नहीं है, इसलिए जीरो शार्टेज होने पर उसमें 5 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दिया जाता है । जहां पर जीरो शार्टेज होगा, वहां पर 5 रूपये प्रति क्विंटल दिया जायेगा । जीरो शार्टेज नहीं होगा तो उसमें समायोजन होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरे के विषय में तो बहुत स्मार्ट रहते हो, आपके विषय में जो पूछ रहे हैं, वह बताईये ?

श्री अमरजीत भगत :- आपका दिमाग कहां पर है, वही तो बोल रहा हूँ कि समिति में सूखत मान्य नहीं है । समिति को इंसेटिव दिया जाता है, इसमें इसका समयोजन होता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :-उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बोल रहा हूँ कि आर्बिट्रेटर हाईकोर्ट के द्वारा कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, कलेक्टर को नियुक्त किया है तो विवाद किस बात की है । वहां पर इसी बात की तो झगड़ा है । 31 हजार क्विंटल का मामला अभी जो पेंडिंग है, समिति और संग्रहण केन्द्र परिवहनकर्ता के बीच में विवाद है । उस बात को मंत्री जी छिपा रहे हैं । आप इस बात को कृपा करके बताईये । उसमें अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ है, इसके लिए जवाबदार कौन है ।

श्री अमरजीत भगत :- कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, कस्टम मिलिंग का काम प्रचलन में है। समिति स्तर पर मिलान किया गया है । जो शार्टेजिंग मिला है, उसके बारे में आपको बता दिया गया है । समिति में सूखत मान्य नहीं है । जो राशि समिति को मिलती है, उसी में उसका समायोजन होगा ।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ । आपका जवाब मैं पढ़कर सुना देता हूँ । धमतरी जिले के संग्रहण केन्द्रों में वर्तमान में 31,971 टन धान निराकरण हेतु शेष है । यह निराकरण हेतु शेष क्या है ?

श्री अमरजीत भगत :- यह कस्टम मिलिंग का काम है।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह कस्टम मिलिंग का काम नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- निराकरण का मतलब ही वही होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निराकरण का मतलब वह नहीं है। वहां पर हाईकोर्ट के द्वारा कलेक्टर को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया है और उस बात को मंत्री जी यहां पर छुपा रहे हैं। आपको अपने विभाग को बचाने की जरूरत नहीं है। आप सोसायटी का सत्यानाश करने में तुले हुए हो। इसी बात को समिति वाले ले करके हाईकोर्ट में गये थे और उसमें हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट गये थे या नहीं गये थे ? चलिये आप नही बोल दीजिए। मैं आपको डाक्यूमेंट ला करके दूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई हाईकोर्ट गया है और आर्बीट्रेटर नियुक्त हुआ हो।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप उसको पता कर लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है कि सब गुड-गोबर करने में लगे हुए हो। खूब गोबर याद रहे थे न और यहां सब गोबर कर रहे हो।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह आपको बोल रहे थे कि आप सरगुजा, सूरजपूर क्यों गये थे ? मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- इधर तो ठीक है, उधर रायता मत फैलाओ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह जो आपका लोधिमा, जयनगर, शिवप्रसाद नगर है, यहां पर पिछले वर्ष 2019-20 के धान के लिए मई महीने में कलेक्टर के द्वारा कोई जांच समिति बनाई और जांच समिति बनाकर के उसकी जांच की गई तो उसमें कितनी कमी पाई गई ? यह थोड़ा सा आप बतायेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने और सभी विपक्षी सदस्यों ने जो प्रश्न लगाया था, उससे उद्भूत नहीं होता और स्पेसीफिक कहीं का पूछेंगे, कहीं का बतायेंगे तो माननीय नेता जी, मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने सरगुजा का दिया है तो सरगुजा, सूरजपूर, कोरिया। उसमें सरगुजा का नाम आया है। मैंने सरगुजा संभाग के बारे में पूछा है।

श्री अमरजीत भगत :- आपने स्पेसीफिक किसी धान खरीदी केन्द्र का नहीं पूछा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने इसमें लोधिमा, जयनगर का बताया है।

श्री अमरजीत भगत :- आपने स्पेसीफिक किसी धान खरीदी केन्द्र का नहीं पूछा है, आपने समवेत् रूप से पूरे जिले की स्थिति पूछा है और जिले की स्थिति आपको 1027 टन बता दी गई है। आपने समितिवार तो पूछा नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- लोधिमा, जयनगर, शिवप्रसाद नगर का मैं पूछ रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- आप अभी पूछ रहे हैं न। इसके पहले तो आपने नहीं दिया था न। आपने जिले की जानकारी पूछी थी।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप इतना बता दीजिए कि कलेक्टर ने कोई जांच अधिकारी बनाया है और जांच में क्या पाया गया ?

श्री अमरजीत भगत :- आपने सूरजपूर जिले का पूछ रहे हैं, इसमें आपने सूरजपूर जिले का नहीं पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने आपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि संग्रहण केन्द्रों में कस्टम मिलिंग हेतु धान का उठाव निरंतर किया जा रहा है। मै माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रही हूं कि यदि धान का उठाव निरंतर किया जा रहा है तो धमतरी जिले में संग्रहण केन्द्रो में आपने खुद स्वीकार किया है कि वर्तमान में 31,971 टन धान निराकरण हेतु शेष है, मैं यह जानना चाह रही हूं कि यह क्या निराकरण किया जा रहा है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान का उठाव और उसकी कस्टम मिलिंग का काम निराकरण में आता है और आप जो बोल रही हैं कि इतने टन धान निराकरण के लिए शेष है, उसको बता दिया गया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- निराकरण मतलब कहां-कहां का, कैसा-कैसा और कौन-कौन से संग्रहण केन्द्र का निराकरण किया जा रहा है, आप यह थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए?

श्री अमरजीत भगत :- आपने जिले के बारे में पूछा था, हमने जिले के बारे में बता दिया। स्पेसीफिक कहीं का है तो उसको आप पूछ लेंगी तो मैं बता दूंगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इसी में मेरा प्रश्न है यदि आपने स्वीकार किया है कि डेटा मिलान उपरांत 5219 टन धान सूखत पाई गई तो यह तो सूखत पाई गई, इसकी भरपाई कौन करेगा?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या जी को पुन: और स्मरण दिलाना चाहूंगा कि समिति स्तर पर सूखत मान्य नहीं है। वहां पर समितियों के लिए अलग से राशि दी जाती है और उसी राशि में जीरो शार्टेज होने पर उसका समायोजन होता है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं वही जानना चाह रही हूं कि आपने समितियों को कितनी राशि दी?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समितियों को जीरो शार्टेज होने पर 5 रुपये क्विंटल के हिसाब से उस मद में दिया जाता है। अगर समितियों को मिलने वाली पूरी राशि के बारे में आप जानना चाह रही हैं तो मैं आपको बता रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह जानना चाह रही हैं कि 5219 टन की कीमत कितनी होती है?

श्री अमरजीत भगत :- उसको भी बता देता हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- रंजना डीपेन्द्र साहू जी आपसे कुछ छूट जात हे तो बृजमोहन भैया की तरफ इशारा कर दिये कर, वह पूरा विद्वान सदस्य हैं, वह बता देही।

श्री अजय चन्द्राकर :- तय हां जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाला हयस, नोट कर ले।

श्री अमरजीत भगत :- ये जो आपने पूछा है, माननीय सदस्य ने कि 5213 मिट्रिक टन धान की राशि कितनी होती है तो इसकी राशि होती है। 9 करोड़ 79 लाख रूपये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी, मोहले जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या ये राशि आपने समितियों को दे दी है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं कह रहा हूं कि पूरे धान की इंसेंटिव में जितनी भी प्रकार की राशि मिलती है उसको जोड़ करके समिति को दे दी जाती है और वह समिति के हिस्से में रहता है कि उसको सूखत मान्य नहीं रहता है। अगर सही ढंग से किया तो उसका लाभांश है और अगर उसका नुकसान हुआ तो उसमें।

उपाध्यक्ष महोदय :- गुरू जी, मोहले भैया।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मैं ये जानना चाह रही हूं कि आपने समिति को राशि दे दी है क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- राशि जब मिलान होता है उसके उपरांत समायोजन होता है, शेष बचता है उसको दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मोहले जी चलिये। 5-10 प्रश्न हो गये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये डेटा मिलान में इन्होंने प्लान बताया कि 5219 टन धान सूखत पायी गयी और उपार्जन केंद्र का धान सूखत मान्य नहीं है। माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में बोल चुके हैं कि 72 घण्टे में उठाव। अगर मान लीजिए ठेकेदार के द्वारा या ट्रांसपोर्टर के द्वारा उठाव नहीं किया जाता तो उनसे वसूली की जाती है तो आप ये बताईये कितनी समितियों में ठेकेदार ने तीन दिन भीतर। ऐसे ठेकेदार से आपने वसूली की कार्यवाही की है क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- आप तो पुराने खाद्य मंत्री रहे हैं और पूरी बात की जानकारी है आपको और आपको ये भी जानकारी है कि सामान्य रूप से 72 घंटे में उठाव किया जाता है और अगर 72 घण्टा में परिवहनकर्ता नहीं उठाता है तो समिति उसमें अपने से धान उठाव करा सकती है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं उसमें ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हां, इसी कारण तो बोल रहा हूं। मेरा विषय नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी आप ये समझ लीजिए कि 72 घण्टे में यदि धान का उठाव उपार्जन केंद्र से नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार जो उठाने वाला ट्रांसपोर्टर होता है। ऐसे कितने ट्रांसपोर्टर है जो 72 घण्टे में धान का उठाव नहीं किए और आप इसको समिति में ठोक रहे हैं कि उपार्जन केंद्र में कमीशन की राशि में से काट दे, ये नियम है मुझे मालूम है पर मैं जो बोल रहा हूं उस नियम के ये भी है कि जो भी ट्रांसपोर्टर है वह 72 घण्टे में धान का उठाव नहीं करते या 3 दिन 4 दिन 15 दिन में उठाव किया तो उसका जिम्मेदार ट्रांसपोर्टर है, आपको उससे वसूल करना है। दूसरा, उदाहरण के लिये मैं आपको बताऊ। मुंगेली में ट्रांसपोर्टर नियुक्त ही नहीं किया गया है और धान के उठाव शासन स्तर से हो रहा है तो उसका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिम्मेदार कौन होगा ? और उसको किससे वसूल किया जाएगा ? समिति से नहीं वसूल कर सकते तो इसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, एक निर्देश है कि 72 घण्टे में सामान्यत: उठाव किया जाना है और 72 घण्टे में यदि कोई ट्रांसपोर्टर नहीं उठाता है तो समिति स्वतंत्र है कि वह अपना धान परिवहन करा सकती है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इसमें आप जो बोल रहे हैं वह इससे उद्बुध ही नहीं हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो ठीक है, ठीक है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं नीतिगत बात बोल रहा हूं। अगर 72 घण्टे से ज्यादा 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन एवं महीना दिन में नहीं उठाया तो वह ट्रांसपोर्टर 6-6 महीने में नहीं उठाता तो वह समिति तो उठवायेगी ही पर उसका खर्च कौन देगा। उसको कमीशन की राशि से नहीं काटा जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए 72 घण्टे से ज्यादा में उठाव नहीं किया गया है और ठेकेदार इसका जिम्मेदार है मेरी यही कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, हां ठीक है। मेरा आप दोनो से निवेदन है, महानुभव से। श्री शिवरतन और अजय भाई। एक-एक क्वेश्चन बस।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये ना। इसमें स्थगन लगा है और स्थगन हम सब लोगों ने मिलकर किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक-एक क्वेश्चन सब लोगों को दे देंगे तो ठीक हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- बस एक-एक क्वेश्चन दोनों भाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देता हूं कि इस साल का हिसाब होने के बाद सब चीज का कम से कम 8000 करोड़ छत्तीसगढ़ जाने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय :- पूछिये, पूछिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- खैर अब मैं पूछता हूं। ये .91 लाख टन कौन से सन की खरीदी हुई धान है और अभी तक उसके मिलिंग नहीं होने के क्या कारण है ? और जा 31971 का निराकरण होना शेष है वह कौन से सन के धान है जिसका निराकरण अभी शेष है और निराकरण की प्रक्रिया क्या है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी ने जो प्रश्न किया है वह 91 लाख टन जो धान निराकरण के लिए बचा है, वह शेष है। उसके बारे में उन्होंने पूछा है। वर्ष 2019-20 की धान खरीदी के बाद जो निराकरण के लिए शेष है, वह संग्रहण केन्द्र में रखे हुए 91 लाख टन धान है। जो आपने पूछा कि जो 31 हजार क्विंटल धान निराकरण के लिए शेष है वह वर्ष 2019-20 का है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। मेरा प्रश्न मैं फिर से दोहरा देता हूँ ज्यों का त्यों। आप एक प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं ऐसा मत बोलिएगा। मेरा आपसे आग्रह है 0.91 प्रतिशत कौन से वर्ष की खरीदी है वह तो बता दिया, अभी तक उसके निराकरण, मिलिंग नहीं हुए हैं, उसके क्या कारण हैं, मैंने यह पूछा है। आप देख लीजिए कि दो साल पूरे हो चुके हैं। सरकार के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति निर्मित हो गई कि दो सालों से निराकरण नहीं हो रहा है। मैंने पूछा कि 31 हजार 971 टन कौन से वर्ष की खरीदी है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि उसके निराकरण की प्रक्रिया क्या है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इतना घूमा फिराकर बोल रहे हैं कि इसमें तीस मारखी वाली बात कुछ बात नहीं है। मैंने उसको बता दिया है कि यह वर्ष 2019-20 का है, उसमें आप और क्या जानना चाहते हैं ? आप बार-बार उसी बात को रिपिट करते हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आपने बताया क्या जो अभी कुटाई हुई है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसको बता दिया है कि यह वर्ष 2019-20 का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,नहीं। अभी तक उसका निराकरण और मिलिंग क्यों नहीं हुई है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,आप उसका पूछिए, मैं उसका बता रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूछा है । यदि आप मेरा प्रश्न नहीं सुनते तो मैं क्या करूंगा?

उपाध्यक्ष महोदय :- आप नाराज मत होईये। माननीय शिवरतन भईया आपको बाद में प्रश्न पूछना है, आप अभी बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको मालूम नहीं कि इनको कम सुनाई देता है। आपको सुनाई दे रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप धैय रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जो वर्ष 2019-20 के निराकरण में विलंब हुआ, उसके कारण मैं बता रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,0.91 लाख का अभी तक क्यों नहीं हुआ, केवल यह बताईये?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हां मैं उसी का बता रहा हूँ कि पहले जो भारत सरकार ने हमको अनुमति देने में इतना विलंब किया। इस कारण उसके परिवहन, कस्टम मिलिंग, बाद में कोविड पिरयड आया, उसमें प्रभावित हुआ इस कारण से इसमें विलंब हुआ और इसके निराकरण की कार्यवाही चल रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने एक प्रश्न कहा था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। भईया हो गया। माननीय शर्मा जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,नहीं। 36 हजार 971 के निराकरण की प्रक्रिया क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने आपको कारण बता दिया, सब बता दिया। हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप एक ही प्रश्न मानते हैं तो मेरा यह आरोप है कि वह 91 हजार टन अमानक है, कुटाई के लायक नहीं है। आप सदन की समिति से इसकी जांच करवायेंगे क्या ? यह अमानक है, चलिए इसको बताईये। यह अमानक है, उसकी जांच करवायेंगे क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय :- आपने कारण पूछा, उन्होंने बता दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कारण तो भारत सरकार ले आये। बाकी 52 लाख टन का निराकरण हो गया, सिर्फ 91 लाख टन के लिए भारत सरकार आ गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप मंत्री रहे हैं। मंत्री कैसे उत्तर देते हैं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिये बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पूरा छत्तीसगढ़ को डूबाने का काम कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन की गलत नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ की सारी सहकारी समितियां समाप्त होने की ओर हैं। सारी सहकारी समितियां डिफाल्टर हो जाएगी। मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है कि धमतरी जिले के सभी उपार्जन केन्द्रों में अंतिम डेटा मिलान की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। डेटा मिलान उपरांत 5 हजार 219 टन धान सूखत पायी गई। उपार्जन केन्द्रों में धान सूखत मान्य नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इनने बता दिया कि 72 घण्टे के अंदर धान उठाना चाहिए। धमतरी जिले में परिवहन का आदेश कब दिया गया और यह कब रोका गया? क्योंकि एक बार आदेश जारी होने के बाद परिवहन को रोका गया तो परिवहन का आदेश कब दिया गया? यह कब रोका गया? अगर समय पर धान नहीं उठा तो उसके लिए शासन जिम्मेदार हैं, समितियां जिम्मेदार नहीं है। आप यह पहले बता दीजिए कि कब आदेश दिया गया और कब रोका गया?

इसी में मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में से 9.20 लाख टन अतिशेष धान का विक्रय निविदा के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों को किया गया है। एजेंसियों द्वारा अनुबंध अनुसार क्रय किये गए धान का उठाव किया जा रहा है, यह कब बेचा गया? अनुबंध कब हुआ ? और किसने-किसने अनुबंध के बाद धान नहीं उठाया, इनको धान उठाने के लिए समय-सीमा क्या निर्धारित हुई थी? यह बता दीजिए?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने जो प्रश्न किया, प्रश्न में भी इतनी पेचीदगी है कि आप अपने प्रश्न को एक बार फिर रिपीट करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- फिर बोलूं।

श्री अमरजीत भगत :- जिस क्रम में बोले हैं, उसी क्रम में फिर दोबारा बोलें।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, उसी क्रम में बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, धमतरी जिले में 5219 टन धान सूखद पाई गयी है। उपार्जन केंद्रों में धान की सूखद मान्य नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में लिखा है। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह भी स्वीकार किया है कि 72 घंटे के अंदर उपार्जन केंद्रों से धान उठ जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धमतरी जिले के कितने समितियों का धान, खरीदा गया धान, 72 घंटे के अंदर उठा, कितना धान 72 घंटे के बाद उठा, आपने परिवहन का आदेश कब दिया, परिवहन के आदेश को कब रोका? एक प्रश्न मेरा यह है। दूसरा प्रश्न यह है कि 2020-21 का आपने 9.20 लाख अधिसेस धान जो निविदा के माध्यम से बेचा है और आपने लिखा है कि इसकी उठाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके विक्रय का आदेश कब हुआ, अनुबंध कब हुआ, उठाने के लिए आपने समय सीमा क्या निर्धारित की है, समय सीमा में कितने लोगों ने धान उठाया, कितने लोग नहीं उठा पाए, नहीं उठा पाए तो उस पर क्या कार्यवाही करेंगे, यह बता दीजिए ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधा प्रश्न तो इतना लंबा खींच दिए कि प्रश्न भी ध्यान से विचलित हो गया। लेकिन फिर भी मैंने इनको जितनी बात बताई कि धान खरीदी के बाद सामान्यत: 72 घंटे में उठाने का निर्देश है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप पहले मेरा प्रश्न पूरा सुन लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- पहले पूरा सुन तो लीजिए। आप जो पहले बोले हो मैं उसी को बता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, पहले सुनिए ना।

श्री अमरजीत भगत :- आप सुनते नहीं हो, बड़ी जल्दी में रहते हो। आप इस मामले में विशेषज्ञ हो, मैं जानता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं सब मामले में विशेषज्ञ हूं।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन धान खरीदी में एक नियम है, आप ही लोगों के समय का बनाया हुआ नियम है। सामान्यत: 72 घंटे में उठाने का नियम है। अगर 72 घंटे में धान परिवहन नहीं होता है, नहीं उठता है तो समिति उसका निर्णय लेने के लिए अपने आप में सक्षम है और परिवहन करा सकती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- समितियों से धान उठाव को रोका गया। परिवहन को रोकने का आदेश प्रशासन ने दिया। आप बोलते हैं कि समितियां निर्णय करने का सक्षम है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सदन को गुमराह कर रहे हैं। परिवहन को रोकने का आदेश आप लोगों ने दिया। आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट को रोकने का आदेश दिया।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा भैया, आपका प्रश्न हो गया। आप वही प्रश्न बार-बार कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, माननीय मंत्री जी मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर कहां दिये हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मैं कुछ पढ़ रहा हूं।

<u>सदन को सूचना</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं, सभा सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, अगला ध्यानाकर्षण।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाए। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- बोल दिए ना, खाना भी उनकी तरफ से है। मंत्री जी की तरफ से खाना खाओ और क्या । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाए। प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन भैया, बहुत हो गया।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न करना है। स्थगन है, एक प्रश्न करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- बहुत प्रश्न हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे आग्रह यह है कि मैंने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी से आप दिलवा दीजिए। मंत्री जी खाली प्रश्नों को सुन रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, शिवरतन जी का उत्तर दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने पहले कहा कि माननीय सदस्य का धमतरी से संबंधित प्रश्न था। उन्होंने पूछा है और मैंने कहा कि जो सार्टेज हुआ है वह समिति स्तर पर मान्य नहीं है, उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उसमें समायोजन होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने तो वह प्रश्न पूछा ही नहीं है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- आपने बोला है। आपने पूछा है। आपकी समिति को (व्यवधान) मान्य नहीं है, आपने पूछा है। आप क्या पूछते हैं, यह भी भूल जाते हैं, यही तो दिक्कत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने 72 घंटे में उठाने की बात कही है। कितना धान 72 घंटे के अंदर उठ जाता है, कितने 72 घंटे के बाद उठा। परिवहन का आदेश कब दिया, परिवहन का आदेश कब रोका, मैंने यह प्रश्न किया है।

श्री अमरजीत भगत :- 72 घंटे में उठाने का सामान्यत: प्रावधान है। निर्देश है लेकिन अगर 72 घंटे में नहीं उठता है तो समिति उठवा सकती है।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न को आप समझ लीजिए।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उपाध्यक्ष जी, हर लाईन के हर अक्षर में प्रश्न। पहले समझ लीजिए। आप लगातार प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं दे रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अच्छा, आप यह उम्मीद क्यों करते हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा उत्तर आए। आप प्रश्न कर रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है । यह तो गंभीर बात है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हम जो प्रश्न कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- वे उसका उत्तर दे रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे प्रश्नों का उत्तर तो आये । हम यह नहीं चाहते कि हम जो बोल रहे हैं वही वे उत्तर दें । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर तो आना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप लोग बैठिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- कम से कम एक बार तो माननीय खाद्य मंत्री का पूरा उत्तर सुन तो लें । आधी लाईन होती है और आप लोग खड़े होकर फिर से प्रतिप्रश्न करते हैं या तो माननीय उपाध्यक्ष जी आप इनको समय दे दीजिये कि कितने मिनट तक आप प्रश्न करेंगे । लेकिन प्रश्न आपका आ जाये तो पहले एक-बार पूरा उत्तर सुनिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरा उत्तर दे दें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, अब उत्तर दे देते हैं लेकिन पहले सुनिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है इस विभाग के विशेषज्ञ उधर किनारे में बैठे हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- इसका उत्तर श्री मोहम्मद अकबर जी से दिलवाया जाये। क्या है कि विशषज्ञता उनकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन जी आप बोलिए ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो पहले कहा कि धान खरीदी के नियम में जो प्रावधान है और 72 घंटे में उठाने का जो निर्देश है । यदि 72 घंटे में नहीं उठाते तो समिति उठाव करा सकती है और समिति स्तर पर सूखत मान्य नहीं है उसकी भरपाई समिति में जो इंसेंटिव मिलता है उसी से किया जाता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपने उत्तर सुना । आपने मेरा प्रश्न भी सुना था, मैंने प्रश्न किया था कि समितियों को धान उठाव का, परिवहन का आदेश कब दिया गया और आदेश कब रोका गया ? चूंकि एक-बार आदेश परिवहन करने के लिये जारी भी हुआ और बाद में परिवहन को रोकने का आदेश मौखिक और बाद में लिखित भी जारी हुआ । (शेम-शेम की आवाज) मैंने वह तारीख पूछी है, आप वह तारीख बता दीजिए । आप समितियों को डुबाने में लगे हैं । आप यह करके सहकारिता को समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा करने से 3 हजार समितियां समाप्त हो जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन जी, बहुत सारे लोग हैं । आपका हो गया । श्री बृजमोहन जी आप बोलिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं भी परिवहन का काम रोकने का निर्देश नहीं दिया गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 5219 टन धान की सूखत आयी और आपने कहा कि उसकी लागत लगभग 9 करोड़ है तो उन सोसायटियों को जो इंसेंटिव मिलना है वह कितने करोड़ का मिलना है कि जिसमें वह समायोजित हो जायेगा और साथ में आपने वर्ष 19-20 में 83 लाख 94 हजार टन धान में से 81 लाख 48 हजार टन की कस्टम मीलिंग कराई । .91 लाख टन संग्रहण केंद्रों में शेष है तो बाकी जो 1 लाख 55 हजार टन धान है वह कहां गया, उसकी क्या जानकारी है यह बता दें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा कि जो समिति में शॉर्ट धान 5219 टन इसका जो नुकसान है वह कितना होता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने यह नहीं पूछा ।

श्री अमरजीत भगत :- और क्या समिति को इसका पैसा दे दिया गया है यह आपने कहा तो समिति को पहले लम-सम एमाउंट दिया जाता है और डाटा मिलान के बाद यह राशि दी जाती है । अगर उस राशि में यदि उसके बराबर की राशि रहती है तो उसमें एडजस्ट होता है और अतिरिक्त रहने से समिति को मिलता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूरा मिलान कर लिया । मिलान करने के बाद में बताया कि 5219 टन धान की शॉर्टेज पायी गयी उसकी कीमत भी लगभग 9 करोड़ बतायी है तो उन समितियों का कमीशन कितना बनता है जिसमें आप यह 9 करोड़ एडजस्ट करेंगे और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वर्ष 2019-20 में 83 लाख 94 हजार टन धान आपने खरीदा, 81 लाख 48 हजार टन की कस्टम मीलिंग हुई, .91 लाख टन संग्रहण केंद्रों में शेष है तो 1 लाख 55 हजार टन धान कहां गया ? उसके बारे में आपने कोई जानकारी नहीं दी ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में जो टोटल धान खरीदी हुई वह 83.94 लाख टन हुआ और इसमें जो निराकरण हुआ उसमें से संग्रहण केंद्र से उठाव 2978 और मिलर्स द्वारा 81.48 लाख टन और जो निराकरण के लिये शेष है वह 91 लाख टन । जो शेष का बोल रहे हैं, वह सूखत का है और जब तक डाटा में मिलान नहीं होगा और क्लियर नहीं होगा, तब तक इसके बारे में भी अभी..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही मुख्य बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी 1 लाख 55 हजार टन धान उसके बारे में मंत्री जी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। मैं वही जानकारी चाहता हूं कि आपने बता दिया, पर उसके बाद 1 लाख 55 हजार टन धान बचता है, वह धान कहां है ? इसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं आयी है।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय मैंने बताया न।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री अमरजीत भगत :- वह समिति स्तर पर जो सूख गया है, उसी में adjust होगा और उसकी भरपाई समिति स्तर पर होगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- अगला ध्यानाकर्षण लेना है। बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- यही तो मुख्य बात है। आप समितियों के ऊपर क्यों डालना चाह रहे हैं? यह आपकी जिम्मेदारी है।(व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, गलत जानकारी है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- गलत जानकारी है। गलत जानकारी दी जा रही है। भारी अनियमितता हो रही है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- धान खरीदी में लूट हो रही है। अनियमितता हो रही है। धान खरीदा नहीं जा रहा है। धान सड़ रहा है। (व्यवधान) सोसाइटियां बर्बाद हो रही हैं। पूरा छत्तीसगढ़ धान खरीदी के घाटे में डूब रहा है।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पूछने का समय दिया गया है। अब इसे विवादित मत करिएगा। पूरा उत्तर आ गया है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी का एक भी उत्तर नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़िए न। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सहकारी समितियों को यह सरकार बर्बाद करने में लगी हुई है। कल के प्रश्न में जवाब आया है। सहकारी समितियां बर्बाद हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान) धान माफियाओं के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया और लगातार सहकारी समितियों को डूबाने में लगे हुए हैं। धान का हिसाब मंत्री जी नहीं बता पा रहे हैं। मंत्री जी का एक भी उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
1.37 बजे

बहिर्गमन

शासन के उत्तर के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(4) डॉ. भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल रायपुर "मेकाहारा" में गरीब मरीजों की फ्री एंजियोप्लास्टी बंद होना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है-

प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर हॉस्पीटल रायपुर, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में गरीब मरीजों को फ्री एंजियोप्लास्टी बंद है। ओपन हॉर्ट सर्जरी भी बंद कर दी गई है। एंजियोप्लास्टी के 70 मरीज वेटिंग लिस्ट में हैं। इसके बाद पिछले डेढ़ माह से मरीजों को वेटिंग देना भी बंद कर दिया गया है। अब तक 100 से अधिक मरीजों को लौटाया जा चुका है। उनके नाम वेटिंग लिस्ट में भी नहीं लिखे गए। अस्पताल में केवल उन्हीं मरीजों की एंजियोप्लास्टी की जा रही है जो खुद बलून स्टैण्ड और कैथेटर खरीदकर दे रहे हैं। इस वजह से रोज मरीजों को बिना ईलाज कराए

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लौटना पड़ रहा है। इमरजेंसी में मरीजों के रिश्तेदारों को खुद खर्च कर उपकरण और बाकी सामान खरीदकर देना पड़ रहा है। ऐसे मरीज जिनके परिजनों के पास इतने पैसे नहीं उनके सामने इंतजार करने और मौत के अलावा दूसरा विकल्प नहीं हैं। शासन से पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण अस्पताल प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अस्पताल में एंजियोप्लास्टी और हार्ट की सर्जरी के लिए जरूरी उपकरणों की सप्लाई का ठेका जिस वेंडर को दिया गया है, उसका करोड़ों रूपया बकाया है। इतनी रकम का पेमेंट नहीं होने के कारण वेंडर ने सप्लाई बंद कर दी है। इस वजह से डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत ईलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीजों का फ्री उपचार नहीं हो पा रहा है। हालांकि ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका कार्ड ब्लॉक भी किया जा रहा है, लेकिन वेंडर सप्लाई ही नहीं कर रहा है। शासन एवं प्रशासन की लापरवाही व सरकार की आर्थिक बदहाली के चलते शासन एवं प्रशासन के खिलाफ रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर हॉस्पिटल रायपुर के एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में गरीब मरीजों की फ्री एंजियोप्लास्टी एवं ओपन हॉर्ट सर्जर बंद है। सत्य तो यह है कि एडवांस कार्डियक इंस्ट्रीट्यूट (एसीआई) तथा कार्डियोथोरेसिक एंड वेसकुलर सर्जरी (सी.टी.व्ही.एस.) विभाग में उपचार हेतु आने वाले मरीजों को आयुष्मान भारत एवं खूबचंद बघेल योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष सहायता प्राप्त निधि से जांच एवं संपूर्ण उपचार लाभ दिया जा रहा है। अत: यह कथन असत्य है कि 100 से अधिक मरीजों को लौटाया जा चुका है। अपितु वर्ष 2020 में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में कुल 705 प्रक्रिया की गई जिसमें से 636 प्रकियाएं नि:शुल्क की गई थी, जिसकी लागत राशि रूपये 2,93,94,000.00 थी। इसी प्रकार वर्ष 2021 में 22/07/2021 तक कुल 620 प्रक्रियाएं की गईं, जिसमें से 536 प्रक्रियाएं नि:शुल्क की गई थीं, जिसकी लागत राशि रूपए 2,36,98,000.00 थी, इसी प्रकार कॉर्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी (सी.टी.व्ही.एस.) विभाग में वर्ष 2020 में कुल 133 प्रक्रियाएं एवं 2021 में 78 प्रक्रियाएं की गई हैं । अत: यह कहना सही नहीं है कि उन्हीं मरीजों की एंजियोप्लास्टी की जा रही है जो खुद उपचार हेतु सामान लेकर आ रहे हैं, अपितु डॉ. भीमराव अम्बेडकर हॉस्पीटल प्रशासन द्वारा कॉर्डियोलॉजी तथा कॉर्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी (सी.टी.व्ही.एस.) विभाग में मरीजों के उपचार हेतु लगने वाले उच्च दरों के इंप्लांट, डिस्पोजेबल तथा कंज्यूमेबल्स सामग्री की पूर्ति हेतु विभाग के मांग अनुसार निविदा आमंत्रित कर, सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, अत: यह कहना भी सही नहीं है कि मरीजों के रिश्तेदारों को खुद खर्च कर उपकरण एवं बाकी सामान खरीद कर अस्पताल प्रशासन को देना पड़ रहा है ।

चिकित्सालय के कॉर्डियोलॉजी एवं सी.टी.व्ही.एस. विभाग में शासन द्वारा जारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मरीजों की जांच तथा उपचार को ध्यान में रखते हुए उपचार के दौरान

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लगने वाले उच्च दरों के इंप्लांट, डिस्पोजेबल तथा कंज्यूमेंबल्स सामग्री को शासन द्वारा राशि आवंटित की जा चुकी है । अत: यह भी कहना सही नहीं है कि शासन से पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण अस्पताल प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार एडवांस कॉर्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) तथा कॉर्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी (सी.टी.व्ही.एस.) विभाग में मरीजों के सम्पूर्ण उपचार हेतु आवश्यक इंप्लांट, डिस्पोजेबल तथा कंज्यूमेबल्स सामग्री की निविदा अंतर्गत चयनित फर्मों द्वारा आपूर्ति की जा रही है, किसी भी वेंडर द्वारा आपूर्ति से इंकार नहीं किया गया है । अत: यह भी कहना सही नहीं है कि वेंडर ने सप्लाई बंद कर दी है ।

यह कहना सही नहीं है कि चिकित्सालय में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत ईलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीजों का फ्री उपचार नहीं हो पा रहा है, हालांकि ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका कार्ड ब्लॉक भी किया जा रहा है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में वर्ष 2021-22 में आज दिनांक तक 2,011 हितग्राहियों को रूपए 3.97 करोड़ की राशि का उपचार लाभ दिया जा चुका है । इनमें से 49 हितग्राहियों द्वारा रूपए 39.12 लाख की राशि का हृदय रोग संबंधी उपचार किया गया है । साथ ही मुख्यमंत्री अस्पताल शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष से इम्प्लांट कॉस्ट हेतु माह अप्रैल 2020 में रूपए 75 लाख एवं माह जुलाई 2021 में हाई कॉस्ट इम्प्लांट एवं डिस्पोजेबल/कंज्यूमेबल्स हेतु रूपए 10 करोड़ का अग्रिम भुगतान भी किया गया है ।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर हॉस्पीटल रायपुर, मेकाहारा में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आने वाले मरीजों को शासन द्वारा प्रचलित स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थी होने की दशा में सम्पूर्ण जांच एवं उपचार सुविधा नि:शुल्क उपलध कराई जा रही है । अत: यह कहना सही नहीं है कि शासन एवं प्रशासन की लापरवाही व सरकार की आर्थिक बदहाली के चलते शासन एवं प्रशासन के खिलाफ रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं टी.एस.बाबा साहब को आज सदन में आने वाले कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्वागत् और अभिनंदन करता हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो एडवांस कॉर्डियक यूनिट है, इसकी स्थापना कब की गई और इसकी स्थापना के बाद से अभी तक कितनी एंजीयोप्लास्टी और कितनी ओपन हार्ट सर्जरी की गई है और कब से यह कार्य बंद है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ध्यानाकर्षण में नहीं आया था । यह जानकारी कि कब से चालू है, कितनी सर्जरी हुई, मैं बता दूंगा । वर्ष 2020 में कोरोनरी एजिंयोग्राफी 418, मुफ्त प्रक्रिया 418, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग 170, मुफ्त 117, पेसमेकर 85, मुफ्त 75, बच्चों के हृदय में सुराख की प्रक्रिया संख्या 8, मुफ्त 8, ई.पी.एस. संख्या 8, मुफ्त 3 ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूं कि एनजीवोग्राफी, एनजीओप्लास्टो साथ में ओपन हार्ट सर्जरी ये दो चीजों की मैं जानकारी चाहता हूं कि ये दो चीज जो मुख्य चीज है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हास्पिटल जो मुख्य हास्पिटल है जहां पूरे प्रदेश के लोग और छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थान है रायपुर का मेडिकल कॉलेज हास्पिटल जिसमें कि कार्डियो सर्जरी होती है और वहां पर ये स्थिति बनना कि गरीब मरीजों की कार्डियो सर्जरी बंद हो जाना पैसा नहीं होने के कारण कल माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बोल रहे थे कि हम सीएस, पीएससी को अपडेट कर रहे हैं अगर छत्तीसगढ़ की सबसे, मेरे को मालूम है बाबा साहब आपकी कोई दुर्भावना नहीं है आप करना चाहते हैं परंतु सरकार की तरु से पैसा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है और उसके कारण छत्तीसगढ़ के बड़े-बड़े लोगों को उम्मीद बंधी थी कि अब लोगों की हार्ट की सर्जरी, लोगों की एनजीओग्राफी, प्लास्टिक सर्जरी इसके माध्यम से होगी मेरी जानकारी में है कि एक महिला का वाल्व रिप्लेस होना है पर वो वाल्व रिप्लेस होने के लिए पिछले 3 महीने से हास्पिटल में बैठी है और उसका वाल्व रिप्लेस नहीं हो रहा है वो गरीब है तो गरीबों के लिए अभी तक आपने कितनी एनजीओ प्लास्टिक, कितनी ओपन हार्ट सर्जरी, कितनी वहां पर स्र्टन लगाने का काम हुआ है ये मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इसमें जो जानकारी अभी मेरे पास आयी है उसमें 1 नवंबर 2017 को को एसीआई की स्थापना हुई थी स्कॉटस पहले वहां चलता था। 2017 में ये मैं कैलेण्डर ईयर की जानकारी दे रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी मैं उसका स्कॉट की जानकारी नहीं चाहता अपने जो मेकाहारा में सरकार के माध्यम से नि:शुल्क ईलाज कराने के लिए जो एडवांस कार्डियो यूनिट लगाई गई है उस एडवांस कार्डियो यूनिट लगने के बाद से कितने लोगों की एनजीओ प्लास्टिक हुई है, कितने लोगों को स्र्टन लगा है कितने लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है ये मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- 2017 में लगभग 1400, 2018 में।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 17 में ये प्रारंभ नहीं हुआ था इसको प्रारंभ आपने किया है ये अपोलो जो आप बता रहे हैं प्राईवेट के साथ हमारा कान्टेक्ट था तक की बात हैहमारी यूनिट चालू होने के बाद हमारी यूनिट जो चालू हुई है वो 2017 में नहीं उसका अभी चालू हुए एक साल भी नहीं हुआ है एडवांस कार्डियो क्लीनिक।

समय :
01:48 **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैंने अभी आपको जानकारी दी। ये आपको जानकारी शायद अधूरी है 1 नवम्बर, 2017 को एसीआई की स्थापना हो चुकी थी। मैं गलत हूं तो क्षमा मागूंगा। सदन से आपको जानकारी दे दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- आप गलत नहीं है आपको जो जानकारी मेकाहारा में एडवासं कार्डियो की यूनिट ये जो पहली थी हमारा प्राइवेट के साथ कान्टेक्ट था हमने उसको अलग कर दिया उसके बाद में हमने बड़ी-बड़ी मशीने खरीदी और इस विभाग के माध्यम से हमने ऑपरेशन शुरू किये तो अभी तक कितने ऑपरेशन हुए ये मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपके समय में बीजेपी के शासनकाल में भी अच्छा काम हुआ, अच्छी मशीनें खरीदी जिसको मैंने देखने पर महसूस किया वाकई में कैसे खरीदी क्या हुई उसमें मैं अभी नहीं जा रहा लेकिनअच्छी-अच्छी मशीनें वहां अवश्य उपलब्ध हैं 2017 की जानकारी आप लेना चाह रहे हैं क्योंकि 1 नवंबर 2017 में एसीआई स्थापित हुआ था। 2018 में लगभग 1400, 2019 में लगभग ओपीडी की संख्या 3,123, 2020 में 1513, 2021 में जुलाई के अंत तक 1103 आइपीडी संख्या वर्ष 2019 में मैं नीचे आ रहा हूं। अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं पूरी जानकारी दे दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी मैं सिर्फ 3 चीजों की जानकारी चाहता हूं। एनजीओ प्लास्टिक और स्टर्न लगाने का काम और साथ में ओपन हार्ट सर्जरी ये तीन चीजों की जानकारी मैं चाह रहा हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- पूछने का अधिकार आपका है जवाब देने का अधिकार मेरा है आसंदी से कोई बात आएगी कि इसमें आप मत बोलो तो मैं चुप हो जाउंगा। आइपीडी की संख्या वर्ष 2019 में 363, 2020 में 179, 2021 में जुलाई तक 125 सर्जरी की जानकारी 2017 से 2021 637, फारेंसिक सर्जरी 240, वेस्कूलर सर्जरी 379, कार्डियो सर्जरी 18, 2020 में संख्या 133, फारेंसिक 61, वेस्कूलर 69, कार्डियो 3, 2021 में 78, फारेंसिक 27, वेस्कूलकर 42, ओपन हार्ट सर्जरी 9, कुल 848, फारेंसिक 328, वेस्कूलर 490, कार्डियो 21, ओपन हार्ट सर्जरी 9 और कुछ कार्डियो प्रोसिजर 8000 अभी तक हो चुके हैं और 1700 एनजीओ प्लास्टी हो चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि पिछले मार्च से लेकर अभी तक कितनी एंजियोप्लास्टी हुई है और कितनी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मंत्री जी ने तो पूरा बता दिया, और कितना पूछोगे? पूरा एक पेज पढ़कर बता दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- कोरोना काल में कितने हार्ट सर्जरी कराओगे भैया ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने थोरेसिक वेसकुलर कार्डिएक ओपन हार्ट सर्जरी 9 बतायी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मार्च से लेकर अभी तक?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी. एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मार्च नहीं, मैं कैलेण्डर ईयर के बारे में बता रहा हूं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको वह जानकारी दे दूंगा । 1 जनवरी से लेकर अभी तक 9 ओपन हार्ट सर्जरी का रिकार्ड है । वह मैंने आपको बता दी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, मेरा यही कहना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, एक मात्र शासकीय हॉस्पिटल जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी और एंजियोप्लास्टी हो रही है और वर्तमान में वहां की अव्यवस्था के कारण, मेरी जानकारी में है, मेरे पास कागज भी हैं, ठेकेदार ने लिखकर भी दिया है । उसका तीन करोड़ पेमेंट बाकी है, उसके कारण उसने एंजियोप्लास्टी और ओपन हार्ट सर्जरी के उपकरण देना बंद कर दिया । मैं यहां का स्थानीय विधायक हूं तो मेरी अधिकारियों से, डॉक्टरों से लगातार बात होती रहती है । आप यह बता दें कि जनवरी से अभी तक ऐसे कितने मरीज हैं, जिन्होंने स्वयं का सामान लाकर एंजियोप्लस्टी के लिए दिया है या अपने स्टंट लगाने के लिए दिया है या ओपन हार्ट सर्जरी के दिया है, ऐसे कितने लोगों का ईलाज हुआ है और खूबचंद बघेल योजना में अभी कितने मामले पेंडिंग हैं ? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 79 मामले स्वीकृत किए गए हैं, परन्तु उसके बाद भी वे बेचारे घूम रहे हैं, उनकी हार्ट सर्जरी नहीं हुई है और वे सब गरीब लोग हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है कि लोगों को बम्बई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है और पैसा नहीं होने के कारण उनकी हार्ट सर्जरी नहीं हो रही है । आप तो पी.एच.सी. और सी.एच.सी. को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं । कम से कम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को आप अपग्रेड कर दीजिए । वहां पर मेरे पास जानकारी है कि लगभग सभी यूनिट पैट स्केन बंद पड़ी हुई है । सिकलसेल जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण मामला है, मेरे पास रिपोर्ट है, जिसमें नॉन एक्टिव, नॉन एक्टिव लिखा हुआ है । पूरी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं । अगर सरकार छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल को अपडेट नहीं कर सकती, वहां के मशीनों को अपग्रेट नहीं कर सकती । माननीय मंत्री जी, 90 प्रतिशत मशीनें बंद पड़ी हुई हैं और उसका कारण यह है कि उनके पास मटेरियल नहीं हैं, उनके पास साधन नहीं हैं, उनके पास में पैसा नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, इनका कहना है कि [XX][4] उसी के लिए इन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं । माननीय अग्रवाल जी, छोड़िए न, लंबा मुद्दा हो गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

4 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी खड़े होकर इस प्रकार की बात करे तो इस प्रकार का आरोप लगाना बहुत गंभीर बात है । आप उसको विलोपत करें और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित कर दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके पास में प्रमाण हैं तो आप पटल पर रखिए, मैं जवाब दूंगा । मैंने क्यों लगाया है, विधान सभा में मुझे प्रश्न लगाने का अधिकार है । मैं छत्तीसगढ़ के गरीबों की चिन्ता करके सबसे बड़े हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में पूछा है और मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा कि मार्च से लेकर अभी तक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही है, एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही है । मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, जब मैंने यह ध्यानाकर्षण लगाया तो मेरे ध्यानाकर्षण लगने के बाद 21 जुलाई को 10 करोड़ रूपए रीलिज़ किया गया । माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य के मामले में तो आप दोनों का विवाद हो सकता है, पर लोगों के जीवन को बचाने पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त पैसा और उत्तर आना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने तो कहा था कि जल्दी-जल्दी खतम करेंगे । आप प्रश्न का लीजिए । चन्द्राकर जी, आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय :- एक साथ आ जायेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब तो आ जाये।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही साथ आ जायेगा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ दू दूंगा । मैं आपकी बात को हर दृष्टिकोण से समझ रहा हूं । आपके विचारों की व्यापकता को पूरा ध्यान में रखकर मैं आपको पूरा जवाब दूंगा । आपने जो सवाल नहीं पूछा, उसका भी जवाब दे दूंगा, आपने पैट स्केन का पूछा, उसका भी जवाब दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, क्या आप घर में चाय-वाय नहीं पिलाते?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- घर में पिलाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उनको चाय पिलाईये, उनको जरा बैठाकर समझाईये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सर, चाय से काम नहीं है न।

अध्यक्ष महोदय :- नाश्ता करवा दीजिये।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- चाय के आगे की बात है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, वहां तो खाना भी खिलाये है। अभी परसो पूरा खाना खिलाये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- चाय की आगे की बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, क्या है कि मैं प्रश्न पूछने के पहले एक मिनट बात करता हूं कि स्वास्थ्य जैसा प्राथमिक क्षेत्र का विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी निजीकरण चाहते हैं और ये मंत्री जी निजीकरण नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की बैठक में मुख्यमंत्री जी रहते हैं, मंत्री जी नहीं रहते।

अध्यक्ष महोदय :- आप बहक रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो यह जो अंतर्विरोध है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप कहां बहक गये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बहका नहीं हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप ध्यानाकर्षण का प्रश्न कीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बृजमोहन जी ने जो कहा कि सारी गड़बड़ी उस अंतर्विरोध के कारण स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है। माननीय राजा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इम्प्लान्ट, डिस्पोजल तथा कंज्यूमेंबल्स सामग्री है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या ? मुझे भी तो सुनाई देना चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उत्तर में लिखा हुआ है इम्प्लान्ट, डिस्पोजल तथा कंज्यूमेंबल्स सामग्री की पूर्ति, आपको क्रय करने के लिए कितनी राशि कौन से सन् में मिली ? क्योंकि अभी आप सन् 17 की बात कर रहे थे। कौन से सन् में मिली, कब निविदा दी और कब कितनी संख्या में आपूर्ति मेकाहारा को हुई ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्रश्न व्यापक है। सन् 2019 में 17,606 क्लेम आया, जिसमें कुल राशि जो सेटल हुई 22 करोड़ 78 लाख है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं इस साल का पूछा हूं। इस वित्तीय वर्ष का पूछा हूं। राजा साहब, आप अन्यथा मत लीजियेगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप भूल गये, आपने कहा कि जब से चालू है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं। आप अन्यथा मत लीजियेगा। अभी बंद है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, जो आप पूछना चाह रहे हैं कि इस वर्ष क्या हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, इस वर्ष का पूछा हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मुझे बोलने का मौका तो दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इस वर्ष का जवाब दे दीजिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मुझे बोलने का मौका तो दीजिये। वर्ष 2021 में 7,816 प्रकरण थे, इसमें 134 करोड़ का क्लेम आया है। आपने मेकाहारा की बात की तो मैं मेकाहारा का कह रहा हूं। इसमें 6 करोड़ 16 लाख 53 हजार 625 रूपये का सेटल हो चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं यह पूछा ही नहीं हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपने मेकाहारा का पूछा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं क्या पूछा हूं, वह फिर से दोहरा देता हूं। इम्प्लान्ट, डिस्पोजल तथा कंज्यूमेंबल्स सामग्री की पूर्ति हेतु, यानि टेण्डर के लिए, खरीदने के लिए इस वित्तीय वर्ष में आपको कितने पैसे मिले और मेकाहारा को कितनी सामग्री सप्लाई हो गई ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- पूरा पूरा।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितने पैसे मिले और कितनी सप्लाई हो गई ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप पूछेंगे तो मैं आपको अलग से भी जानकारी दे दूंगा । मैं देखता हूं कि यहां पर जानकारी है या नहीं, आप स्वयं उस विभाग के मंत्री रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जवाब मिल जायेगा। जवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मैं आपके समय की बाद ही ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब राजा साहब के ऊपर ही है, हम किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहते है साहब, उत्तर न दें तो भी चलेगा। परन्तु इस चिंता में आपको भी शामिल होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं शामिल हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इन गरीबों के साथ यह सरकार बड़ी-बड़ी बात करती है। गोबर बीनने को गरीबी नहीं बोलते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसको गोबर के साथ क्यों जोड़ रहे हो ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप हर चीज से जोड़िये। सरकार का एक काम नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी धान का चल रहा था।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मुझे बोलने तो दीजिये। आप बोलना नहीं देना चाहेंगे तो फिर क्या मतलब है ? या तो आप लोग बोले और बैठे रहता हूं। अगर आप जवाब चाहते हैं तो मुझे बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- बोलिये, बोलिये।

अध्यक्ष महोदय :- अब पूरा जवाब हो गया। अब शांत रहिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक भी जवाब नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये फिर रहने दीजिये। शून्यकाल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी..।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- वह शाम-वाम को जवाब देंगे न। आपको चाय पिलाकर जवाब देंगे, नाश्ते के साथ देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने कहा कि मैं पूरा जवाब दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपको पूरा जवाब देंगे। चाय के साथ देंगे, नाश्ते के साथ देंगे, भोजन के साथ देंगे, लंच के साथ देंगे, डिनर के साथ देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है, प्रक्रियाओं को ठीक करने के चलते अगर कहीं विलंब हो रहा है, हम उसको लेकर चल रहे हैं, इतने दबाव है, पैडस स्केन मशीन का सवाल उठाया, वह पैडस स्केन मशीन के चालू होने की प्रक्रिया में बाधा इसलिए पड़ी है कि जब उसकी खरीदी की गई, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कब खरीदी की गई, उसमें बिना वित्त विभाग की अनुमति के भुगतान हुआ था। यह पूरा प्रकरण जांच के दायरे में है। हमने वित्त विभाग से दोनों अनुमति मांगी है। हमने जांच भी संस्थित कर दी है। क्या हमको पोस्ट फैक्टो एप्रूवल मिलेगा ? क्योंकि वित्त विभाग से बिना अनुमति लिए उस मशीन की खरीदी कर दी गई थी और भुगतान भी कर दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय :- कितनी राशि का है ? बिना अनुमति के कितनी राशि का खरीदा गया है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल अनुमति या अनुमति नहीं लेने का या मेरा सवाल उस पर गड़बड़ी का नहीं है। मेरा सवाल है कि पैड्स स्केन को चालू होना चाहिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :-माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका सवाल यह था, बंद पड़ी है, बंद क्यों पड़ी है । इसलिए बंद पड़ी है कि उसकी जो खरीदी की गई थी, वह सारी प्रक्रियाओं की धज्जी उड़ाकर खरीदी की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय :- कितनी राशि की खरीदी हुई । मैं पूछ रहा हूँ ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपका आदेश है, आप उस समय मंत्री थे, आपके समय की बात है । वहां से फाईल चली है । वहां से फाईल का काम चला है । करीब 18-19 करोड़ का । बिना वित्त विभाग के अनुमति के ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे द्वारा गरीबों को ओपन हार्ट सर्जरी, एन्ज्योप्लास्टी इसके बारे में मेरा प्रश्न है । आपने जवाब दिया है ना ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, सुचारू रूप से कार्य करने में जितनी दिक्कते जा रही है, उसका कारण केवल एक है ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, ध्यानाकर्षण में लगभग काफी प्रश्न और काफी उत्तर आ चुके हैं, ध्यानाकर्षण में उतने नहीं आते हैं । आप लोगों के सुविधा के लिए

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

4 ध्यानाकर्षण लिये गये थे । अब एक ही ध्यानाकर्षण को इतना बड़ा कर देंगे तो कैसे काम चलेगा । संतुष्ट हो जाईये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकलसेल प्रकरण का मेरे पास लिस्ट है । माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ । मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । छत्तीसगढ़ के रायपुर में एकमात्र शासकीय हॉस्पीटल है, जहां पर ओपन हार्ट सर्जरी होती है । यहां पर एन्ज्योप्‍्लास्टी होती है । अगर वहां पर अव्यवस्था हो रही है...।

अध्यक्ष महोदय :- वह सब आपके ध्यान में आ गया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, पूरे व्यवस्था को सुधार करने के चलते ही यह हुआ है । बिना वित्त विभाग की अनुमति के हम कोई काम नहीं कर रहे हैं ।
अध्यक्ष महोदय, पैसे की कोई कमी नहीं है । एक नया पैसे की कमी बजट के तरफ से हो, शासन की तरफ से हो, एक नये पैसे की कमी नहीं है । जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिये, जैसे पहले खरीदी हो गयी, बिना वित्त विभाग की अनुमति के, हम उसको नहीं करना चाह रहे हैं । उस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को लाईन में लाने में बड़ी दिक्कत और बड़ी मेहनत लग रही है । उसमें हम लोग जुटे हैं ताकि आने वाले समय में यह दिक्कत न जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- इनको बड़ी चिन्ता है कि ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, सक्षम हैं । आज ढ़ाई साल हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- आप तो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ढ़ाई साल के बाद भी यह स्थिति नहीं बनी है..।

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, बृजमोहन जी, आप बोल रहे हैं, मंत्री जी बहुत सक्षम है, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह दोनोंका मामला है ना । पैसा नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हो जाइये ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यह एकदम गलत है, अध्यक्ष महोदय । शासन की तरफ से सही मांग भेजने के बाद एक नये पैसे की कमी नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, एन्ज्योप्लास्टी के लिए एल-1 का टेण्डर हो गया, उसके बाद भी एल-1 से सप्लाई क्यों नहींदी जा रही है । इसका क्या कारण है, मेरी जानकारी में है कि इसमें कुछ लोगों का स्वार्थ है, उनके स्वार्थ के कारण जो डॉक्टर हैं, वह चाहते हैं किबाहर प्रायवेट हॉस्पीटल में सर्जरी हो, प्रायवेट हॉस्पीटल मेंसर्जरी के लिए जाएं इसलिए यहां पर ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती है, इसके कारण मटेरियल सप्लाई नहीं होती है । मैं बहुत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ । मैं व्यवस्था को सुधारना चाहता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये । हो गया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि चाय नहीं, उसके आगे भी साथ बैठकर ...व्यवधान जिस बंगले में आप हो ...।

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 (क) के अधीन विषय ।

समय :
2.04 बजे **<u>नियम 267 (क) के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखितसदस्य की शून्यकाल की सूचनासदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा-

1. श्री लालजीत सिंह राठिया
2. श्री नारायण चंदेल
3. श्री धरमलाल कौशिक
4. श्री रजनीश कुमार सिंह
5. श्री दलेश्वर साहू

समय :
2.05 बजे **<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>**

<u>(1) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एंव पारण</u>

सभापति महोदय श्री धनेन्द्र साहू :-अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :-

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक-30 जुलाई 2021 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय विधेयक एवं अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय विधेकय क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्र.-05 सन् 2021)	श्री बृजमोहन अग्रवाल	05 मिनट

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक-02)	श्री शिवरतन शर्मा	01 घण्टा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(क्रमांक-03)	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	25 मिनट
(क्रमांक-04)	श्री अजय चन्द्राकर	01 घण्टा

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-

सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत हैं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>(2) याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन</u>

सभापति (श्री अरूण वोरा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

<u>पृच्छा</u>

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सुबह रायपुर शहर में 6 बजकर 40 मिनट पर एक कार से 18-19 साल की लड़की को सड़क पर फेंककर चले गये। यह रायपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा सूचना दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह लड़की को महामाया स्टील के पास फेंककर गये हैं और उसको 108 के माध्यम से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रायपुर शहर में कानून व्यवस्था की यह स्थिति है। बच्चियों, लड़कियों के साथ में पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है, मैं चाहूंगा कि शासन इसको संज्ञान में ले। क्योंकि यह घटना आज हुई है और सदन चल रहा है, इसलिए मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि सरकार इस मामले में संज्ञान ले।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी श्री पी.एल.पुनिया, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री श्री रवि घोष और विधायक श्री बृहस्पत सिंह जी के विरूद्ध में हमने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया

प्रकाशन के लिये नहीं

है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से माननीय बृहस्पत सिंह जी, माननीय टी.एस.सिंहदेव जी के विवाद की चर्चा सदन में लगातार हो रही थी।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, शून्यकाल का समय निकल चुका है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय सदन में चर्चा में आ गया उस विषय को ले करके कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर कांग्रेस के महामंत्री रवि घोष जी ने बृहस्पत सिंह जी को नोटिस जारी किया है। यह सीधा-सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। एक विधायक को उसके संसदीय कार्यों से बाधित करने का प्रयास करना, यह सीधा-सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह बेहद आपत्तिजनक है। आपको शून्यकाल में फुरसत नहीं थी। ..(व्यवधान).. कभी भी दे सकते हैं, उसको कौन मना किया है। आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, शून्यकाल का समय निकल गया है। विधेयक का पारण होना है, क्या आप लोग किसी भी समय कभी भी खड़े हो जायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको डराया, धमकाया गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप नियम, कानून से तो विषय उठाओगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- परंपरा, नियम, कानून, प्रकिया कुछ होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे थोड़ी होगा।

अध्यक्ष महोदय :- नियम, कानून से तो कोई विषय उठाओगे। आप कल अपने विषय को उठा लेना, उसमें क्या बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नियम, कानून के तहत ही आपको सूचना दी है और उस सूचना से आपको अवगत करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सूचना टाईप दो न। आप तो ऐसा करते हो जैसे लाठी लेकर मारने आ रहे हो। सूचना के टाईम में सूचना दो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो निवेदन कर रहे हैं। हम तो आग्रह कर रहे हैं, अभी विषय थोड़ी ला रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपकी बात सुन लिया है। अब बात खत्म हो गई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

2:07 बजे **<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>**

<u>(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021, (क्रमांक 6 सन् 2021)</u>

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021, (क्रमांक 6 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021, (क्रमांक 6 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या मैं पास करने के लिए प्रस्ताव कर दूं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- दोनों तरफ से सहमति है।

अध्यक्ष महोदय :- सहमति है, इसमें क्या चर्चा करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हम बोलेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब नहीं खड़े होना रहता है तब तो खड़े हो जाते हैं जब खड़े होने की बात हो रही है तो नहीं बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको बोला हूं कि मैं बोलूंगा। संसदीय कार्य मंत्री होते हुए भी जिसके लिए विधानसभा बनी है, उस काम को आप गंभीरता से नहीं करवा रहे हो, यह गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय :- चर्चा करवा रहे हैं, आप चर्चा करने के लिए तैयार तो हाईये। आप लोग टाईम से करिये न। अनावश्यक लंबा टाईम क्यों खींचते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय में बोलते हैं। लंबा तब होता है जब उत्तर नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे बोलना है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मशीन खरीदे हैं क्या उसके बारे में बात करनी है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- तैं 40 लाख भर में चुनाव लड़ लिये हस।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा प्रश्न पूछते हो, खरीदी खुद करते हो और प्रश्न महाराज से पूछते हो।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी बोलिये ना आप।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं खरीदा हूं उसका पूरा भुगतान कांग्रेस शासन में हुआ है। ध्यान रख लेना अजय चन्द्राकर हाऊस में बोल रहा है। हाऊस में बोल रहा हूं उसका भुगतान कांग्रेस शासन में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बहुत नियम कानून का पालन करते हैं। कम समय में पूरा बात करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं विधेयक पर एक समय था जब छत्तीसगढ़ बना। 50 साल, 60 साल किसी एक पार्टी विशेष ने शासन किया तो उच्च शिक्षा का प्रतिशत जब निकाला गया तो 1.5 से पौने दो प्रतिशत 2 प्रतिशत तक था। ये आजादी के बाद की हमारी स्थिति थी। बस्तर अंचल में तो एक से नीचे था, सरगुजा अंचल में भी एक से नीचे था उसके लिये सोचा गया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ायी जाए। अब निजी क्षेत्र में माननीय सत्यनाराण जी बैठे हैं। 125 विश्वविद्यालय खुल गये जोगी जी के शासन में। कुलपति लिखे सायकिल में घूमते थे तो पंक्चर दुकान में कुलपति लूना बनवा रहे थे। कोई उसका क्राईटेरिया नहीं था भवन कितना होगा उसकी कौशन मनी कितनी जमा करनी पड़ेगी क्या होगा 125 विश्वविद्यालय। उस निजी विश्वविद्यालय में लगभग 10-12 लाख बच्चे एडमिशन ले लिये पूरे देश भर से। यूनिवर्सिटी गयी बहुत लोग गये सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे को क्लेश कर दिया, खत्म कर दिया। अब उन बच्चों का भविष्य क्या हो ? छत्तीसगढ़ में दूर्भाग्य से कहे, सौभाग्य से कहे , मैं उस समय उच्च शिक्षा मंत्री था। उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर एक नया हमने कानून बनाया कि 25 एकड़ जमीन होगी, 2 करोड़ रूपया आपको जमा करना पड़ेगा, 25 हजार वर्गफीट में आपकी बिल्डिंग होगी, यों होगी, त्यों होगी। और उस भाषण में मैंने ये कहा था, शासन की ओर से कहा था कि मैं नाम का कोई अस्तित्व होता नहीं है जब मंत्री पद में बैठते हैं तो हम उस तरह के यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने की, मदद करने की कोशिश करेंगे जो छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत और रोजगारमूलक का कोर्स लायें। जिसको हम परंपराभूत रूप से नहीं दे सकते। मान लो एनिमेशन आज का नया विषय है। एनिमेशन की फेकल्टि 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रूपये में मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार का वेतन, अधिनियम जो है। वेतनमान में जो भी नियम है उतना पैसा नहीं दे सकते तो निजी क्षेत्र क्या इस तरह के विषय लायेंगे तब उसको विचार करेंगे । जितनी ये यूनिवर्सिटी संलग्न होगी मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों से आगे, 50 प्रतिशत से आगे बढ़ा है। उच्च शिक्षा जी.एम.आर जो बोलते हैं उसमें कोई असहमति नहीं है इस विधेयक में। लेकिन मुख्य रूप से आज जितनी लिस्टेड है उसमें एक, दो यूनिवर्सिटी को छोड़ दे तो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सारे कोर्स परंपरागत कोर्स है और व्यक्तिगत रूचि के कोर्स है, पत्राचार के कोर्स है। छत्तीसगढ़ में हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ में हमारा ओपन विश्वविद्यालय है उनको पत्राचार की अनुमति देना, समझ में नहीं आता लिस्टेड बस करना है। तो जो देखने वाले हो देखते है कि नहीं देखते हैं अब। इसमें टीप धारा 11 कि उपधारा निर्धारित जमा राशि 5 करोड़ के स्थान पर इस प्रकरण में 50 लाख रूपये होंगे। इसके पीछे कारण क्या है। ट्रांसपेरेंसी की जब कमी होती है तभी व्यक्तिगत इंट्रेस्ट का आरोप लगता है। ये व्यक्तिगत इंट्रेस्ट आपको है, ये व्यक्तिगत इंट्रेस्ट उसको है। उमेश बाबू को नहीं है। सवाल इस बात का है कि इसमें लिस्टेड आप कर दीजिए। छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा का प्रतिशत बढ़े। लेकिन आप पूरी यूनिवर्सिटी के मुख्यालय देखिये कि कहां कहां पर है। मैं तो चाहता हूं कि एक यूनिवर्सिटी जांजगीर में खुले। मै तो चाहता हूं एक प्राईवेट यूनिवर्सिटी जशपुर में खुले, मैं तो चाहता हूं एक और प्राईवेट यूनिवर्सिटी लिस्टेड करिये दंतेवाड़ा में खुले, एक चाहता हूं कोरिया में खुले। जहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर। बिलासपुर में भी कम है , तो रायपुर में आप कितनी यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं । छत्तीसगढ़ में जो उच्च शिक्षा के रिजनल अनबैलेंसेस है जिसके कारण ये विधेयक लाया गया वो ये कालेज उसको प्रतिपूर्ति करता है क्या ? दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जुड़ जाए। जुड़ेगा तो बहुमत है, कौन सा बहुमत कह दूं रक्षासी बहुमत कह दूं, नहीं कहता। तो काट दीजिए, विलोपित कर दीजिए। पूछा भर हूं बोला नहीं हूं

समय :
2:15 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

भविष्य में आज यदि यह विधेयक लायें या नहीं लायें तो उन क्षेत्रों के लिए सूची बद्ध कीजिए जहां उच्च शिक्षा के प्रतिशत कम है। आज सारंगढ़ में विश्वविद्यालय खोलिए, आप जशपुर में विश्वविद्यालय खोलिए, पूरा रायपुर, दुर्ग, बृजमोहन जी दु:खी होंगे कि रायपुर-रायपुर बहुत गिन रहे हो, पर इनके लिए इतने विश्वविद्यालय बना दिये कि वह पर्याप्त है। अब क्या विशेष परिस्थिति आ गई, आप इसका उत्तर जरूर दे दीजिएगा। 5 करोड़ रूपये की जगह में 50 लाख कर दिये और यह किसके कहने से किये ? और यह क्यों किये ?यदि मुझे भी देंगे क्या ? कोई दूसरा ऐसी रिलेक्शेसन मांगेगा 50 लाख की जगह में 25 लाख बोलेंगे तो आप देंगे क्या ? आप यह श्योर कीजिए। मुझे केवल इतना कहना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिंहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तावित किया गया है और मैं इसके पक्ष में अपनी बात कहना चाहता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मान‍नीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है जिसके कारण पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण शासकीय संस्थाओं में एडमिशन नहीं मिलता है। जिसके कारण विद्यार्थी दर-दर भटकते हैं और अंतिम छोर में भी संस्थान न होने के कारण एडमिशन से वंचित हो जाते हैं और यदि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में भी यदि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो उससे सारे बच्चे लाभांवित होंगे। दूसरी बात कि निजी विश्वविद्यालय होने से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है कि यहां कौन सा कॉलेज अच्छा है। प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। यहां का कौन सा विश्वविद्यालय रोजगार मुहैया कराता है तो इससे प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है और निश्चित तौर से प्रतिस्पर्धा होने से विद्यार्थियों का भी आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी जो चाहत, छलांग है बहुत आगे बढ़ती है। रोजगार के भी अवसर मिलते हैं। इसलिए रोजगार के अवसर मिलते हैं कि निजी विश्वविद्यालय जो स्थापित होते हैं कहीं न कहीं उनका संबंध इंडस्ट्री से होता है। इंडस्ट्री से संबंध होने कारण प्लेसमेंट जल्दी होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और निजी विश्वविद्यालय यह कोशिश करता है कि वह कहीं न कहीं हर बच्चों को जॉब दिलाने के लिए ग्लोबल स्तर तक प्रयास करता है, सक्रीय ढंग से प्रयास करता है जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौथी बात यह है कि वहां फैकल्टी की समस्या नहीं रहती है। अगर उनको ऑल इंडिया के नियमों का पालन करना है तो कहीं उनका निजी संस्थान बंद न हो जाए, वह हमेशा हर नियमों को फॉलो करते हैं क्योंकि ऑल इंडिया का नियम यह है कि एक कमरा इतने बाई इतने का होना है जब निरीक्षण के लिए अधिकारी आते हैं तो उस कमरे को टेप लेकर नांपते हैं और जो सारे नियम हैं उनको फुल-फील करेंगे तभी मान्यता देंगे, नहीं तो उसको मान्यता नहीं मिलती है तो ऐसे ही निजी विश्वविद्यालय के जो नियम, प्रक्रियाएं हैं यदि उसको फुल-फील करते हैं तभी मान्यता मिलती है अन्यथा मान्यता नहीं मिलती है तो सारे नियम, प्रक्रियाओं के हिसाब से फुलफिल करते हैं और फैकेल्टी भी उनको स्थानीय लेवल का नहीं बल्कि आल इंडिया लेवल या उनको बाहर से भी आवश्यकता होती है तो उसके लिए निजी विश्वविद्यालय काम करते हैं। हार्डवर्क, कॉम्पीटिशन के लिए हार्डवर्क भी करना पड़ता है। उनका स्वशासन का अधिकार है कि यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है, उनका स्वयं का नियंत्रण रहता है, उनकी नियंत्रण व्यवस्था इतनी अच्छी रहती है कि परीक्षा जब होती है तो रिजल्ट भी जल्दी आता है और इसमें कोई लेट लतीफ नहीं होता है। एग्जाम भी सही समय पर होते हैं और सारी परीक्षाओं के नियमों का भी पालन किया जाता है और बच्चे भी निंरतर उत्साहित रहते हैं। नये-नये कोर्स आते हैं, ग्लोबल सतर पर नये-नये संभावनाएं दिखती है, वे कोर्स भी लाकर देते हैं और उसके अनुसार पढ़ाई करके वे बच्चे भी आत्मनिर्भर होने का निरंतर प्रयास करते हैं। मैं कहूंगी कि निजी विश्वविद्यालय जितना ज्यादा होगा, हमारे जो इंटीरियर हैं, वनांचल हैं, वहां स्थापित होगा तो निश्चित तौर से उनको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होंगी। जाब के अच्छे अवसर मिलेंगे, कान्फीडेंस का विकास होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में और छत्तीसगढ़ के भविष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि निजी विश्वविद्यालय की भागीदारी और व्यापक रूप से होनी चाहिए। भारतीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में की जा रही है, इसका तो वैसे भी काफी बड़ा स्वरूप है और इनका साउथ में काफी बड़े क्षेत्र में लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि निजी विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ को एक कदम और आगे जाना चाहिए। मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, मैं फिर व्यक्तिगत निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे विधायक लोग हैं, वे राज्य शासन से इस बात की मांग करते रहते हैं कि अधिक से अधिक कॉलेज क्षेत्र में खुलना चाहिए। जो उच्च शिक्षा है उसको लेकर गांवों में तहसील स्तर पर बहुत सारी मांगे होती है। मुझे लगता है कि आज की जो वित्तीय व्यवस्था है, उसमें कॉलेज खोल पाना राज्य शासन के लिए संभव नहीं है। यह निजी विश्वविद्यालयों से चर्चा करके, ये जितने विश्वविद्यालय जो अभी 14 पूर्ण पहले से स्थापित विश्वविद्यालय हैं, इनके सारे जो भी वाईस चांसलर हैं उनकी बैठक संयोजन करके, माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बैठक यह होना चाहिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में जैसे 90 विधानसभा है, उसको आप 14 या 15 कलस्टर में बांट दो और 15 कलस्टर में बांटने के बाद ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनसे कहा जाए कि आप एक कॉलेज अभी यह विश्वविद्यालय है, एक महाविद्यालय, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 5-5 महाविद्यालय अलग-अलग संभाग में खोलें और उसको एक रूटिन का कॉलेज, जैसी व्यवस्था है, उसके लिए संचालित करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह हो सकता है कि राज्य शासन उनको दो एकड़, पांच एकड़ जमीन मुफ्त में दे दें और उसके बाद पूरा infrastructure development और उनकी यूनिवर्सिटी में जितनी क्लासेस चल रही हैं, वे सारी यूनिवर्सिटी की क्लासेस को कॉलेज के रूप में संचालित करें। राज्य सरकार को जो महाविद्यालय खोलने की मांग उठती है, वह वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगी और निजी क्षेत्र में इसमें भागीदारी के साथ-साथ बच्चों की जो कॉलेज की शिक्षा है, जो ग्रेजवेशन लेवल की क्लासेस हैं, जो पोस्ट ग्रेजवेशन है, जिसके लिए वे दूर अंचल की पढ़ाई करते हैं, रायपुर, दुर्ग तक आना पड़ता है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक भी तहसील नहीं बचेगी जहां प्राईवेट महाविद्यालय या महाविद्यालय संचालित नहीं हो पाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। मध्यप्रदेश की सरकार ने वर्तमान में एक निर्णय लिया है और बहुत अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने पांचों विश्वविद्यालय जैसे जबलपुर, इंदौर है वहां पर उन लोगों ने विदेश के कुछ बड़े नाम हैं, जैसे कि अमेरिका की हावर्ड विश्वविद्यालय है या जैसे ब्रिटेन का केम्ब्रीज है या वार्टन यूनिवर्सिटी है, इनके एक-एक कैंपस, जैसे पहले यह कैंपस दुबई में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संचालित होते थे, सिंगापुर में संचालित होते हैं, वैसे ही मध्यप्रदेश में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को उन्होंने चयन करके वहां पर एक-एक कैंपस खोलने का निर्णय लिया है। जिसके तहत् इंदौर में जो डेली कॉलेज है, माननीय दिग्विजय सिंह जी उस संस्था के संरक्षक हैं। डेली कॉलेज ने जैसे अभी केम्ब्रीज विश्वविद्यालय का कैल्कुलेशन लेकर उनका एक कैंपस प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि विश्व स्तर की शिक्षा चाहे रायपुर, जगदलपुर चाहे अंबिकापुर में आए तो उसका एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार अपने तक सीमित है। आज अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। उसके बाद महाराष्ट्र है, पंजाब है, लेकिन तीनों ही जगह हॉयर एजुकेशन का जो मॉडल है उसमें प्राईवेट यूनिवर्सिटीज को सामने लाकर किया गया है तो मैं यह समझता हूं कि माननीय उमेश पटेल जी, कभी-कभी हम लोग उनको बोलते देखते हैं तो हम लोगों को माननीय नंदकुमार पटेल जी की याद आती है । एक क्रांतिकारी सोच उनकी थी और उमेश भाई भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के समर्थन के साथ में यह सारे व्यापक जितने भी नवाचार हैं, जितने भी नये प्रयोग हैं जो कि विश्व स्तर पर हो रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे और निजी शिक्षा इसमें आगे बढ़ेगी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शैलेश पाण्डे ।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, आज आप लंबा बोलें । आपकी बात सुनेंगे, आप इस विषय के ज्ञानी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप उनको भड़काईए मत । शैलेश जी, कम बोलना है, अच्छा बोलना है ।

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में एक और विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है यह हम सभी के लिये बड़े ही सौभाग्य की बात है और इस सदन के लिये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब से हमारी सरकार आयी है तब से लगातार हम यह प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है, हमारे बहुत ही हाइली एण्ड टेक्निकल एजुकेटेड हॉयर एजुकेशन मिनिस्टर की जो दूरदर्शिता है जिससे बिल्कुल साफ है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा को लेकर जो भी नयी तैयारियां हैं, नयी अपेक्षाएं हैं । जैसा कि हमारे वरिष्ठ विधायक जी ने अभी कुछ देर पहले हॉयर एजुकेशन के बारे में दूसरे राज्यों के बारे में जानकारी दी । हमारे माननीय मंत्री जी भी इसी बात पर लगातार विचार करते रहते हैं और मंथन करते रहते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जो हॉयर एजुकेशन पॉलिसी है, किस प्रकार से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको छत्तीसगढ़ में हम और कैसे बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, यह हम सभी को सोचना है। यह केवल माननीय मंत्री जी की ही चिंता नहीं होनी चाहिए, एक-एक विधायक की चिंता होनी चाहिए क्योंकि हर विधायक पूरे छत्तीसगढ़ के कोने-कोने से आता है और हर क्षेत्र में स्कूल है, कॉलेज है, युवा रहते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब एक प्राईवेट यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था । मैं दिल्ली में एक कान्फ्रेंस में गया था । आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय यह निर्णय लिया गया था, जो आवश्यकता बताई गई यानी हॉयर एजुकेशन का जो सर्वे था कि हमारे देश में लगभग 15 सौ विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है तब जाकर हम हमारे देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, वह दूसरे देशों की तुलना में ठीक-ठीक आ पाएगा उसके लिये विश्वविद्यालय खोलने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी । हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक पिछड़ा राज्य था, उसको हम और अच्छा बनाने के लिये प्रयास कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में लगभग-लगभग 32 लाख युवा हैं जो 18 से 23 वर्ष के हैं और इन 32 लाख युवाओं में जो हॉयर एजुकेशन का एनरोलमेंट है वह एनरोलमेंट है जिसे जी.ई.आर. बोलते हैं वह लगभग-लगभग 20-22 प्रतिशत के आसपास होगा । मैं यह इसलिये बता रहा हूं कि लगभग 6 लाख के आसपास हॉयर एजुकेशन में बच्चे पढ़ते हैं । अभी 6 लाख तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन पहुंच जायेंगे यानी कि हम छत्तीसगढ़ में 20 से 22 प्रतिशत केवल युवाओं को पढ़ा पाने के लिये हमारे पास अधोसंरचना है यह चिंता केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय मंत्री जी की ही नहीं है, यह चिंता हमारे पूरे सदन की है कि हम किस प्रकार से अपने प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं । आज हमारे प्रदेश में इसकी आवश्यकता है कि किस प्रकार से प्राईवेट यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाये ? जो यू.जी.सी. की गाईडलाईन है। माननीय मंत्री जी, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूं कि जो देश का डाटा है उसमें 380 प्राईवेट यूनिवर्सिटीज पूरे देश में है, पूरे देश में 425 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं । 54 सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और 125 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। जो कि maximum प्राइवेट ही होंगी। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था। मैं बहुत अच्छे-अच्छे काम करने की कोशिश करता था। मेरे सामने भी बाधाएं आती थीं। बहुत सारे regulations आते थे। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती थीं। वहीं पुरानी परंपरागत समीक्षा करते थे। मैं बहुत सारी अड़चनें महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था कि आज बहुत साल पहले..।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- लेना, अब पास करते हैं। छोड़ो।

श्री शैलेश पाण्डे :- आज कह लेने दीजिए। मेरी इच्छा होती थी कि हमारे प्रदेश में ऐसी शिक्षा दी जाये, जिसकी दूसरे देशों में और दूसरे राज्यों में चर्चा चल रही है। आज कोरोना के इस महाकाल में आज जरूरत पड़ी तो देखिए ऑनलाइन एज्यूकेशन की जरूरत पड़ी। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोनाकाल में बच्चों को पढ़ाया, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में सब जगह पढ़ाया गया, लेकिन आज ऑनलाइन एज्यूकेशन की जरूरत थी और अगर यह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता तो हम इन दो सालों में अपने प्रदेश में बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी बहुत जरूरत थी। आज प्रदेश में जरूरत है। यह चुनौती है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- भैय्या, ये दो साल कैसे पढ़े हैं और कैसा पढ़ाये हैं, सब जानते हैं। आप क्यों उसकी तारीफ कर रहे हो? सबको तो सौ-सौ नंबर मिला है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- कुछ फैल भी हुए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई नहीं हुआ है। अब कोई अत्यंत..।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, जो घर में जाकर उत्तर पुस्तिका में लिखा है, उसमें से कुछ फैल भी हुए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, जो पृष्ठ पलटिए लिखे हैं, वे फेल भी हुए हैं। नकल भी मारे हैं तो कृपया पृष्ठ पलटिए लिख दिये हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- ये माननीय वरिष्ठ विधायक हैं। हमारी यही तो चुनौती है कि हम सही तरीके से एज्यूकेशन कैसे दे पायें। जब तक कि गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना न बढ़ जाये तो क्या वह संभव है? तो वह इतना संभव नहीं है। गवर्नमेंट की और भी liabilities होती हैं, जिन्हें कि हमें पूरा करना पड़ता है, लेकिन हम जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स को प्रमोट करते हैं, उसी प्रकार से प्राइवेट यूनिवर्सिटिस को हमारी सरकार प्रमोट कर रही है। इसमें और भी जैसा कि आदरणीय डॉ. लक्ष्मी जी ने बोला। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली कि नये-नये कॉलेज तब खुलेंगे, जब नये शिक्षक लोग आयेंगे। नये शिक्षकों की भर्ती होगी और नये शिक्षक तब आयेंगे जब हम नये पाठ्यक्रम खोलेंगे। नयी चीजों की शिक्षा देंगे, तब हमारा क्षेत्र में सब चीजों की आवश्यकता पूरी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज बहुत अच्छा कार्य किया। एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दुर्ग में खोला है। मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय से आगे हायर एज्यूकेशन के बच्चों को बहुत सहयोग मिलेगा। और अच्छे पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे। मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक यू। माननीय मंत्री जी।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद कहूंगा, आदरणीय अजय चन्द्राकर जी का, आदरणीय देवव्रत सिंह जी का, आदरणीय डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी का और आदरणीय शैलेश पाण्डे जी का, जिन्होंने अपनी बातें इस विधेयक में रखीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास all india survey of higher education का रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में मैंने 3 चीजों की अंकित किया है। पहली चीज प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालय की संख्या और छत्तीसगढ़ में प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालय की संख्या में हम लोग जो पूरे देश की स्थिति है, उसके लगभग बराबर की स्थिति में हैं। दूसरा, लिंगानुपात कि लैंगिक अनुपात में हमारी स्थिति क्या है? तो पूरे देश की स्थिति से हम लोग बेहतर स्थिति में हैं। बच्चों की संख्या 1 प्रतिशत, पुरूषों की संख्या से अधिक है। तीसरा, जो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आदरणीय शैलेश पाण्डे जी ने और अजय चन्द्राकर जी ने इस बात को रखी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (जी.ई.आर.) उसमें हम लोग पूरे देश के हिसाब से काफी पीछे हैं और इसका कारण यही है कि हमारे यहां जो प्राइवेट स्टूटेंड हैं, जो प्राइवेट परीक्षा देकर डिग्रियां ले रहे हैं, उनकी संख्या भी लगभग रेग्यूलर स्टूडेंट्स के बराबर है और यह संख्या जी.ई.आर. में इन्क्ल्यूड नहीं है । इसलिए हम लोग देश का जो जी.सई.आर. का रेश्यो है, जो मापदंड है उससे बहुत नीचे आ जाते हैं इसके पीछे इस बात को हमने चर्चा में भी रखा, हमने विभाग में भी मंथन किया कि इसको किस तरह से किया जा सकता है । आदरणीय देवव्रत सिंह जी ने एक सुझाव रखा कि अगर प्रायवेट यूनिवर्सिटीज़ को मौका दिया जाए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा विभाग आपके सुझाव के ऊपर काम कर रहा है । इसमें कई तरह की चुनौतियां हैं । अगर हम इसको बहुत ज्यादा करते हैं तो उसके रेपोकेशन क्या आते हैं? कितनी परेशानी आएगी ? किस तरह से लोगों पर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ? इन सारी बातों पर चिंतन मनन किया जा रहा है ताकि इसे फुल प्रूफ तरीक से लाया जाए, ऐसा न हो कि बहुत जल्दी में ला दिये और उसका रेपोकेशन उल्टा न पड़ जाए। इसी तारतम्य में एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का, गठन करने का काम किया जा रहा है । आप सबका सुझाव मैंने नोट किया और इस विधेयक को हमें सर्वसम्मति से पास करना चाहिए । आदरणीय अजय चन्द्राकर जी मेरी तरफ देख रहे हैं, उनका कहना था कि यह टीप क्यों रखी गई है । आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, जब आप एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगली आपकी तरफ भी उठती है । देवसंस्कृति युनिवर्सिटी आपको याद होगी, उस समय आपने भी यही किया था । ये शासन में आप कई बार इस तरह के रिलेक्सेशन देते हैं और देना पड़ता है, आपने भी किया और हम भी कर रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा । जैसी जरूरत रहेगी उस हिसाब से निर्णय किया जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आगे भी चलता रहेगा ना । आगे भी चलेगा ना श्योर?

श्री उमेश पटेल :- आगे भी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय करेंगे । देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के समय आपने किया, हमने इसमें किया है । आगे भी परिस्थिति के अनुसार केबिनेट स्तर में, शासन स्तर पर निर्णय होगा । मैं पूरे सदन से यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाए, धन्यवाद् ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6, सन् 2021) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर्वसम्मति से पास कर दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्णनाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6, सन् 2021) पारित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6, सन् 2021) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

<u>(2) छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021</u>

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पर विचार किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में कंपनी एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ मेडिकल कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन पूर्व से ही किया गया है और पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के न केवल इंफ्राइंस्ट्रक्टचर के लिए, मेडिसीन सप्लाई के लिए अन्य सारे इक्यूपमेंट और सारे मामलों में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है हमने अभी कोरोना को प्रथम और द्वितीय वेव भी देखा इस कार्पोरेशन की जवाबदारी कुछ ज्यादा ही थी समय पर दवाई की सप्लाई होना, जान-माल की लोगों की रक्षा होना और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेह व्यक्त किया है कि तीसरी लहर भी हिंदुस्तान में आ सकती है हम लोगों को इन संस्थाओं को मजबूत करना होगा। जो छत्तीसगढ़ विधान मंडल समरू निरर्हता निवारण अधिनियम की19 की अनुसूचि में पूर्व से कानून बना हुआ है और लगभग 130 प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग, कमेटी, अकेडमी, मंडल, निगम, प्राधिकरण के लोगों को इस कानून से परिधि से बाहर रखा गया है। हम महसूस करते हैं इस मेडिकल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड में भी हमारे जनप्रतिनिधि अगर नामजद हो जाएंगे इसको कार्य और अच्छे से संचालित संभव है आने वाले समय में इसकी भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं तो ये जो लिस्ट 130 की थी उसमें इस कॉर्पोरेशन को 131 नंबर पर शामिल करने के लिए ये विधेयक लाया गया है और मैं समझता हूं सदन सर्वानुमति से इस विधेयक को पारित करे।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत बधाई देता हूं मैं माननीय रवीन्द्र चौबे जी को उनके नेतृत्व में तो नहीं पर आजकल वो कहते हैं कुछ दिनों से मेरे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी तो उनके नेतृत्व में 70 लोगों का बहुमत मिला है। अब उसको छत्तीसगढ़ की जनता भुगतेगी क्या कि लाभ लेगी ये महत्वपूर्ण विषय है इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से।

श्री रविन्द्र चौबे :- इसमें लाभ लेने जैसे कोई बात थोड़ी न है। अजय जी इसको आफिस प्रोफिट से परे किया गया है ताकि आपके साथी भी उसमें सक्रियता से कुछ अच्छा काम कर सकें।

श्री अजय चंद्रकार :- माननीय, यदि छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, छत्तीसगढ़ के संस्थाओं में कुछ प्रोफिजलिजम रखना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कह देता हूं। एक मंडल के बारे में जैसे माननीय चौबे जी आपको समर्पित पर्यटन मंडल मे मैं कुछ दिन काम किया माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। मैंने कहा, इसमें राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। जो एयर इंडिया के प्रबंध संचालक थे। लोहानी जी बाद में रेल के प्रबंध संचालक बने लोहानी जी आपको बता दूं उसकी ससुराल जगदलपुर है।

श्री रविन्द्र चौबे :- देखिये आप एक मिनट सुन लीजिये एयर इंडिया और रेल का बात कर दिये और एक एक्सपर्ट लोहानी जी का नाम का जिक्र कर दिया। अगर उनका कोई कामयाबी होता तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को ये दोनों को निलाम करने की नौबत नहीं आती।

श्री अजय चंद्राकर :- सुनिये तो, अभी निलाम की ओर मत बढ़िये प्रोफिजलिजम की बात करें उनकी ससुराल है जगदलपुर में उनसे दो बार मिला और कहा सरकार का कर छुटिये और आप पर्यटन मंडल को संभालिये। अभी पर्यटन मंडल में क्या हो रहा है? आप हमें राम वन गमन पथ का श्री डी दिखा रहे हो । यहां एक डोम बनवा दो, हम रोज देखेंगे कि राम वनगमन पथ बन रहा है और उसके समर्थन में माननीय मोहन मरकाम जी चीख-चीखकर थ्री डी राम वनगमन पथ करके कागज देख-देखकर पढ़ेंगे । आपको 70 विधायकों का बहुमत मिला है । उसके लिए सीजीएमएससी निश्चित रूप से जिम्मेदार है । सबसे अच्छी सीजीएमएससी कहां की मानी जाती है, सबसे प्रोफेशनल इसका अध्ययन करवाई तो वह तमिलनाडू की है । उसकी कार्य पद्धति बिल्कुल तय है, मैं भी इसमें रहा हूं । इतने दिन में डिमांड क्रिएट होगी, इतने दिन में आर्डर होंगे, इतने दिन में सप्लाई होगी, इतने दिन में डिपो में पहुंचेगा, इतने दिन में संबंधित सेन्टर में पहुंच जाएंगे । यह बताने का मतलब यह है कि इसमें प्रोफेसनलिजम होना चाहिए । अब इस प्रोफेसनलिजम में मैं किसी माननीय सदस्य जो जनता से चुनकर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आते हैं, उनको अयोग्य या योग्य नहीं कर सकता या न कहना चाहिए, जिनके पीछे लोकतंत्र में मेंडेट है, लेकिन आपने बहुमत पा लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र लंबी है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संस्था बनाई है, उसमें 131वां, 132वां जोड़ोगे । मुख्यमंत्री जी उन्नयन सलाहकार बोर्ड, जिसमें कोरोना के 200 करोड़ रूपये के बजट को रखा गया है, आपने पिछले सत्र में उत्तर दिया था । उसमें आपको दो विधायक को और लाभ के पद से मुक्त करना है, जितने लोग बाकी हैं, उसको जोड़ना है तो हर गैर प्रोफेशनल संस्थाओं में आप दो-दो, तीन-तीन पद बढ़ा दो । मैं उस संस्था की बैठक में नहीं जात था, मैं यह कहता था कि आप समय का पालन करें और समय में मौसमी ड्रग से लेकर एसेंसियल ड्रग से लेकर बाकी चीजों को सुनिश्चित करें । मैंने अवधि को घटवाई थी, वह 180 या 185 दिन था, वह घटकर 130 दिन या 124 दिन के आसपास आ गया था कि उसमें ऐसा काम करिए । चौबे जी, आपने उसमें मनोनीत कर दिया । बोर्ड का एजेंडा आया कि इतने लोगों में कोरम पूरा होगा । अब वे नहीं आये, बाद में आये ता हमसे पूछा क्यों नहीं गया, हमें बताया क्यों नहीं गया, जैसे हम लोगों की आदत होती है । सरकार को समायोजन करना है, आपकी राजनीतिक मजबूरी है । कृपा करके इसको वापस लीजिए । दूसरे किसी निगम में, बोर्ड में, ग्रामीण में, आपने 29, 30 मध्य क्षेत्र का दो उदाहरण दिया है, उसमें एक-एक पद बढ़ा लो, खेल प्राधिकरण में बढ़ा लो । मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड बनाया है, उसमें पांच विधायकों को मनोनीत करना है, आप उसको 7 सदस्य कर लीजिए, लेकिन इस संस्था में आपका यह प्रयोग असफल होगा, निश्चित तौर पर असफल होगा ही । आप आज की तारीख, समय, दिन नोट कर लीजिए । यदि उसकी जगह में किसी एक्सपर्ट को रखेंगे, कोई फार्मा वाले बहुत बड़े हैं, आप सीरम भारत इंस्टीट्यूट, बायो टेक के लोगों को एज़ ए डायरेक्टर शामिल करेंगे तो मैं उसका समर्थन कर लूंगा । अभी हमने विधेयक को सर्वसम्मति से किया है, पर राजनीतिक व्यक्ति जनता की समस्याओं के लिए एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन हर बात के लिए एक्सपर्ट नहीं हो सकता । हो सकता है कि आप समझते हों तो यह आपकी समझ है। मैं बहुत विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि इसको वापस ले लीजिए ।

समय :
2:48 बजे

(सभापति महोदय (देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री संतराम नेताम :- सर, वे दोनों डॉक्टर हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैंने कहा कि जिनके पीछे मेंडेट हैं, मैं उनको योग्य, अयोग्य नहीं बोल सकता चाहे वे किसी भी दल के हों ।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल निरर्हता निवारण अधिनियम 1967 के क्रमांक 16 सन 1967 को और संशोधित करने के लिए माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा विधेयक लाया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, सत्तू भैया साल भर में पहली बार किसी विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्तू भैया, आप साल भर में पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए हो । साल भर में आपको क्या मोहिनी खिला दिया, आप पहले सदन को यह तो बता दो ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- मैं जब भी खड़ा होता हूं तो आपकी बोलती बंद कर देता हूं । आप करते क्या हो ? चन्द्राकर जी का काम विरोध करना है, हर विधेयक का विरोध करना उनका धर्म है । आप भी वही कर रहे हो, कौन सी नई बात कर रहे हो । इनकी बात को समझने की कोशिश करो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी ने क्या मोहिनी दे दिया कि आप साल भर बाद बोलने के लिए खड़े हो गए, आप यह बताईए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आप तो बाहर हो ही गए हो भैया । आफिस आफ द प्राफिट से बाहर रखने की सहमति देने का है और सरल क्रमांक 131 में संस्था के बारे में आदरणीय चौबे जी ने बताया है । बहुत आवश्यक हो गया है और हमारे किसी भी माननीय सदस्य की सदस्यता निरर्हता की श्रेणी में न आ जाये, इसलिए विधेयक लाया गया है। इसमें आपको दिक्कत क्या है ? क्यों आपत्ति होनी चाहिए ? क्या सिर्फ विरोध करने के लिए खड़े होना चाहिए ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप विचार किया जाये पर बात कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कि आखिर इसकी नियुक्ति से क्या फायदा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होगा ? हमने प्रश्न पूछा, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली तो बताया गया है कि पिछले एक साल में एक रूपये की भी खरीदी मेडिकल कार्पोरेशन ने नहीं की है। पूरे कोरोना काल में एक विशेष कमेटी बना दी गई।

सभापति महोदय :- चलिये, वह अलग से आ जायेगा। यह अलग विषय में आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं बता रहा हूं, मेरी पास जानकारी है। मेडिकल कार्पोरेशन ने कहा कि हमें खरीदने की अनुमति नहीं है। एक विशेष समिति बनाई गई है। विचार किया जाये, पर हमको बोलने का अधिकार है।

श्री रविन्द्र चौबे :- लेट हो गये न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लेट नहीं हुए हैं।

सभापति महोदय :- यह अलग विषय आ जायेगा। निरर्हता से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पारित होने में कोई बात नहीं है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यह जानकारी अधूरी है। केवल कोरोना से संबंधित उपकरणों के लिए या वस्तुओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भण्डार क्रय नियम में छूट दी है ताकि देर न लगे। बाकी सारी खरीदी जो हो रही है, वह सी.जी.एम.सी. से हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने पूछा था तो मेडिकल कार्पोरेशन से लिखित में आया है कि हमने पिछले एक वर्ष एक रूपये की भी खरीदी नहीं की है। एक विशेष समिति बनाई गई है और उस समिति के द्वारा खरीदी की गई है। जब मेडिकल कार्पोरेशन खरीदी ही नहीं कर रहा है, तो इसमें इन सदस्यों की नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

सभापति महोदय :- वह विषय अलग से आ जायेगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 7 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(3) छत्तीसगढ़ चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इस पर विरोध है। यह विरोध इसलिए है क्योंकि यह जो विधेयक आया है, वह संविधान के विरूद्ध है, नियम-कानून बनाने के विरूद्ध है। क्योंकि इस विधेयक में बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे हमारे मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों का होता है। जिसके माध्यम से Cr.P.C., I.P.C. के धाराओं के अन्तर्गत जिसमें कार्रवाई हो सकती है, इसके बहुत से मामले कोर्ट में चल रहे हैं । उनके भी अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया है । इसलिए यह विधेयक पूरी तरह संविधान की मूल भावना के अंतर्गत हमको, विधान सभा को, जो कानून बनाने का अधिकार दिया गय है, उसके विरूद्ध है । इसलिए इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता । मैं इस बात का आग्रह करूंगा, जब इसको पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था, तब भी मैंने उस पर आपत्ति की थी, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जब यह विचार के लिए आयेगा, तब इसके ऊपर में आप बोलियेगा । यह विधेयक जो है, वह पूरी तरह देश की जो संविदा कानून है, उनके विरूद्ध है । सी.आर.पी.सी./आई.पी.सी. के तहत जो आपराधिक कानून है, उसके विरूद्ध है । यह लोगों के अधिकार को कभी भी, कोई भी विधेयक अगर लाया जाता है, किसी भी प्रापर्टी का अधिव्यय किया जाता है, उसमें जितने भी हितग्राही है, जिनका हित है, उनके हितों को सुरक्षित रखा जाता है । इस विधेयक में उनके हितों को सुरक्षित नहीं रखा गया है । इसलिए इस विधेयक पर विचार नहीं होना चाहिये । इस बात का मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय जी, क्योंकि विचार के लिए माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वे अपनी बात कहेंगे । पहले भी आपत्ति जिस समय प्रस्तुति हुई थी, आपने किया था, आज हम लोगों को सर्कुलेट हो गया है, विभिन्न बिन्दुओं पर अभी भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, आदरणीय बृजमोहन जी, उन्होंने इसमें संशोधन प्रस्ताव भी दिया है, विचार होगा तो अपने उद्बोधन में भी बातें करेंगे, संशोधन प्रस्ताव में संशोधन की भी ये बात करेंगे, माननीय मंत्री जी उसको रिप्लाई करेंगे । माननीय सभापति महोदय, हम आगे बढ़ गये हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी को इजाजत दीजिए, और अपनी बात की शुरूआत कीजिए ।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैंने जो आपत्ति की, इसके ऊपर में निर्णय आना चाहिये, क्योंकि विचार करने के ऊपर ही हमारी आपत्ति है । हमने प्रस्तुतिकरण पर भी आपत्ति दी थी । यह विधेयक विचार करने के योग्य ही नहीं है । उसके ऊपर में विचार कैसे किया जा सकता है ।

सभापति महोदय :- विधेयक पर किसी भी प्रकार की आपत्ति को मान्यय नहीं किया जा रहा है । आपने नाम दिया है, संशोधन भी दिया है...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसमें रखेंगे जब आप उसकीचर्चा करवायेंगे । विचारण के ऊपर आपत्ति लेने का अधिकार है । आप विधान सभा की कार्य नियमावली को देख लीजिए । उस पर हमको आपत्ति करने का अधिकार है । कौन से अधिकार के अंतर्गत हम आपत्ति ले रहे हैं, नियम के विरूद्ध है, कानून के विरूद्ध है, यह संविधान के विरूद्ध' है, यह हितग्राहियों के हितों की रक्षा करने के विरूद्ध है, इसलिए इसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता । लेजिसलेशन बनाना, इसका नाम ही लेजिसलेशन असेम्बली है, इस कानून को हम गलत तरीके से पारित करते हैं, इसका अच्छा उद्धरण नहीं जायेगा । इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसके ऊपर में निर्णय आना चाहिये । निर्णय आने के बाद में इसके ऊपर अगली कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य का ज्ञान और उनकी राय प्रदेश के श्रद्धेय राज्यपाल से भी आगे है । राज्यपाल महोदय की अनुमति से यह बिल प्रस्तुत हुआ है, हम और आप राज्यपाल महोदय इसकेबारे में शासन पक्ष कोई बात नहींसमझ पा रहा है, लेकिन उन्होंने आपत्ति नहीं लेने दर्ज कराई और साथ में संशोधन भी प्रस्तुत की । जिस विषय के भागीदार नहींबनना चाहते हैं, पहला तो उनको संशोधन प्रस्तुत करना ही नहीं चाहिये था । संशोधन प्रस्तुत भी किया और कल के वक्तव्य में उन्होंने यह कहा कि नही मैं उसमें भाग लूंगा । दोनों बातें जो कह रहे हैं, तर्कसंगत नहीं है, यह उचित विधेयक लाया गया है।

हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, जनहित में यह घोषणा की है, प्रदेश हित में यह घोषणा की है, राज्य की नीति के अनुरूप यह घोषणा की है, देश के सोच के अनुरूप यह घोषणा की, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुले । यह देश की परिकल्पना है । अन्ततः हमारा टारगेट हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में हमने विचार किया है कि पहले लोक सभा क्षेत्र में हम कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलें, 11 में से9 लोक सभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं, उसकी अनुमति मिल गई है । काम चालू है । दो लोकसभा क्षेत्र बचते हैं, चांपा-जांजगीर और दुर्ग । चांपा-जांजगीर के लिए हमारा विकल्प था, केन्द्र सरकार इस साल के बजट में अगर नये मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव रखती है और मानती है, हम अवश्य उसको देते । एक मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति और स्थापना में, उसके निर्माण इत्यादि में कम से कम पांच-छैः साल लग जाते हैं, यह हम सब का अनुभव रहा है । दुर्ग के एक निजी मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, अनेकों

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बार वहां के बच्चों ने, विद्यार्थियों ने अपने भविष्य की अत्यधिक चिंता करते हुए अनेकों बार मेरे से मिले। जनप्रतिनिधियों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उनके भविष्य की चिंता करने हुए हमने इस विधेयक को लाने का सोचा। और भी बातें हैं, ये student हैं, आज के हैं। कल ये बैच निकल जायेगा तो हम कहेंगे कि यह student तो आज ही हैं। इनका विकल्प भी हो सकता है। आप अन्य कालेजेस में इनको दाखिला दे दीजिए और उनको परीक्षा दिलाईये और पास कर दीजिए। सरकार का लक्ष्य वहां तक सीमित नहीं है। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए, यहां के सर्वहारा वर्ग के लिए, यहां के गरीब जनों के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए है। टर्सरी केयर की व्यवस्था शासकीय माध्यम से उपलब्ध कराई जा सके। यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो हमारा कांसेप्ट है, उसमें हम शासन के बजट के पैसे से जो पब्लिक का पैसा है, उस पैसे का उपयोग करके शासकीय उच्च स्तरीय चिकित्सकीय लाभ दिलाने के लिए हम superspeciality अस्पताल मेडिकल कॉलेज के रूप में टर्सरी केयर के रूप में हर लोकसभा में फिलहाल स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। यहां हमको एक बना बनाया परिसर मिल रहा है जहां हम कल से काम चालू कर सकते हैं। प्रक्रिया लगेगी। उसके मूल्यांकन इत्यादि में कुछ समय लग सकता है। हमको 4 साल, 5 साल, 6 साल नहीं रूकना पड़ेगा, हम अभी से वहां तत्काल उपचार का भी काम कर सकते हैं। कोरोनाकाल में 803 बिस्तर जिस परिसर में लगाये गये, वह परिसर लोगों के कितना काम आया। उसी परिसर को हम जनहित के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। बहुत ज्यादा दबाव रायपुर के विशेषज्ञता के अस्पतालों के ऊपर कोरोनाकाल में पड़ा। मेरे पास न जाने कितने फोन आये, दुर्ग से कितने फोन आये। आई.सी.यू. की दिक्कत जा रही है, विशेषज्ञता के स्थानों की हमको दिक्कत जा रही है, हमको कहीं जगह दिलाईये। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि रायपुर भी फुल हो रहा है, हम कैसे करें। इस स्तर के टर्सरी केयर के हम शासकीय अस्पतालों को स्थापित करके, निजी क्षेत्र के बारे में कई लोगों ने बीच में बातें भी उठाईं कि कोरोनाकाल में भी, अन्य समय में भी हमारा अत्यधिक खर्च होता है। सरकार की योजनाओं के आगे भी जाकर हमसे पैसे लेने की बात होती है। यह बात हजारों की संख्या में आती है। इस बातों को भी ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि students के हित में, नागरिकों के हित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस निजी मेडिकल कॉलेज का हम अधिग्रहण करेंगे।

श्री अजय चन्द्रकार :- नेता जी, बिना अधिग्रहण के मेडिकल कॉलेज कैसे खुलता है, आप देखे हो अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज कितने दिन में खुला है।

श्री टी.एस.सिंदहेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंबिकापुर के भी मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, आप भी जानते हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि कैसे 31

तारीख के पहले अनुमति लेने के लिए आपसे संपर्क करना पड़ा था, जब आप दिल्ली में थे, तब क्या हुआ था ? इसमें कितनी दिक्कतें होती हैं और कितनी दिक्कतें आज भी हो रही हैं, हम देख रहे हैं। यह आसान काम ऐसे भी नहीं हैं। हम 3-4 साल आगे रहेंगे। जिस अस्पताल के बने बनाये परिसर में पढ़ाई के लिए पूरे खंड उपलब्ध हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने में कितना खर्च आता है ?

श्री टी.एस.सिंदहेव :- 400, 500, 600 करोड़।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें आपने लिखा है, इसको आप एकमुश्त कितना पैसा देंगे ? और साथ में 140 करोड़ रुपये पर साल देंगे तो कितने साल तक देंगे, इसका भी उल्लेख नहीं है। 500, 600 करोड़ रुपये में 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है। अभी तक आपने इसकी गणना नहीं है। यह तो दुर्भाग्यजनक है। आपके पास में इसके अधिग्रहण के पहले पूरी जानकारी होनी थी कि कितना पैसा देना पड़ेगा, अधिग्रहण में कितना पैसा लगेगा ? यह कोई जानकारी नहीं है। आधी-अधूरी बातों पर आपने माननीय मंत्री जी इसके उद्देश्यों और कारणों में लिखा है कि कंपनी के द्वारा आवेदन दिया गया। कंपनी के द्वारा आवेदन दिया गया, छात्रों के द्वारा नहीं दिया गया है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसके कारण हम उसको अधिग्रहित करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आपने अपनी बात खत्म कर दी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आपका नाम अगर यहां बोलने वालों में शामिल है तब बोलो न। आप डबल-डबल कैसे बोलेंगे उसी उसी बात को। आप बोल लीजिएगा अपनी बात करते समय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मेरा नाम है। मंत्री जी जिन बातों को कह रहे हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो प्रतिप्रश्न का सवाल ही नहीं आया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मैं प्रतिप्रश्न नहीं कर रहा हूं। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। वर्तमान स्वामी द्वारा अपनी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए। इसमें छात्रों का नाम नहीं लिखा है जनहित नहीं लिखा है और ये भी कंपनी है कोई सामाजिक संस्था नहीं है। नाम कमाने के लिये बनायी गयी थी और वे कंपनी के मालिक कह रहे है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो लाभ कमाने के लिये बनायी गयी कंपनी को आप कैसे अधिग्रहित कर सकते हैं। आपने मूल्यांकन नहीं किया, आपने उसकी राशि तय नहीं की। उसके बिना आप विधेयक ले आये, आपके पास में जानकारी नहीं है इसी विचारण पर मैं आपत्ति कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये विचार योग्य ही नहीं है। सरकार के पास में पूरी जानकारी नहीं है, मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं पूरे सदन को।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम ये बात तो हो गयी कि माननीय बृजमोहन जी इसमें भाग लेना चाहते हैं। वे इस बात से संतुष्ट है कि इसको इंट्रोड्यूस किया जाए क्योंकि वे भाग लेना चाहते हैं। वह बात खत्म हो गयी क्योंकि लगातार उसमें भागीदार बन रहे हैं तो एक इसु तो सेटल हो गया कि ठीक है आपने इंट्रोड्यूस किया हम सहमत हैं। आगे की बात अध्यक्ष महोदय, 150 सीट इस मेडिकल कालेज को एम.सी.आई के माध्यम से पहले एम.सी.आई था। अब नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया है, एन.एम.सी. आ गया है। तो 150 सीट इसको उपलब्ध है माननीय सदस्यों ने कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संस्था की मान्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है जीरो ईयर घोषित होता है एम.सी.आई या एन.एम.सी. के माध्यम से यदि इंस्पेक्सन के समय उस व्यवस्था को वे उचित नहीं पाते हैं। एक साल के लिये जीरो ईयर। फिर इंस्पेक्सन होता है तो एक साल के लिये जीरो ईयर । कोई लिखित दस्तावेज यहां पर कोई उपलब्ध नहीं करा पाएंगे कि इस संस्था की मान्यता को ही समाप्त कर दिया गया है। अपितु संस्था के द्वारा, वर्तमान संस्था के द्वारा वर्तमान वर्ष में कोर्स चालू करने की अनुमति के लिए उन्होंने लिखा पढ़ी कर रखी है तो एक ये कि ये चलने वाली संस्था है, चालू संस्था है जिसको केवल जीरो ईयर के दायरे से हमको व्यवस्था करके निकालना है और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिये टर्सरी केयर की सुविधाओं को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की हमको शासन की तरफ से व्यवस्था करनी है। अध्यक्ष महोदय, कम समय में इससे बेहतर विकल्प दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में है ही नहीं और सेक्सन 25 में कंपनीज एक्ट में नॉन प्रोफिट कंपनी है। ऐसी भी जो जानकारियां आपने उपलब्ध कराई थी और अधिग्रहण से कंपनी का क्या है स्टेटस उसमें बात नहीं आ रही है। अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं केवल कालेज का ग्राहता कर रहे हैं। कंपनी के दूसरे भी एसेस्ट्स हैं, उनका भी अधिग्रहण कर रहे हैं तो खैर बेहतर से बेहतर सुलभ स्वाव्थ्य की व्यवस्थाएं टर्सरी केयर की उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिसमें और भी बातों की पूर्ति हो रही है उस उद्देश्य से इस बिल को लाया गया है अध्यक्ष महोदय। पूरी तरह से जनहित में है, पूरी तरह से विचारणीय है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि विद्वान इतने अनुभवी सदस्य ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ रूपये हर साल हम कंपनी को देंगे, हम उस संस्था को देंगे। एक साल में इस संस्था को चलाने में शासन को खर्चा अनुमानित कितना आएगा, उसका अनुमान हमने प्रस्तुत किया है। 140 करोड़ प्रतिवर्ष तनख्वाह देंगे। मशीनें लग सकती है उनका प्रबंधन है, बिजली का बिल होगा, सफाई का स्टाफ होगा इत्यादि। आज हमारे मेडिकल कालेज में, किसी भी मेडिकल कालेज में लगता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस विधेयक के 6, 8, 11 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष लगभग 140 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने लिखा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- हमारा मेडिकल कालेज रहेगा तो हम खर्चा क्यों नहीं करेंगे। हम ही करेंगे इसको और कौन करेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह आपने लिखा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- अगर हमारा मेडिकल कॉलेज रहेगा तो हम खर्चा क्यों नहीं करेंगे ? हम ही खर्च करेंगे और इसको कौन करेगा?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर के मेडिकल कॉलेज में 140 करोड़ रूपये साल का नहीं दे रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम हर मेडिकल कॉलेज में हम खर्चा करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर के मेडिकल कॉलेज में साल का नहीं दे रहे हैं, जो यहां का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तुमन मेडिकल कॉलेज में कई करोड़ रूपये कका मशीन मंगाए हो, जो चल नहीं रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह वित्तीय ज्ञापन में लिखा है कि हम 140 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष देंगे।

वाणिज्यिक कर मंत्री (आबकारी) श्री कवासी लखमा :- अभी तो तुम्हारी सरकार नहीं चल रही है।

श्री टी.एस.सिंहदेव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह भी जानकारी दे दूं कि मेकाहारा को चलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 200 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष दे रही है। आज बिलासपुर के सिम्स को चलाने के लिए लगभग 200 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष दे रही है। हमारी सरकार ने इस जिम्मेदारी को लिया है कि अपने नागरिकों के लिए यदि प्रदेश के बाहर के भी नागरिक आते हैं तो उनको उच्च कोटि की संपूर्ण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं हम इस माध्यम से उपलब्ध करवायेंगे और इन उद्देश्यों से इस बिल को प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। धन्यवाद्। मैं इसके पहले कुछ कहूं तो आप सब को सुनना चाहता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति ने इसके लिए डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित किया है यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं उसको 2 घण्टे कर दूंगा, 3 घण्टे का समय कर दूंगा, मगर उस हिसाब से भी आप सब लोग अपने-अपने समय को ध्यान रखें। यहां समय बहुत कम है और आप लोग अपनी बात रखते हुए, कम से कम समय में जितना भी विरोध कर सकते हैं वह करिये। डॉ. रमन सिंह।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अधिग्रहण के लिए जिस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूँ। इस विधेयक में दो-तीन विषय बहुत स्पष्ट है। जो अभी अनुपूरक प्रस्तुत हुआ, उसमें भी स्पष्ट हो गया था कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति क्या है ? प्रदेश पर कर्ज का बोझ कितना है ? एफ.आर.बी.एम.एक्ट के तहत हम किस सीमा तक 5.6 प्रतिशत तक जा चुके हैं इसके बाद जब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी पहुंची है, उसके बाद भी एक विवादित कर्ज के बोझ में डूबे हुए चंदूलाल चन्द्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के लिए बिल लाने की आवश्यकता

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कैसे पड़ गई ? जबकि राज्य की स्थिति ऐसी नहीं है वह बैंक के पास बंधक है। यह मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और कॉलेज बंधक के रूप में है और फिर बंधक मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण हो। यदि दुर्ग में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो तो इतना बड़ा जिला अस्पताल 600, 700 बेड का जिला अस्पताल दुर्ग में है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। मेडिकल कॉलेज खोलने में कौन सा विलंब होता है ? कौन सी देरी होती है। हमने मेडिकल कॉलेज को ही अपग्रेड किया है। बाकी सदस्यों का जब अवसर आएगा तो बोलेंगे।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली विधान सभा में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि दुर्ग चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए, तब उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत नहीं किया था। अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी इसको स्वीकृत कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। दुर्ग में शासकीय मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी। मैंने इसी विधान सभा में आपसे कई बार निवेदन किया था। (व्यवधान)

श्री टी.एस.सिंहदेव:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां उपचार होते। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मेकाहारा के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल दुर्ग हॉस्पिटल है, वह 500 बेड का हॉस्पिटल है। यदि आप सही जनप्रतिनिधि होते तो उसरी बात करते।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अरूण वोरा जी बोलत हे कि दुर्ग में खुलना चाहिए, दुर्ग का अधिग्रहण होना चाहिए। ओकर क्षेत्र में होवत हे तो डॉ. साहब ला का दिक्कत हे भई ?

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर पर नियम 139 के अधीन लोक महत्व में आवत हों।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के उद्देश्य और कारण में जो बताया गया है। इसमें बड़ा स्पष्ट है कि उसमें जो नोट है वर्तमान मालिकों ने राज्य सरकार से अपनी वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए, कॉलेज के अधिग्रहण का अनुरोध किया था इसका मतलब यह है कि जो पूरी तरीके से दिवालिया, बैंक के पास बंधक है उस बंधक कॉलेज ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए ही आग्रह किया था। इसमें कहीं छात्र हित नहीं दिख रहा है। दूसरा विषय जिस पर अभी चर्चा चल रही है। जिस मेडिकल कॉलेज का नेशनल कौंसिल ऑफ इंडिया एम.सी.आई. के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। 12 अप्रैल, 2018 को एम.सी.आई. की वार्षिक बैठक और उस बैठक में जिसमें चंदू लाल चंद्राकर की मान्यता पर चर्चा की गई। बैठक में गैर वास्तविक रोगियों के आधार पर एम.बी.एस. डिग्री में 150 सीट के लिए चंदू लाल मेमोरियल हॉस्पिटल की मान्यता और मंजूरी नहीं देने की सिफारिश की गई। अब जब एक सिफारिश हो जाती है। माननीय चौबे जी बहुत जोर-जोर से बोल रहे थे कि एम.सी.आई. के द्वारा मान्यता है यह प्रेस में बोले थे। आज यह देखिए कि 12 अप्रैल 2018 को बैठक होती है और उस बैठक में कहा गया परिषद् ने रिपोर्ट भी दी। नेत्र विज्ञान, प्रसुति और स्त्री रोग छोड़कर सर्जिकल और सर्जिकल स्पेशिलिटी वार्ड के किसी भी वार्ड में एक भी रोगी नहीं मिला। इस रिपोर्ट के

आधार पर जो संचालन किया गया है उस पर प्रश्नचिंह भी लगा और उन्होंने रिपोर्ट दिया कि कॉलेज को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम चलाने एन.एम.सी. की अनुमति मिले या न मिले। यह अक्टूबर 2020 के पत्र में एन.एम.सी ने कहा जो आज मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया एन.एम.सी हो गया है, मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया बन गया है। राजा साहब, सुन लीजिए। कॉलेज को केवल 2015-16 में भर्ती छात्रों के लिए वैध है। यानी वर्ष 2015-16 की भर्ती छात्रों के लिए ही वैध है। एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता दी गयी है, वर्ष 2015-16 शैक्षणिक वर्ष 2021 के लिए 150 एम.बी.बी.एस सीट के लिए अगले बैच की अनुमति नहीं दी जाए। यह भी मान्यता है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह कहा था। इस वर्ष के लिए, वे चाहते थे, लिख देते कि हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कहां है।

डॉ. रमन सिंह :- जब वर्ष 2015-16 के बाद कोई छात्र ही नहीं आया। 55 छात्रों ने 2016 में न्यायालय में जाकर आग्रह किया कि इस कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है, हमें दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए। यह 55 छात्रों ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में इस विषय को रिकवेस्ट किया। इसकी हालत यह हो गयी है कि वर्ष 2015-16 के बाद कोई बैच नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, इसकी वजह से यह बच्चे न्यायालय की शरण में जाते हैं और न्यायालय में कंडिशनल शर्त मिलता है कि इन बच्चों को ट्रांसफर किया जाए और किया जाता है। जहां-जहां कॉलेज बंद होते हैं, उनको अलग-अलग कॉलेज में उन बच्चों को भेजने की व्यवस्था होती है और यह सामान्य प्रक्रिया है। इसके लिए आग्रह किया गया है, इसको आप देखिए। न्यायालय ने भी अनुमति दी है। यह स्थिति इस कॉलेज के संबंध में है। जिसकी मान्यता के बारे में लगातार संकट है जिसकी मान्यता को लेकर वर्ष 2015-16 के बाद शंका हो गयी है। एम.सी.आई ने बंद कर दिया। आपको सरकार ने अनुमति दी है। सरकार की तरफ से नये मेडिकल कॉलेज खोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 75 प्रतिशत फंडिंग की व्यवस्था सरकार करती है। उसमें भी कोई चिंता नहीं है। 75 प्रतिशत का अनुदान लेकर नया मेडिकल खोल रहे हैं। हमने 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज कर दिया। आज स्थिति यह बन गयी कि अब चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल हॉस्पिटल नेहरू नगर भिलाई 21 मार्च, 2020 की स्थिति में कुल कर्ज 125 रूपए जिसमें असुरक्षित ऋण 53 करोड़ रूपए है। यह मेडिकल कॉलेज की आर्थिक स्थिति बता रहा हूं। जिस मेडिकल कॉलेज के लिए विधेयक ले रही है, उसके पास 12 अप्रैल, 2018 को धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। किस संस्था को अधिकृत कर रहे हो ? आप किस संस्था को गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता दे रहे हो ? मेडिकल काऊंसिल ऑफ इंडिया ने जिस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- क्षमा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, संस्था का अधिग्रहण कौन कर रहा है। संस्था तो अपनी जगह रहेगी। हम तो परिसर और परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर रहे हैं। वह संस्था के ऊपर जो केस चल रहा है, जो देनदारी, लेनदारी है, वह करते रहेंगे। हमको तो बना बनाया चीज मिल रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वह क्यों बिक्री की स्थिति में है या किन स्थिति में है। क्योंकि उसकी स्थिति ठीक नहीं है। माननीय बृजमोहन जी ने भी 75-25 कहा है, माननीय रमन सिंह जी यह जानते हैं कि 75-25 नहीं है, आज के दिन में 60-40 है।

डॉ. रमन सिंह :- आप तो पूरा जवाब देंगे। आप एक साथ जवाब देंगे, अभी तो आप सुन लीजिए। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, सुन लीजिए। एक साथ जवाब दे देंगे। राजा साहब, जिस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके बारे में सुनिए ना। जिस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर रहे हैं, वह एक बार, दो बार बिक चुका है। रूंगटा ने उस मेडिकल कॉलेज को खरीदने के लिए 35 करोड़ रूपए एडवांस दे दिया। एग्रीमेंट हो गया है, मेरे पास लिखित डाक्यूमेंट हैं। उनका पूरा का पूरा सौदा हो गया। रूंगटा के साथ एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में सारे डायरेक्टर के दस्तखत हो गये। जो मेडिकल कॉलेज बिक चुका है, बिक गया है और बिकने के बाद न्यायालय में उस पैसे की रिकवरी का केस चल रहा है। उस विवादास्पद मेडिकल कॉलेज में आप अधिग्रहण की प्रक्रिया कर रहे हैं। जो अपने आपमें न्यायालय में विचाराधीन है, जो पैसे की वूसली की प्रक्रिया में फंसा हुआ है। छात्र के भविष्य और प्रबंधकों के लिए विधेयक ले रहे हैं तो विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। छात्र का भविष्य क्या होता है ? छात्र का भविष्य तो यह होता है कि वहां जो 100-150 बच्चे बचे हैं उन बच्चों की एक प्रक्रिया होती है जो उत्तराखंड ने किया, अन्य राज्यों ने किया । अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में उनको शिफ्ट कर दिया गया और शिफ्ट करने के बाद मेडिकल कॉलेज से उन बच्चों का भविष्य ठीक हो गया । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सवाल कचंदुर स्थित मेडिकल कॉलेज के मूल्यांकन का है । दो अलग-अलग प्रॉपर्टी है । एक कचंदुर का है, दूसरा हॉस्पिटल का है । कचंदुर पर जमीन है और इन्होंने जो फ्रॉड किया है, मैं उसके बारे में भी बताउंगा कि अभी क्या स्थिति है । कचंदुर मेडिकल कॉलेज का मूल्यांकन 20 से 22 करोड़ का है जिसके प्रमोटर ने नेहरू नगर स्थित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को सी.सी.एम.एच. की डी.पी.आर. बनायी । बैंक से 172 करोड़ का लोन लिया, लोन किसके नाम से लेते हैं ? इसके प्रमोटर ने नेहरू नगर स्थित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के नाम से चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से डी.पी.आर. बनाया । बैंक से 172 करोड़ का लोन लिया और आज स्थिति यह है कि उस 172 करोड़ के पैसे का क्या हुआ ? मेडिकल कॉलेज की जमीन खरीदी गयी, उसके पैसे का बंदरबांट हुआ और यह बिल्डिंग नेहरू नगर स्थित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जिसके नाम से कर्ज लिया गया, उसकी जो जमीन है वह शासकीय है । आप देखेंगे कि हम अपनी ही जमीन यानी नेहरू नगर स्थित अस्पताल नगर निगम द्वारा दी गई शासकीय जमीन है उस जमीन पर लोन है और आप उसी जमीन को जो शासकीय जमीन है उस जमीन को हम खरीदने का प्रयास कर रहे हैं । उस मेडिकल कॉलेज को हम लेने का प्रयास कर रहे हैं । निश्चित रूप से आप सीधे बैंक को पैसा पटायेंगे । आज तक कंपनी एक्ट में यह होता है कि बैंक के ऊपर जो भी लॉयबिलिटी होती है, यदि आज आप विधेयक ला रहे हैं तो यह तय करिए कि बैंक के ऊपर जितनी भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लॉयबिलिटी है, उस बैंक को पूरा पैसा दिया जाना चाहिए और आप शेयर होल्डर और डॉयरेक्टर को कर्जमुक्त कर रहे हैं । यहां तक सवाल है कि मेडिकल कॉलेज में 100 एकड़ की जमीन, 25 एकड़ में निर्माण हुआ, 75 एकड़ भूमि खाली है उस 75 एकड़ जमीन का वेल्यू एडीशन होगा तो किसको लाभ हो ? किसको लाभ देने के लिये होता है ? किनके परिवार के लोग हैं जिनको लाभ देने के लिये यह साजिश हो रही है ? इसके साथ ही साथ चंदूलाल चंद्राकर जी के परिवार के श्री अमित चंद्राकर ने चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई, याचिका भी चल रहा है । यह इतना विवादास्पद है । उसमें उन्होंने कहा कि दादा चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के लिए दशकों पहले जमीन लीज पर ली थी और नगर-निगम की अनुमति के बिना बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर से हॉस्पिटल की जमीन मेडिकल कॉलेज ने गिरवी रख दी ।

समय :
3:23 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, अब इण्डियन बैंक से जो लोन स्वीकृत हुआ और बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर को भ्रमित किया गया यह स्थिति आज क्यों बन रही है ? आज स्थिति यह है कि आर्थिक रूप से जिस मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने की बात हो रही है इस मेडिकल कॉलेज की न तो मान्यता है, न उसके साथ रिकॉर्ड है । आज यदि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये हम प्रयास करेंगे, 75 प्रतिशत राशि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया देती है । इसमें आप जितने चाहे छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं । एक ऐसी बंद पड़ी हुई ईमारत, बंद पड़ी हुई बिल्डिंग पर जहां पर जिसका कोई उपयोग नहीं, जो भवन पूरी तरह से बंद होने की स्थिति में है उस जमीन को आप अधिग्रहित करके गलत परंपरा डाल रहे हैं और छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से दलदल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, यह कानूनी उलझन में इतना उलझ जायेगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जब यह मामला न्यायालय में जायेगा, सारे मामले न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय इन सारे के सारे प्रक्रिया को शून्य कर देगा इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि श्री बृजमोहन जी ने जो आपत्ति उठायी है वह भी एक गंभीर आपत्ति है । इन सारे विषयों को लेकर आज इस विषय पर चर्चा न की जाये । इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोका जाये । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये धन्यवाद ।

श्री मोहन मरकाम (कोन्डागांव) :- माननीय सभापति महोदय, इस सदन में छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) प्रस्तुत की गई है । मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल कचांदुर दुर्ग 2013 में इंडियन मेडिकल काउंसिल एम.आई.सी. की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनुमति से एम.बी.बी.एस. का कोर्स 150 छात्रों से शुरू की गई थी। वहां आज लगभग साढ़े 400 छात्र-छात्राएं हैं, जो एम.बी.बी.एस. का कोर्स कर रहे हैं। पिछले 3 वित्तीय वर्ष इस मेडिकल को जीरो ईयर घोषित किया गया है। इसीलिए वहां के छात्र-छात्राएं लगातार सरकार से माननीय राज्यपाल से निवेदन कर रहे थे कि उनके भविष्य का क्या होगा ? वे अपने भविष्य की चिंता कर रहे थे और सरकार के संज्ञान में भी लगातार ला रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने छात्र-छात्राओं की चिंता को देखते हुए और माननीय राज्यपाल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो लगातार सरकार को निर्देशित करती रही हैं कि इन छात्र-छात्राओं के हितों की रक्षा हो। उसकी चिंता करते हुए सरकार को निर्देशित किया गया था, उसके लिए आज सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। माननीय सभापति जी, एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण में लगभग 500 से 600 करोड़ रूपये लगते हैं। आज हमारी सरकार जो हर साल डेढ़ सौ एम.बी.बी.एस. के छात्र डॉक्टर बनकर निकलेंगे, जो हमारी अंदरूनी क्षेत्रों में चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की जो कमी है, ये जो 15 साल सरकार में रहे हैं। हम जो डॉक्टरों के आंकड़े बताते थे, जो 1400 से अधिक चिकित्सा अधिकारियों की उस समय कमी थी, आज हमारी सरकार के आने के बाद लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में डॉक्टरों की पदस्थापना की जा रही है, जिससे वह कमी पूरी हो जायेगी। आज कहीं न कहीं अभिभावकों की छात्र-छात्राओं की चिंता को सरकार ने संज्ञान में लिया और आज ऐतिहासिक निर्णय लेकर चंदूलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल को सरकार अधिग्रहित करके सरकार संचालित कर रही है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ में 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज भी हो जायेंगे। हर साल डेढ़ सौ हमारे मेडिकल के छात्र-छात्राओं का एडमिशन भी होगा। माननीय सभापति जी, आज हमारी संवेदनशील सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो आपत्ति कर रहे थे कि आज कहीं न कहीं सरकार की स्थिति ठीक नहीं है।

श्री अजय चन्द्रकार :- सरकार की स्थिति ठीक नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- मैं जो आपके आरोप थे, वह बता रहा हूं न। आपने कहा कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने कहा कि सरकार की स्थिति ठीक नहीं है1

श्री मोहन मरकाम :- सरकार की स्थिति ठीक नहीं, बहुत अच्छी है। आज लगातार सरकार नीतिगत फैसले ले रही है। चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति महाविद्यालय ग्राम कचांदुर, जिला- दुर्ग छत्तीसगढ़ में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत् पंजीकृत चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक 1997 का 10/11769 द्वारा वर्ष 2013 से स्थापित किया गया था और इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए पहले ही राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद इंडियन मेडिकल काउंसिल की अनुमति प्राप्त कर ली है और बहुत से विद्यार्थी पूर्व से ही महाविद्यालय में अध्ययन कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं। आज जो बातें आयी हैं। जो आप लोगों ने आपत्तियां की हैं, आज कहीं न कहीं छात्र-छात्राओं के हितों को इन्हें ध्यान नहीं देते हैं। जो साढ़े 400 छात्र-छात्राएं हैं, जिनका भविष्य अंधकार में जा रहा था, उनकी इन्हें चिंता नहीं थी। मगर उन छात्र-छात्राओं की चिंता अगर कोई करने वाली सरकार है तो हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार है। जो-जो आपत्तियां इन्होंने की थीं, माननीय सभापति जी, इसमें स्पष्ट है कि खण्ड 3 चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर, जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ का प्रशासन नियंत्रण एवं समस्त चल एवं अचल दोनों संपत्तियों का कब्जा इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का सं.1) के तहत् पंजीकृत चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक 1997 का 10-11769 द्वारा तत्काल सरकार को सौंपा जाएगा । इस विधेयक के पास होने से अस्पताल सीधे-सीधे सरकार के नियंत्रण में होगा । इनके बिंदुओं का अध्ययन आपने नहीं किया । सभापति जी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर दुर्ग की संस्थाओं के धारा 4 के अंतर्गत सरकार को अंतरित एवं उसमें निहित होने के प्रयोजन से सरकार कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक 1997 का 10-11769 को धारा 8 की उपधारा (2) के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि प्रदान की जाएगी । माननीय बृजमोहन अगवाल जी उसमें स्पष्ट लिखा है । उसके साथ-साथ आगे स्पष्ट लिखा है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर जिला दुर्ग की समस्त सम्पत्तियां सभी अधिभार से मुक्त होकर, सरकार में निहित होंगी, और निहित होने के पूर्व इसके स्वामियों पर, किसी भी जीवित अथवा विधिक व्यक्ति को किसी भी देयता के लिए, सरकार दायित्वाधीन नहीं होगी । अग्रवाल साहब, स्पष्ट लिखा है शायद आपने उन खंडों को नहीं पढ़ा ।

सभापति जी, सरकार धारा 8 में निर्दिष्ट राशि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक 1997 का 10-11769, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व उसके स्वामी थे, के बैंक खाते का भुगतान करेगी । जो भी बैंक से लोन है या अन्य देनदारियां है सरकार ने उसका मूल्यांकन कर लिया है और सरकार उस पर काम कर रही है । सरकार ने बहुत सोच समझकर छात्र-छात्राओं के हितों की रक्षा के लिए निर्णय लिया है । मुझे लगता है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए । आपने कहा कि वित्तीय ज्ञापन, इस विधेयक में खंड 6, 8 एवं 11 में प्रस्तावित किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष लगभग रूपए 140 करोड़ रूपए वित्तीय भार आएगा । आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए लगभग 200 करोड़ का खर्च बताया था । इस सरकार ने लगभग 140 करोड़ का प्रावधान उसके लिए कर रखा है । मुझे लगता है कि छात्र छात्राओं के हितों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में जो डॉक्टर्स की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए और इस करते हुए, इस कोरोनाकाल में बहुत से डॉक्टर्स की मौत हो गई है, शहीद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हो गए हैं । केन्द्र सरकार भी ऑर्डर कर रही है कि जो एम.बी.बी.एस. के अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उन छात्र-छात्राओं को भी कोरोनाकाल में भी ड्यूटी लगायी जाए । हमें लगता है कि सरकार का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है और जो साढ़े चार सौ छात्र छात्राएं हैं, उनका भी भविष्य सुरक्षित होगा । आने वाले दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल डेढ़ सौ डॉक्टर अतिरिक्त आएंगे और अंदरूनी क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएं देंगे । सभापति जी, इसीलिए इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया जाए, मैं यही निवेदन करता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मरकाम साहब, आपने इतना बढ़िया भाषण दिया, मुझे डॉ. हरिदास भारद्वाज की याद आ गई । वे इधर बैठते थे और मेडिकल कॉलेज से लेकर अर्थशास्त्र तक हर विषय में उनका ज्ञान था । बहुत बढ़िया, थैंक यू ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक नया विधेयक लाया गया है, ये संसोधन विधेयक नहीं है। छत्तीसगढ़ विधेयक क्रमांक 8 2021 छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्कृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुन रहा था अभी मैंने मोहन मरकाम जी को भी सुना ये मेरे समझ से परे है कि कभी इस सदन में ऐसा कानून बनाया जाता है कि जिसमें जितने उसके हितग्राही है जितने उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं सबके हितों की रक्षा करने के बजाय एक कंपनी के डायरेक्टरों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई विधेयक लाया जाए माननीय मंत्री जी बोल रहे थे मैं सुन रहा था उद्देश्य और कारणों में क्या बताया गया है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक-1997, 1011759 चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वामी हैं द्वारा अपनी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए राज्य शासन से चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है छत्तीसगढ़ में 1000 से ज्यादा उद्योग हैं जो आर्थिक रूप से बर्बाद हो गये हैं कमजोर हो गये हैं जिनमें एक लाख से ज्यादा अधिकारी, कर्मचारी काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 50 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गये उनकी अरबों की संपत्ति है ये वहां के छात्रों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर काम करने वाले शिक्षकों को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को निकाल रहे हैं तो क्या ये सरकार को अगर इस प्रदेश का कोई भी व्यक्ति लिखकर देगा कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मेरी फैक्ट्री को सरकार ले ले इसलिए मेरी कॉलेज को सरकार ले ले अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर में इसी वर्ष 50 से ज्यादा स्कूलें बंद हुई हैं और उन स्कूलों के बंद होने का कारण है कि कोरोना काल में उनको फीस नहीं आ रही थी। वो अपने टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे थे और उन 50 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 50 हजार से ज्यादा बच्चे हैं। क्या आप उसका अधिग्रहरण करेंगे? वो आपको लिखकर देंगे तो आप एक गलत परिपाटी कर रहे हैं। बहुत से महाद्यालयों को शासकीयकरण होता है। आज तक कभी मध्यप्रदेश में भी छत्तीसगढ़ में भी किसी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महाविद्यालय को शासकीयकरण करने के लिए उसका अधिग्रहण नहीं किया गया है अधिग्रहण करने की क्या आवश्यकता है आप उसका शासकीयकरण कर सकते हैं। आपको उसकी संपत्ति जप्त करके छात्रों के हित में, कर्मचारियों के हित में उससे उन्होंने जिनसे लोन लिया है उनके हित में आप उस संपत्ति को जप्त कर सकते हैं ये आपको अधिकार है। विधेयक क्यों ला रहे हैं? देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जो अगर कोई कंपनी डिफाल्टर हो जाती है कोई कंपनी कर्जदारों का पैसा नहीं चुकाती है तो उस कंपनी को बैंक अधिग्रहरण कर लेता है उसके लिए एक प्राधिकरण बना है जिसका कार्यालय जबलपुर में है। वो उसको निलाम करता है कि ज्यादा से ज्यादा मूल्य में जो खरीदेगा उसको हम बेचेंगे आज हम छत्तीसगढ़ में कौन सी परंपरा लागू करना चाह रहे हैं कल से आपके पास में इतने आवेदन आएंगे कि हमारी कॉलेज को आप अधिग्रहरण कर लीजिये, हमारे स्कूल को कर लीजिये, हमारी फैक्ट्री को कर लीजिये उनके कर्मचारी आएंगे उनके अधिकारी आएंगे क्या आप उनके लिए भी ऐसा ही विधेयक लाएंगे एक-एक के लिए आपने कही नहीं कहा उद्देश्य और कारणों में छात्रों के हित में आपने कहा है कि उनके जो संचालकगण हैं उनके जो स्वामीगण हैं उनकी वित्तीय स्थिति, कठिनाइयों को देखते हुए हम अधिग्रहण कर रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, ये कही नहीं कहा गया है ये बात भी बार-बार लाया जा रहा है मैं पढ़ देता हूं। यथास्थिति केवल रखी गई है स्थिति क्या है कि स्थिति में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की अनुमति प्राप्त कर ली है और बहुत से विद्यार्थी यहां अध्ययनरत हैं एक स्थिति रखी गई है। दूसरा ये भी स्थिति है केवल कि उन्होंने एक आवेदन दिया ये कारण से नहीं लिया जा रहा है। सरकार ने कही उद्देश्यों में ये नहीं कहा है कि इसलिए किया जा रहा है सरकार ने उद्देश्यों में केवल ये लिखा है कि तत्काल अधिग्रहण किया जाना लोकहित में आवश्यक है । किसी व्यक्ति, किसी कम्पनी, कहीं दूसरे कारण से नहीं । कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर की फैक्ट्री के संदर्भ में कहा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- पैरा दो पढ़िए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- मैंने पढ़ लिया है । मैंने ही तो दस्तखत किये हैं । मैंने पढ़कर दस्तखत किये थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शायद आप भूल गए हों ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने उस समय नहीं पढ़ा होगा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- मैं नहीं भूला हूं । उसमें यह कहना कि हमने इस उद्देश्य को लिखा है कि उनको पैसा देने के लिए हम खरीद रहे हैं, यह गलत है। यह परिस्थिति है, परिस्थिति क्या है कि 186 बच्चे अभी भी अध्ययनरत् हैं । 206 इंटर्न बच्चे वहां पर विद्यमान हैं और बच्चों की पढ़ाई एक स्थिति है, कॉलेज की ऐसी स्थित है कि वह अधिग्रहण करने से जनहित होगा । किसी के हित में किया जा रहा हे, ये कहीं नहीं लिखा है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक 1997 का 10-11769 जो चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय कचांदूर जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वामी हैं, द्वारा अपनी वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए राज्य शासन से चिकित्सा महाविद्यालय को अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है । यह मैं नहीं कर रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, यह अनुरोध हमने लिखा है, पर हम इस कारण से अधिग्रहण कर रहे हैं क्या ? यह कारण कहा है कि हम इसलिए अधिग्रहण कर रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि विधान सभा के पटल पर रखे गए विधेयक का जो अंग है, मैं उस अंग को पढ़ रहा हूं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, परिस्थिति को स्पष्टत: रखा गया है कि सामने वाला देने की स्थिति में नहीं है तो हम कहां से लेंगे । नहीं देना चाहता तो हम कहां से लेंगे । एक परिस्थिति है कि बच्चों की परिस्थिति, संस्था की परिस्थिति और जनहित में, सार्वजनिक हित में हम ले रहे हैं, यह स्पष्ट उद्देश्य है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, परिस्थिति नहीं, शासन का अधिकार है । शासन को अधिकार है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शासन के अधिकार की तो परिभाषा ही नहीं है । आप जो चाहें, वह कर सकते हो ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- इसके पैरा 3 में उद्देश्य है कि तत्काल अधिग्रहण किया जाना लोकहित में आवश्यक है । लोकहित लिखा है, कोई दूसरी बात नहीं लिखी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, शासन को अधिकार है। अगर शासन उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता है तो उसको अधिकृत कर ले, उसको कानून लाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यत: राज्य शासन संतुष्ट है । अधिग्रहण के लिए आपने आगे यह भी पैरा में लिखा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी भी जानकारी में है कि आजतक कभी ऐसा हुआ है क्या ? जब कोई अध्यादेश विधेयक लाया जाता है, आपने वित्तीय ज्ञापन लिखा है । वित्तीय ज्ञापन में 140 करोड़ रूपए प्रति वर्ष नहीं, आप उसकी सम्पत्तियों को अधिग्रहित करेंगे तो कितना पैसा लगेगा, आप उनको कितना पैसा देंगे । वित्तीय ज्ञापन में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि आपको एकमुश्त कितना पैसा देना पड़ेगा । आपने वित्तीय ज्ञापन भी गलत

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिखा है और 140 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष देंगे तो कितने सालों तक देंगे ? क्या जीवन पर्यंत तक देंगे ? इसके बारे में उल्लेख क्यों नहीं है ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, हम उनको नहीं दे रहे हैं, हम संस्था को कहां दे रहे हैं ? वह संस्था हमारी हो गई, हम अपने कर्मियों को तनख्वाह देंगे । उनको देने की बात कहां है, वह पढ़ तो लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, मैंने पढ़ लिया ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आपने कहां पढ़ा ? यदि पढ़ा होता तो यह नहीं कहते कि उनको देंगे । उनको देंगे, ऐसा कहां लिखा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने पढ़ लिया ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उनको देंगे, ऐसा कहां लिखा है । इस विधेयक को पढ़ लीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, इस विधेयक के खण्ड 6, 8 और 11 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष लगभग 140 करोड़ रूपये का वित्तीय भार आएगा ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- जी, जी । उनको देंगे, यह कहां लिखा है ? जो चंदूलाल चन्द्राकर ट्रस्ट है, उसको देंगे, वह कहां लिखा है, वह बता दें न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं बता देता हूं । अब मैं वह भी बता देता हूं । इस अधिनियम की धारा 3 में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी न्यायालय के निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेश या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का प्रशासन, नियंत्रण एवं समस्त चल एवं अचल सम्पत्तियों का कब्जा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) के तहत पंजीकृत चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्र. 1997 का 10-11769 द्वारा तत्काल सरकार को सौंप दिया जायेगा ।

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी न्यायालय के निर्णय या डिक्री अथवा किसी अन्य संविदा या अन्य दस्तावेज..। क्या आप किसी न्यायालय के अधिकार को भी रोक देंगे ? न्यायालय के आदेश को भी प्रतिबंध लगा देंगे ? आपने इसमें कहा है, आप इसको पढ़िए । आप न्यायालय के अधिकार को प्रतिबंधित कर रहे हैं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, मैं अचंभित हूं कि इतने वरिष्ठ सदस्य बात को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आपके दल का कुल 12 मिनट निर्धारित हैं । और कुछ सेकेण्ड रह गए हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यह कानून बनाने का मामला है और यह सदन इसी के लिए बना है। हम इसके एक-एक खण्डों पर विचार करेंगे। यह मूल विधेयक है, यह संशोधन विधेयक नहीं है। जब हम मूल विधेयक पारित कर रहे हैं। तत्समय प्रवृत्त किसी भी, इसका क्या मतलब होता है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, इसका मतलब यह होता है कि आपकी जो देनदारियां हैं, अधिग्रहण के बाद जो राशि तय होगी, वह आपको उपलब्ध करायेंगे। कहां जायेगी ? डाक्टर साहब कह रहे थे कि बैंकों को देंगे। तो क्या हमको नकद देंगे क्या ? छत्तीसगढ़ सरकार इतने रूपये, दो रूपये उनके जेब में देगी कि दो रूपये नकद लो। सभापति महोदय, वह बैंक खाते में जायेगा। यदि बैंक में कोई ड्यूज है, तो वह वहां लेंगे।

सभापति महोदय :- जो लायबिलीटिज है, उसको क्लीयर करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मैं इसके आगे बता रहा हूं न।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, इसी बात को इसमें क्लीयरली लिखा गया है कि आपकी जो देनदारियां हैं, वह चाहे हजार करोड़ की हो, हम क्यों देंगे। उदाहरण के लिए हमने 50 करोड़ में अधिग्रहित कर लिया तो हम 50 करोड़ में अधिग्रहित कर लेंगे, अब आपकी देनदारियां आपके ऊपर है, आप किसी भी कोर्ट में जाईये, कहीं भी जाईये, उसकी वसूली होती रहेगी। हमारी जवाबदारी उसको लेने का जो निर्धारित मूल्य होगा, उसमें लेने तक की है, हम उतनी राशि देंगे। बाकी देनदारियां उनकी है, यह लिखा हुआ है।

सभापति महोदय :- स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब मैं आपको बता देता हूं। संलग्न अस्पताल और समस्त आस्तियां, स्वत्वों एवं हितों के साथ सरकार में निहित हो जायेगा और इसके सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, जीवित अथवा न्यायिक, व्यक्ति, कंपनी, अंशधारक अथवा किसी अन्य संस्था का स्वत्व, कब्जा एवं हित समाप्त हो जायेगा। आपको यह अधिकार किसने दे दिया ? आप उनका अधिकार कैसे समाप्त कर सकते हैं ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, यही तो बात है जिसको समझना नहीं चाह रहे हैं। यह जो पैरा डाला है, क्लीयरली इस बात के लिए डाला है कि सरकार कहां से पैसा देगी। सरकार तो नोट नहीं छापती, सरकार का पैसा यानि पब्लिक का पैसा है। पब्लिक के पैसे के हित और सुरक्षा के लिए हमने यह क्लॉज डाला है, हम जिस राशि में यह सम्पत्ति लेंगे, उसके ऊपर की जवाबदारी हमारी नहीं रहेगी अर्थात् पब्लिक के ऊपर नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ के नागरिक के टैक्स के पैसे से हम और पैसा नहीं देंगे, जो आप चाह रहे हैं कि दिलवाईये। आपने जो संशोधन पेश किया है, उसमें लिखित पेश किया है कि बाकी भी पैसा दीजिये। हमारा कहना है कि जो वैल्युवेशन होगा, हम उतना पैसा देंगे, उसके आगे का पैसा वह देंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मत दो न।

सभापति महोदय :- चलिये, स्पष्ट हो गया है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- दोगुना तक, वह मेरे से चूंक हुई है, समय पर प्रस्तुत करता।

सभापति महोदय :- अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है, बृजमोहन जी, आगे चलने दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, मैं एक-एक बिन्दु पर बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आस्तियों की बात हुई, मैं इसमें एक लाईन बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस अस्पताल की एक-एक चीज को जानते हैं। मैं भी जानता हूं यहां कई लोग हैं, उसको जानते हैं। आस्तियों में बहुत से लोग हैं, जो अस्पताल के डायरेक्टर भी नहीं हैं, परन्तु लिखित है कि उस अस्पताल के ऊपर इस आदमी की देनदारी है। दूसरी बात, उन लोगों के आस्तियों का भी निराकरण होना चाहिए, यदि आप यह बात कर रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, यही तो इश्यु है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका असेसमेंट कौन करेगा ? उसका असेसमेंट कैसे होगा ?

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिये, बृजमोहन जी बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसका असेसमेंट कैसे होगा ? कौन करेगा ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप उसको पढ़िये, आप 7 को पढ़िये।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुछ नहीं बोला गया है कि उसका असेसमेंट कैसे होगा। इस विधेयक में कहीं पर नहीं लिखा गया है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप 7 को पढ़िये।

सभापति महोदय :- जरा संक्षेप कीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यह सरकार लोगों के हित को छीनने के लिए नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप अजीब बात कर रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अजीब बात मैं कर रहा हूं कि आप कर रहे हैं ? मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यदि आपकी सौ करोड़ की सम्पत्ति है और आपने एक नंबर में ब्याज में पैसा लिया, मैंने चैक से दिया है और आप उस सम्पत्ति को बेचते हैं, वह सम्पत्ति मेरे पास गिरवी है। तो जब तक मेरे पैसा वापिस नहीं होगा, आप उस सम्पत्ति को बेच नहीं सकते हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बेचना और लेना, अलग-अलग बात है। सभापति महोदय, हम खरीद नहीं रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप अधिग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों का हित है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इन सब बातों के लिए कोर्ट है, आप कह रहे हैं न। कोर्ट जाने दीजिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोर्ट क्यों ? कोर्ट क्यों भेज रहे हो।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- क्योकि आप छत्तीसगढ़ के नागरिकों के स्वास्थ्य के हित की ...(व्यवधान) आप बाधा बन रहे हैं।

सभापति महोदय :- सरकार को अधिग्रहण करने का अधिकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अधिग्रहण करने का अधिकार सरकार को है तो सरकार को सबके हितों की रक्षा करने का दायित्व है। सबके हितों की रक्षा करने का दायित्व सरकार का है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, आज उनकी जो देनदारियां हैं, वह छत्तीसगढ़ सरकार देगी। किस हित की बात की जा रही है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कुछ लोगों के हित को मारकर, कुछ लोगों के हितों की पूर्ति करना यह सरकार का काम नहीं है । माननीय राजा साहब मैं आपसे ऐसे उम्मीद नहीं करता था कि आप वहां के अधिकारी, कर्मचारियों का हित आप मारेंगे।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- नहीं, करना चाहिये । बड़ी तकलीफ होती थी, जय वीरू, जय वीरू कहते थे, जय वीरू साथ में दिख रहे हैं कि नहीं ? (मेजों की थपथपाहट)
एक की घोषणा है, दूसरा लागू करने में सहयोग कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तीन दिन जय-वीरू की कथा पूरे प्रदेश ने देखी है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :-एक की घोषणा है, दूसरा लागू करने में सहयोग कर रहे हो । कह रहे हैं कि बढ़िया चल रहे हो ।

श्री भूपेश बघेल :- गब्बर सिंह कौन है, सांभा और कालिया कौन है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरे प्रदेश ने देखी है, अब तो ठाकुर और गब्बर सिंह लगते हो ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- यहां ठाकुर और गब्बर सिंह नहीं, जय-वीरू की बात है ।

श्री शिवरतन सिंह :- अब तो ठाकुर और गब्बर सिंह की भूमिका में है, आप लोग । कौन ठाकुर है, कौन गब्बर सिंह है, तय आपको करना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- फिर बता देता हूँ ...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, बैठिये । चन्द्राकर जी, यह उचित नहीं है बैठिये । माननीय बृजमोहन जी।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया कि एक-एक आस्तियों के बारे में जानकारी है । स्पष्ट रूप से बता दूं, 2 जनवरी 2021 को जो कार्यक्रम हुआ था, चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, रूद्र गुरू जी, अकबर जी, सब लोग हम लोग गये थे, उसकी पुण्य तिथि है, पहली बार मैं उस कॉलेज में गया हूँ । उसके पहले कभी नहीं गया । आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आप गये होंगे, आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके पहले नहीं गया और अभी भी नहीं गया हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो आस्तियों के बारे में कहा कि आपको वहां की घटनायें मालूम है । मैंने आरोपात्मक कुछ नहीं कहा । वहां की हर बातें आपको मालूम है कहा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते । उस कॉलेज को जिन लोगों ने पैसा दिया है, न्यायालय में केस किया है, उसके पैसे वापस नहीं होंगे, सरकार पैसे अधिग्रहण कर लेगी, सरकार उनके स्वामियों को पैसा दे देगी । यह कैसे संभव है । उनके हितों को सुरक्षित करने का अधिकार इस सरकार को है ।

सभापति महोदय :- न्यायालय में कोई स्टे है क्या । कोई स्टे तो नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप पहले सुन ले । स्टे की जरूरत नहीं है, लोगों के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है...।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति जी, यही बात अभी हो रही थी । एअर इंडिया को जब बेचने की बात हो रही थी, उसके शेयर होल्डर का क्या हुआ? पता नहीं क्या बात हो रही है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- आप लोग ट्रेन बेच रहे हो, सब बेच रहे हो, सरकारीकरण कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए क्यों अड़ंगा लगा रहे हो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, एक संस्था है, बी.पी.आर.टी. जो ऐसी कंपनी, जो बंद होने वाली होती है, घाटे में होती है, उनको एक्वायर करके नीलाम करती है । यह सरकार क्या बी.पी.आर.टी. का काम कर रही है । सरकार को किसने तय कर दिया कि सरकार इस काम को करे । इसके मूल अधिनियम की धारा 6 में ...।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, ज्यादा ज्ञान होथे ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाथे । ज्यादा ज्ञान हो जाथे त कैसे हो जाथे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोरे असन हो जाथे ना । तोरे जैसे ज्ञानी बर बिलासपुर में मानसिक चिकित्सालय खोले गे हे ।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ में वोला आंय-बांय-सांय कहिथे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचान्दुर दुर्ग की संस्थाओं के धारा (4) के अंतर्गत सरकार को अंतरित एवं उसमें निहित होने के प्रयोजन से सरकार कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल 1987 को धारा 8 की उपधारा के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि प्रदान करेगी । क्यों करेगी भई, क्यों करेगी ? अधिग्रहण करना कोई आवश्यक नहीं है । पिछले चार सालों से फर्स्ट इयर में एडमिशन नहीं हो रहा है। पांच साल का कोर्स होता है, अगर आप एक साल नहीं लेंगे, तो वहां पर सब बच्चे पास आऊट होकर चले जायेंगे । परन्तु, जबरदस्ती आ बैल मुझे मार, हम उनको पैसा नहीं देंगे, उनके कर्जे को भी नहीं चुकायेंगे, हितग्राहियों को भी जो लाभ होना चाहिये, उनको नहीं करेंगे, माननीय सभापति महोदय, इसकी धारा 8 में अधिग्रहण की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुये, भुगतान योग्य राशि उपधारा 1 के अधीन निर्धारित की गई, वास्तविक मूल्यांकन राशि की दोगुना होगी । यह क्या है ? यह मजाक है, छत्तीसगढ़ का पैसा फ्री का है ? छत्तीसगढ़ के पैसे को लुटाया जा रहा है। अगर उन्होंने कॉलेज बनाई तो डायवर्टेड भूमि है ।

श्री टी.एस.सिंदहेव :- माननीय सभापति जी, मेरे से चूक हुई है। मैं उसको पेश कर दूंगा। इस संबंध में एक टंकण त्रुटि है, मैं प्रस्तुत करूंगा। मेरे से चूक हुई, मैं पहले नहीं बोल पाया।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी समाप्त करें, काफी समय हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के एक-एक खंड पर बात कर रहा हूं। जो डायवर्सन भूमि है।

सभापति महोदय :- समय की सीमा भी होती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हॉ समय की सीमा है। डायवर्टेड भूमि है, उस पर बिल्डिंग बनी हुई है। अगर आज हम इसको नहीं उठाते तो आप इसमें संशोधन करने की बात नहीं करते। दोगुना पैसा क्यों दिया जायेगा? क्या सरकार का पैसा, जनता का पैसा किसी के घर का पैसा है? आपने विधेयक में कैसे लिख दिया कि उसको दोगुना पैसा दिया जायेगा। क्या आपके अधिग्रहण के कानून में इस बात का उल्लेख है कि जो बिल्डिंग है, जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी दोगुना पैसा दिया जायेगा।

श्री टी.एस.सिंदहेव :- उसको आप कृपया तक पढ़ दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर आप खेती की जमीन अधिग्रहित करते हैं तो उसके लिए दोगुना देने का प्रावधान है। यह खेती की जमीन नहीं है। इस सरकार ने तो चार गुना कर दिया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- वह हम लोग किये हैं, आप लोग नहीं किये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हाईकोर्ट ने किया है, आपने नहीं किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं ऐसा नहीं है। आपने दोगुना देने का कैसे प्रोविजन कर दिया? क्या कानून बनाने के पहले आप पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं? अगर इस सदन में नहीं आता तो बोलते कि नहीं जो विधेयक पारित हुआ है, उसमें दोगुने का उल्लेख है, हमको दोगुना पैसा देना पड़ेगा। जनता के पैसे का कैसे दुरूपयोग हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक की धारा-9 में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग छत्तीसगढ़ की समस्त संपत्तियां, सभी अधिभार से मुक्त होकर, सरकार में निहित होंगी और निहित होने के पूर्व इसके स्वामियों पर, किसी भी जीवित अथवा विधिक व्यक्ति को किसी भी देयता के लिये, सरकार दायित्वधीन नहीं होगी। अगर उनके ऊपर किसी ने पैसा दिया, किसी ने कर्ज दिया है, उस कंपनी को दिया है। उस कंपनी को लोन दिया है तो उसके लिए उस दायित्व से मुक्ति हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। अगर हमने उसको अधिग्रहण किया है तो उस दायित्व से मुक्ति ही नहीं, आपको कोर्ट निर्देश देगा कि सरकार ने अधिग्रहण किया है, उस संपत्ति पर लोन मिला है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो आपको पैसा पटाना पड़ेगा, चाहे वह निजी हो या शासकीय हो। आप यह कैसे कर सकते हैं? भारत में न्याय का शासन है, अन्याय का शासन नहीं है। यह तो अन्याय के शासन का नियम हो गया। आपको जो पैसा देना है वह नहीं देंगे, हम उसकी संपत्ति को ले लेंगे। माननीय सभापति महोदय, विधायक की धारा-9 के ही खंड 2 में है कि चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ की सरकार में निहित होने के पूर्व की देयताएं, उसके पूर्व स्वामियों की देयतायें बनी रहेगी और विधि की सामान्य प्रकियाओं का पालन करते हुए, ऋणदाताओं द्वारा उनकी वसूली इसके पूर्व स्वामियों से की जा सकेगी। उन्होंने स्वामियों को नहीं दिया है, कंपनी को दिया है। अगर कंपनी को दिया है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- कंपनी थोड़ी खत्म हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यही तो आप बोल रहे हो कि उसके पुराने स्वामी देंगे, कंपनी नहीं देगी। उसके जिन कंपनियों को कंपनी में अगर उन्होंने लोन दिया है, इस संपत्ति के आधार पर लोन दिया है तो क्या कंपनी उनके हितों को सुरक्षित रखेगी? उनको पैसा वापिस किया जायेगा? इस बात का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, विधेयक की धारा-11 में खंड 1 में है कि सरकार, धारा 8 में निर्दिष्ट राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक 1997 का 10-11769, जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ के, धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व उसके स्वामी थे, के बैंक खाते में भुगतान करेगी। अब ये भी अजीब है। अब उनके स्वामियों के बैंक खाते में कैसे भुगतान कर सकते हैं? आपको पहले Joint Account खोलना पड़ेगा। Joint Account खोलकर जब उनके जो स्वत्व हैं, वह जीरों नहीं हो जाते, यह सिस्टम होता है। मैं किसी कंपनी का भागीदार बन सकता हूं, अगर मैंने उस कंपनी को लोन दिया है। भागीदार बनने के बाद जिस दिन मेरा पैसा वापिस हो जायेगा, उस दिन मैं उसकी भागीदारी से हट जाऊंगा। इसलिए आपको Joint कंपनी बनानी पड़ेगी। जितने भागीदारों ने लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया है। अगर इनके स्वामियों के खातें में आप पैसा दे देंगे और अगर उन्होंने देनदारों, लेनदारों को पैसा नहीं दिया तो क्या होगा ? क्या उसके लिए सरकार जवाबदार नहीं होगी। यह नियम है।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी समाप्त करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके धारा 11 के 2 में।

श्री अमरजीत भगत :- इसके बारे में लखमा जी पूरा समझ गये हैं आप क्यों नहीं मान रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब इसकी धारा 12 में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। आपने जनहित लिखा है। कोई व्यक्ति जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महाविद्यालय कचांदुर, दुर्ग में छत्तीसगढ़ नियोजन में था वह नियमित सेवा, संविदा सेवा में रहा हो या आउट सोर्स द्वारा हो चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर, दुर्ग छत्तीसगढ़िया शासन में रहने का कोई दावा नहीं करेगा। क्या है ये ? आपने कहीं नहीं लिखा इसमें, आपने अभी बता दिया कि 267 बच्चे हैं। जरा मुझे ये बता दे इसमें कि कितने कर्मचारी कार्यरत है ? कितने डाक्टर कार्यरत है ये आप बता दें ?

(स्वास्थ्य मंत्री) श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, फैकल्टि 41 है, तृतीय वर्ग से 77 है और चतुर्थ वर्ग के 47 है कुल 165 और इसमें जो बात आ रही है, मैं बाद में बोलता लेकिन अभी बता देता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस में हम सीधे कैसे ओबजर्व कर सकते हैं। यहां पी.एस.सी. के थ्रू भर्ती होती है। वर्ग तीन एवं चार के लिये अलग नियम है उसके अनुसार हमको करना है। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि उन पर विचार नहीं करेंगे। उनकी योग्यता के अनुसार वे विचाराधीन रहेंगे। लेकिन आरक्षण, यदि सरकारी तंत्र रहेगा तो क्या हम आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करेंगे, कैसे हम सीधे ले ले।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा नहीं है। जब आप पूरे नियम विरूद्ध कर रहे थे तो इस विधेयक में आप ये लिख सकते थे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नियम के विरूद्ध कुछ भी नहीं है सभापति महोदय।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त कीजिए श्री बृजमोहन जी, कृपया समाप्त कीजिए। माननीय देवव्रत जी।

श्री देवव्रत सिंह :- सभापति महोदय, सभापति महोदय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं आपकी जानकारी में दे दूं जितने अशासकीय महाविद्यालयों का शासकीकरण किया गया है, उनके सभी कर्मचारियों को रेगुलर रखा गया है और रेगुलर रखने के बाद उनको कहा गया है कि जो उनकी योग्यता है, वह योग्यता पूरी कर लें। आज आप अगर ये चाहते तो कर सकते थे कि उनको नियमों में छूट दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जितने वर्तमान में कर्मचारी, अधिकारी, डाक्टर काम कर रहे हैं उनको रखा जाएगा।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसको कर सकते थे। आपने इसमें क्यों नहीं किया।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अभी तो नियम आयेंगे सभापति महोदय। अभी तो एक्ट आ रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आखिर वहां के कर्मचारी, अधिकारी का क्या होगा ? 167 बच्चों की तो चिंता कर रहे हैं। 167 वहां पर काम करने वाले डाक्टर, द्वितीय वर्ग के कर्मचारी, तृतीय वर्ग के कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी उनका क्या होगा ?

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी रिप्लाई बताएंगे ना आपको। माननीय देवव्रत सिंह जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, इसे विधेयक में लिख दिया। ये क्या उनके साथ में अन्याय नहीं है, क्या ये जनहित है ? आप कैसा जनहित कर रहे हैं और इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये जो पूरा कानून लाया गया है। मैं आरोप [XX][5] क्या ये औचित्यपूर्ण है, क्या हम लोग कहेंगे कि इसे अधिग्रहित कर लीजिए? तो क्या ये होगा ?

सभापति महोदय :- नहीं, आपने जो ये कहा है ये उचित नहीं है, मैं इसे विलोपित करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने कहां कहा ?

सभापति महोदय :- आपने कहा न आरोप लगा रहा हूं करके बोलते जा रहे हैं आप। नहीं आपने जो कुछ भी कहा, किसी के समझ का भी हो उसे विलोपित किया जाता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने आरोप नहीं लगाया। मैंने कहा समाचार पत्रों में छप रहा है। क्यों मैंने कोई नाम लिया क्या ?

सभापति महोदय :- आपने नाम न लिया हो पर कहा न आपने। किसी न किसी समझ के बारे में है। इसलिए इसको विलोपित करते हैं। श्री देवव्रत सिंह जी अपनी बात कहिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, ये देश के प्रचलित समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में छपा है।

सभापति महोदय :- हो गया बृजमोहन जी बहुत ज्यादा। काफी समय हो गया अब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये सोशल मीडिया में है और इसलिये ये जो कानून है ये कानून पूरी तरह संविधान की भावना के विरूद्ध है, जनहित के विरूद्ध है। ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये लाया गया है। इसलिए इस कानून का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय देवव्रत सिंह जी।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक ऐतिहासिक विधेयक प्रस्तुत हुआ है। छत्तीसगढ़ चन्दुलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ निमार्ण के बाद में ये एक ऐसा कदम उठा है। हमने हमारे द्वारा सरकार के द्वारा उठाया गया है। इसमें कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की असमिता और स्वाभीमान का ध्यान रखा गया है। मैं समझता हूं कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ ये अकेला ऐसा हॉस्पिटल था जो दुर्ग, कर्वधा, बालोद, बेमेतरा और राजनांदगांव ये पांचों जिलों के गरीब से गरीब व्यक्ति की अगर कोई मेडिकल की कोई व्यवस्था थी तो केवल इसी अस्पताल में थी और लगातार पिछले 20 वर्षों से हम लोग इस महाविद्यालय, इस मेडिकल कॉलेज को देख रहे हैं, इस संस्था को हम देख रहे हैं और बड़ी हिम्मत करके और बड़ी हिम्मत के साथ-साथ इस मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। मैं समझता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में कॉरपोरेट जगत मेडिकल कॉलेज का संचालन कर रहा है

[XX][5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यदि छत्तीसगढ़ के नवयुवकों ने एक हॉस्पिटल जो स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी की स्मृति में है। उसमें अगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस समय सांसद था और जब छत्तीसगढ़ के नवयुवक लोगों का एम.सी.आई. (मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया) में जब इनका साक्षात्कार हुआ था तब मुझे वहां जानने और साथ में जाने का मौका मिला था। उस समय केन्द्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस समय केन्द्र के सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को इसलिए अनुमति प्रदान की थी कि एक नये राज्य में इस महाविद्यालय, कॉलेज को स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, आप इस एक्ट में अगर धारा 3 और 4 को पढ़ेंगे तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से राज्य शासन एक ऐसे मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण कर रहा है जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस कॉलेज को स्थापित किया है। यदि किसी कारण वश जो नये-नये प्रबंधन के तरीके हैं जो वित्तीय परेशानियां हैं उसको देखते हुए यदि यह महाविद्यालय नहीं चल पाये, यह मेडिकल कॉलेज नहीं चल पाएगा तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं अभी माननीय सदस्य को सुन रहा था। माननीय सदस्य इस बात को कह रहे थे कि किस तरीके से जिनके हित प्रभावित होंगे, उनका क्या होगा? अभी भारत सरकार ने 5 राष्ट्रीयकृत बैंक का विलियन कर दिया, 5 बैंकों का अधिग्रहण कर दिया, मैं भी 20 सालों से देना बैंक में हितग्राही था। लेकिन रोतोंरात देना बैंक को केन्द्र सरकार ने अधिग्रहण करके, जब बैंक ऑफ बड़ौदा में संविलियन किया, अधिग्रहण किया तब तो हम लोगों से नहीं पूछा गया। देखिए जब परिस्थितियां बनती हैं तो मेडिकल कॉलेज को आगे चलाने के लिए ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका पैसा तो नहीं डूबा ?जो आपका पैसा डिपॉजिट था, कहीं दूसरे बैंक में विलिन किया गया तो आपका पैसा तो सुरक्षित है ?आपको यह तो नहीं कहा गया कि आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। पुराने डायरेक्टर ..।

श्री देवव्रत सिंह :- इस एक्ट में ऐसा कहां लिखा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- यह यहां लिखा है। इसमें क्लियर लिखा है कि जो देनदारी है उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, यह क्लियर लिखा है।

श्री रविन्द्र चौबे:- अच्छा, महाराष्ट्र बैंक और यस बैंक में कितने लोगों का पैसा डूब गया और कोई मोदी पैसा लेकर भाग गया। कोई शेयर होल्डर पूछकर भागा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- इनको किसने दिया था ? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे:- मोदी भाग गया।

श्री सौरभ सिंह :- हमारी सरकार तो वसूली कर रही है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे:- महाराष्ट्र बैंक और यस बैंक डूब गया। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- किसकी सरकार के समय दिया गया था ?

श्री सौरभ सिंह :- उस समय सरकार किसकी थी ?यू.पी.ए. की सरकार थी। हमारी सरकार तो वसूली कर रही है।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ जी बाद में आपका नाम है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे:- कितने मोदी भाग गये। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- उसका 90 प्रतिशत पैसा बेचकर वापस ले आए।

श्री रविन्द्र चौबे:- यह मोदी क्यों भागता है ?

श्री सौरभ सिंह :- डायक्टोरेट ने 90 प्रतिशत पैसा बेचकर वापस ले आया। जो पैसा डूब गया था, उसका 90 पैसा डायक्टोरेट ने उनकी संपत्तियों को बेचकर वापिस बैंक के खाते में जमा किया। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे:- नीरव मोदी हो या कोई भी मोदी हो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह प्रदेश की आवश्यकता है इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए।

सभापति महोदय :- कोई भी सदस्य जो बीच में उठकर बात करेगा, वह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा। अब कार्यवाही चलने दीजिए। आपका नाम बोलने वालों में है। आप अपने समय में बोल लीजिएगा।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, धारा 4 में यह पारदर्शी तरीके से बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि स्वत्वों एवं हितों के साथ सरकार में निहित हो जाएगा और उसके संबंध में किसी भी व्यक्तिख जीवित अथवा न्यायिक, व्यक्ति, कंपनी, अंश, धारक अथवा किसी अन्य संस्था का स्वत्व, कब्जा एवं हित समाप्त हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को क्लेम करना है तो जिन लोंगों से अधिग्रहण किया है उनको जो राशि मिली है उसको क्लेम करते रहे। यह ता बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है और कहीं भी अधिग्रहण होता है तो लॉन्ग सेडिंग ड्यूश है उसको थोड़ी कव्हर किया जाता है। तत्कालिक रूप से जब अधिग्रहण होता है अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही है, अधिग्रहण के समय में पूरा एक्ट है भारत सरकार का अधिग्रहण करते समय एक्ट है इसमें कहीं इस बात का प्रावधान नहीं होता, जब अधिग्रहण के समय लायबिलिटिज तय हो जाती हैं उसके बाद किसी को कोई क्लेम नहीं बनता। यदि वह क्लेम करे तो वह निजी रूप से कोर्ट जाएंगे। दूसरा यहां राशि के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि लायबिलिटी का असेसमेंट कैसे होगा ? और जो असेसमेंट लायबिलिटी होगा उसके अधिग्रहण के बाद में जिनसे यह अधिग्रहण किया जायेगा,उनको बैंक के माध्यम से भुगतान किया गया तो मैं समझता हूँ कि यह पूरा ही एक्ट इतना क्लियर कट है और इसमें भुगतान योग्य राशि के संबंध में भी आपकी धारा दो में बिल्कुल स्पष्ट है कि अधिग्रहण की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए भुगतान योग्य राशि का उप धारा के अधीन निर्धारित की गई वास्तविक मूल्यांकन राशि की दो गुना दी जाएगी। माननीय सभापति महोदय, आज बैंक की जितनी भी पार्टी मोडगेज करती है, जब मोडगेज करने के बाद

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसका अधिग्रहण करके ऑक्सन करती है, उसमें तो बैंक तीन गुना और चार गुना का भुगतान लेती है। मैं समझता हूं कि यह एक्ट पूर्ण रूप से इतना पारदर्शी बनाया गया है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के भविष्य को देखते हुए, हमारा जो पूरा क्षेत्र पड़ता है। चाहे राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद है, यहां के नवयुवकों के लिए यह एक बहुत बड़ी पूंजी का निर्माण हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय स्वास्थ्य जी को बधाई भी देना चाहूंगा। हमारे पूरे अंचल में, हमारे पूरे क्षेत्र में इस बात की खुशी की लहर है कि यह जो हास्पिटल था, इसको हम हेल्थ की दृष्टि से मील का पत्थर देखते हैं। इस हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट होना और उसके बाद आज मेडिकल कॉलेज का शासकीयकरण अधिग्रहण होने से पूरे क्षेत्र में हंसी है। खुशी के साथ-साथ हमारे जो छात्र-छात्राएं हैं, उनमें भी विश्वास अर्जित होगा कि छत्तीसगढ़ का जो पहला मेडिकल कॉलेज है, उसके साथ सरकार खड़ी हुई है और छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान की बात है। निश्चित रूप से एक बड़ा योग्य है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव :- ऐमा जेखर आपरेशन होही तेखर आंखी बरोबर दिखही। आने मन कस कोनो बंद नई होय। ए हास्पिटल उसने बनही।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोरे आपरेशन करवाबो का।

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, मे हा पहली करा डरय हव।

श्री शिवरतन शर्मा :- पहली तोर कराबो।

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ) :- माननीय सभापति महोदय, मैं चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के बारे में जितने भी विद्वान सदस्य हैं, खास करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का भी पूरा वक्तव्य है, सदन के समक्ष में आया है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण का जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव जी ने इस बिल को लाया है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ में हमारी सरकार के ढाई साल होने के बाद एक अभिभावक का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने काम किया है। चूंकि मैं एक चिकित्सक हूं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं। जो छात्र वहां एडमिशन लिए, जिन छात्रों का भविष्य उस महाविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है, कहने को तो आपने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि अधिग्रहण करने की क्या जरूरत है, अगर उन बच्चों का भविष्य आपको सुधारना है, तो जो छत्तीसगढ़ सूबे के अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें उनका दाखिला कर दो। माननीय सभापति महोदय, हर चीज बहुत क्लिष्ट होता है। कहना बड़ा आसान है कि उन बच्चों को दूसरे मेडिकल कॉलेज में आप समाहित

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कर दो। आप कैसे कर सकते हैं, आप मुझे यह बताईये जितने भी शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं और यह प्राईवेट मेडिकल कॉलेज है। शासकीय मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनकी अपनी वेटिंग लिस्ट होती है, मेरिट का आधार होता है। पी.एम.टी. में चयन होता है, वह मेरिट के आधार पर होता है। प्राईवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चों को अगर शासकीय मेडिकल कॉलेज में समाहित कर देंगे तो कहीं न कहीं जो वेटिंग के बच्चे हैं, जो मेरिट के बच्चे हैं, उनके अधिकार का हनन होगा और यह आप नहीं कर सकते। कोर्ट में कोई भी जाएगा वह मामला बहुत लंबित हो जाएगा। इन बच्चों के भविष्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो अधिग्रहण का निर्णय लिया है न केवल उन छात्रों की बात है, पूरे कोरोनाकाल में जो दूसरी लहर है, उसकी भयावत: को हमने देखा है। चिकित्सकों की कमी को देखा है, जो लगातार बातें आ रही थी कि वहां के जो हितग्राही हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, उनके लाभ को देखा जा रहा है। यह जो बिल है, वह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्यगत ढांचा को मजबूत करने के लिए लाया गया है। इसको समझना चाहिए। इसको बहुत उदारता के साथ स्वीकार करना चाहिए। इस विधेयक को सर्व सम्मति के साथ पास करना चाहिए। क्योंकि जो 150 चिकित्सक हैं, छत्तीसगढ़ को हर साल मिलेंगे। आपको इस बात को देखना चाहिए। इसमें आपका क्या हित है, अहित है, मुझे समझ में नहीं आती। लेकिन एक चिकित्सक के रूप में यह तो समझ में आता है। माननीय सभापति जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। कांग्रेस की जो सरकार है, वह हमेशा लोकहित में और लोकधन के सदुपयोग के बारे में सोचती है। चूंकि मैं एस.ई.सी.एल. और कोल बेल्ट का विधायक हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा । कोल माइंस के जो मजदूर होते थे, उनकी तकलीफों को देखकर माननीय इंदिरा जी ने 70 के दशक में कोल इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया । मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूं, इस विधेयक की तुलना उससे नहीं कर रहा हूं लेकिन कहीं न कहीं इन बच्चों के भविष्य को देखकर स्वास्थ्यगत ढांचा को मजबूत करने के लिये अगर हमारी सरकार यह काम करना चाह रही है, कोई एक प्राईवेट मेडिकल कॉलेज खुला ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, डॉ. साहब समर्थन में हैं । माननीय कवासी लखमा जी और माननीय डॉ. साहब के गले में यदि मछली का कांटा फंसे तो उसका ईलाज त्वरित उस मेडिकल कॉलेज में हो जाए । उसकी सुविधा होनी चाहिए, वह फेकल्टी खुलनी चाहिए ।

सभापति महोदय :- चलिये, इससे कोई संबंध नहीं है । चंद्राकर जी, आप बैठिए । आप अपनी बात जारी रखिए ।

डॉ. विनय जायसवाल :- चंद्राकर जी, आप भी इस सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने ध्यानाकर्षण में एक अच्छा मुद्दा उठाया था कि एन्जियोप्लास्टी और ओपन हॉर्ट सर्जरी की बात हो रही थी । मैं इनसे केवल यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2003 से लेकर 2018 के बीच में जो सबसे बड़ा अस्पताल है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री थे, ये भी चिकित्सकीय पेशे से हैं ।

कितने ओपन हॉर्ट सर्जरी हुए ? कितने एन्जियोप्लास्टी हुए इस बात का जवाब दे दीजिए न। वर्ष 2018 के बाद आज हमारी सरकार आयी है, यह बड़ी-बड़ी सर्जरी जो सुपरस्पेश्यलिटी सुविधाओं को हम अपने अस्पताल में चालू करने की स्थिति में हैं । मैं आपसे यह बात बोलना चाहता हूं, आप बता दीजिये, जवाब दे दीजिए कि 15 साल आपकी सरकार थी कितने एन्जियोप्लास्टी हुए, कितने ओपन हार्ट सर्जरी हुए ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या आपने मुझसे पूछा है ?

डॉ. विनय जायसवाल :- हां, गिनकर बताईए न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, मैं बता रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से लेकर अभी तक 2000 सर्जरी हुई है । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- वर्ष 2017 नहीं, वर्ष 2018 । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- डॉ. जायसवाल जी समाप्त करें ।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैं आपको बता रहा हूं कि 15 सालों में एक भी ओपन हॉर्ट सर्जरी नहीं हुई है । मैं उस महाविद्यालय का छात्र हूं और उसी छात्र राजनीति से आज यहां विधायक बनकर बैठा हूं । मैं आपको बता रहा हूं कि 15 सालों में आप लोगों ने एक ओपन हॉर्ट सर्जरी और एक एन्जियोप्लास्टी नहीं की है । आज हमारी सरकार आने के बाद आज हम सुपरस्पेश्यलिटी सुविधाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं । आप लोगों को इसमें तकलीफ क्यों होती है ? इस मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से यदि हमारे स्वास्थ्य का इंफ्रा अच्छा हो रहा है, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिल रहा है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- विनय, आप तो ओपन हॉर्ट सर्जरी की बात कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के निजीकरण के समर्थन में बोल रहे हैं । डॉ. साहब जो 15 साल थे, ये ओपन हॉर्ट सर्जरी पर विश्वास नहीं करते थे । कई ठोक पुड़िया को मिलाकर के दे देते थे तो किसी को सर्जरी करने की जरूरत नहीं थी ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यदि आज हमारी सरकार शासकीय उपलब्धता के साथ सुपर स्पेश्यलिटी सुविधाओं को बढ़ाना शुरू कर रही है तो धीरे-धीरे अच्छा होगा । आप धैर्य तो रखिए । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने 1700 के आसपास का आंकड़ा बताया था कि सरकार बनने के बाद इतनी सारी कॉर्डियक सर्जरी है और जो कॉर्डियक इन्टरवेंशन है वह मैकाहारा में हुआ है, यह बड़ी उपलब्धि है । आप लोग 15 सालों में जो उपलब्धि अर्जित नहीं कर पाये, वह हमारी सरकार ने किया है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से यह जो अधिग्रहण का बिल है इसके लिये मैं बहुत साधुवाद देते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत दिल से बधाई देता हूं कि आपने उन बच्चों के अभिभावक के रूप में काम किया । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा ।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- महाराज, आप बृजमोहन जी के चक्कर में मत फंसना । ठीक-ठीक बोलना ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- बिल्कुल ठीक-ठीक बोलूंगा । कांटा फंसेगा तो मैं आपके ईलाज की व्यवस्था करूंगा । माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ का बड़ा नाम है और उनके नाम पर स्मृति महाविद्यालय शुरू हुआ और जब उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शासन ने शुरू की है तो उसके विरोध में अगर सबसे पहला कोई व्यक्ति निकला है तो चंदूलाल चंद्राकर जी के परिवार का व्यक्ति उनका प्रपोत्र, उनके बड़े भाई का पोता निकला है । उसने हाईकोर्ट में इसके लिये याचिका भी लगाई है कि इसका अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरा विषय माननीय बृजमोहन जी बहुत विस्तार से बोल चुके हैं। मैं केवल 4 लाइन पढ़कर बताता हूं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वामी द्वारा अपनी वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए राज्य शासन से चिकित्सा महाविद्यालय अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया और इनके आगे इन्होंने क्या लिखा है और यथा राज्य शासन संतुष्ट है कि चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का तत्काल अधिग्रहण किया जाना लोक हित में आवश्यक है। यह विद्यार्थियों के लिए नहीं, उनके स्वामियों के निवेदन पर कर रहे हैं और जहां तक विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स पूरा हो गया। कुल 6 महीने का कोर्स बाकी है। केवल उन विद्यार्थियों की बात होती है। तो उन विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ के किसी भी महाविद्यालयों में adjust करके उनका एज्यूकेशन पूरा कराया जा सकता है। पर लोगों को उपकृत करना है, इसलिए अधिग्रहण करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बृजमोहन जी ने विषय उठाया तो कहा टंकण त्रुटि है। वह दोगुना नहीं है। जो मूल्यांकन होगा, वह भुगतान करेंगे। पर इतनी बड़ी mistake आपसे हो गयी, इसके प्रस्तुतीकरण के दौरान कल भी विरोध दर्ज हुआ। आज भी बात हुई, पर आपने इसमें विरोध कब बताया कि हम इसे सुधारेंगे। जब बृजमोहन जी ने इस विषय को उठाया तब और अगर चुपचाप पास हो जाता तो उनको दोगुना भुगतान भी होता। आप लिख रहे हैं कि निहित होने के पूर्व इनके स्वामियों पर किसी भी जीवित व्यक्ति को किसी भी देयता के लिए सरकार दायित्वहीन नहीं होगी और ऋणदाताओं द्वारा उनकी वसूली इसके पूर्व के स्वामियों से की जा सकेगी। आप भुगतान तो इनके पूर्व के स्वामी कंपनी के खाते में कर रहे हैं और देनदारी आप स्पष्ट क्यों नहीं करते कि कंपनी की जो भी किसी भी प्रकार की देनदारी होगी। हम उनके खाते में बाद में डालेंगे, पहले देनदारियों को जो देना है, उन्हें पहले क्लियर करेंगे और उसके पश्चात् जो बचेगा, उन्हें देंगे। पर यह लिखना इस बात को सिद्ध

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करता है कि सरकार की नीयत और वर्तमान में इस कंपनी के जो डायरेक्टर है, दोनों की नीयत यह है कि जो वास्तव में बेचारे कंपनियों को चलाने के लिए अपने पास से पहले ऋण दिये हैं, वह ऋण का पैसा वापस न करना पड़े। कंपनी के वर्तमान जो भी डायरेक्टर हैं, वे इस नीयत को रखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उनके उस नीयत को सहयोग करना इस सरकार का, यह विधेयक बता रहा है कि आप उन्हें सहयोग कर रहे हो। अभी तक छत्तीसगढ़ में कई बार बहुत से संस्थाओं का अधिग्रहण हुआ है और जब संस्थाओं का अधिग्रहण किया गया तो उसके जितने कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को भी शासकीय सेवा में उस पद पर लिया गया, पर आप पूरे शासकीय कर्मचारियों को छोड़ रहे हैं। चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति महाविद्यालय के कर्मचारियों का शासकीय सेवा पर किसी भी सेवा पर किसी दावे का न होना माने वे कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। आप पुराना इतिहास दिखवा लीजिए। मैं चिकित्सा महाविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं। पर और बहुत सी संस्थाओं को शासन ने अधिग्रहण किया है खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने। उसमें जितने कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को शासकीय सेवा में लिया गया है और छत्तीसगढ़ कॉलेज और देवेन्द्र नगर कॉलेज आपके पास इसका उदाहरण है। माननीय जय बोलूं या वीरू बोलू? क्यों साहब? जय बोलूं, वीरू बोलूं, गब्बर सिंह बोलूं, ठाकुर बोलूं, क्या बोलूं, आप बता दो।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- भूपेश, टी.एस., जय-वीरू, जो आपको पसंद हो। ये दोनों विकल्प हैं। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वो गब्बर और आप ठाकुर?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नहीं, भूपेश-टी.एस.। वीरू-जय।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, पर जय का क्या हुआ था, आपको मालूम है या नहीं?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नहीं, इस वाले जय का वह हश्र नहीं होगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप अगर अधिग्रहण कर रहे हैं तो वहां जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को भी शासकीय सेवा में रखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार के कार्यकाल का आधा समय निकल गया, 31 महीने पूरे हो गए अब तो 29 महीने ही बचे हैं । यह सरकार एक भी नई संस्था बनाने में सफल नहीं हुई । इस सरकार ने क्या काम किया है, या तो पूर्व में संस्थाएं बनी हैं, उनका नाम परिवर्तित कर दो और अभी चंदूलाल चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण कर लो । अरे, कुछ नया करो ना प्रभु । क्या आप लोग नया करने में सक्षम नहीं हैं ? केन्द्र ने कोरबा, कांकेर और महासमुंद लोक सभा क्षेत्र के लिए 3 नये महाविद्यालय स्वीकृत किये हैं । उसमें केन्द्र आपको अनुदान भी देने वाला है, आप उस काम को ज्यादा तेज गति से करते तो अच्छा होता । अगर आपको दुर्ग में ही चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करना है तो शासन का 600 बिस्तर का सर्वसुविधायुक्त अस्पताल है, आप उस अस्पताल को आधार बनाकर एक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ कर सकते हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लेकिन यहां आपका पर्सनल इंट्रेस्ट है, जब उस परिवार के लोग विरोध कर रहे हैं । चंदूलाल चंद्राकर जी के प्रपौत्र इसका विरोध कर रहे हैं और वे कोर्ट में जा रहे हैं तो इसको अधिग्रहण करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, ज़रा स्पष्ट कर देंगे ?

सभापति महोदय :- शिवरतन जी समाप्त कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह आखिरी बैच है, इसलिए आप विद्यार्थियों के हित की बात मत करो । इसके पीछे क्या राजनीतिक हित है यह बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, इसमें अमित चंद्राकर जी का नाम कई बार आया । मैं सदन से यह भी साझा करता हूं कि अमित चंद्राकर जी मुझे से मिलने के लिए भी देर रात एक एडवोकेट के साथ आए थे । उन्होंने बहुत सारी बातें रखने की पहल की । मैंने कहा बताइए इस अधिग्रहण के खिलाफ आपके पास क्या कारण या सबूत है, यह क्यों नहीं होना चाहिए ? आपके पास कोई भी दस्तावेज हों दे दें, उन्होंने जो बात कही, वह सुपेला वाले अस्पताल के बारे में कही । सुपेला का जो अस्पताल है उसकी जो भूमि है वह निगम ने लीज़ पर दी थी, उस पर लोन लेने के बाद जो अस्पताल बना, उस अस्पताल का पूरा लोन पट गया है, उस अस्पताल को बंधक रखकर, बैंक से ऋण लिया गया इस अस्पताल को बनाने के लिए । यह विसंगति बैंक की है, उसने लोन क्यों दिया ? इस कॉलेज को अधिग्रहित करने के संबंध में कोई भी सबूत, कोई भी दस्तावेज आपके पास हों तो मुझे दे दीजिए । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उसको साझा कर दूंगा, वह दिन है और आज का दिन है उन्होंने मुझे कोई दस्तावेज नहीं दिये, कोई जानकारी नहीं दी, कोई नई बात नहीं बताई ।

सभापति महोदय :- चलिए, शिवरतन जी समाप्त कीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, सारे समाचार पत्रों में छपा है कि इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए जो लोन लिया गया और जिस जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, वे दस्तावेज भी नजूल के पट्टे थे जिसके आधार पर लोन नहीं लिया जा सकता, यह समाचार पत्रों में छपा है । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केन्द्र हर लोक सभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर चुका है । 3 कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है । आपके पास दुर्ग में 600 बिस्तर का अस्पताल है आपको इस हॉस्पीटल को अधिग्रहण करने का क्या कारण है ? यह किसी न किसी को उपकृत करने की मानसिकता है, इसलिए आप अधिग्रहण कर रहे हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, एक जिला अस्पताल है और एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या हम उसका अंतर भी नहीं समझते हैं ?

सभापति महोदय :- चलिए, शिवरतन जी आपकी सारी बातें आ गई । डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, 600 बिस्तरों का अस्पताल है और रायपुर में भी जब मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ तो डी.के.एस. में शुरू हुआ था । रायपुर का मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में ही शुरू हुआ था ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वे प्रारंभिक दिन थे । राजनांदगांव में क्या हो रहा है देखिये ना ? लेकिन मेडिकल कॉलेज भी है और जिला अस्पताल भी है, दोनों को रखना है । जगदलपुर के महारानी अस्पताल में क्या हुआ ? अंबिकापुर में क्या हो रहा है ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के मामले के समर्थन में मैं अपना पक्ष रखूंगी । अभी अभी हम लोग कोविड महामारी के दौर से गुजरे हैं और उसमें हॉस्पीटल और चिकित्सक दोनों ही की बड़ी समस्या थी । ऐसी स्थिति में हमारे लिए हॉस्पीटल और चिकित्सा महाविद्यालय दोनों की अनिवार्यता है । ऑल इंडिया मेडिकल कौन्सिल के नियम इतने ज़्यादा कठोर है कि उनके नियमों का पालन करना और इसके पहले बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी बंद हो गए क्योंकि ऑल इंडिया एआईसीटी के नियम बहुत कठिन हैं। ऑल इंडिया मेडिकल कॉसिंल के नियम भी बहुत कठिन है और उनके नियमों को फूल-फिल करना मुश्किल था और उसमें सारे विद्यार्थी जो पढ़े रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुसीबत थी ऐसी स्थिति में लोककल्याणकारी भावना मानवीयता की भावना और स्टूडेंट की स्थिति को ध्यान में रखकर यदि मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहरण कर रहा है और ऐसे भी दुर्ग जिला में मेडिकल कॉलेज की मांग थी बहुत पहले से मांग थी कि दुर्ग में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और इस पवित्र कार्य को, इस लोककल्याणकारी कार्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लोगों के हित में ध्यान में रखकर यदि उसको अधिग्रहरण कर रहे हैं और नया मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा विरोध की आवश्यकता नहीं है और विपक्ष को एक मानवीय संवेदना दृष्टिकोण में इसे ध्यान में रखते हुए एक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसको बनाने में जैसा कि अभी आई.आई.टी. जो बन रहा है कितना साल हो गया और यदि हम नये मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे तो भी बहुत साल लग जाएगा और हमारे पास बना-बुनाया इन्फ्रास्ट्रक्चर है और उसको लोगों की सेवाएं देने के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए उसको यदि अधिग्रहरण किया जा रहा है तो मैं समझती हूं कि इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती और मैं विपक्ष से भी निवेदन करती हूं कि इसमें बेवजह विरोध न करें क्योंकि आज प्रदेश को डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूं। धन्यवाद आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहरण पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में

लिखा है कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत चंदूलाल चंद्राकर स्मृति अस्पताल पंजीयन क्रमांक 10 जो चंदूलाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का वर्तमान स्वामी है। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में 3-4 बातों को बता दें कि ये जो इक्यूजेशन जो हो रहा है ये इक्यूजेशन कंपनी का हो रहा है। एस अन होल जो स्वामी है कि कंपनी के कुछ निहित असेस्ट का हो रहा है ये क्लीरीटी साफ आनी चाहिए। मैं बोल लेता हूं माननीय जी, मैं अंतिम रखता हूं फिर आपकी भाषण बोल दीजियेगा कि टोटल कंपनी का इक्वीजेशन हो रहा है है कि सर्टेन असेस्ट का इक्वीजेशन हो रहा है नंबर 1, नंबर 2 अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसा कि इसमें निहित है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका हम इक्वीजेशन करने जा रहे ।हैं अगर ये प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है तो आर.ओ.सी. में अपना रिटर्न फाइल करती होगी और आर.ओ.सी. में अपना रिटर्न फाइल करती होगी तो उसकी बैलेंस शीट इस सदन को मिलनी चाहिए और जब इस सदन को बैलेंस शीट मिलेगी तो डॉ. साहब की मूल चिंता थी कि उसमें अनस्योकोर्ड लोन कितना है सिक्योर्ड लोन कितना है संड्री डेटर्स कितने हैं ये आर.ओ.सी. की ऑडीट कॉपी इस सदन को मिलनी चाहिए। अगर हम कंपनी का इक्वीजेशन कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट तो मिलनी चाहिए और अगर उस कंपनी ने बैलेंस शीट फाइल नहीं की है तो 3-4 साल में इसमें आर.ओ.सी. में इसमें बैलेंस शीट में फाइल नहीं हुई है तो अपने आप में गलत है कि जो कंपनी ने आर.ओ.सी. की जानकारी नहीं दी है। अपने बैलेंस शीट की लोंस, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोंस डेटर कौन है कहां का डेट है तो वैसी कंपनी का इक्वीजेशन करना क्या नीतिगत है और इसकी ट्रांसफिरेंशी होनी चाहिए हर जगह ट्रांसफिरेंशी होती है। अगर एम.टी.ए. में कोई कंपनी जाती है अगर एन.सी.एल.टी. कोर्ट में कोई कंपनी जाती है तो आप इंटरनेट में देख सकते हैं कि कितने डेटर्स हैं और उनके कितने लोन हैं सिक्योर्ड लोन कितना है और अनसिक्योर्ड लोन कितना है वो आप साफ-साफ देख सकते हैं इस पर अगर सरकार की नीति सही है तो ट्रांसफिरेंशी से वो बाहर आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कम्पनी का एक्वीजिशन कर लिया । कम्पनी का एक्वीजिशन करने के बाद अगर हमने कम्पनी का एक्वीजिशन कर लिया, वही चीज की क्लीयरिटी यदि हम शार्टेन एसेट्स का एक्वीजिशन कर रहे हैं या कम्पनी का एक्वीजिशन कर रहे हैं । यह क्लीयरिटी आ जानी चाहिए कि हम एसेट्स का एक्वीजिशन कर रहे हैं और एसेट्स के पीछे जो लायबिलिटी है, उसकी देनदारी किसकी होगी । जो एसेट्स का हम एक्वीजिशन कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 जो एसेट्स का हम एक्वीजिशन कर रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सौरभ सिंह जी, लंदन फोन लगाओ, वीडियो कांफ्रेंसिंग में माल्या बतायेगा कि कैसे-कैसे होता है । वे क्या बोल रहे हैं, हमारे कुछ पल्ले पड़ रहा है । क्या लोन, क्या कर्ज, क्या बोड़ी ? एक गाड़ी कर्जे में लिये हैं, उसी टेंशन में यहां बैठे रहते हैं । उसके भी 20 लाख रूपये का अभी आदेश नहीं हुआ है । और ये क्या-क्या इतना कठिन-कठिन बात कर रहे हैं । सरल बात करिए न ।

श्री सौरभ सिंह :- जितने बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी बातें बोल दीं । मैं टेक्नीकल बातें बोल रहा हूं ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आदरणीय सौरभ भैया, जो भी काम कर रहे हैं, वह सोच-समझकर, पढ़-लिखकर नियम के तहत हो रहा है । इतना ज्यादा बखान करने की जरूरत नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- प्रदेश की जनता के पैसे का दुरूपयोग न हो और सदुपयोग हो, उसकी क्लीयरिटी की बात कर रहा हूं । माननीय मंत्री जी सारी चीजों को समझ रहे हैं, वे कम्पनी एक्ट को भी जानते हैं, वे इंडीव्यूजवल सिस्टम को भी जानते हैं, प्राईवेट पार्टनरशिप फर्म को भी जानते हैं, ट्रस्ट के एक्ट को भी जानते हैं । तीन-चार ढंग से तो काम होगा न । उसको सबको जानते हैं । अंत में मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपने जिस दिन कम्पनी का एक्वीजिशन कर लिया, आपने कम्पनी के एसेट्स को एक्वीजिशन कर लिया तो क्या वह राज्य सरकार का उपक्रम रहेगा या वह एक नार्मल मेडिकल कॉलेज रहेगा ? इस चीज की भी क्लीयरिटी आनी चाहिए।

विधि मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- आपने अभी कम्पनी अधिग्रहण के बारे में की। सवाल जो कम्पनी अधिग्रहण का होता है, वह शेयर ट्रांसफर के जरिए टेक-ओवर किया जाता है । यहां शेयर की कोई बात नहीं है । यहां बात मेडिकल कालेज की है इसलिए कम्पनी का कोई प्रश्न नहीं है । क्योंकि जब शेयर का ज्यादा हिस्सा ले लेंगे तो टेक ओव्हर हो जाएगा । यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- मैं वही चीज तो आपसे बोल रहा हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- आपला टेक्नीकल बहुत ज्ञान हवय तो यही निवेदन कर लेवव कि जांजगीर जिला में एक ठी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए । आप कहां टेक्नीकल बात करथव ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हमारे पास भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाने का 4000 शेयर है । उसके ट्रांसफर से काम होता हो तो वह भी कर देते हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- यहां शेयर ट्रांसफर का कोई मामला नहीं है । वह तो अधिग्रहण का मामला है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अकबर भाई, वह क्या मामला है, मैं उसमें ध्यान भी नहीं दे रहा हूं । समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मान लो आप ध्यान भी दोगे तो क्या आप समझ जाओगे? आप मत समझो, बोलने दीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 हजार रूपये का भोरमदेव शक्कर कारखाना का शेयर है। मैं तब से चुप बैठा हूं । जब बात समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने कहा कि माल्या को वीडियों कांफ्रेंसिंग में लगाओ, वह दो मिनट में समझा देगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, सेक्शन 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, किसी न्यायालय के किसी आदेश या निर्णय या डिक्री, अथवा किसी संविदा या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, संलग्न अस्पताल और समस्त परिसम्पत्ति । यानि एकदम क्लीयर लिखा है कि क्या अधिग्रहित किया जा रहा है । कम्पनी का कहीं भी उल्लेख नहीं है और यह विदित है । दूसरी बात, भाई सौरभ सिंह जी ने कहा, इसमें शासन विचार करेगा । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कन्सल्ट करेंगे । जैसे हमारे अन्य मेडिकल कॉलेज ये स्वायत्तशासी रजिस्टर्ड सोसायटियों के रूप में है । क्या हम इसको वैसे ही चलाएं, वह माननीय मुख्यमंत्री जी से कंसलटेशन के बाद में हम करेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया । मेरा अंतिम निवेदन था कि आप एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं तो आप इस चीज की क्लीयरिटी कर दीजिए । अकबर भाई ने कहा कि शेयर ट्रांसफर की बात नहीं है, हम एक सरटन एसेट्स को कम्पनी को टेक ओव्हर कर रहे हैं । बाकी कम्पनी की जो लायबिलिटी होगी, वह कम्पनी के जो और प्रमोटर्स होंगे, वह जानेंगे । यही क्लीयरिटी है न ?

श्री मोहम्मद अकबर :- हां, यही है ।

श्री सौरभ सिंह :- ठीक है, परन्तु इस बात को इस बजट में निहित कर दीजिए कि जो एसेट्स आप टेक ओव्हर कर रहे हैं, उसकी लायबिलिटी अगर बाद में कोर्ट फिक्स कर देता, जैसे माननीय बृजमोहन जी बोल रहे थे, अगर उसकी लायबिलिटी फिक्स कर देता है तो उसकी देनदारी किसकी होगी । जिस एसेट्स को आप टेक ओव्हर कर रहे हैं और उस एसेट्स को आप टेक ओव्हर कर रहे हैं, अगर उसमें कोर्ट से लायबिलिटी फिक्स होती है क्योंकि मामला काम्पलेक्स है ।

सभापति महोदय :- सौरभ जी, समाप्त करें । माननीय देवेन्द्र यादव जी ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई) :- माननीय सभापति महोदय, चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदूर जिला दुर्ग को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिग्रहित करने के विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले समय कोविड संक्रमण का दौर था। हमें अच्छे से याद है कि ऐसा महामारी का प्रकोप आया कि एकाएक हर स्तर पर, हर कोई स्तब्ध रह गया कि इस महामारी से कैसे लड़ा जाये। हम दुर्ग जिले को देखते हैं, हम भिलाई को देखते हैं। भिलाई का एक अस्पताल सेक्टर-9 बी.एस.पी. के द्वारा संचालित है। उस अस्पताल के ऊपर जो कमियां थी, उस अस्पताल के ऊपर जो लोड था, इन दोनों हमारी सरकार देख रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय एक घोषणा करते हैं कि सेक्टर -9 अस्पताल को सर्वसुविधायुक्त बनाया जायेगा। सेक्टर-9 अस्पताल को सर्वसुविधायुक्त बनाने के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए जितना भी व्यय होगा, वह हम डी.एम.एफ. फण्ड से खर्च करेंगे। हमारे शासन के अधिकारी वहां पर जाते हैं, बी.एस.पी. मैनेजमेंट से बात करते हैं, सेल मैनेजमेंट से बात करते हैं। लेकिन केन्द्र में बैठी इनकी सरकार को यह नहीं दिखता कि दुर्ग संभाग को एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है, एक सर्वसुविधायुक्त अस्पताल की जरूरत है। जब डी.एम.एफ. के पैसे के सदुपयोग के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ती है, तब भी एन.ओ.सी. नहीं देती है। उस समय, उस तकलीफ के दौर में बी.एस.पी. अपने सेक्टर-9 अस्पताल के दरवाजे बंद कर रही थी, उस समय यह इन्फ्रस्ट्रक्चर खड़ा था। आज इनको शर्म आनी चाहिए, जो इस पवित्र काम को किस ओर ले जा रहे हैं ? राजनीतिक दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। यह चंदूलाल अस्पताल का पूरा इन्फ्रस्ट्रक्चर हजारों लोगों की जान बचा रहा था। 5 हजार से ज्यादा लोगों का ईलाज उस संस्थान में हुआ। एक-एक आदमी की जान बचा रहा था। भले ही राजनांदगांव अस्पताल में जगह नहीं थी, तो हमारा चंदूलाल हास्पिटल पूरे इन्फ्रस्ट्रक्चर के साथ खड़ा हुआ था। चंदूलाल जी के नाम पर अस्पताल, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के नाम पर अस्पताल है। बहुत ही ट्रांसपरेंसी से, पूरी जिम्मेदारी से यह विधेयक लाया जाता है। लेकिन विपक्ष को क्या है ? विपक्ष को तो गुमराह करना है। विपक्ष को तो लोगों को बरगलाना है। कुछ भी बात कर रहें, कोई भी बात कर रहे हैं। ये बच्चों की बात करते हैं। इनको दर्द नहीं होगा, मुझे दर्द है। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो सेक्टर का हमारा एक साथी मोहम्मद शकील वह उस कालेज का एम.बी.बी.एस. का छात्र था, लेकिन मेरे बूथ में कार्यकर्ता के रूप में बैठा था। जब मैं चुनाव जीत तो उसने कहा कि भैय्या, हमारा कालेज बंद हो रहा है, हमें सरकार से इंसाफ दिला दीजिये, अधिग्रहण करवा दीजिये नहीं तो हम लोगों का जीवन नष्ट हो जायेगा। वह लड़का मुझे रात-रात को फोन करता था। वह रोता था, उसका परिवार मेरे पास आता था, कहता था कि हमने एक सपना देखकर अपने बच्चें का उस कालेज में एडमिशन करवाया था कि वह आने वाले समय में एम.बी.बी.एस. डाक्टर बनकर निकलेगा। लेकिन इनको उस बात का दु:ख नहीं है कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। 186 बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बच्चों को कोई लेना-देना नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि ये कोर्ट में भी गये, बच्चें कोर्ट में गये, ये ही बताते हैं। फिर एक तरफ हमारे पूर्व सम्मानित बड़े वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री जी है, कहते हैं कि हम इस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं करने देंगे। फिर चर्चा भी करते हैं। चर्चा में बोलते हैं कि यह सही है, यह गलत है, इसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, कुल मिलाकर गुमराह करने की बात की जा रही है। आप देखिये कि यह विधेयक कितने सही तरीके से पेश किया गया है। उसमें लिखा है कि पूरी ट्रांसपरेंसी से काम होगा। उसमें एक अधिकारी की नियुक्ति होगी, अधिकारी जायेगा, वहां पर देखेगा, कितनी सम्पत्ति है, उस सम्पत्ति का आंकलन करेगा, आंकलन करके जारी करेगा। जिसको आपत्ति होगा, वह आपत्ति लगायेगा, आपत्ति साल्व होगी और क्या करें ? और क्या करें, आप बताईये न। हम गलत कहां पर हैं ? हम आपसे सवाल करते है, आप बताईये। जो आपत्ति होगा, उसका निराकरण होगा। उसमें

बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विक्रेता की सारी जिम्मेदारी होगी। जितनी भी जवाबदारी है, उस पर सरकार की, हमारे बच्चों की कोई जवाबदारी नहीं होगी। उसमें विक्रेता की जवाबदारी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि चंदूलाल अस्पताल किसी के लिए नहीं है। वह अस्पताल न हमारी सरकार भूपेश बघेल जी के लिए है, ना देवेन्द्र यादव के लिए है, ना आपके लिए है, वह युगों-युगों तक छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए है। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, जब आप इस दुनिया में रहेंगे तब भी चंदूलाल अस्पताल चलता रहेगा, वहां पर छत्तीसगढ़ के आम लोगों की सेवा होती रहेगी, हम लोग इस भावना के साथ काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत दु:ख होता है। कल मैं मीडिया लाइव डिबेट में गया था। लोग कहां-कहां की बात कर रहे हैं, पिछले चार दिनों में इनके दिल्ली के नेता, जो खुद अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकते कि वह किस दिशा में है, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो । ट्वीट कर रहे हैं । पूरी दिल्ली एक साथ लग गई कि भई एक प्रायवेट इंस्ट्टियूट का शासकीयकरण क्यों कर रहे हो ? आज जब पूरा देश देख रहा है, पी.एस.यू. को खत्म कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक सेक्टर यूनिट को आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, इनको समस्या हो रही है । अगर हम इस इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कहें, एक अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में 500-600 करोड़ रूपये लग जाते हैं । आज आधे से भी कम कीमत में इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, जिनको आने वाले समय में, जो डॉक्टर बनकर निकलेंगे, छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे, न जाने इसमें इनको क्या समस्या है ? मैं इनकी कार्यप्रणाली की बात करूंगा, यह बी.एस.पी. प्रबन्धन, इन्हीं की सरकार में आता है । अस्पताल को सुधार नहीं पा रहे हैं । सोशल रिस्पांसिबिलिटी निभाना बंद कर दिया है, न ठीक से पानी दे पा रहे हैं । हम लगातार इनकी मंत्रियों से, इनकी सरकार से, मैनेजमेंट से बात करके थक गये हैं, लेकिन इनके कान में जूँ नहीं रेंगती। हमारे सम्मानित वरिष्ठ लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं सारी बातें लिखा हूँ । मैं बहुत पटाक्षेप नहीं करूंगा । मुझे इस बात का दर्द है, एक पूर्व छात्र नेता के रूप में है, छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में भी है, भिलाई दुर्ग से आता हूँ तो वहां की जनता की तरफ से भी है। इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप, इस तरह के कार्य, जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है, छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के लिए है, इस तरीके से आरोप लगाना, बिल्कुल उचित नहीं है, दु:खद है, निंदनीय है । इस तरह के आरोप बिल्कुल स्वीकार नहीं होंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम लोग इस पवित्र सदन में है, हम लोग यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा के लिए उपस्थित हैं । ऐसे समय में आप लोगों को जागना चाहिये । व्यक्तिगत हित से आगे बढ़कर बिल का समर्थन करना चाहिये ।

सभापति महोदय :- श्री अरूण वोरा जी ।

सभापति महोदय :- पहली बार आपके समक्ष बोलने का अवसर मिला है, मुझे दो मिनट बोलने का अवसर दे दें । मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा । माननीय सभापति महोदय, मैं फिर से इस बात

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को दोहराऊंगा, इसको बड़े हृद्य से लेना चाहिये, यह एक कंपनी की बात नहीं है । जो उल्लेख किया जा रहा था, कंपनी-कंपनी-कंपनी, वह कंपनी नहीं है, वह हॉस्पीटल-हॉस्पीटल-हॉस्पीटल है । इस बात को समझना पड़ेगा कि हम इस भावना से काम कर रहे हैं, लोगों के लिए अस्पताल बना रहे हैं, यह आरोप लगा रहे हैं कि वह कंपनी है, वह कंपनी है । इन आरोपों से कुछ नहीं होगा । हमारे जीवन के बाद भी चन्दूलाल जी की स्मृति में यह अस्पताल लोगों की सेवा करता रहेगा । स्वास्थ्य की रक्षा करता रहेगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- मूल विधेयक में एक बार पढ़ लीजिए, कंपनी है कि हॉस्पीटल है ।

सभापति महोदय :- माननीय अरूण वोरा जी ।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ....।

श्री धर्मजीत सिंह :- तैयारी तो आज देवेन्द्र की अच्छी थी । आपकी होगी । उसकी अच्छी तैयारी है । यह बोल रहा हूँ ।

श्री अरूण वोरा :- चूंकि मैं वहां से आता हूँ और पिछले सत्र में मैंने अनेक बार रमन सिंह जी से मांग की थी कि दुर्ग जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बना दिया जाये, लेकिन मेरी बात अनसुनी हुई । आप भी बोल रहे थे । आखिरकार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो कि अनियंत्रित हो गई थी, उस पर नियंत्रण हुआ । जैसा कि अभी देवेन्द्र यादव जी कह रहे थे, मैं भी वहां पर निवासरत् हूँ, मेरे भी क्षेत्र में वह चिकित्सा महाविद्यालय आता है । माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी की पवित्र मंशा है, उस मंशा के अनुरूप हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव जी ने छत्तीसगढ़ चन्दूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021 जो सदन में प्रस्तावित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । माननीय सभापति महोदय, इस अधिग्रहण के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है । बहुत पवित्र भावना है,पारदर्शिता पूर्ण तरीके से इस विधेयक को माननीय राज्यपाल महोदय जी ने यहां प्रस्तुत किया है, जिस पर आज हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं । आने वाले समय में निश्चित रूप से यह मील का पत्थर साबित होगा। इस बात को आप स्मरण करेंगे कि आने वाले कई वर्षों तक इसको लोग याद करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य की जनता व छात्रों के हितों तथा प्रदेश में तेजी से हो रहे चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से चंदूलाल चंद्राकर चिकित्सा महाविद्यालय को अधिग्रहित किया जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको टेबल में रख दीजिए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, इनकी तो पुरानी आदत है। यह पिछले सत्र में भी ऐसे ही करते थे। लेकिन आप जो भड़काने का काम करते हैं, फुट डालो, राज करो। मैं देख रहा था कि बृहस्पत सिंह जी, मोहन मरकाम जी को जो बात कह रहे थे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनता पार्टी पूरे तरीके से अंग्रेजों के तौर-तरीके पर चल रही है लेकिन आपके इन तौर-तरीकों को हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा आप यह बताईये, वोरा जी के रास्ते में चलते हैं या महात्मा गांधी जी के रास्ते में चलते हैं ?

सभापति महोदय :- अरूण जी, अपनी बात करिये। कृपया जल्दी खत्म करिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, इसके अधिग्रहण से जो 140 करोड़ रुपये की बात की जा रही थी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय वोरा जी, एक मिनट। आप मरकाम साहब को बोल रहे थे, वह बोलते हैं तो तत्काल प्लेन उड़ जाता है। हम तो दो दिन से चाह ही रहे हैं कि बृहस्पत सिंह जी कुछ बोलें तो वह बोल ही नहीं रहे हैं। उनकी उदासी देखकर हमको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको थोड़ा बोल वाल के बुलवाईये।

श्री अरूण वोरा :- आपको यह अच्छा लगना चाहिए कि इस प्रदेश में कांग्रेस की स्थायी सरकार मिली है और आने वाले 20 वर्षों तक यह सरकार रहेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम कहां बोल रहे हैं कि आपकी अस्थाई सरकार है। हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, 70 का बहुमत है। इतना प्रचंड बहुमत तो आज तक आया ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, आने वाले 20 साल तक भी आधी रात के बाद होगा।

श्री अरूण वोरा :- होगा, जो होना होगा वह तो होगा ही। उसको कोई रोक नहीं सकता। यह रूकने वाली चीज नहीं है।

सभापति महोदय :- अरूण वोरा जी, कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, अधिग्रहण से आधी कीमत की लागत में इस प्रदेश को एक और मेडिकल कॉलेज मिलेगा। चंदूलाल चंद्राकर जी राजनेता थे, राष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। उनके नाम से चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी। मैं बता देना चाहता हूं कि 150 सीटों का यह मेडिकल कॉलेज है जिसमें 750 बेड हैं जिसमें चिकित्सा चल रही है, संचालित किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 7 हो जायेगी। आप जो 7 गिना रहे थे न, यह हमारी सरकार ने किया है, उस समय कुछ नहीं हुआ है। जो 7 मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में खुल रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 07 हो जायेगी और एम.बी.बी.एस. की 1370 सीटें होंगी। हमारे छात्र-छात्राओं को कितना फायदा होगा, इसका अंदाजा आज आपको नहीं लग रहा है। लेकिन भविष्य में आप इसको जरूर याद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय बहुत सही था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमितेश शुक्ल जी आपसे छोटे हैं या बड़े हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- मैं तो अभी 58 साल का हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह कितने साल के हैं ?

श्री अरूण वोरा :- वह मैं नहीं जानता। मैं अपनी उम्र जानता हूं। मैं भूपेश बघेल जी से एक साल बड़ा हूं। अब तो आप अपनी आदत को सुधार लीजिए। रमन सिंह जी के पीछे बैठकर भी नहीं सुधार सके। माननीय सभापति महोदय, इस कॉलेज में 2017 बैच के 180 छात्र चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत हैं। 2017 के पूर्व बैच के लगभग 300 मेडिकल छात्र इंटर्नशिप कर चुके हैं। प्रदेश सरकार की इस पहल और संवेदनशीलता से 480 छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- वोरा जी, यह तो पर्ची देखकर पढ़ रहे हो, यह बनाकर आपके पास किसने भेजवाया था ?

श्री अरूण वोरा :- आपको हर बात बताना जरूरी नहीं है। आप वेयर हॉउस में मेरे कक्ष में आईये, मैं सब बता दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं यह पूछ रहा हूं कि यह बता दीजिए कि पर्ची किसने बनाकर दिया था ?

सभापति महोदय :- वोरा जी, चलिये समाप्त करिये, हो गया।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस भावना से आप जुड़ जाईये और सर्वानुमति से इस विधेयक का समर्थन कीजिए। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचांदुर जिला दुर्ग के इस विधेयक पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, चन्दूलाल चन्द्राकर जी के साथ में पुन्नूलाल मोहले जी ने काम किया है। उनको दुख हो रहा है कि ऐसे वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय नेता और उनके नाम के साथ में जो खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। उसके कारण उन्हें दुख हो रहा है और वे कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कविता तो सुना दीजिए दो लाईन।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- नहीं, मैं कोई कविता तो नहीं सुनाउंगा। चन्दूलाल चन्द्राकर जी हमारे पूर्व सांसद भी थे, अच्छे नेता थे। उनके नाम से मेडिकल कालेज हो रहा है और प्रस्ताव भी आपके विधेयक आये हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि क्योंकि बहुत लोग सब बोल चुके हैं रष तो निकल गया है थोड़ा बहुत ही जरूरत है। जो मेडिकल कालेज खुल रहा है उसमें माननीय मंत्री जी कह रहे थे सभापति जी के माध्यम से और सरकारी कर्मचारी जो वहां कार्यरत है क्या उनको आप रखेंगे ? दूसरा मेडिकल कालेज पुराना है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- दूसरा जब रस निकल गे तो बोलै के का जरूरत हे तोला ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप इहर-इहर क्यों बोलते हो। बैठ जाओ। ये जो भवन है और पुराना जो भवन है उनका वेलुएशन क्या होगा उस आधार पर, जमीन की वेलुएशन क्या होगी उस आधार पर भी आंकलन आप करें। उनकी कीमत क्या होगी। तीसरी बात आपकी जो बहुत सी देनदारियां हैं। देनदारियों का जो सही में कर्ज दिये हैं उस संस्था को, उस कंपनी को या उस जिला चिकित्सालय को चन्दूलाल जी वाला। क्या आप उस देनदारी को क्लीयर करेंगे ? ये तीन, चार बिंदु है। इन बातों को भी अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी एकदम जोश में बोल रहे थे श्री देवेन्द्र यादव जी, कि सब हो गया, सब हो गया तो आप भी इसको बोल दीजिए मंत्री जी आपके तरफ से भी आ जाए बात कि हम इसको जरूर करेंगे। इन बिंदुओं का पूरा निराकरण करेंगे कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय बृजमोहन जी और हमारे अन्य सदस्य ने जिस बिंदु को उठाया, उसको भी आप शामिल कर लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय :- चलिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, जिस विषय को ले करके आज इस सदन में हम सारे लोग चर्चा कर रहे हैं वो वास्तविक में जिस बात को ले करके तथा छात्र हित को ध्यान में रख करके जिन बातों को लाया गया है। ये मंत्री जी का और उसके जो प्रतिवेदन, जो उद्देश्य, जो कारण दोनों में जो भिन्नता है।

समय :
04:58 बजे **सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।**

मंत्री जी मुझे लगता है कि जल्दबाजी में लाया गया है। इतनी जल्दबाजी करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि एक बात प्रथम तो यह है कि हम सब को उस मेडिकल कालेज के बारे में आज का जो स्टेटस है, हम सब की जानकारी में है तो इसकी स्थिति क्या है ? ये एडमिशन हो नहीं रहे हैं। लंबे समय से जीरो ईयर्स में है और उसमें जो आज परिस्थितियां हैं यदि चलाने की स्थिति होती तो आज ये स्थिति नहीं आती। जो कठिन दौर से गुजरने के बाद में अंततः ये स्थिति जो निर्मित हुई है और निर्मित होने के बाद में इसलिए मैंने कहा कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वह मेडिकल कालेज, जिसकी हम यहां पर बहुत जोर-शोर से चर्चा कर रहे हैं कि छात्रों के हित में होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेडिकल कालेज अब नया खोलेंगे तो उससे कम लागत में मेडिकल कालेज खुल जाएगी। अनेक विवादों का विषय उस मेडिकल कालेज के संबंध में आ रही है अभी। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, परिवार के माध्यम से और इसके साथ में उनकी जो देनदारियां हैं जो स्वयत्त है, जो दायित्व है। उन दायित्वों की भी जो लगातार बातें आ रही है कि वास्तविक में मुझे अच्छा लगता कि आप उन सारी चीजों का पहले आकलन कर लेते और आकलन करने

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

के बाद में स्थिति पूरे प्रदेश में स्पष्ट हो जाती और स्पष्ट होने के बाद भी ये कार्यवाही में आप लाते तो मुझे लगता है कि यह पारदर्शीता के साथ होती और सबकी जानकारी में होता। आज तो हम सब अंधेरे में हैं और गुमनाम में है कि क्या उनकी कितनी देनदारियां हैं उनके पीछे कौन-कौन लोग पैसे लगाए हुए हैं उसको बढ़ाने के लिए कौन-कौन सामने आए हुए हैं और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति निर्मित है ? जिस बात का उल्लेख हुआ कि जो पैसों की देनदारियां हैं कि हम उनको बाद में करें। पहले यह पता कर लें कि उसमें आज जिनको देने की आवश्यकता है और हम यह देनदारियां पूरी करने के बाद में अधिग्रहण की कार्यवाही की बात करें। इसमें जो बहुत सारे न्यायालय की बात आई, आज भी मैं इस बात को कह सकता हूँ कि हम भले ही इसको यहां पर पारित करें। पारित करने के बाद में जो उनकी कंपनी एक्ट के द्वारा जो उस समय के जो लगाए हुए हैं यदि वह क्लेम करेंगे तो कोर्ट का जो निर्णय होगा, हमको उसको मानना पड़ेगा। मानने के बाद में जो देनदारियां हमको सुनिश्चित होगी, सरकार को सुनिश्चित होगी, वह देनदारियां देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को लेकर आज मुख्य विषय यही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा जो विषय यह है कि जो आंकलन करने का विषय है कि जो प्रापर्टी है या हम बिल्डिंग की बात करें या जमीन की बात करें। जमीन और बिल्डिंग की बात करके, उसके आंकलन की जो बात है कि आंकलन करने के बाद में आज की स्थिति में उसके क्या स्टेटस बन रहा है। उसमें कितनी पारदर्शीता की बात है ? उसमें उसके क्या आंकलन होंगे ? तीसरी बात जो लगातार आ रही है उसमें अनेक उदाहरण दिये हैं कि जिस प्रकार से कॉलेजों का जो अधिग्रहण किया गया और छत्तीसगढ़ में यह अधिग्रहण हुआ है और अधिग्रहण होने के बाद में उनके जो कर्मचारी और कार्यरत अधिकारी रहे हैं जब कॉलेज का शासनाधीन किया गया तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी शासनाधीन किया गया, लेकिन आपने जो लिखा है और लिखने के बाद में स्पष्ट है कि उनका कोई सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा कि हम उसके ऊपर में विचार करें। एक प्रकार से हम उनको पृथक कर रहे हैं और आप आश्वस्त भी नहीं कर रहे हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- यह सिम्स के लिए बताया जा रहा है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- इस मेडिकल कॉलेज में जो काम करने वाले हैं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- नहीं। जो पहले लिया गया, आपने कहा वह सिम्स का संदर्भ है। पहले वह विश्वविद्यालय के पास था फिर सिम्स खुला, आप उसका बोल रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- जो प्राईवेट कॉलेज शासनाधीन किये गये तो शासनाधीन करने के समय में वहां जो कार्यरत लोग थे, उन कार्यरत स्टाफ को भी शासनाधीन किया गया और उनको लिया गया, लेकिन आपने इसमें जो स्पष्ट लिखा है कि उनके बारे में हम विचार नहीं करेंगे और वह शासन की जवाबदारी नहीं है। इस बात को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतित होना स्वाभाविक है। इसमें कहीं भी आप

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उनको आश्वस्त करें, उसमें ऐसा दिया नहीं गया है कि जिसके माध्यम से उनके ऊपर यह विचार किया जाएगा और विचार करने के बाद में उनकी जो अर्हता होगी, उस अर्हता के बाद में विचार करके लिया जायेगा। यह भी बातें नहीं आईं हैं मुझे लगता है कि यदि यह बातें आतीं तो निश्चित रूप से वह आश्वस्त होतें। आज हम जोर-शोर से यह कह रहे हैं कि हम एक ऐसे संस्थान को ले रहे हैं इस प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं और जहां तक दुर्ग की बात आई तो दुर्ग के अस्पताल के बारे में हम सब को जानकारी है। जब बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज खोला गया उस समय मेडिकल कॉलेज, जो वहां का शासकीय अस्पताल है उस अस्पताल में ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और आज भी वहीं पर मेडिकल कॉलेज है। बाद में हम जिला चिकित्सालय को अलग किये और इसलिए यदि आप दुर्ग में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते थे तो मुझे लगता है कि बहुत सेटअप की आवश्यकता नहीं थी। यदि दुर्ग में मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता है तो वहां 500-600 बिस्तर के अस्पताल हैं आप उस अस्पताल को लेकर मेडिकल कॉलेज डाल सकते हैं और उसके बाद में बाकी जगह में जो निर्माण किये हैं आप आसानी के साथ में कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने में आपकी कोई बाधा नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब प्रदेश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की कागार पर है। आपके एग्रीकल्चर कॉलेज बंद होने की कागार पर है। हम यदि छात्र के हितों की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के हितों की बात है जो एग्रीकल्चर कॉलेजों में पढ़ रहे हैं ऐसे छात्रों की हितों की बात है और भी अन्यान्य संस्थान जो हैं जहां पर हमारे छात्र अध्ययन कर रहे हैं आज कोविड काल में उनकी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है । क्या ऐसे लोग कल आपके पास आएंगे, आने के बाद में आप विचार करेंगे कि हम शासनाधीन करेंगे और शासनाधीन करने के बाद में उन छात्रों के हित में आप निर्णय लेंगे ? यह एक संस्थान के माध्यम से अनेक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद जो लोग आपके पास आएंगे और आपके पास आने के बाद में इस दिशा में हमको जो निर्णय लेने की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। इसलिए मुझे यह लगता है कि पहले सारी चाजों का निराकरण होना चाहिए और निराकरण होने के बाद यदि हम इस अस्पताल को शासनाधीन करने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उचित होगा। इसलिए इसको जल्दबाजी में लाया गया है, इस कारण अनेक प्रकार की शंका और कुशंका उत्पन्न हो रही है, उसकी भविष्य में क्या स्थिति निर्मित होगी और इस भविष्य के निर्मित होने के सारे शंका कुशंका को देखते हुए मुझे लगता है कि इसको अभी रोक दिया जाना चाहिए और इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, कुछ कहना चाहेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय सभापति जी, मुझसे प्रारंभ में एक चूक हुई थी, यह खंड आयेगा तब बोल दूंगा। सारी बातें पक्ष विपक्ष की ओर से रखी गयी। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को शासन द्वारा क्यों लिया जाए। इसके संदर्भ में भी बातें हुई। दिसंबर 2018 में बहुमत में आने के बाद शासन के गठन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुझे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी। मैं भी दुर्ग गया था, माननीय विधायक जी अभी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने भी और अन्य साथियों ने कई लोगों ने कहा था कि आप दुर्ग में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बीच में बात होती रही। मैंने कहा की यह प्रयास करे, हर जिले की यह परिकल्पना है। लेकिन हम हर लोकसभा में खोल सकें इसके लिए पहल करे क्या ? माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति थी कि आप कोशिश करिए, फंड की बात आएगी उसको देखेंगे। दो साल पहले केन्द्र सरकार ने अपने बजट में देश में 75 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना का प्रावधान रखा और उन्होंने राज्यों से खुले तौर पर कोटा नहीं बांधा था कि कहां पर किसको कितना देंगे ? उन्होंने ओपन रखा था कि आप आवेदन दीजिए, अपने यहां आप शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, आप आवेदन दीजिए। हमने तीन लोकसभा के लिए आवेदन दिया जिनकी स्वीकृति मिली है। कांकेर, महासमुंद और कोरबा है। 6 और 3 नौ लोकसभा हो गये, मैंने पहले भी बताया कि दो लोकसभा बचे थे। अभी भी दो लोकसभा जांजगीर चांपा और दुर्ग बचे हैं। दुर्ग के लिए बात आई कि आपने सरकारी तौर पर इसको बनाने के लिए पहल क्यों नहीं की। उसका कारण यह था कि जब केन्द्र सरकार ने जब 75 मेडिकल कॉलेजेस की चर्चा की, स्वीकृति दी, बजट में प्रावधान किया, उसमें उन्होंने एक शर्त लगा दी कि हम वहां पर पैसे नहीं देंगे, जहां पर पूर्व में कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज खुला हुआ हो। दुर्ग में मेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाने की स्थिति यही है, वरना दुर्ग भी फर्स्ट लिस्ट में रहता। वहां पर प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नहीं भेजने का एकमात्र कारण था कि केन्द्र सरकार ने जो नये 75 मेडिकल कॉलेज बजट में प्रावधान किया था। उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि यदि कहीं पर मेडिकल कॉलेज निजी या सरकारी पूर्व में चल रहा हो, वहां के लिए प्रस्ताव नहीं आएंगे और यही कारण था कि दुर्ग का प्रस्ताव नहीं गया था। आज भी दुर्ग के प्रस्ताव के लिए हमको यह विकल्प अपनाना पड़ा। चूंकि केन्द्र सरकार की वर्तमान नीति में हमको एक नया पैसा नहीं मिलता था। अधिग्रहण की राशि, अखबारों की बात, अखबारों में उठाए गये बातों की बात। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी कैबिनेट विभाग के प्रस्ताव अनुसार आजकल तो आप लोगों को भी या किसी को भी फाईल में क्या है आप राईट टू इंफार्मेशन या दूसरे माध्यम से जानकारी ले सकते हैं । कल के दिन क्या होगा, दूसरी संस्थाओं के लिये क्या होगा ? इस मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के संदर्भ में जो फाईल चली है, विभाग के मंत्री ने उसमें स्पष्ट लिखा है कि यह आगे के लिये दृष्टांत नहीं होगा । वन टाईम परमिशन की बात उस फाईल में लिखी हुई है, आप चाहें तो उसका अध्ययन कर सकते हैं, अगर आपने अध्ययन किया होगा तो पता नहीं आपने क्यों नहीं बताया ? इसका प्रावधान या इसका उल्लेख फाईल में पहले से ही किया हुआ है क्योंकि यह आज की बात नहीं है, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जिस बात को कहा बहुत जल्दी में लाया हुआ है । माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय, यह जल्दी में लाया हुआ नहीं है, लगभग ढ़ाई साल से इसके संदर्भ में हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र में अगर मेडिकल कॉलेज खोलना है तो वहां कैसे खोल सकते हैं? कहां खोल सकते हैं ? तो यह आज की बात नहीं है, आज की सोच नहीं है । निजी अस्पतालों के अधिग्रहण के संदर्भ में भी हम लोगों ने आपस में चर्चा की है, मैंने विभाग में चर्चा की है । यह आज की बात नहीं है । लाभ पहुंचाने की बात, उस कंपनी से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाने की बात, यह लाभ पहुंचाने की बात सरकार के इस कानून में झलकती है ।

माननीय सभापति महोदय, जहां इसकी देनदारी को सीमित किया जा रहा है या माननीय विपक्ष के साथियों के प्रस्ताव से झलक रही है कि आप उनकी और देनदारियां दीजिए । आप कह रहे हैं कि और देनदारियां दीजिए । सरकार कह रही है कि नहीं पब्लिक का पैसा है, हमको इसका सदुपयोग करना है । उचित, निर्धारित, न्यूनतम राशि से बेहतर से बेहतर सेवा हम उपलब्ध करा सकें इस उद्देश्य से इसमें अनेकों प्रावधान निहित करके इसको कार्यरूप देने का इस कानून के माध्यम से, विधेयक के माध्यम से हमने प्रयास किया । पूरा पैसा दे दीजिए, जिसकी जितनी देनदारी है पूरी दे दीजिए । माननीय सभापति महोदय, मेरी जमीन सड़क में आ रही है, उस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस जमीन के अधिग्रहण के तहत् मुझे जो मुआवजा मिलेगा तो मेरी क्या जो पूरी देनदारियां हैं उसको सरकार देगी ? यह कौन सा तर्क है ? यह कैसा तर्क है कि आप एक चीज ले रहे हैं उसकी कीमत आप देंगे, निर्धारित कीमत आप देंगे कि आप समस्त देनदारियां दे देंगे ? इतने विद्वान सदस्य हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- विद्वान तो हैं साहब, आपके बराबर भले न हों लेकिन व्यक्ति और संस्था में आप अंतर करके बोलिए, आप जिस लाभांवित होने की बात कह रहे हैं । उसको व्यक्ति और संस्था में अंतर करके बोलिए ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- सभापति महोदय, किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति ली ही नहीं जा रही है । एक कंपनी ने...।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने उदाहरण व्यक्ति का दिया कि मेरी जमीन ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- महानुभाव, कंपनी का भी यही होता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उसका यह नहीं होता ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अगर आप किसी का लेते हैं तो उसकी पूरी देनदारी कोई नहीं देता । आपकी विद्वता को और आपके ज्ञान को प्रणाम ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर एक परिवार में ऋण पुस्तिका में 5 लोगों के नाम हैं तो पांचों के खातों में पैसे जायेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बृजमोहन जी, इस कंपनी में जायेंगे । उन 5 लोगों के खाते में जायेंगे तो क्या उनकी पूरी देनदारियों को पटाईएगा ? यह कैसा तर्क है ? जिस चीज को आप ले रहे हैं, आप उतनी ही राशि देंगे, उसकी जायज राशि देंगे । उस राशि का मूल्यांकन...।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं । आपकी बातें आ गयी हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उस जमीन पर लोन है तो आपको पैसा पटाना पड़ेगा। उसका पैसा पटाने के बाद में ही होगा ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- उस राशि के मूल्यांकन के लिये भाई देवेन्द्र जी चूंकि अभी यहां पर नहीं हैं, उन्होंने भी इस बात उल्लेख किया था जो इस एक्ट के प्रावधान के तहत् उल्लेखित है कि आपको भी अवसर है कि जाकर देखिये, बताईए । मूल्यांकन की प्रक्रिया में कहीं कोई आप सुझाव देना चाहते हैं । हम एक लाख करोड़ रूपये दे दे रहे हैं, आप कहो कि नहीं 1 करोड़ की चीज है तो आप जाकर देखिए न ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम सुझाव देंगे तो विधेयक को प्रवर समिति को दे दीजिए । किसको सुझाव देंगे, कहां पर सुझाव देंगे ? यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो प्रवर समिति को सौंप दीजिए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप प्रवर समिति के लिये लेट हो गए।

श्री अजय चंद्राकर :- लेट नहीं हैं, आप जिस समय चाहें उस समय दे सकते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सलेक्ट कमेटी के लिये आप लेट हो गए ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप खोल लीजिये, आप चाहें तो अभी घोषणा कर सकते हैं ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, मूल्यांकन की बात हो रही है और मूल्यांकन के संदर्भ में जो प्रावधान है उसमें आपको भी अवसर है । आप जाकर देखें कि पारदर्शिता से हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है ? शासन एक सीमा में पब्लिक का पैसा उपयोग करना चाह रही है और आप कह रहे हैं कि सब दे दो । उस कंपनी का जितना भी बकाया है दे दो । क्या उस कंपनी के पास इसके अतिरिक्त कोई परिसंपत्ति है कि नहीं ? सुपेला के अस्पताल की एक बात आयी थी । वह परिसंपत्ति किसकी है? क्या परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कि अन्य देनदारियों को दिया जा सकता है। चाहे कोर्ट के माध्यम से या चाहे अन्य माध्यम से। शासन ने क्या अपना आंख बंद करके ये सारे निर्णय लिये। मैंने अमित जी के बारे में भी बताया। इन सारे चीजों को देखकर, सोचकर समझकर, सारे पहलुओं को समझकर केवल व्यापक जनहित में सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, जिला अस्पताल, मल्टी स्पेशियालिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशयालिटी अस्पताल, दो अलग-अलग इकाइयां, हर जिले में जिला अस्पताल भी होगा। जहां-जहां मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, वहां मेडिकल कॉलेज भी होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनहित के लाभ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये विधेयक प्रस्तुत किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक की विभिन्न कंडिकाओं को पढ़ देता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करीब-करीब इसमें 16 कंडिकाएं हैं और इसके अतिरिक्त जो मेरे जो प्रारंभ में चूक हुई, वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें एक टंकण त्रुटि है, उसको सुधार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। दोगुना होगी का उल्लेख है, जबकि उसके स्थान पर शब्द दोगुना तक होना चाहिए और बाकी जो बातें जो मुझे बाद में कहनी चाहिए थी, वह मैंने पहले कह दी। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने ।

सभापति महोदय :- विधेयक के खण्ड 12 में संशोधन है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह, कि खण्ड-12 के उपखण्ड (1) को इस प्रकार संशोधित किया जाये- "कोई व्यक्ति, जो धारा 4 के अंतर्गत सरकार में निहित होने के पूर्व, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के नियोजन में जिस स्थिति में था, वह चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदूर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के अधिग्रहण के पश्चात् भी उसी स्थिति में नियोजित माना जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन है। इस संशोधन को हमने इसलिए लाया है कि हम सिर्फ उसके स्वामियों के हित की पूर्ति न करें। वहां पर काम करने वाले जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनके हितों की भी हम पूर्ति करें और उनके हितों की पूर्ति करने के लिए हमने यह संशोधन लाया है। माननीय मंत्री जी ने अभी अपना जब जवाब दिया, उस जवाब में वहां के कर्मचारी, अधिकारियों के हितों की पूर्ति कैसे होगी, इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विपक्ष के किसी शंकाओं का समाधान नहीं किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और हमारी एक भी बातों का मैंने लगभग हर कंडिका के ऊपर में हमारे विचार रखे हैं। उन विचारों के बारे में जो स्पष्टता आनी चाहिए, वह स्पष्टता नहीं आयी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संशाधन को स्वीकार किया जाये और विधेयक के खण्ड 12 के उपखण्ड (3) के पश्चात् स्पष्टीकरण स्थापित किया जाये जो इस प्रकार है-

"चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग के पूर्व स्वामियों द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जायेगा।"

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जो उसके हितग्राही हैं। जो उन्हें कर्ज दिया है। इस कंपनी को किसी ने कर्ज दिया है, क्योंकि हम कंपनी को टेक ओव्हर कर रहे हैं और जब हम कंपनी को टेक ओव्हर कर रहे हैं तो कंपनी को टेकओव्हर करते समय आपने हर जगह कंपनी का उल्लेख किया है। क्या आपने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनी की सोसाइटी है, क्या आपने वहां से इसकी अनुमति ली है? उसकी अनुमति के बिना क्या हम इसे टेक ओव्हर कर सकते हैं? उस महाविद्यालय को टेक ओव्हर कर सकते हैं? इन्होंने कोई अनुमति नहीं ली है। एक कंपनी है। उस कंपनी की संपत्ति है और उस कंपनी की संपत्ति को खरीदने के पूर्व हमकों कंपनी सचिवालय से उसकी अनुमति लेनी चाहिए। उसकी शास्तियों की अनुमति लेनी चाहिए। वह अनुमति इन्होंने नहीं ली है और इसलिए इसके मामले में कि, उनको भी जो इसके हितग्राही हैं । जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया है और इस सम्पत्ति के, जिस सम्पत्ति को हम अधिगृहीत कर रहे हैं उस सम्पत्ति के कारण लोन दिया है और लोन उन्होंने बैंक के खाते में चेक के माध्यम से दिया, ड्राफ्ट के माध्यम से दिया है या गारंटी के माध्यम से किया है तो उनके हितों को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व है । इस दायित्व को सरकार पूरा नहीं कर रही है । इसलिए मैंने ये संशोधन दिया है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय सभापति महोदय, किसी निजी कंपनी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को शासन में नियोजित नहीं माना जा सकता । शासन में नियोजन के लिए शासन की भर्ती नियमों का पालन करके चयन किया जाना आवश्यक है । शासन के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पालन भी अनिवार्य है । चयन की प्रक्रिया भी इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें सभी को समान अवसर मिल सके । निजी कंपनी द्वारा इन नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति नहीं की गई है । इसलिए कंपनी के कर्मचारियों को शासन में नियोजित मानना न्यायोचित नहीं होगा । अत: संशोधन अमान्य है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप संशोधन को कैसे अमान्य कर सकते हैं ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं दूसरा भी पढ़ देता हूं । संशोधन क्रमांक 2, निजी कंपनी के ऋणदाताओं को शासन द्वारा भुगतान किया जाना उचित नहीं है । शासन केवल सम्पत्तियों की आस्तियों के लिए भुगतान कर सकता है । देनदारियों का भुगतान करना बिल्कुल भी उचित नहीं है । ऋणदाताओं का अधिकार ऋण लेने वाले के विरूद्ध ही होता है और ऋण का भुगतान ऋण लेने वाले द्वारा ही किया जाता है। ऋण दाताओं का यह अधिकार समाप्त नहीं किया जा रहा है बल्कि विधेयक के खंड 9 के उपखंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि दायित्वों की वसूली ऋणदाताओं द्वारा विधि की सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सालय महाविद्यालय के पूर्व स्वामियों को की जा सकेगी । शासन द्वारा देयताओं का भुगतान करना उचित नहीं है, अत: संशोधन अमान्य किया जाता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संशोधन को आप अमान्य नहीं कर सकते ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक बार नहीं दो बार इन्होंने कहा कि संशोधन अमान्य किया जाता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- अरे हो गया ना । सरकार अमान्य नहीं कर रही है, आप मतदान कराएंगे तो सदन अमान्य करेगा ना । हम लोग तैयार हैं उसके लिए ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- सभापति महोदय, इसको संशोधित कर लिया जाय । किया जाता है के स्थान पर किया जाय । मैं पढ़ गया किया जाता है, जबकि लिखा है किया जाय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो पढ़ोगे, हम मानेंगे ।

सभापति महोदय :- संशोधन प्रस्तुत हुआ है ।

जो माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में हों वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस संशोधन के विपक्ष में हों वे कृपया ना कहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- मैं दोबारा पूछ लेता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में हों वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस संशोधन के विपक्ष में हों वे कृपया ना कहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन । माननीय सभापति जी, संशोधन के पक्ष में सत्ता पक्ष ने हां कहा है ।

सभापति महोदय :- मैं एक बार पुन: पूछ लेता हूं ।

जो माननीय सदस्य इस संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया हां कहें ।

जो माननीय सदस्य इस संशोधन प्रस्ताव के विपक्ष में हों वे कृपया ना कहें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन ।

सभापति महोदय :- मत विभाजन के लिए घंटी बजाई जाए और लॉबी को खाली कराया जाए ।

(मत विभाजन के लिए घंटी बजाई गई)

श्री अजय चंद्राकर :- ये सब सीखेंगे अभी और डिवीजन होगा तो देखना आप जो नये आये हैं उसके लिए मजा आएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को खोज के लाओ बृहस्पति सिंह जी कहां है? तो डीवजन हो रहा है। अभी मतदान होगा। बृहस्पति जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कौन सो पास नोटिस देगा? अनुपस्थिति में कौन देगा? चौबे जी मोहन मरकाम जी अनुपस्थित रहेंगे तो उसको नोटिस बृहस्पति सिंह जी देंगे।

समय :
05:26

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया "हां" कहें।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वे कृपया "ना" कहें।

अध्यक्ष महोदय :- ना की जीत हुई, न की जीत हुई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- डिवीजन, डिवीजन।

अध्यक्ष महोदय :- अब मत विभाजन होगा मत देने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य सुनते जाइये, डिवीजन शायद पहली बार हो रहा है जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मत देना चाहे वे मेरी दायीं ओर की लाबी में तथा जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में देना चाहे वे बायीं ओर की लाबी में चले जाएं। वहां रखी मत विभाजन सूची पर अपना हस्ताक्षर करें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव के पक्ष में 16 मत और प्रस्ताव के विपक्ष में 56 मत प्राप्त हुए । मेजों की थपथपाहट)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बाकी 16 लोग कहां गए, 16 लोग सरकार के विरोध में है क्या ? 16 लोग नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- छुट्टी पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 12 इस विधेयक का अंग बने ।

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, कृपया हां कहें

जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के विपक्ष में हों, कृपया ना कहें ।

हां की जीत हुई, हां की जीत हुई।

खण्ड 12 इस विधेयक का अंग बना.

ना पक्ष		हां पक्ष
1.	डॉ. विनय जायसवाल	1. श्री ननकीराम कंवर
2.	श्रीमती अम्बिका सिंहदेव	2. डॉ. रेणु अजीत जोगी
3.	डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम	3. श्री धर्मजीत सिंह
4.	श्री बृहस्पत सिंह	4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5.	श्री चिन्तामणि महाराज	5. श्री धरम लाल कौशिक
6.	डॉ. प्रीतम राम	6. श्री रजनीश कुमार सिंह
7.	श्री टी. एस. सिंहदेव	7. डॉ. कृष्णकुमार बांधी
8.	श्री अमरजीत भगत	8. श्री सौरभ सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

9. श्री चक्रधर सिंह सिदार
10. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
11. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
12. श्री उमेश पटेल
13. श्री लालजीत सिंह राठिया
14. श्री पुरूषोत्तम कंवर
15. श्री मोहित राम
16. डॉ. के.के. ध्रुव
17. डॉ. रश्मि आशिष सिंह
18. श्री शैलेष पांडे
19. श्री रामकुमार यादव
20. श्री किस्मत लाल नन्द
21. श्री द्वारिकाधीश यादव
22. सुश्री शकुंतला साहू
23. श्री प्रमोद कुमार शर्मा
24. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
25. श्री सत्यनारायण शर्मा
26. श्री विकास उपाध्याय
27. डॉ. शिवकुमार डहरिया
28. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
29. श्रीमती संगीता सिन्हा
30. श्रीमती अनिला भेंडिया
31. श्री कुंवर सिंह निषाद
32. श्री भूपेश बघेल
33. श्री ताम्रध्वज साहू
34. श्री अरूण वोरा
35. श्री देवेन्द्र यादव
36. श्री गुरू रूद्र कुमार
37. श्री रविन्द्र चौबे
38. श्री आशीष कुमार छाबड़ा

9. श्री नारायण चंदेल
10. श्री शिवरतन शर्मा
11. श्री बृजमोहन अग्रवाल
12. श्री डमरूधर पुजारी
13. श्री अजय चन्द्राकर
14. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
15. श्री विद्यारतन भसीन
16. डॉ. रमन सिंह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

39. श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे
40. श्रीमती ममता चन्द्राकर
41. श्री मोहम्मद अकबर
42. श्री देवव्रत सिंह
43. श्री भुनेश्वर शोभाराम बंजारे
44. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
45. श्री इन्द्रशाह मंडावी
46. श्री अनूप नाग
47. श्री मनोज सिह मण्डावी
48. श्री शिशुपाल सोरी
49. श्री संतराम नेताम
50. श्री चंदन कश्यप
51. श्री बघेल लखेश्वर
52. श्री रेखचंद जैन
53. श्री राजमन बेंजाम
54. श्रीमती देवती कर्मा
55. श्री विक्रम मंडावी
56. श्री कवासी लखमा

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक 13 में संशोधन है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी 12 नहीं बना है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने खण्ड 12 का ही तो मतदान किया है न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उस पर नहीं हुआ । खण्ड 12 के 4 अंग बना है, खण्ड 12 के 3 के पश्चात् जोड़ने की बात है, वह अभी अंग नहीं बना है, उस पर मतदान नहीं हुआ है । सभापति जी ने जो पढ़ा है, आप उसको देख लें । खण्ड 12 (3) है, वह अभी अंग नहीं बना है, उस पर मतदान नहीं हुआ है । सभापति जी ने उसको नहीं पढ़ा है, उसमें नहीं हुआ है । आप कार्यवाही निका लें, सभापति जी ने नहीं पढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप खण्ड 13 का पढ़िए ।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन संशोधन दिए हैं। एक खण्ड 12 के धारा 4 का दिया है, एक खण्ड 12 के उपखण्ड 3 का दिया है । उपखण्ड 3 पर अभी मतदान नहीं हुआ है । मैंने उसके ऊपर में अपनी बात कही थी।

अध्यक्ष महोदय :- खण्ड 3 और खण्ड 4 का एक साथ मतदान हुआ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी ने उसको नहीं पढ़ा और इसलिए यह प्रक्रिया गलत हो जाएगी, आप उस पर करवा लें । मुझे लगता है कि ज्यादा उचित होगा क्योंकि आप कार्यवाही देख लें, माननीय सभापति जी ने उसको नहीं पढ़ा था ।

अध्यक्ष महोदय :- उसी कार्यवाही में शामिल होगा क्योंकि आपने जो भी विरोध में अपना मत व्यक्त किया, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया । आपने कहा कि वे बाद में देंगे । मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करवा लें, परन्तु जो नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत माननीय सभापति जी ने जो मतदान करवाया, वह खण्ड 12 के 4 के लिए करवाया । खण्ड 12 के 3 के लिए मतदान नहीं करवाया है इसलिए प्रक्रिया गलत होगी इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप उसको देख लें । जो कार्यवाही है, उसे आप देख लें, उस पर मतदान नहीं करवाया है।

अध्यक्ष महोदय :- हम उसको देख लेंगे और आपकी इच्छानुसार प्रक्रिया में जो कहीं त्रुटि होगी, उसको सुधार लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह नहीं सुधर सकती ।

अध्यक्ष महोदय :- खण्ड 13 में आप अपना संशोधन प्रस्तुत करिए । कुछ विधेयक में संशोधन है न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 13 के अंतिम पंक्ति में शब्द कार्यवाही नहीं होगी के स्थान पर कार्यवाही की जा सकेगी, इस बात का मैंने आग्रह किया है । उसके पीछे हेतु यह है कि पहली बात तो इनको विधेयक में लिखना था कि किस स्तर का अधिकारी इस में नियुक्त होगा । यह इन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किस स्तर का अधिकारी नियुक्त होगा । अगर इन्होंने किसी भी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया और नियुक्त करने के बाद वह गलत करेगा तो गलती करने के बाद उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी, इस बात का उल्लेख कभी भी किसी भी विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं होता है, पदनाम होता है कि कोई डिप्टी कलेक्टर से निम्न अधिकारी नहीं होगा, आई.ए.एस. से निम्न अधिकारी नहीं होगा, कोई प्रोफेसर से निम्न अधिकारी नहीं होगा, कोई लेक्चरर से निम्न अधिकारी नहीं होगा । यह उल्लेख होता है, हमने कई विधेयक देखे हैं । इसमें किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है । अगर वह गलती करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी । हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ में कार्यवाही की जा सके, इसको इसमें जोड़ा जाना चाहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-13 का प्रावधान सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण करने के लिए किया गया है। यह संरक्षण स्वतन्त्रतापूर्वक तथा उचित कार्रवाई के लिए आवश्यक है। इस प्रकार का संरक्षण हमेशा विधिक कार्रवाईयों के लिए किया जाता है। अत: संशोधन अमान्य किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधन प्रस्तुत हुआ। उस पर माननीय मंत्री जी का जवाब भी आ गया।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 13 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 13 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 14 से 16 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 14 से 16 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021 (क्रमांक 8 सन् 2021) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह काला कानून इस सदन में पास हो रहा है। इस कानून के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में गलत संदेश जायेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस विधेयक को वापस लें। आपने पास कर दिया है। हमने इसके ऊपर चर्चा की। प्रवर समिति

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को भेजे, हमने यह भी मांग की, परन्तु सरकार ने नहीं मानी। इस काले विधेयक के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
5:47 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा विधेयक के विरोध में

(श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा विधेयक वापिस न लेने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।)

समय :
5:48 बजे

नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) (ग्रामीण व शहरी) का कार्य धीमी गति से चलने के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आप इस विषय को लेने वाले हैं, आप कहां जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- कौन मंत्री जी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे ख्याल से ग्रामीण विकास मंत्री लेंगे, ऐसा लगता है। ग्रामीण, आवास शहरी विकास, दोनों आवास वाले नहीं हैं।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप चर्चा शुरू करिये, मैं बुलवाता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप शुरू करिये, वे आ जायेंगे। शार्ट में करियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी, मैं शुरू कर कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत अनुभवी हैं, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि ढाई साल के कार्यकाल में बहुत सारे हमारे नये सदस्य आये हैं, आपने पहली बार नियम 139 की चर्चा शुरू करवाई और वे पहली बार नियम 139 की चर्चा में भाग लेंगे और सुनेंगे इससे सदन की गरिमा बढ़ेंगी, चाहे निर्णय जो हो।

अध्यक्ष महोदय :- मैं चाहूंगा, आप ऐसी चर्चा करें जो इनका ज्ञान बढ़ाये । ज्ञानवर्धन हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको भाव से भी जोड़ता हूँ । संसदीय कार्यमंत्री जी, सबसे ज्यादा असंसदीय प्रक्रिया आपकी है ।

सदन की सूचना

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 6 के कार्य पूर्ण होने तक समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूँ, आप सब सहमत होंगे ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसार में जितनी भी विचारधारायें पैदा हुई, उसके केन्द्रबिन्दू में गरीबी रही कि हम लोक कल्याणकारी राज्य किसको कहते हैं, हमारे पास जीने का अधिकार है, हमारे पास बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं, पढ़ने का अधिकार है, मौलिक अधिकारों पर मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता । आपने कहा है कि कम से कम शब्दों में बोलना है । हिन्दुस्तान में 1985 से सामुदायिक आवास की योजनायें शुरू हुई । आगे चलकर इंदिरा आवास में बदल गई, इंदिरा आवास का जो हश्र हुआ, ब्यूरोक्रेसी में कहें, चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि में कहें, आज यदि गांव में जाकर पूछेंगे, आपका इंदिरा आवास कब स्वीकृत हुआ है, कहां पर है, दोनों तीनों घटक जो होते थे, कहीं देखने को नहीं मिलेगा । ए.डी.ओ. को पैसा देना है, सचिव को पैसा देना है, फर्जी हितग्राही लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम । माननीय प्रधानमंत्री ने 25 जून 2015 को एक कार्यक्रम घोषित किया, वर्ष 2022 जब स्वतंत्रता के हीरक जयंती मनाएगा, कम सेकम भारत के गरीब जनता की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी हो । माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में काम करते हुये, मुझे इसी सदन में कानून बनाने का अवसर मिला था, जो हिन्दुस्तान का पहला कानून था, जो स्वच्छता को अपनायेगा, वही पंचायत प्रतिनिधि बनने का अहर्ता रखेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसे नहीं होते थे । आगे चलकर यह स्वच्छता का जनआंदोलन बना, आपने स्वीकार किया कि आज की तारीख में भारत का पूरा राज्य ओ.डी.एफ. घोषित हो चुका है, हम सड़क में भी देखते हैं कि हमारी मातायें शाम होने या दिन ढ़लने का इन्तजार नहीं करती । सामाजिक जीवन में आजादी के बाद इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया है । यह सफल हुआ तो समाज की भागीदारी से हुआ, नेतृत्व किया, उत्साही अधिकारियों ने भी उस समय नेतृत्व किया, आप लोगों ने भी नेतृत्व किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जल जीवन मिशन में यही बात घोषित हुई । पहले उड़ीसा सरकार ने इसे लागू किया । यह तय हुआ कि आप कम से कम शुद्ध पेयजल घर में तो दीजिए । मैं सरकार की आलोचना करने के मूड में नहीं हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में दो साल पीछे चल रही है । यही कैबिनेट तय करती है, उसको सेंट्रली करेंगे करके, यही कैबिनेट निरस्त करके उसको जिला में देती है, क्या करती है नहीं मालूम, मैं उसमें नहीं जाना चाहता । मुख्यमंत्री जी, गोबर बीनने को, धान का 2500 देंगे, गो धन न्याय योजना, क्या-क्या योजना लाये हैं, जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा, एक आदमी ने मोटर सायकल खरीद ली, इसकी कहानी प्रचारित हो गयी । राजा साहब आप दुखी हुये थे, मैं भी आपके दुख से दुखी था । यह सदन चरित्र हत्या के लिए, अपशब्दों के लिए नहीं है, बाहर बोला गया था । जो भी बातें आई, हम एक

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दूसरे का सम्मान करें । आपको आज बोल रहा हूँ कि गरीबों का पाप लगेगा । इस सरकार को गरीबों का श्राप लगेगा । कैसे लगेगा, उसमें आता हूँ । मत जाबे उठके ना तोर कलाकारी बहुत हे । मैं हा शहरी आवास में भी बोलने वाला हूँ । दूसरा में बहुत बुलुंग-बुलुग खड़े होथस तेहां । माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-2019 में मैं था, डॉ.रमन सिंह जी की सरकार थी । 3,48,960 मकान में 3,22,000 अर्थात हम लोग 92 से 95 परशेंट आवास को पूरा किये थे । छत्तीसगढ़ में यह स्थिति थी कि 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 जितना पैसा हम देते थे, लोग अपना पैसा मिलाकर, लोन मिलाकर 2-2, 3-3, 4-4 कमरा बनाते थे, गांव में तब्दीजियां दिखती थी, दिख रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 2018-2019 का सत्र आया, वर्ष 2019-2020 में 762 करोड़ रूपये राज्य सरकार को देना है । कितने मकान स्वीकृत हुए, इसमें लिखा नहीं है। जो भी मकान स्वीकृत हुए हैं, मैं बता दूंगा। 03 साल से लोन की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण आवास के लिए जो अभिकरण बनाया है, हमने भी दूसरे साल में लोन लिया था। उससे पहले साल राज्य के खाते से दिया था। हर चीज के लिए, गोबर के लिए लोन हो गया, ब्याज पटाने के लिए और लोन ले लिया, 03 साल में इनको लोन नहीं मिला कि वह गरीबों का आवास पूरा करें। यदि उनको एक किश्त मिल गई है तो वह आवास ऐसे ही पड़े हैं और वह आवास 02 साल में टूटकर बराबर हो जायेंगे। वह कर्ज में अलग चढ़ गये हैं। यह पाप है पाप। यह क्या वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, यह क्या कॉलेज को अधिग्रहण की बात करते हैं? जो मूलभूत बातें हैं, उससे यह सरकार दूर है। वर्ष 2020-21 के लिए 6 लाख 48 हजार 867 आवास स्वीकृत हुए थे। अध्यक्ष महोदय, बहुत दुखद स्थिति है 4 लाख 91 हजार आवास कोविड के कारण राजा साहब ने वापिस कर दिया। कोविड को लेकर और किसी प्रान्त ने वापिस नहीं किया। वित्त मंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर सारे विधायक बोलते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। इसके लिए 400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। राजा साहब, एक साल से ज्यादा हो गया, मैं सुनना चाहूंगा कि 400 करोड़ रुपये में से कितने रुपये की 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति क्या आपने जारी की है? यह आपकी गरीबों के प्रति संवेदना है, ध्यान रखियेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब 2021-22 में आते हैं। वर्ष 2021-22 में 7 लाख 81 हजार 999 मकान स्वीकृत हुए हैं। राज्यांश की लगभग 1500 करोड़ रुपये के आसपास की राशि चाहिए। इस साल बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं है। हेड खुला है। मैंने चर्चा में सुना। इसमें तो प्रधानमंत्री का नाम लिखा है, प्रधानमंत्री पूरा करवाये। उसके लिए व्यवस्था करे। राजा साहब, सामने से पेपर हटाईये, थोड़ा आपका हंसता हुआ मुख देखें। आप मुंख को खोल लीजिए, आपको कोरोना नहीं होगा। प्रधानमंत्री के नाम से यदि आपको आपत्ति है, मैं अपने प्रश्न का उत्तर देता हूं, ढाई साल में आपको केन्द्र से 36 हजार करोड़ रुपये मिले हैं, उसको वापस कर दीजिए। प्रधानमंत्री के नाम से आपको आपत्ति है तो आप टीका

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मत लगवाईये। कल आपके मंत्री जी बोल रहे थे कि हम किसी [XX][6] का फोटो देखने के लिए टीका लगवायेंगे। महाराज जी, गरीबों का मकान बनवाईये, किसी [XX] किसी [XX] का फोटो लगवा लीजिए। आजकल बहुत चर्चित है, लेकिन गरीबों का काम कीजिए। [XX] ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में यह बहुत अपमानजनक टिप्पणी है। सदन में ऐसी टिप्पणी करना, यह महिलाओं के प्रति बहुत अपमानजनक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा :- क्या आप महिला का उल्लेख नहीं कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, आप लोग शांत होकर बैठ जाईये, चन्द्राकर जी ने जो कुछ कहा है, मैं सब विलोपित करता हूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- यह [XX][7] क्या है ?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- किसी का नाम ही नहीं आया है। कल करीना कपूर के साथ फोटो खिंचाने की बात आई, दाढ़ी वाले की बात आई।

श्री अजय चन्द्राकर :- देवेन्द्र जी, मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया।

अध्यक्ष महोदय :- देवेन्द्र यादव जी, आप लोग कृपया बैठिये। उनने जो कुछ कहा है, मैंने सब विलोपित कर दिया है। चाहे [XX] कहा हो, चाहे [XX] कहा हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या कल का आप विलोपित कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। कल आपने आपत्ति नहीं ली थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह अगर संसदीय हो सकता है तो आज कैसे असंसदीय हो गया ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आज की बात कर रहा हूं। देखिए आप जबरन के झंझट उपस्थित करने की कोशिश मत कीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कल किसी ने आपत्ति नहीं की। दाढ़ी वाला तो आज हम भी कहते हैं उसमें दिक्कत वाली कोई बात थोड़ी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो बाब कट और दाढ़ी वाली बात संसदीय हो गयी माननीय अध्यक्ष जी।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, इसको साल भर के लिये बाहर कर दो। ये रोज ऐसी बोलते रहते हैं।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कौन से शब्द संसदीय है आप निकाल कर देख लीजिए। माननीय सदस्य ने किसी का नाम नहीं लिया। प्रतीकात्मक तरीके से इस सदन में कितने इशारे होते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने की स्वतंत्रता है इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का उपहास करने के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। किसी सुंदरी का फोटो लगाया जाए ये कौन सा संसदीय वाक्य है। क्या संदेश देना चाहते हैं चंद्राकर जी।

अध्यक्ष महोदय :- बात खत्म हो गयी न। हो गया मैं सब समझता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये विलोपित करने का विषय नहीं है।

श्री विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला के शारीरिक संरचना का जो अंकीय गणित जो माननीय सदस्य ने इस सदन में बोला है वह बहुत ही घोर अपमानजनक और लज्जाजनक बात है।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप और क्यों उसको उजागर कर रहे हैं महाराज, मैं समझ रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- किस बात के लिये अपमानजनक हो गया विनय जी ?

श्री अमरजीत भगत :- [XX][8]

अध्यक्ष महोदय :- इसको भी मैं विलोपित करता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा अध्यक्ष जी।

श्री अमरजीत भगत:- नहीं इस प्रकार का बात 18, 36 क्या है ये आपका ?

श्री देवेन्द्र यादव :- ये उचित नहीं है, निम्न स्तर का है निम्न स्तर का।

श्री अजय चन्द्राकर :- महिलाओं के लिये फूलनदेवी कहा है उसने। उससे पूछो किससे सीखें है।

श्री अमरजीत भगत :- हम आज सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हैं उसको ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग होश हवास में बात करते हैं तो अच्छा लगता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम लोग होश में ही रहते हैं अध्यक्ष जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- इस सदन में सब लोग होश में ही रहते हैं अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, कुछ होश हवास में आ के बेहोशी जैसी बातें करते हैं वह उचित नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डहरिया जी हर बात पर खड़े होते हैं। विद्वता उनकी दिखती है। अभी मैंने उनसे रूकने का भी आग्रह किया था आप रूकिये थोड़ी देर करके। बृजमोहन जी शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, खुद वे शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। चार घटक है शहरी आवास में। स्व-स्थानीय स्लम पुनर्विकास, किफायती आवास, लाभार्थी आधारित आवास, क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, ये किसके अंडर में है। इनके अंडर में है कि डहरिया जी के।

---

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- डहरिया जी के।

अध्यक्ष महोदय :- तो डहरिया जी को आने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे तो, बीच-बीच में खड़े होने की उनकी भूमिका है साहब। ऐसे कामों में भूमिका उनकी परफारमेंस देखियेगा ना मैं पढ़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार ने तीन लाख मकानों की स्वीकृति दी प्रत्याशा में। अब उसमें आप देखियेगा 2019-20 में जो 212314 मकान बने हैं उसमें 44 हजार भर पूर्ण हुए हैं सिर्फ 20 प्रतिशत बाकी अपूर्ण है और यह पूरे छत्तीसगढ़ की बात है। 2020-21 में 196631 उसमें 70843 अर्थात 10 प्रतिशत मकान छत्तीसगढ़ में बने हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। तीसरे में 2021-22 अभी चल रहा है 184153 मकान में 1551 मकान बने हैं अर्थात 0.80 प्रतिशत मकान बने हैं और 3 लाख में बाकी 50 हजार का कोई हिसाब किताब नहीं भेजा है। अब इनमें जो पैसा चाहिए राज्य अंश का 3400 करोड़ रूपये। 3400 करोड़ रूपये में तीन साल में 1000 करोड़ की व्यवस्था हुई है जिसमें 900 करोड़ रूपये इन्होंने कर्ज लिया है। अब मैं आंकड़ों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहता वो तो मंत्री जी बताएंगे। ये सरकार हम गरीबों की सरकार है साहब हम गोबर बिन रही है, हम 2500 रूपया दे रहे हैं। लेकिन हम लाईट नहीं देंगे, हम मकान आपका नहीं बनाएंगे, हम आपकी स्वच्छता का पैसा नहीं देंगे, हम आपके सड़क मेंटेनेंस का पैसा नहीं देंगे, हम आपके लिये ग्रामीण विकास के एक रूपये। दो साल में राजा साहब दो साल में एक रूपया इन्होंने स्वीकृत नहीं किया और इस साल अपने विधायकों को दिया और फिर से चेंज कर दिया ये स्थिति है और पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय अध्यक्ष महोदय गरीबी उन्मूलन नहीं हो रहा है। रूलर डेवलपमेंट का काम हो या सरकार का काम हो, सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वह है गरीबी उन्मूलन। इसीलिए मैंने कहा कि गरीबी को लेकर हर विचारधारा पैदा होती है। माननीय राजा साहब, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है और आपकी सरकार का दुर्भाग्य है, आपकी राजनीतिक क्षमता का दुर्भाग्य है और यह सरकार के समर्थन में बोलेंगे तो उनका दुर्भाग्य है कि गरीबों के आवास के लिए चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण हो, आप शत प्रतिशत व्यवस्था कीजिए । अब मत बोलिए, अब आपको ढाई साल हो गया है। अब मत बोलिए कि कुछ हो गया है। आप 36-37 हजार करोड़ रूपये ले चुके हैं। आप 4 हजार करोड़ रूपये और ले लीजिए। आपकी ऋण लिमिट साढ़े 5 प्रतिशत बढ़ा दी गई है तो गरीबों के लिए कुछ करिये। आप ब्याज पटाने के लिए ऋण मत लीजिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं चाहता हूँ कि आज 139 की चर्चा है। आप एक सार्थक हस्तक्षेप करें, चाहे शहरी क्षेत्र हो, आप शहरी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ग्रामीण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जितने लोग हैं किसी न किसी में नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम हैं गांव तो हैं ही। पूरी तरह से कर्जे में ढप्प, आदमी प्रथम किश्त पाकर कर्जे में डूब गया। इस साल और पिछले साल के मकान कब बनेंगे ? कैसे बनेंगे, इसकी कोई योजना नहीं है। वनवासियों के लिए हो, समाज के वंचितों के लिए हो, मुख्य धारा से कटे लोग हों उनकी चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। एक स्वर्णीम भारत की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कल्पना जो वर्ष 2022 में सबको आवास देने की हुई थी उसको हम छत्तीसगढ़ में सब कोई मिलकर सार्थक बनायें। राजा साहब, मैं आपसे आलोचना के साथ आग्रह करूंगा कि आप अपने सहयोगी मंत्री को बोलकर तीनों साल का आवास अवश्य दिलवायें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आपके धारदार भाषण के लिए धन्यवाद्। माननीय संतराम जी। माननीय संतराम जी आप 5 मिनट में बताईये। जैसे उनने बहुत कम समय में बोला, वैसे आप भी बोलिए।

समय :
6:07 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी माननीय अजय चन्द्राकर जी ने नियम 139 के तहत में लोक महत्व के विषय में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो चर्चा का विषय लाये हैं मैं उनको धन्यवाद् देता हूँ और उन्होंने प्रदेश के गरीबों के लिए, काम करने की सलाह जो दे रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे हैं मैंने यह कल भी कहा और आज भी इस बात को कह रहा हूँ, वह प्रदेश के बारे में जितने चिंतित हैं इससे ही स्पष्ट होता है कि किसानों का कर्ज माफ करने वाली हमारी सरकार है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय में चर्चा हो रही है और पूरा मंत्रिमण्डल गायब है। 13 में टोटल 3 लोग हैं। कम से कम गरीबों के आवास के संबंध में चर्चा हो रही है उसमें तो सबको उपस्थित रहना चाहिए।

श्री संतराम नेताम:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे अभी माननीय चंद्राकर साहब सलाह दे रहे थे कि गरीबों को उपर उठाओ, किसानों, मजदूरों को ऊपर उठाओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने गरीबों को ऊपर उठाओ नहीं कहा। उनके लिए मकान बनावाओ, यह कहा है। आप बोलकर पाप के भागीदार मत बनिए। आप चुप बैठ जाईये।

श्री संतराम नेताम:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। आपने कहा कि गरीबों को ऊपर उठाना है। हमारी सरकार ऐसा काम कर रही है कि किसानों, हमारे मजदूरों के लिए, तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो अव्यवस्था क्यों हो रही है ? यह अव्यवस्था क्यों हो रही है उसका कारण है केन्द्र से जो आवंटन आता है वह हमको नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको मेरे कोण्डागांव जिले का आंकड़ा बता रहा हूँ। वर्ष 2016-17 में स्वीकृत लक्ष्य 1147, आप भेदभाव कर रहे हैं मैं उसको बता रहा हूँ। वर्ष 2017-18 में 1339, 1389, 99 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में 3 हजार पूर्ण हुआ है तो वह 2856 है। 95 प्रतिशत हुआ है अब हमारी सरकार आई।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आप आंकड़ा देख लीजिए, 4 हजार स्वीकृत हुआ 646 और वर्ष 2020-21 में 4100 और हुआ है जीरो। इसका मतलब होता है कि भेदभाव पक्षपात पूर्ण काम हुआ था। आप देख लीजिए केन्द्र से कैसे पैसा आ रहा है। आज मैं एक अधिकारी से बात किया वह बोले कि आवंटन नहीं आ रहा है तो हमारी सरकार कैसे काम कर पाएगी और हमारा प्रशासन काम करेगी। अगर इसका कोई दोषी है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों, किसानों के प्रति भेदभाव कर रही है। जैसे अभी वैक्सिन की बात किये, हमें वैक्सिन नहीं दे रहे थे जब हमारी सरकार को लगा कि वैक्सीन नहीं दे रही है तो सरकार सक्षम मुख्यमंत्री गंभीर और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के युवाओं को सारे लोगों को हम वैक्सीन लगायेंगे।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- नेताम जी, कितना वैक्सीन लगाए हैं ? सरकार कितना वैक्सीन लगाई है, थोड़ा बता दीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जो मजदूर थे, गरीब मजदूर थे, श्रम विभाग से उन मजदूरों को, उन गरीब लोगों को सायकल मिल जाता था, सिलाई मशीन मिल जाता था, आप उसको भी बंद कर दिए। उन गरीबों के लाभ को भी आपने बंद कर दिया। उनका दुकान बंद कर दिए, सबको तो बंद कर दिए हो।

उपाध्यक्ष महोदय :- बांधी जी बैठिए।

श्री संतराम नेताम :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर 15 साल में 2003 से 2018 तक आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे युवा दूसरे प्रदेशों में रोजगार करने के लिए गये थे और कई लोगों की मौत हो गयी। इसका यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी युवाओं को उनके हाथ में काम नहीं दे रही थी। वे लोग क्यों बाहर जाते ? यहां के लोगों को, कई सालों से हमारे शिक्षाकर्मी भाईयों को इन्होंने केवल और केवल एक संविदा और एक कर्मचारी पंचायत का कर्मचारी बनाया था। इसी का उदाहरण है कि लोग बाहर जाकर काम करना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रदेश में इंदिरा आवास धीमी गति से चल रहा है इसका कारण भारतीय जनता पार्टी और हमारे केन्द्र में बैठी मोदी सरकार के कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम गांव जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि हमारा मकान नहीं बन रहा है। जनपद के सदस्य आते हैं, जिला पंचायत के सदस्य आते हैं, वे कहते हैं कि विधायक जी आवास को बनाईये। यह जो कार्य धीमी गति से हो रहा है, इसका कारण मैं चंद्राकर साहब को बताना चाहता हूं कि केन्द्र से पैसा नहीं आने के कारण हमारा काम धीमी गति से हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखते, मै आपको कहना चाहता हूं, यह जो न्याय योजना है, यह भी किसानों, मजदूरों को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया है। गोधन योजना, इससे हमारे मजदूर, किसानों को मजबूत बनाने का काम करेगा। यह हमारी सरकार की सोच है। अगर आप किसानों के लिए इतनी चिंता करते हैं, मजदूरों, हितग्राहियों के लिए चिंता करते हैं तो क्यों हमारे चावल को नहीं खरीदते। आपने क्यों 60 मीट्रिक टन लेने की बात की, आपने क्यों 24 मीट्रिक टन लिया ? आप अगर गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। हमारे जो हितग्राही हैं, बिना आवास के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रह रहे हैं, अगर आप उनके लिए मदद करना चाहते हैं तो आप भी एक कदम अपनी सोच को बदलिए, अपनी विचारों को बदलो। सरकार के साथ काम करो और निश्चित तौर पर अगर केन्द्र और राज्य मिलकर योजना में राशि देंगे तो वह गरीब जो गांवों में रहता है, जो पानी में भीगता है, जिनके रात में सोने के लिए छत नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करना है। हमारी सरकार की सोच और नीयत अच्छी है। निश्चित तौर पर मैं हमारे विपक्ष के भाई चंद्राकर साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सदन के सारे विपक्ष के भाईयों से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश और केन्द्र मिलकर वैसे हितग्राही और किसान को मदद करें ताकि उनके सर में छत हो। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी, समय का ख्याल रखियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, भारत सरकार ने देश की गरीब जनता के हित में बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ किया और जब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह की सरकार रही, उनके नेतृत्व की सरकार चली, चाहे वह स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत काम करने की बात हो, चाहे उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस आबंटन की बात हो और चाहे प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की बात हो। इन सारी विषयों में छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भाई संतराम का भाषण मैं सुन रहा था और संतराम जी आरोप लगा रहे थे कि केन्द्र की सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसके चलते काम रूके हुए हैं। भाई संतराम जी, आप छत्तीसगढ़ की सरकार का बजट देख लें, माननीय मंत्री जी ने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो विधानसभा में उत्तर दिया है, उनकी कापी उठाकर देख लें। हम अगर इन सारी योजनाओं में पिछड़ रहे हैं तो उसके पिछड़ने का मूल कारण है कि समय पर केंद्रांश तो मिल रहा है लेकिन जो राज्यांश जमा होना चाहिए, वह राज्यांश जमा करने में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार विफल रही है उसके चलते हम सारे कामों में पिछड़ रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में 18 लाख 82 हजार 155 हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास में आवास बनना था । वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2019-20 तक 10 लाख 97 हजार 150 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है, उनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं । लेकिन वर्ष 2019-20 में प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव नहीं भेजा । वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 6 लाख 48 हजार 861 आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जिसके विरूद्ध राज्य सरकार ने 1 लाख 57 हजार 815 आवास का लक्ष्य निर्धारित किया । यह मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है, उस जवाब की कॉपी के आधार पर बोल रहा हूं । अब 6 लाख 48 हजार 861 के स्थान पर आप 1 लाख 57 हजार मकान को स्वीकार कर रहे हैं मतलब लगभग-लगभग 5 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास वापिस चले गये, नुकसान किसका हुआ ? छत्तीसगढ़ की उस गरीब जनता का

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जिसको 2-3 कमरों का मकान मिल जाता । अगर केंद्र के प्रस्ताव को प्रदेश स्वीकार कर लेता लेकिन प्रदेश ने स्वीकार नहीं किया और उसका नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है और उसी प्रकार भारत सरकार ने शहरी ग्रामीण स्वीकृति के विरूद्ध, शहरी में 2 लाख 27 हजार 772 मकान स्वीकृत किये और जो कुल हुए हैं 2 लाख 27 हजार 772 उसमें आवास पूर्ण, वह 67,842 है, 2 लाख 27 हजार 772 के विरूद्ध । निर्माणाधीन 71, 854 है और शेष का काम शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्यांश का पैसा नहीं दिया गया इसलिए शेष का काम शुरू नहीं हो पा रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि अभी छत्तीसगढ़ का हम देखें तो स्वयं माननीय मंत्री जी उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं कि 8 लाख 59 हजार 578 हितग्राही प्रधानमंत्री आवास निर्माण के शेष रह गए हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह 8 लाख 59 हजार 578 की जिलेवार सूची भी माननीय मंत्री जी ने प्रश्नों के जवाब में उपलब्ध करवायी है और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही सबसे ज्यादा किसी जिले में बाकी हैं तो वह जिला माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जिला है । जहां 1 लाख 1672 हितग्राहियों का मकान स्वीकृत होना शेष है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जिले में भी 39,170 हितग्राहियों का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होना शेष है । कुल-मिलाकर यह सरकार गरीबों के हित में काम करने की बजाय उनका काम कैसे रूके इस विषय पर काम कर रही है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब माननीय राजा साहब ने जन घोषणा पत्र तैयार किया तो जन घोषणा पत्र में शायद राजा साहब एक बात लिखना भूल गये थे कि हम आकाश से तारे को तोड़कर पृथ्वी में लेकर आयेंगे यही लिखना भूल गये थे बाकी सब-कुछ लिखे थे । लेकिन जन घोषणा पत्र में जो लिखे उसको पूरा करने के लिये आप क्या कर रहे हैं ? आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को हम 1 रूपये किलो में चावल उपलब्ध करायेंगे । आज भी छत्तीसगढ़ की 25 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिसको ए.पी.एल. का कॉर्ड दिया गया है, बी.पी.एल. का राशनकॉर्ड नहीं बना है । 1 रूपये में चावल नहीं मिला है । जनघोषणा पत्र में बड़े जोरदार ढंग से लिखा गया था कि शहरी क्षेत्रों में जिनके पास आवास के लिये स्थान नहीं है उनको भूमि भी प्रदान की जायेगी और दो कमरे का मकान भी बनाकर दिया जायेगा । जन घोषणा पत्र में लिखे वह तो दूर की बात रही। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें केंद्रांश 60 प्रतिशत आता है वह केंद्रांश में आप 40 प्रतिशत राशि मिलाकर काम करने में विफल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। सब जगह इस सरकार के काम के चलते गरीब जनता का हित मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि हम जब आजादी का 75वां वर्ष मनाएंगे, आजादी की जब हीरक जयंती मनाएंगे, तब देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके सिर के ऊपर छत न हो। पर इस लक्ष्य से हम दूर रह रहे हैं। यह लक्ष्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए दोषी कोई सरकार है तो भूपेश बघेल की सरकार है। माननीय टी.एस. सिंहदेव की सरकार है और इस सरकार को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- जय-वीरू की सरकार।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- है न, उसमें क्या दिक्कत है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी..।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते एती बोलेस तो घर जाके सिन्हा जी ला बताहूं। ते अंते तंते बोलत हस करके। समझ गेस न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर शहर के प्रधानमंत्री आवास काबर नहीं बनथे, चारों योजना के। सब बंद पड़े है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बनथे। तोर सरकार में तो कुछ बनाये नहीं जो बनाथन वो हम ही मन बनाथन।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा संगीता जी, कल तो आप कौन सा धर्म निर्वाह कर रही थी। आज कौन सा धर्म निर्वाह कर रही हो?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आज जनता अउ अपन क्षेत्र की तरफ से बोलहूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, जनता का धर्म निर्वाह कर रही हो तो बोलो सरकार क्यों नहीं कर रही है करके।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- बोलथो न। बोलथो। सुनो तो। कल तो पति धर्म का निर्वहन हो रहा था। आज कौन से धर्म का निर्वहन कर रही हो? बताओ न।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, शर्मा जी। बैठिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर इहां कालिया अउ सांबा कोन हरे।

श्री शिवरतन शर्मा :- सांबा ते हस।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर तरफ सांबा अउ कालिया कोन हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- सांबा ते हस अउ कालिया बाजू में हे। अभी बाहर चल देहे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमर तो जय-वीरू वाला हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं- नहीं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमर तो जय-वीरू वाला हे न। तोरे तरफ सांबा अउ कालिया हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते मुख्यमंत्री बनबे। भाई।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, चल ठीक हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- ते मुख्यमंत्री बनबे। पक्का पनबे।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती संगीता सिन्हा :- लेना मोला बोलन दूहू या नहीं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय उपाध्यक्ष जी, नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य धीमी गति से चलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय चन्द्राकर जी ने जो चर्चा उठाया है, मैं उसमें भाग ली हूं। चन्द्राकर जी, बैठ न गा। सुन ले तब जाबे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डर गये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम गरीबों की सरकार नहीं हैं। जैसे कि हमन विपक्ष के साथी मन कहिसे। गरीबों के सरकार तो मैं बताना चाहथौं कि हमर गरीब के सरकार नोहे। हमारी सरकार आम जनता की सरकार है। किसान भाइयों की सरकार है और हर वो साथी के सरकार हे। छत्तीसगढ़ी अउ हिन्दी दोनों मिक्स होथे। हर वो साथी के एक-एक व्यक्ति के सरकार हे। पहली के जमाना चल दिस। 15 साल जो हमन झेलत रहेन। जो उद्योगपति के सरकार रहिसे, वो नहीं हे। अब हमर किसान भाई मन के सरकार हे। साथ में मैं बताना चाहथौं कि स्थायी प्रतीक्षा सूची में 18 लाख 82 हजार 155 हितग्राही है और वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक 10 लाख 97 हजार 150 हितग्राही ला लाभ मिल चुके हे एवं वर्ष 2022 तक 7 लाख 85 हजार ला लाभ मिलना शेष हे। अउ वो बहुत जल्दी लाभ मिल जाही। अउ हमर सबसे बड़े कारण हे। अउ प्रथम चरण में 95 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हे। दूसरा चरण में 41 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हे और आवास योजना धीमा होये के कारण हमर केन्द्र सरकार हे। अउ केन्द्र सरकार काबर हे, यहू ला मैं बता देना चाहथौं। केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन दिया नहीं जा रहा है मतलब देत नहीं हे और जेखर कारण प्रधानमंत्री आवास योजना धीमा होगे हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- संगीता जी, मैंने अभी मंत्री जी का जवाब पढ़कर बताया है कि केन्द्र ने 6 लाख 48 हजार स्वीकृत किया और प्रदेश ने 1 लाख 57 हजार स्वीकार किया। आपको कॉपी दे दूं क्या? माने जो लिखकर दे दिया, आप उसे मत पढ़ो। जो मंत्री जी का जवाब है, मैंने उसे बताया।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आदरणीय शर्मा जी, जब महिला सदस्य लोग बोल रहे हैं तो अनावश्यक रूप से उन्हें छेड़छाड़ ठीक नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आंकड़े की जानकारी दे रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप निवेदन मत करो। सीधे जाकर प्रणाम करो।

श्री शिवरतन शर्मा :- बिल्कुल-बिल्कुल।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दूर से नहीं। नजदीक जाकर प्रणाम करो।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उपाध्यक्ष जी, ये छेड़छाड़ शब्द को विलोपित किया जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आप रोज महात्मा गांधी को प्रणाम करते हो, मैं बहन जी को प्रणाम कर दूंगा, मुझे कोई संकोच नहीं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दूर से नहीं, थोड़ा नज़दीक जाकर प्रणाम करो ना। आशिर्वाद मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, बैठ जाइए, हो गया प्रणाम, ...ए मंत्री ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, ये छेड़छाड़ शब्द को विलोपित किया जाए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- केन्द्र सरकार जो भेदभाव करत हे, ओकर मुख्य कारण हमर छत्तीसगढ़ राज्य नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी में जो उपलब्धि करत हे, एमन ला सहन नइ होत हे । वो आप मन सहन नइ कर पात हो, जिस प्रकार भूपेश बघेल जी हर गरीब व्यक्ति ला ऊपर उठाए के कोशिश करत हे, ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- फिर कापी देखके बोलत हस ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कॉपी पुस्तक सब छोड़ दे हौं, सब ला अलग कर दे हौं । जो गोधन न्याय योजना है, आप मन आज तक सोचे ही नइ रेहेव । जो गरीब व्यक्ति 2 रूपए किलो मा गोबर ला बेचत हे, ओकर ले गरीब के आर्थिक व्यवस्था सुधरत हे । वो आप गांव में जाकर पता करहू । आप हर व्यक्ति से जाकर मिलकर देखहू कि कितना खुश हे । आप गोबर बेचके बाइक खरीदे के बात करे रहेव, ये 100 परसेंट सही हे अउ मैं अपन विधान सभा में मिलवा भी दुहूं ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- तभी गोबर वाला मंत्री जवाब नइ दे सकिस ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सब दे हे, आप सुने नइ हो । आप मन बइठ के सुनो हमन मंत्री सब जवाब देत हे । हम तो ये भी बतात हन कि हर घर के व्यवस्था सुधरे हे । जो गोधन न्याय योजना हे, अभी राजीव गांधी न्याय योजना, आप मन तो कोई भी कार्य ला पूरा नइ कर सकेव । हमर सरकार तो हर वादा ला निभाये हे । ओला न्याय योजना के तहत पइसा दे हे । गांव वाला मन गरीबी के स्थिति ले उंचा हो चुके हे । आवास योजना बर कहना चाहूं कि हमन 9 सांसद दिल्ली मे हे, आप मन सांसद से भी निवेदन करौ कि चिट्ठी नइ लिख सकव तो जाकर मिल लुहू । भले केन्द्र में आप मन मंत्री नइ बनेव, वह अलग चीज हे, लेकिन निवेदन तो कर सकथो कि हम छत्तीसगढ़ के जनता बर पइसा भेजो ।

श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू :- संगीता दीदी, आप बताए हौ कि गरीब के सरकार नइ हे तो काकर सरकार हे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गरीब के सरकार हे, किसान भाई मन के सरकार हे।

श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू :- गरीब के नो हे का । आप तो बताए हो गरीब के सरकार नो हरे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रंजना, ते काबर, वो गोबर बिने ला जाथे, तइसने लड़त हस ।

श्रीमती रंजना डिपेन्द्र साहू :- हमर बड़े दीदी हरय ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं इही कहना चाहत हौं कि आप मन भी केन्द्र सरकार ने निवेदन करो कि हमर छत्तीसगढ़ राज्य ला थोड़ा बहुत पइसा दे । आपके सांसद मन अउ आप मन जाके निवेदन करौ । उपाध्यक्ष महोदय, आप बोले के मउका देव तेकर बर धन्यवाद् ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी, एकर का बाचे हे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- सब बाचे हे अभी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोला शिक्षा देना बाकी हे । शिक्षा ले ले, यही बाचे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अउ ते ओला टोके मत कर, तोर अतका बड़ ओकर 5-6 लइका हे (हंसी) ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओला बता दे ना ओ जानय नहीं ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय चंद्राकर जी ने नियम 139 के तहत चर्चा की । मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहूंगा । अगर हम पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी प्रधानमंत्री थीं । उन्होंने इंदिरा आवास योजना चलाई, झुग्गी झोपड़ी हटाने के लिए योजना चलाई, गरीबों के कल्याण के लिए योजना चलाई, सिंगल बत्ती योजना चलाई, गरीबों के घरों के पट्टा वितरण की योजना चलाई । सभी की समानता के लिए योजनाएं लाईं और विपक्ष के किसी ने भी विरोध नहीं किया । लेकिन जब से यहां भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, उसके पहले यहां मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह थे । भूपेश जी ने 50 हजार वाले स्मार्ट कार्ड की योजना को बंद कर दिया, आयुष्मान भारत योजना को बदलकर खूबचंद बघेल के नाम से कर दिया, मैं इस विषय पर आना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार ने स्वच्छता अभियान में किसी की अनदेखी नहीं की । आयुष्मान भारत योजना में अनदेखी नहीं की, कोरोना से निपटने में किसी सरकार की अनदेखी नहीं की, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति के 50 प्रतिशत ग्रामों को अनुदान देने में 40-40 लाख देती है, पहले 45 लाख था, अब 40 लाख है । अनाबद्ध राशि में भी 10 लाख रूपए तक और 3 से 5 करोड़, 10 करोड़ तक राशि दिल्ली की सरकार राज्य सरकार को देती है । नरेगा का पैसा भी दिल्ली की सरकार देती है, नरेगा में आंगनबाड़ी भवन बनाते हैं, नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी और उसमें रहते हैं अगाड़ी । ऐसी योजनाएं जिनमें आप पैसा नहीं देते, उन योजनाओं में भी दिल्ली सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं । अगर हम बात करें तो गैस वितरण योजना में भी प्रदेश सरकार की अनदेखी नहीं हुई । इसमें ही अनदेखी क्यों की जा रही है क्योंकि आपके प्रधानमंत्री आवास योजना में 60/40 का रेश्यो है 60 परसेंट दिल्ली सरकार देती है 40 परसेंट आपको देना है जब आप गरीबों का हित करना चाहते हैं किसानों का हित करना चाहते हैं कॉलेज खोजना चाहते हैं भूमिहीनों को देना चाहते हैं तो क्या ये गरीब नहीं है जिसके पास आवास नहीं है प्रथम किस्त नहीं है, द्वितीय किस्त नहीं मिला है अगर किसी का घर आप जा के देखें आप तो राजा है ।आप गरीब की ओर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी आप जाएं और देखे एक गरीब का एक किस्त मकान 30 हजार मिला है वो जहां का तहां पड़ा है 60 हजार मिला है जहां का तहां पड़ा है 90 हजार मिला है जहां का तहां पड़ा है वो बेघर है वर्षा ऋतु है किस तरह उनका परिवार गुजर-बसर कर रहा है इसको भी देखे आप पूरे कल्याणकारी किसान नहीं है वो मजदूर नहीं वो गरीब नहीं है मैं आपसे आग्रह करूंगा 762 करोड़ रूपया आपने नहीं दिया उसके बाद आपने 6 लाख मकान दिल्ली के सरकार ने पास किया पैसा भी भेजा उनका 5 लाख 40 हजार आपने वापस कर दिया मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे राशि को देना आपका कर्तव्य बनता है आप बहुत अच्छे समझदार मंत्री हैं भले आप आप लोग झगड़ा हो जाते हैं फिर आप लोग मिल जाते हैं दो दिन में ठीक हो जाते हैं तो आप विपक्ष का दिमाग छोड़ दीजिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विपक्षीय प्रभाव को छोड़ मैं आपसे बोल रहा हूं आप पैसा नहीं दे रहे है। मैं माननीय डहरिया जी से आग्रह करता हूं इसमे मुफत में मकान देने की योजना है आप पड़ रहे हैं सुस्त और देना है आपको मुफ्त। इस योजना का लाभ देने का कष्ट करें क्योंकि गरीब लोग आपको साथ देंगे। इधर शराब के पैसा में भी अगर देते हैं तो शराब के पैसे में भी आपको मुफ्त में मकान बन सकता है मैं आपसे आग्रह करता हूं। (व्यवधान)

डॉ शिवकुमार डहरिया :- सुन न, माननीय अध्यक्ष जी, ये वापस कर दिये बोलते हैं ये नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद, माननीय मंत्री जी।

श्री राम कुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, एक गरीब मन के बात हे मह इंदिरा आवास में रिथो महुल दू मिनट बोलवा देथो।

अध्यक्ष महोदय :- आपके मकान नई हे का?

श्री राम कुमार यादव :- इंदिरा आवास में रथो महोदय आप तो खुद देखे हवो

अध्यक्ष महोदय :- चलो एक मिनट बोल लो। बोल लेने दीजिये साहब, बहुत गरीब लड़का है।

श्री राम कुमार यादव :- धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय विपक्ष मन के द्वारा नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय में चर्चा के लिए करे हे तो मे सरकार के पक्ष मे मे हा खड़े हो यहां पर मे सुनत रहे हो विपक्ष मन के बात ला एमन एक तुलना करत रहीस कि कोन सरकार हा गरीब मन के संग मा हे कोन सरकार हा गरीब मन के संग मा नई हे

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन लिया था आपको।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी पुन्नूलाल मोहले कहात रीहीसे हमन हा दिसंबर 2018 तक 16 हजार मकान बने रहीसे हमन बनायेन 82 हजार तो मैं कहा थो ए मन रहीने अपने सरकार के काम ल नई कर पाइन काबर एक मन रहीसे सुस्त अउ हमन हन चुस्त।

अध्यक्ष महोदय :- वेरी गुड। चलिये बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी दे मे तेहा होगे हस सुस्त जतका मजा करत हस चूस।

अध्यक्ष महोदय :- ये चूसी का चूसा का सवाल यहां मत करिये।

श्री राम कुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार ओ साइकिल में चलने वाला से लेकर के हवई जहाज में उड़ाने वाला तक के सबके ख्याल करने वाला ए सरकार हवे 15 साल में आप मन जैसे कि बताओ उदाहरण सहित आपमन कभी भी ओ जंगल में रहने वाला चाहे ओ सरगुजा के हो चाहे बस्तर के हो चाहे रायगढ़ के हो चाहे राजनांदगांव के हो कभी सोचे हस ओ गरवा चरा करके पीछे मा जाहू मा लेकर के गोबर बिने बर जाथे तेखर लइका कभी सोचे रहे का नहीं सोचो आपमन।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- आवास में बोलहू कहे रहेव बोलो ना ऐ गरीब वाला बात ए।

श्री राम कुमार यादव :- आपमन गरीब के बात करे हो, गरीब उन्मूलन के, कैसे होना चाहिए ठाकुर साहब ओखरे खातिर कहाथो ए सरकार इंदिरा आवास में रहने वाला से लेकर राजमहल में रहने वाले सरकार के भी ख्याल करथे

श्री रजनीश कुमार सिह :- इंदिरा आवास, कहां हे इंदिरा आवास।

श्री राम कुमार यादव :- बताथो आप ला ठाकुर साहब थोड़ा बैठो, सुन लो थोड़ से जब 15 साल ले इहा छत्तीसगढ़ में सरकार में रहे ए छत्तीसगढ़ के जनता मन तड़फत रहीने इहा के व्यवस्था ला देखकर लेकिन जैसे ही माननीय भूपेश बघेल के सरकार बनीस बनते साठ ओ गरीब मन के लिए योजना बनइस कर्जा माफी के आज ओ गरीब आदमी जे हा कभी दो वक्त के रोटी के लिए तरसत रहीसे ऐसे गरीब आदमी मन के लिए आज-आज गोबर कीथो हमर जिंदगी मा कतका बडे महत्व हे हमर चंद्राकर जी हा शादी करीसे तो गोबर के गउरी बनस होही अउ कलश लिपे बर गोबर में लिपेस होही अउ आप मन बड़े-बड़े आदमी मन अपन अपन घर ला डिस्टेम्पर में पोत्थव, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी गोबर उस छूही में पोतथे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- घरे नहीं रहिही त काली लिपही जी ।

श्री रामकुमार यादव :- थोड़ कन सुन ले । जब गरीब मन के बात आए हे त जतका अकन रामकुमार यादव जानही, ततका अकन कोई नहीं जानय । आप मन ला त मैं देखे हववं, तुहर मन के बड़े-बड़े बंगला हे, बड़े-बड़े गाड़ी हे, तुमन करा मर्सिडीज कार हे अउ मैं टूटहा सायकल वाले घर ले चुनकर आए हंव ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- तै कामा घूमथस गा ?

श्री रामकुमार यादव :- मैं ओकरे खातिर बोलथव, तुमन सुन लो । आज ये प्रदेश में आप गरीब के बात करथव । 15 साल ले सिर्फ गरीब-गरीब कहात रिहीन हे, लेकिन गरीब के लिए कभु कुछ नहीं करिन, लेकिन ये मोर सरकार ला मैं धन्यवाद देवथौं, मैं अपन सरकार ला सेल्यूट करथौं । जैसे ही छत्तीसगढ़ के जनता मौका दिस, त काये करिए । ए मन गोबर के साथ-साथ में अभी नया योजना बना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दिस । 6 हजार रूपया गरीब आदमी ला मिलही । कोन गरीब आदमी । छत्तीसगढ़ी में कहावत हे कि न खार के खेत नहीं हे, न गांव में घर नहीं हे । न खार के खेत नहीं हे, न गांव में घर नहीं हे । अईसे गरीब आदमी ला दिही ।

श्री सौरभ सिंह :- यादव जी, कौन विषय मा बोलथौं, तेन ला थोड़ा बता देवव।

श्री रामकुमार यादव :- गरीब मन के विषय में बोलथौं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रधानमंत्री आवास के विषय में बोल ।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी बोलिस कि गरीब मन के लिए कोई योजना नहीं हे करके ।

श्री सौरभ सिंह :- तुहर सरकार नहीं देवथे, तेकर चर्चा होवथे । बोल देवव कि पईसा ला दे देवव । प्रधानमंत्री आवास में आ जाही ।

श्री रामकुमार यादव :- गरीब मन के लिए करे हे, ओला बताए में का होवथे। पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ह देखत होही ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद । बैठ जाईए ।

श्री रामकुमार यादव :- गरीब के चर्चा त कभू-कभू होथे ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गे भैया । तहू ह आने-ताने गोठिया थन । प्रधानमंत्री आवास के बोल न गा ।

श्री रामकुमार यादव :- बस दू मिनट में खतम करथौं । इंदरा आवास के बात करथौं । जब देश आजाद होईस, देश आजाद होऐ के बाद में जब हमर देश के प्रधानमंत्री बनिस त सबले पहिली गरीब मन के लिए काम करिस, इंदिरा आवास के काम करिस, लेकिन आप मन के इहां सरकार बनेहे, ओ योजना ला बदल दिस अस का कहाथे ? ये प्रधानमंत्री आवास योजना होगे ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- इंदिरा आवास मा तोर गांव मा कतेक पईसा देवत रिहीसे, ओला बता दौना । थोड़ा बताना, हमू जानी । तोर गांव मा के ठी बने हे अउ कतका पइसा के बने हे ।

श्री रामकुमार यादव :- ये देश के इतिहास गवाह हे, जब-जब भी कांग्रेस के सरकार बने हे, चाहे केन्द्र में हो चाहे प्रदेश में, गरीब मन के लिए काम करे हे । अउ आप मन अभी बनेव त अदानी, अम्बानी, बड़े-बड़े महल वाले मन के काम करथौं । ओकरे खातिर मैं कहना चाहथौं ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप शुरू हो जाईए ।

श्री सौरभ सिंह :- अभी धर्मजीत भैया का बोलही, तेन ला सुनबे ना जी ।

श्री रामकुमार यादव :- इंदिरा आवास में आप मन के जोन-जोन भी केन्द्र सरकार के योजना रहिथे, उहां से कुछू भेजव त हर जगह अडंगा डाले हे चाहे धान खरीदी हो, चाहे इंदिरा आवास में हो, आप मन नाना प्रकार के अडंगा डालथौं । अध्यक्ष महोदय, आप मन बोले के मौका देव, ओकर बर धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप भी शार्ट में बोलिए, 15 मिनट में बोलिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, दो मिनट माननीय उपनेता को बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अगले में बोलवा दूंगा, हाथी की तैयारी कर लो ।

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य अजय चन्द्राकर जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के संदर्भ में नियम 139 में चर्चा चाही गई और आपने अनुमति दी । ये दो पृथक-पृथक विभाग हैं । माननीय मंत्री जी की अनुमति से मैं दोनों विभाग की ओर से बात रख रहा हूं । ये कथन सही नहीं है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई) (ग्रामीण व शहरी) अत्यंत धीमी गति से चल रही है । प्रदेश में हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण बी.एल.सी. मोर जमीन, मोर मकान के घटक के अंतर्गत दो लाख तथा भागीदारी में किफायती आवास ए.एच.पी. मोर मकान, मोर चिह्नारी घटक के अंतर्गत 1 लाख, इस प्रकार कुल 3 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है । कोविड महामारी के पूर्व मार्च, 2020 तक प्रदेश में बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत 1,40,695 आवास तथा ए.एच.पी. घटक अंतर्गत 63210 आवास इस प्रकार कुल 2,03,905 आवास की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी थी । विगत 15 माह में बी.एल.सी. घटक के अंतर्गत 59606 नवीन आवास तथा ए.एच.पी. घाटा के अंतर्गत 1869 नवीन आवास । इस प्रकार 61475 नवीन आवास की स्वीकृति प्राप्त की गई है । अद्यतन हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण बी.एल.सी. मोर जमीन, मोर मकान घटक अंतर्गत 2 लाख, 3 हजार 1 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास ए.एच.पी. मोर मकान, मोर चिह्नारी घटक के अंतर्गत 65079 आवास । इस प्रकार कुल 2,65,380 आवास निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है । बी.एल.सी. घटक अंतर्गत लक्ष्य के अनुरूप भारत सरकार से आवासों की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है । छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति पट्टाधिकृत को प्रदान किया जाना अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त पट्टों के नवीनीकरण/ भूमिस्वामी अधिकार एवं पट्टों के नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के आदेश जारी किए गए हैं। फलस्वरूप ए.एच.पी. घटक अन्तर्गत आने वाले हितग्राही बी.एल.सी. घटक अन्तर्गत लाभान्वित होने के कारण ए.एच.पी. घटक के हितग्राहियों की संख्या में कमी आई है। ए.एच.पी. घटक शेष लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में किराये पर निवासरत पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कोविड महामारी के पूर्व मार्च, 2020 तक प्रदेश में बी.एल.सी.. घटक अन्तर्गत 97,931 आवास पूर्ण तथा 67,505 आवास प्रगतिरत थे एवं ए.एच.पी.. घटक अन्तर्गत 5,453 आवास पूर्ण तथा 41,476 आवास प्रगतिरत थे। इस प्रकार कुल 63,384 आवास पूर्ण एवं 1,08,981 आवास प्रगतिरत थे। विगत 15 माह में बी.एल.सी. घटक अन्तर्गत 16,995 आवास एवं ए.एच.पी.घटक के अन्तर्गत 2,449 आवास

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इस प्रकार कुल 19,394 आवास पूर्ण कराये गये हैं। अद्यतन स्थिति में हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण बी.एल.सी.. घटक मोर जमीन मोर मकान घटक अन्तर्गत 74,876 तथा भागीदारी में किफायती आवास ई.एच.पी. मोर मकान मोर चिन्हारी घटक अन्तर्गत 7,902, इस प्रकार कुल 82,778 आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बी.एल.सी. घटक अन्तर्गत 17,930 आवास एवं ए.एच.पी. घटक अन्तर्गत 24,727 आवास इस प्रकार कुल 42,657 आवास निर्माणाधीन है। शेष आवास का कार्य प्रारंभ करने..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ रहे हैं। आपके आंकड़े सही हैं। नियम 139 की चर्चा में मैंने पूछा था और मैंने अपने भाषण में भी कहा था। दु:ख है, आप उत्तर दे रहे हैं तो वित्तीय स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। राज्य का वित्तीय स्थिति कितना है केन्द्र का कितना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी पहले सुन तो लो, उसके बाद बोलना। बीच में हर बार टपक पड़ते हो। पूरा जवाब देंगे न, बतायेंगे। बैठो।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इसमें हमारी कमी कहां है, मैं उस कमी को भी बताऊंगा। कमी है, जिस बात को आपने उठाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको बैठने दीजिये। मैंने वित्तीय स्थिति, बैंक के कर्ज, सारे विषय में तीनों साल के कार्यकाल की बात रखी है। यदि आप शहरी निकाय में बात कर रहे हैं तो चारों घटक के भौतिक वित्तीय और राज्य सरकार के प्रबंध को अलग-अलग बतायें।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अद्यतन स्थिति में हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण बी.एल.सी. घटक मोर जमीन, मोर मकान घटक अन्तर्गत 74,876 तथा भागीदारी में किफायती आवास ए.एच.पी. मोर मकान मोर चिन्हारी घटक अन्तर्गत 7,902 इस प्रकार कुल 82,778 आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बी.एल.सी. घटक अन्तर्गत 17,930 आवास एवं ए.एच.पी. घटक अन्तर्गत 24,727 आवास, इस प्रकार कुल 42,657 आवास निर्माणाधीन है। शेष आवासों का कार्य प्रारंभ करने एवं मिशन अवधि 2022 तक पूर्ण करने हेतु नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत आवश्यक राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थानों से निविदा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर ऋण प्राप्त करने के लिए ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वित्तीय प्रबंध किए जा रहे हैं। वित्तीय संस्थानों से बात की जा रही है। यह गोल-गोल बात है। मैंने आपसे पाईंट में पूछा है कि 3 साल में वर्षवार अलग-अलग इतने राज्यांश की राशि है, इतने की व्यवस्था हुई है, इतने की नहीं हुई है, यह जरूरत बतायें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी आपको बता रहे हैं, बैठ तो जाओ। पूरा पढ़ तो लेने दो। उसके बाद प्रश्न पूछना। पहले वक्तव्य तो देने दो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :-अगर वक्तव्य देने की अनुमति द दें उसके बाद चर्चा कर लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत राज्यांश की पूर्ति इसमें है, आगे आ जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- उनको सुनाई पड़ रहा है, आप बैठ जायें। आप पहले पीछे वाले को बैठा दो, यदि वे ज्यादा विद्वान हैं तो खुद उत्तर देना था। दूसरा बोल रहे हैं तो विद्वता मत दिखाओ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत राज्यांश की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थानों से निविदा के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त कर ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य शासन द्वारा राशि 3,357 करोड़, शासकीय प्रत्याभूति राज्य शहरी विकास अभिकरण को प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य शासन के बजट में राज्यांश के लिए 99.52 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना प्रारंभ होने से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश 2073.9 करोड़ के अनुसार समानुपातिक राज्यांश की राशि 1448.72 करोड़ की पूर्ति, किया जाना है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार कब तक किया जाना है, जरूर बताया करें । नियम 139 का मतलब ही वही है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- थोड़ा सा बोलने दीजिए । प्लीज । अद्यतन राज्यांश राज्य शासन से राशि रूपये 273.47 करोड़ अनुदान तथा शासन द्वारा जारी शासकीय प्रत्याभूति के अंतर्गत प्रथम चरण में भारतीय स्टेट बैंक से राशि 825 करोड़ ऋण प्राप्त कर कुल 1098.47 करोड़ राज्यांश की पूर्ति कर ली गई है । शेष राज्यांश राशि रूपये 350.25 करोड़ की प्रतिपूर्ति शीघ्र वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर की जायेगी, जिसके लिए द्वितीय चरण में राशि 500 करोड़ ऋण प्राप्त करने हेतु वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं । मोर जमीन, मोर मकान, बी.एल.सी.घटक अंतर्गत आवासों का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं कराया जाता है तथा नगरीय निकायों के माध्यम से कार्य की प्रगति के अनुसार चार फाउंडेशन, (लिंटल, छत स्तर, प्लास्टर, पूर्ण) पर केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि जारी किया जाता है । इस घटक अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों के लिए एवं नवीन आवासों को प्रारंभ करने के लिए नगरीय निकायों को आवश्यक राशि जारी कर दी गई है । निकायों से मांग प्राप्त होने पर नियमित रूप राशि यथासमय जारी की जा रही है । राशि के कारण आवास निर्माण कार्य की प्रगति बाधित नहीं हुई है और न ही हितग्राहियों को आर्थिक क्षति हुई है । अपितु मार्च-2020 से पूरे देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में फैली महामारी कोविड-19 के कारण एवं लॉकडाउन होने से प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपसे कमिटमेंट पूछ रहा हूँ ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं तो आपको लिखित बता दिया । आप भूल गये । व्यवधान

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं भूला नहीं, राशि की व्यवस्था की जा रही है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एक माननीय सदस्य :- आपने मौका ही नहीं दिया । उन्होंने सब बोल दिया ।

डॉ.श्रीमतीलक्ष्मी ध्रुव :- पहले से राज्य को कर्जा में डुबो दिये हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- 1098.47 करोड़ राज्यांश की पूर्ति कर दी गई है । जो छोटी राशि है, उसको आप पकड़ रहे हैं । आपने ध्यान नहीं दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :-आपको मैंने पूछा है, चारो घटक के वर्षवार बताईये । इतना वित्तीय राशि, इतना केन्द्रांश, आप इतना एक साथ पढ़ रहे हैं ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- मैं आपको उसको भी बता दे रहा हूँ । थोड़ा सा बचा है, उसको सुन लीजिए, धैर्य रखिये । पंचायत विभाग में हमको कमजोर दिखने का मौका मिलेगा । कमजोर स्थिति का भी बयान करूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उससे ज्यादा कमजोर शहरी है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- शहरी की बात है, हम लोग जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं । एक पैराग्राफ छोटा सा बच गया है, मैं पढ़ देता हूँ ।

भागीदारी में किफायती आवास निर्माण एएचपी घटक अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करने एवं हितग्राहियों को आवंटित कर व्यवस्थापित करने हेतु भी संबंधित कार्य एजेंसी को निर्देश दिये गये हैं । भारत सरकार के उद्येश्य के अनुरूप स्वीकृत आवासों को मिशन अवधि मार्च 2022 तक पूर्ण करानेहतु लक्ष्य रख कर कार्य कराया जा रहा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री को अपना पूरा वक्तव्य लिखित में नहीं पढ़ना चाहिये । वह बीच-बीच में देखकर बोल सकते हैं । आंकड़े देखसकते हैं । उनको अपने ज्ञान के अनुसार बोलना चाहिये । यह नियम है, आप नियम देख लें । पूरी चीजें वह पढ़ेंगे नहीं, परन्तु वह पूरी पढ़ रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय :- वह इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैंने बोला है कि जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म करो । पहली बार 139 का प्रयोग हो रहा है । आप लोगों ने वचन दिया था कि आधे घण्टे में खत्म कर देंगे । 1 घण्टे में खत्म कर देंगे । इस तरह आप लोग वचन भंग करेंगे तो वचन भंग होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने ऐसा वचन नहीं दिया । हमने कहा कि इसकी चर्चा करवाईये । हम जल्दी करेंगे और पूरा समय बैठेंगे ।

डॉ.शिव कुमार डहरिया :- 90 में मात्र ज्ञानी आदमी है । हर बार पाईन्ट आफ आर्डर उठाते हैं । (व्यवधान)

श्री टी.एस.सिंहदेव :- वर्तमान में इस शासन के आने के बाद 82,778 आवास पूर्ण किये गये हैं । शायद आपको जानकारी हो, न हो, भारत सरकार ने आपके प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में छत्तीसगढ़ को 1 जनवरी को पी.एम.आवास में प्रथम अवार्ड दिया है । अगर हमारा काम बहुत खराब होगा तो प्रधानमंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जी से कृपापूर्वक बोल दीजियेगा कि दोबारा मूलयांकन करा लें। आपने जो मूल्यांकन कराया था, वह गलत था। जो हमको 1 जनवरी का एवार्ड दिया, वह आपने गलत दे दिया। 850 करोड़ रुपये लोन लिया गया है, 500 करोड़ रुपये लोन का प्रस्ताव चल रहा है। राज्य द्वारा 1091.56 करोड़ राशि दी गई है, वह मैंने पहले बताया। 2000 करोड़ रुपये का और लेने पर सबको आवास होगा। केन्द्र का जो Committed Share 3520.86 करोड़ रुपये में अब तक केवल 2083.82 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। विशेष के लिए हम भी पहल कर रहे हैं। अगर आप भी पहल करके सहयोग करेंगे तो छत्तीसगढ़ का भला होगा। आपने वर्षवार स्वीकृति कितने साल की जानकारी मांगी है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं रहने दीजिए।

श्री टी.एस.सिंदहेव :- मैं पढ़ दूं।

अध्यक्ष महोदय :- रहने दीजिए, उनको भेज दीजियेगा।

श्री टी.एस.सिंदहेव :- मैं दे दूंगा। यह आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब कमजोर पहलू में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से पहले ही इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि हमको जिस लक्ष्य को प्राप्त करना था, हमारी स्थिति अर्बन डेवलपमेंट जैसी नहीं है। हमको जिस लक्ष्य को पाना था, हम उस लक्ष्य से काफी पीछे हैं। पंचायत विभाग के कार्यों में सबसे पीछे अगर हम किसी घटक में हैं तो प्रधानमंत्री आवास में हैं। आप जान रहे हैं कि वर्ष 2011 में SECC की जनगणना माध्यम से स्थायी प्रतीक्षा सूची 18,82,155 हितग्राही हैं जिनमें 2016-17 से 2020-21 तक 10,97,150 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा चुका है तथा मार्गदर्शिका के अनुसार 2022 तक 7,85,005 लाख हितग्राहियों को लाभांवित किया जाना शेष है। फेस-01 का भी आपको अंदाज है, लगभग आपके शासनकाल है। योजना के प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक कुल 7,88,235 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया गया था जिसमें से 7,51,674 (95 प्रतिशत) आवास पूर्ण हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फेस-02 में योजना के द्वितीय चरण में कुल 1,51,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रख दिया गया था जिसमे से कुल 62,228 (41 प्रतिशत) आवास पूर्ण किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 1,57,815 आवास निर्माण का लक्ष्य रख दिया गया था जिसमें 100 प्रतिशत की स्वीकृति है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा 7.82 लाख आवास निर्माण का कार्य शेष है क्योंकि उनको 2022 में पूरा करना है। तो जो बचत है, वह इस साल के लिए उन लोगों ने पूरे आवास के निर्माण का लक्ष्य प्रदान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ रूरल हाउसिंग कार्पोरेशन का गठन 29.10.2018 को किया गया था। शासन की गारंटी वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में योजनांतर्गत क्रियान्वयन हेतु राज्यांश की राशि बजटीय प्रावधान नहीं होने के कारण रुपये 3427.28 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी प्राप्त की गई। आपके ही शासनकाल में यह निर्णय लिया गया था कि बजट से इसको नहीं कर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पायेंगे। आपने भी वह निर्णय लिया था कि बैंक से लोन लेकर किया जाये। बजटीय प्रावधान का राज्य की तरफ से कमी का प्रश्न इसमें नहीं है। हम लोन कितना उठा पा रहे हैं, उसकी कमी का प्रावधान है।

श्री अजय चन्द्राकर :- राजा साहब, आप लोन से करिये। किसमें करेंगे, सरकार उसमें सक्षम है। आपके पास तो बहुत पैसा है, अभी आप मेडिकल कॉलेज खरीद रहे हैं। आप कृपा करके यह बता दें कि लोन लेने में आपको कितना समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसको बहकाईए मत न।

श्री अजय चन्द्राकर :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहका नहीं रहा हूं। मकान बन नहीं रहे हैं। 139 की चर्चा में यदि सरकार का किसी तरह का कमिटमेंट नहीं आता है तो यह वाग विलास माना जायेगा कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं। सिफ बात करने के लिए 139 की चर्चा होती नहीं है, उसका कमिटमेंट कुछ है। यह बोल रहे हैं कि गड़बड़ है तो ठीक कैसे होगा, उसको बतायें कि हम पूरा करेंगे।

श्री टी.एस.सिंदहेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत नियमों का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन नियम 139 चर्चा के लिए है कोई आश्वासन देने के लिए नहीं है। चर्चा के लिए है तो हम उसमें चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की अनुमति आपने दी है तो चर्चा करने दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- उसका नाम है कि नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा।

श्री टी.एस.सिंदहेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में राज्याशं की राशि 1792.44 करोड़ ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। द्वितीय चरण में 2019-20 में केन्द्रांश राशि कुल 844 करोड़ रुपये प्राप्त तथा केन्द्रांश की शेश राशि रुपये 300.00 करोड़ एवं राज्यांश 763 करोड़ अप्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि अप्राप्त है। यह दोनों राशियां अप्राप्त हैं। मैंने पहले ही कहा कि इसमें हमारी विभाग की स्थिति संतोषप्रद प्रगति देने की राज्य की नहीं है। इसमें कारण है कि जो हमको लोन लेना है, लोन लेने की जो लिमिट्स है । हमको गारण्टी या अनुमति अभी तक नहीं मिली है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं मिलेगी।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- हम प्रयास करेंगे। रिक्वायरमेंट इसमें कितना है। ये भी देख लीजिए कोई छोटी राशि नहीं है। लक्ष्य ये हिमालय पर्वत एवरेस्ट वाली बात है करीब-करीब। 12 हजार करोड़ रूपये 9 लाख 42 हजार घरों के लिये अगर शेष है तो इसके लिये राशि लगेगी 12 हजार करोड़ रूपये। जिसमें 7 हजार 216 करोड़ केंद्र से और 4 हजार 8 सौ करोड़ राज्य को लोन के माध्यम से। अभी डॉ. रमन सिंह जी ने भी कहा आप लोगों ने भी चिंता व्यक्त की, कि लोन लेने से हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो मैं चर्चा में स्थिति बता रहा हूं कि 4 हजार 8 सौ करोड़ रूपये लोन लेने के बाद ही इस लक्ष्य को केंद्र सरकार से 7 हजार 216 करोड़ प्राप्त करने के बाद मिल सकेगा। इस दरमियान जो नाबार्ड से लोन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिया जा रहा था उनकी रेट ऑफ हमको बहुत ज्यादा लग रहा था। नेगोशिएशन के बाद भी दिक्कत हो रही थी तो इसका टेण्डर कराया गया और केनरा बैंक का 7.30 प्रतिशत हमको ब्याज दर में एल-1 के रूप में है, कार्यवाही चल रही है। बहुत जल्द तय हो जाना चाहिए ये जो 762 करोड़ रूपये है 0.06 प्रतिशत। नाबार्ड का इसमें टेण्डर रेट 7.9 प्रतिशत है तो राज्य की केवल इस टेण्डर के रकम में नेगोशियेट करने के कारण, टेण्डर करने के कारण करीब 28 करोड़ रूपये पंचायत विभाग ने बचाने की पहल की है। केवल 700 हमको तो लेना है 4800। 762 करोड़ में इसमें इतनी बचत हुई है शेष मैं स्वीकार कर रहा हूं कि इसमें जितनी प्रगति होनी चाहिए। हम वह उपलब्ध नहीं करा पाये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी बजट आया है माननीय राजा साहब। लोन के, सड़क विकास निगम के लोन के लिये आपने बजट प्रावधान किए हैं। सड़क के लिये आप लोन ले सकते हैं। वह मिल जाएगा हजारों करोड़ रूपये आपको और छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिये आपको लोन नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपकी प्राथमिकता में गरीब नहीं है, नारे में है।

श्री अमरजीत भगत :- अरे भैया। ओ रोड में गरीब मन भी चलथे।

अध्यक्ष महोदय :- आपने आज पहली बार हमारे नये विधायकों को 139 में किस तरह से बहस होनी चाहिए, कैसी चर्चा होनी चाहिए। कितना तीखापन होना चाहिए, कितना घर से तैयारी हो के आना चाहिए, कितना उसमें बेहतर से बेहतर शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए ये आपने सिखाया। इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब दूसरा 139 माननीय आप उठाएंगे श्री धर्मजीत सिंह जी। आप भी समय का खयाल रखते हुए कम शब्दों में बड़े अच्छे ढंग से बोलियेगा।

(2) <u>प्रदेश की हसदेव एवं मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के वनों में कोयला खनन की अनुमति दिया जाना</u>

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- जी सर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा पूर्वक आपने मुझे 139 के अधीन प्रदेश की हसदेव मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के वनों में कोयला खनन की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा करने की अनुमति दी है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस चर्चा को मैं कोई आरोप लगाने के लिये शुरू नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिये ये चर्चा कर रहा हूं क्योंकि तीन मामले इससे जुड़े हुए हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो खदानें दी जा रही है या देने की जो तैयारी है या भविष्य में दी जा सकती है इस अरण्य क्षेत्र के खदानों को देने से जो बांध को नुकसान होगा और बांध के इर्द गिर्द जो लेमरू प्रोजेक्ट के नाम से जो हाथी अभ्यारण्य बनना है उसमें जो विपत्ति आयेगी। इन तीनों के सामंजस्य के कारण मैं पहले अपनी बात शुरू करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कोयला की उपलब्धता पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में तीन लाख 20 हजार मिलियन टन कोयले का भण्डार है संपूर्ण देश में वर्तमान में उत्पादन।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा मैं सोच रहा हूं। थोड़ा धीरे से पढ़िये और अच्छे से पढ़िये और नये नये विधायकों से मैं निवेदन करूंगा जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं कि आपके द्वारा बताये गये आंकड़ों को लिखे ताकि भविष्य में उनको काम आये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत वर्ष में 3 लाख 20 हजार मिलियन टन कोयले का भण्डार है और पूरे देश में वर्तमान में प्रतिवर्ष 900 मिलियन टन हो रहा है। अगर ये जरूरत 3 हजार मिलियन टन भी हो जाए तो आगामी 50 वर्ष में सिर्फ 1.5 लाख मिलियन टन ही आप कोयले का खनन कर सकते हैं, पूरी सामर्थ्य और ताकत और 3 गुना ज्यादा ताकत से उत्खनन करने के बाद भी। उसके बाद भी हमारे पास 1.5 लाख के बाद भी 1.5 लाख से ज्यादा मिट्रिक मिलियन टन हमारे पास बचत रहेगा। जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 57 हजार मिलियन टन का कोयला डिपॉजिट है। छत्तीसगढ़ में कोयले का वर्तमान उत्पादन सिर्फ 158 मिलियन टन वार्षिक है अगर यह उत्पादन 500 मिलियन टन भी कर देंगे तो 50 साल में आप सिर्फ 25 हजार मिलियन टन ही कोयला खोद सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का जो कोल डिपॉजिट है उसमें 13 हजार मिलियन टन कोयला मांड नदी और हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र के आसपास स्थित है और उसमें घना जंगल है। शेष डिपॉजिट जो है 57 हजार में से यदि 13 हजार छोड़ दें तो शेष डिपॉजिट जंगल के बाहर हैं। इस 13 हजार मिलियन टन में से 5 हजार मिलियन टन स्वर्गीय मिनी माता बांगो डेम के कैचमेंट एरिया में स्थित है और यहीं से यह बात शुरू होती है कि इस कैचमेंट एरिया में जो खदानें दी जा रही हैं मैं जिनका आगे जिक्र करूंगा तो स्वर्गीय मिनी माता के नाम से जो बांध है जो हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है, आपके माध्यम से सदन को उसके बारे में भी अवगत कराना चाहता हूँ। स्वर्गीय मिनी माता हसदेव बांध सिंचाई का सबसे बड़ा बांध है और उसका साधन है। इस बांध की जीवित क्षमता, सिंचाई क्षमता, 3 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है। एक क्यूबिक मीटर बराबर एक हजार लीटर। यानी इस बांध की क्षमता 3 लाख करोड़ लीटर की है। इस डैम से दो लाख 55 हजार हेक्टेयर यानी साढ़े 6 लाख एकड़ में सिंचाई खरीफ फसल में होती है और 1.27 लाख हेक्टेयर रबी की सिंचाई होती है। 64 हजार हेक्टेयर तीसरी फसल को भी पानी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही इस बांध से कोरबा और आस-पास की बसाहटों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 1 हजार मेगावाट के पॉवर प्लांट को जल आपूर्ति की जाती है। इस स्वयं बांध में 120 मेगावॉट हाइड्रोपॉवर जनरेशन होता है। इस डेम को बनाने का सपना स्वर्गीय बिसाहू दास महंत और डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव ने देखा था। जब मध्यप्रदेश में बिसाहू दास महंत मंत्री थे तब उन्होंने इसकी परिकल्पना की और इस डेम को बनाने में 61 आदिवासी बाहुल्य गांव डूबे थे। इस बांध के डूबान में 11 हजार हेक्टेयर वन और 6 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि आया था। इस बांध से मस्तूरी, अकलतरा, पामगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, जैजेपुर, चन्द्रपुर, खरसिया, डभरा आदि क्षेत्रों में किसानों की खुशहाली का सबसे बड़ा कारण बना था। रायपुर की तरफ रहने वालों को लगता है कि गंगरेल से बड़ा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बांध ही नहीं है। इनको क्या है रायपुर भिलाई वाले गंगरेल देखते हैं तो मैं गंगरेल बांध की क्षमता भी बता देता हूँ। गंगरेल की क्षमता है 1 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है और 3 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर है स्वर्गीय मिनी माता के नाम से जो बांध स्थापित है। अब मामला यह है कि उधर से खदान शुरू होगा। वहां से सारे कैचमेंट एरिया जो नदी नाले बहकर आ रहे हैं। श्रीमान अडानी को दिये जाएंगे और अडानी जी हवाई जहाज में आएंगे और चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तबाही छोड़कर जाएंगे कि हमारे किसानों को पानी भी नहीं मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खदान दीजिए। अडानी को जहां खदान चाहिए, आप दे दीजिए। उनको पूछकर दे दीजिए। आप उनको बिना कोई कार्यवाही करे दे दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हंसदेव अरण्य क्षेत्र में आप उसको कोई कार्यवाही मत करने दीजिए। हमारा बांध तबाह होगा और हमारे किसान तबाह होंगे। माननीय चौबे जी, आप एक ऐसे बिंदु पर खड़े हैं, आपकी सरकार एक ऐसे बिंदु पर खड़ी है आप एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां दो रास्ते जा रहे हैं। आपका एक कदम आपको यश की ओर ले जाएगा। आपका एक कदम आपको अपयश की ओर ले जाएगा। आने वाली पीढ़ी इस बात को नहीं भूलेगी। मैं अडानी के खदान के आसपास गया था। वह विशाल दैत्यकाय मशीनों से पर्वत को रौंद रहा है। अभी अडानी राजस्थान पॉवर लिमिटेड का एम.डी.ओ. बना हुआ है। राहुल गांधी जी जिसका विरोध करते थे, वह यहां काम कर रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- जब आप राहुल जी विरोध करते थे, आप कह ही रहे हैं तो आप उम्मीद क्यों रखते हैं कि हम अडाणी की मदद करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- कर रहे हैं ना।

श्री रविन्द्र चौबे :- सवाल ही नहीं है। यह इधर सलाह दीजिए इधर।

श्री धर्मजीत सिंह :- वही तो आपका दोहरा चरित्र बताने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको अभी बताऊंगा, आप क्या किये हो वह भी बताऊंगा सुनिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एक खदान परसा ईस्ट केतेबसान है जो कार्यरत है। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को आबंटित कर माईन डेवलपर आपरेटर एम.डी.ओ. के तहत अडाणी की कंपनी को दिया गया है। यह इनके शासन में पहले दिया गया है। इस खदान में 2711 हेक्टेयर वन और कृषि भूमि समाहित हो गया है। उसमें चार गांव भी उजाड़ दिए गए है। 2711 हेक्टेयर भूमि में 1998 हेक्टेयर भूमि घना जंगल है। इसी आबंटित खदान में से अटेम नदी निकलती है जो गेज नदी में मिलती है और गेज नदी आगे जा करके हसदेव नदी में मिलती है और हसदेव नदी में मिलने के बाद उस पर बहुत बड़ा बांध है। यूपीए के शासनकाल में श्री जयराम रमेश ने 2010 में एक नीति बनाई कि घने जंगल और नदी के क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि देश में जो 3 लाख 20 हजार मिलियन टन कोयले का भंडार है, उसमें से 85 प्रतिशत कोयला भंडार घने जंगल के बाहर है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इंपारटेंट है, इस अध्ययन में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

25 में से 9 कोल फिल्ड जहां पर बहुत घने जंगल हैं, 76 प्रतिशत वाला होता है। फारेस्ट वाले बैठे हैं। ये लोग चिट्ठी भी बहुत लिखते रहते हैं। उनके बारे में भी बताऊंगा। 25 में से 9 कोल फिल्ड जहां पर जंगल बहुत अधिक है, उसका अध्ययन हुआ। इन 9 कोलफिल्ड के 602 कोल ब्लाक में से 153 कोल ब्लाक को नो गो डिक्लीयर किया गया। नो गो मतलब वहां कोई खनन की गुंजाइश ही नहीं है और शेष को गो बताया गया। हसदेव अरण्य एकमात्र कोलफिल्ड है जो 100 प्रतिशत नो गो है। मांड रायगढ़ का 40 प्रतिशत हिस्सा नो गो डिक्लीयर हुआ है। तत्कालीन 2010 में कोलब्लाक पहले एलॉट हो चुके थे, स्टडी के बाद में हुई, परंतु 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोल ब्लाक का आबंटन रद्द कर दिया। उसके बाद से अभी तक हसदेव अरण्य के 22 कोल ब्लाक में से सिर्फ 7 कोल ब्लाक विभिन्न सरकारी कंपनियों को दिया गया है जिसमें से 6 का संचालन अडाणी कर रहा है। परसा ईस्ट केतेबसान इसी का परसा और केते इक्सटेंशन राजस्थान विद्युत मंडल को अनुमति देने के लिए प्रस्तावित है। परसा स्टेज का वन केन्द्र से क्लीयर हो गया है। अभी वर्तमान में अनुमति वन डायवर्सन और छत्तीसगढ़ शासन के पास अनुमति के लिए लंबित है। केते एक्सटेंशन में 1760 हेक्टेयर में से 1742 हेक्टेयर घना जंगल है और 10 से ज्यादा नदी नाले हसदेव बांध की ओर आते हैं। परसा ब्लाक 1300 हेक्टेयर में से 800 हेक्टेयर घना जंगल है और इसमें तीन गांव विस्थापित होंगे। अगर वहां के यह 10 नदी नाले भी अडाणी के मशीनों की भेंट चढ़ेगा तो हसदेव बांगो बांध का क्या होगा। एक आदमी को खुश करने के लिए या एक आदमी को खदान देने के चक्कर में छत्तीसगढ़ के लाखों एकड़ जमीनों को आप सिंचाई से वंचित नहीं कर सकते। मैं 22 बार नाम नहीं लूंगा, तीन बार नाम लूंगा। 15 जून, 2015 को श्री राहुल गांधी हसदेव अरण्य क्षेत्र के ग्राम मदनपुर में आए थे। उस सभा में उदयपुर से ले करके कटघोरा तक सारे अरण्य क्षेत्र के वनवासी वहां पहुंचे थे। उन्हें संबोधित करते हुए श्री राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि इस क्षेत्र को कोयला खनन से मुक्त रखेंगे, विस्थापन नहीं होने देंगे, वनों की रक्षा करेंगे। इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ रहेगी लेकिन वर्तमान में उसी मदनपुर के पास गिधमुड़ी, पतोरिया कोल ब्लाक जिसमें 1750 हेक्टेयर जमीन शामिल है, उस भूमि के अधिग्रहण का प्रारंभिक नोटिस छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी ने आपकी सरकार के समय में आपकी अनुमति से, सहमति से, स्वीकृति से जारी किया है जिसके मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उपरोक्त ब्लाक में जहां राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, वहां का 250 एकड़ जमीन मदनपुर का खुद आ रहा है। इस ब्लॉक का एलाटमेंट वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को किया था किंतु इसका एम.डी.ओ. एग्रीमेंट श्री भूपेश बघेल की सरकार ने वर्ष 2019 में अडानी की कंपनी से किया । आपकी सरकार ने अडानी की कंपनी से एम.डी.ओ. किया यह बहुत दुखद है । इस मामले में उस क्षेत्र की सांसद सम्माननीया श्रीमती ज्योत्सना महंत जी, माननीय अध्यक्ष महोदय आप स्वयं और ग्राम सभाओं के माध्यम से गांव के लोगों ने खदान आवंटन के विरोध में श्री राहुल गांधी जी को और अन्य जगहों पर पत्र लिखा लेकिन सरकार अडानी को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

तोहफे के रूप में यह खदान दे रही है, 1700 वर्ग किलोमीटर का हसदेव अरण्य इसे अगर आज हम नहीं बचायेंगे तो यहां सभी 22 कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया जायेगा जिसमें से कुछ कोल ब्लॉक आपने आपत्ति कर रोकवाये थे लेकिन अब आपका स्टेण्ड नजरिया, नजर पूरी तरह से बदल चुकी है, सरकार बदले-बदले से नजर आते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह सब कोल ब्लॉक खुल जायेंगे तो तारा से लेकर चोटिया तक खदान ही खदान हो जायेगा । घनघोर जंगल, जलग्रहण क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा । स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, आदिवासी विस्थापित होंगे और भला होगा तो केवल और केवल उद्योगपतियों का होगा । यह सब जान-समझकर हम लोग उम्मीद करते थे । चूंकि हाथियों की एक समस्या है, 300 हाथी हैं, हाथी रायपुर तक के आता है, महासमुंद तक के आता है, कोरिया भी जाता है, पेंड्रा-गौरेला तक आ गया है इसके लिये बड़ी जगह रखिए न । माननीय चौबे जी आप बोल रहे थे कि क्या हाथी कोई पढ़ा-लिखा है ? यही तो मैं बोल रहा हूं कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है। कल चौबे जी आपके बंगले में आकर खड़ा हो जायेगा तो आप क्या कर लेंगे ? एक और किस्सा सुन लीजिए कि पांडातराई में एक पागल हाथी जो अचानकमार में आया था । एक गुप्ता जी उसको नारियल खिलाउंगा, गणेश भगवान आ गये, गणेश भगवान आ गये करके गया तो वह हाथी नारियल को खाया और खोट्ली को सूंड में पकड़कर फेंका और उसको 6 टांके लगाए गए । लड्डू मत खिलाईएगा, गलती मत करिएगा । अडानी भी बचाने के लिये नहीं आ पाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- लड्डू में खोल्टी कहां होता है ? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- उसकी खोटली । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम उम्मीद करते थे । चूंकि माननीय वन मंत्री जी बैठे हैं, अभी मैं आपकी भी चिट्ठी, आपका भी बयान पढ़ूंगा । विस्तार करके लेमरू को हसदेव बांध के क्षेत्र को शामिल करेंगे । पहले वन विभाग ने प्रस्ताव दिया था इसमें आग्रह यही है कि इस संपूर्ण क्षेत्र को कैबिनेट में पास करके आप बनायें । लेकिन अचानक एक पत्र निकलता है, पहले 1900 कुछ एरिया सुनते थे, बाद में 450 एरिया । श्री टी.एस.बाबा और न जाने कौन-कौन और विधायक हैं, सबके नाम से हो गया कि ये चाहते हैं कि 450 स्क्वेयर किलोमीटर में, चूंकि हाथी एक दिन में 22 किलोमीटर चलता है । 300 हाथी चलेंगे तो कितने किलोमीटर होता है ? यहां से वहां तक के रौंद देंगे । हाथी रौंदन और रूदन दोनों मचवायेंगे इसलिए यह मोह छोड़िए । अडानी-वडानी से कोई लेना-देना नहीं है । बाबा साहब चिट्ठी में आपका भी नाम था कि 450 किलोमीटर किया जाये।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- गलत । मेरा बहुत जगह नाम आ जाता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं इसीलिये आपके सामने बोल रहा हूं । अभी मैं वह चिट्ठी भी पढ़ूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- वे फिर चिट्ठी लिखे थे, इनको भी चिट्ठी लिखे थे । अभी दोनों बात करके सदन को बता दें कि चिट्ठी में क्या प्रश्नोत्तर हुआ था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चिट्ठी आई रे, चिट्ठी आई रे, आई में नहीं चलना है । आपस में बात वगैरह कर लिया करो । चाय-वाय पी लिया करो । पीने चले जाया करो, पीने बुला लिया करो ।

श्री अजय चंद्राकर :- राजा साहब क्या चिट्ठी लिखे थे ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारी बीमारी की जड़ अडानी की एक खुद का प्राइवेट रेल्वे लाईन है । यह सूरजपुर रोड स्टेशन से परसा ईस्ट केते खदान तक अडानी जी का रेल लाईन खींचा हुआ है और यह जो हसदेव अरण्य है न । इधर, इधर, इधर उसके रेल्वे लाईन यानी उसकी रेल लाईन के कारण यह सरकार उसको खदान वहां देना चाहती है भले ही छत्तीसगढ़ का सर्वनाश हो जाये, किसान भस्म हो जायें, मर जायें, आदिवासी उजड़ जायें, जंगल कट जायें । एक झाड़ काटने में तो पूरी पुलिस लग जाती है, वहां तो कई लाख झाड़ कटेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2-3 चिट्ठियों का जिक्र करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- काफी लंबा नहीं हो जायेगा?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, सर बस जिक्र करूंगा। यह कटघोरा वन मंडल जो इसमें आता है, उसके वर्किंग प्लान का यह पूरा मेरे पास है। बड़े झाड़ 101 प्रकार के, झाड़ी 45 प्रकार के, लताएं 28 प्रकार के, बांस 4 प्रकार के, घास 28 प्रकार के, वन्य प्राणी 25 प्रकार के, मछलियां 22 प्रकार के, मगर 1 प्रकार का, पक्षी 99 प्रकार के, ये सब लाखों की तादाद में हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सब तबाह हो जायेंगे। मैं वन मंत्री जी का एक बयान जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यहां वही हैं और सुन रहे हैं। एक ध्यानाकर्षण 26/08/2020 को बृजमोहन जी और अजय चन्द्राकर जी ने लगाया था। उसमें वन मंत्री जी लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार लेमरू हाथी रिजर्व का गठन किया। यह तत्कालीन समय में 452 वर्गकिलोमीटर था और वर्तमान में 1995 वर्गकिलोमीटर के हाथी रिजर्व के गठन की मंजूरी मंत्रिमंडल में हो गई है। इस बीच अलग-अलग स्थानों से मांग उठी। ग्रामवासी मांग करते थे। कुछ एन.जी.ओ. थे, उनका यह कहना था कि इसमें जो हसदेव अरण्य का कैचमेंट एरिया है, उस कैचमेंट एरिया को भी इसमें शामिल कर दिया जाये। ये दोनों मिलाकर 238 किलोमीटर और होता है। अब समस्या है कि भारत सरकार ने 5 कोल ब्लॉक को नीलामी की सूची में रख दिया है जो इस क्षेत्र में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि यदि हमें कोल ब्लॉक छोड़ना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और भारत सरकार से लिखित में अनुरोध किया गया है कि 5 कोल ब्लॉक को नीलामी की सूची से हटा दिया जाये और इस एरिया को लेमरू में शामिल कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, ये डॉ. श्रीमती ज्योत्सना बहन जी का एक पत्र है, जिन्होंने राहुल जी को पत्र लिखा है। इसमें भी उन्होंने यही बात कही है जो मैं यहां कह रहा हूं। यह मेरे पास राज्यपाल महोदय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

और मुख्यमंत्री जी और केन्द्रीय मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय को गांव के निवासी जो पत्र दिये हैं, उनकी चिट्ठी मेरे पास है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कार्यालय कलेक्टर जिला सरगुजा ने वनाधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत् परसा कोल ब्लॉक के इस-इस वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया को समाप्ति एवं प्रभावित ग्राम को सहमति लेने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। इनका कहना है कि वहां ये सब फर्जी प्रस्ताव बनाकर के उद्योगपति को उपकृत करने और उसके सामने में सरकार के नतमस्तक होने का यह प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया ने भी एक पत्र इसी संदर्भ में लिखा है। ये 8 विधायकों वाला एक पत्र भी महानदी से निकलता है, जिसमें लिखा गया है कि माननीय विधायक सर्वश्री चक्रधर सिंह सिदार, श्री गुलाब कमरो, डॉ. विनय जायसवाल, डॉ. प्रीतम राम, श्री पुरूषोत्तम कंवर, श्री यू.डी. मिंज, श्री मोहित राम, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव ने जनभावना के अनुरूप लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र को 450 वर्गकिलोमीटर तक सीमित रखने का अनुरोध किया है। माननीय विधायकों के अतिरिक्त प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व की अनेक ग्राम पंचायतों द्वारा भी लेमरू हाथी का रिजर्व सीमित रखने का प्रस्ताव दिया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम आया है तो मैं फिर से बोल दूं। मैंने माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया कि अवर सचिव जी ने पूरी गलती की। उन्होंने पता भी करवाया। मेरे नाम का कोई पत्र रिकॉर्ड में नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- ठीक है। मैं इसी में बात कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्रकार :- लेकिन आपके पत्रों का उत्तर मिलता है या नहीं मिलता है, इसे आप साबित करो। आप यहां बता रहे हैं कि मैं यहां पत्र लिखा हूं करके। हम यही जानना चाहते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अचानक इस पत्र का आना और यह तो और ज्यादा आपत्तिजनक आप बोल रहे हैं। कोई अवर सचिव महोदय हैं, उनके नाम से यह पत्र जारी हुआ और इस पत्र में 8 विधायकों का जिक्र करके 1900 को 400 करने की नापाक कोशिश की गई। इसमें ये लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री जी का एक और पत्र मैं दिखाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उन्हें दिखा बस दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, पढ़ ही रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मत पढिए, बहुत लंबा हो जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसमें इन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी को लिखा है कि इस पूरे इलाके को शामिल किया जाये। कोल ब्लॉक को पृथक किया जाना चाहिये। उचित होगा और वहां वन पर्यावरण की जनसुनवाई चल रही है । ये क्या दोहरी क्या है ? अध्यक्ष महोदय, खनिज सचिव महोदय श्री अन्बलगन पी. इन्होंने 19 जनवरी 2021 को सचिव भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी । अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा । राज्य शासन के द्वारा हाथियों के संरक्षण, हाथी और मानव के

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बीच संघर्ष में हो रही वृद्धि को रोकने तथा जनधन की हानि को रोकने तथा इस क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन जन उपलब्धता के साथ प्रचुरता से विद्यमान जैव एवं वानस्पतिक विविधता को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से भविष्य में कोल ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया से प्रस्तावित लेमरू हाथी रिज़र्व क्षेत्र 3827 वर्ग किलोमीटर को संरक्षित किये जाने के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को कोल ब्लॉक आवंटन से पृथक रखने के लिए प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भेजा गया है । यह तो प्रस्ताव ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा प्रस्ताव है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव तो जा रहे हैं, बातें तो हो रही हैं। विधान सभा में बयान दिये जा रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि यह सरकार अडानी के समक्ष लड़खड़ा रही है । अडानी शक्तिशाली है, जब मार्च 2019 में इन लोगों ने एमडीओ साइन किया । यह एमडीओ रमन सिंह जी के जमाने में हुआ था । मेरे पास आपके सारे बड़े नेताओं के सारे ट्वीट मौजूद हैं । आप उस समय विरोध करते थे । अब एमडीओ करने के लिए इतना प्रेम कैसे हो गया ? केन्टे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक 11 जनवरी 2021 को प्रदेश शासन ने केन्द्र से आपत्ति की और अब आप स्वयं जन सुनवाई करवा रहे हैं । पर्यावरण संरक्षक मंडल के द्वारा यह 98 प्रतिशत वन क्षेत्र है । अभी यह जन सुनवाई आपने स्थगित की है, निरस्त नहीं की है । अध्यक्ष महोदय, जब आपने आदिवासियों से वायदा किया है, जब हमारा जंगल सुरक्षित हो जाए, हमारा बांध सुरक्षित हो जाए, हमारे किसान सुरक्षित हो जाएं तो आप तो केन्द्र सरकार के कृषि कानून का विरोध करने के लिए यहां प्रस्ताव ला सकते हैं । सीबीआई को मना करते देते हैं, केन्द्र की दुनिया भर की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर सकते हैं तो फिर क्या कारण नहीं है कि हमारे हसदेव अरण्य बांध की सुरक्षा के लिए वहां के 4-5 ब्लॉक को छोड़ दीजिए । पूरा प्रदेश खाली है । अडानी, अंबानी, नूरानी जिसको देना हो दे दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, मैं अपनी बात एक कविता से खत्म करूंगा ।

अधिकार खोकर बैठे रहना, यह महा दुष्कर्म है ।
न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है ।
इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ ।
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ ।
सब लोग हिल-मिलकर चलो चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो ।
भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो ।
संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा ।
है निशि दिशा सी घूमती, सर्वत्र विपदा सम्पदा ।
जो आज एक अनाथ है, नर्नाथ कल होता वही ।
जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

यह कविता मैंने नहीं लिखी है । यह कविता श्री मैथिली शरण गुप्त जी की है। जो हसदेव अरण्य के लोग पुकार पुकार कर यहां कह रहे हैं कि सुनिये । (मेजो की थपथपाहट)

श्री कवासी लखमा :- धर्मजीत साहब, इस कविता से कोयले का क्या मतलब है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मुख्यमंत्री जी, आपके ऊपर भरोसा है । मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । लेकिन छत्तीसगढ़ की उस अरण्य हसदेव की रक्षा के लिए आप आगे बढ़िये । एक फैसला करिये, केबिनेट में फैसला करिये, यहां सरकारी प्रस्ताव लाइए और रोक दीजिए केन्द्र सरकार की किसी भी अनुमति को । अगर हमारे आदिवासी पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं । अगर हमारे बांध में पानी कम आता है, अगर हाथियों के कारण हमारे वनवासी कुचले जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए एक नहीं । सैकड़ों अडानी भी तबाह हो जाएं तो उन्हें तबाह करने की कोशिश करिये । उनको हटाइए, उनको मत रखिए । आप इधर मत दिखाइए, इन्होंने जो किया मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं । मैं तो आपसे फ़रियाद कर रहा हूं कि आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे प्रदेश के सर्वोच्च नेता हैं, आप तो रक्षा करिये । यह तीसरी बार बोल रहा हूं, राहुल गांधी बोलकर गए हैं वहीं पर जनसुनवाई और नोटिस जारी हो गया है ।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, अभी वोट डालने का समय था तो उधर ही डाला है वोट ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरे यार दादी, तेरी समझ के बाहर की बात है । बैठ न क्यों बोल रहा है ।

एक माननीय सदस्य :- आदिवासी हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदिवासी हैं तो ठीक है । वहां के लोग भी तो आदिवासी हैं, वे भी तो बोल रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो जवाब में यही चाहूंगा कि मुझे और कुछ नहीं कहना है, मेरे सारे आरोप निराधार कर दीजिए मुझे खुशी होगी, मेरे सारे आरोप को ध्वस्त कर दीजिए, मुझे खुशी होगी । लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं । हसदेव अरण्य के उन कोल ब्लॉक को किसी भी उद्योगपति से देने के लिए आप केबिनेट में फैसला करिये और जरूरत हो तो विधान सभा में सरकारी प्रस्ताव लाइए लेकिन किसी उद्योगपति के हवाले हमारे आदिवासियों की जिंदगी, हमारी सम्पदा और हमारे जल संसाधन को मत सौपिये । आपने बड़ी कृपापूर्वक मुझे अवसर दिया, उसक लिए मैं बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री अमरजीत भगत :- इसको रोकने के लिए आप एकाक चिट्ठी लिखी है कि नहीं धर्मजीत सिंह जी।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है इसको और सुन के आनंद आया है सब लोग चुप थे अब मैं चाहता हूं कि आपके बाद किसी को न बोलवाया जाए माननीय मंत्री जी का उत्तर आ जाए तो बेहतर होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर धन्यवाद।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- मैं इसमें दस्तखत किया हूं साहब।

अध्यक्ष महोदय :- दस्तखत करने में इतने देर लगते 3 लाइन में बोल दीजिये, चौबे जी एखर मुहु खजवात रिथे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अब सर हमको तो दस्तखत के लायक भी नहीं छोडे थे न। रेणु जोगी भर थी, अब किनसे कराये अब किससे दस्तखत कराते। आप तो दो ठोक को ले गये।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने आज लिया है उसके लिए धन्यवाद मैं भाषण नहीं दूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात जो हसदेव का खदान क्षेत्र है सरकार आश्वासन दे मुख्यमंत्री जी शायद इस विषय को लेंगे कि साहब वो किसी भी कोल कंपनी को नहीं दिया जाएगा। दूसरा लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में माननीय प्रवक्ता का बयान अलग है माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान अलग है माननीय मोहम्मद अकबर जी का बयान अलग है राजा साहब की चिट्ठी अलग है। लेमरू 435 या 1958 या सचिव के पत्र में जो 3000 है उससे पहले उसको 3800 कहा जा रहा था तो वो कितने का होगा सदन को अवगतकराये एक और ये भी सदन में कहें कि इस रिजर्व क्षेत्र में किसी को मायनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और तीसरी बात।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, अजय भाई बहुत विद्वान है मोदी जी को लेटर लिख देंगे हम लोग भी लिख देंगे, मोदी को लेटर लीखिए हम लोग भी समर्थन करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- ओखर इशारा ला देख डरे रहेस ते तो तीसरी और अंतिम बात इस प्रदेश को लगभग 24-25 सौ करोड़ रूपये इंकम होती है खनिज से दो साल के अंदर अगर हमारा बजट है मान लो 1 लाख करोड़ का मानते हैं इतना कर्ज है और जिस स्थिति में सरकार चल रही है आदेश 139 में यदि आवास की पूर्ति कर दी जाए तो 7 हजार करोड़ रूपया कर्जा इस सरकार को लेना पड़ेगा तो ये अपने इंकम को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की जैव विविधता, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, वनवासियों उनके हितों पर अपने इंकम को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के गैर वाजिब मायनिंग मत करे इसका भी आश्वासन सदन को देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय:- माननीय मंत्री जी।

खाद्य मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत जी ने, माननीय अजय चंद्राकर जी ने, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी है।

श्री अजय चंद्राकर :- मुख्यमंत्री जी मौजूद है आपको व्यवस्था देनी थी मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ये बोले हैं। मैं विवाद नहीं करना चाहता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पर जा उत्तर जमा हुआ है उसमें किसका दस्तखत है।

श्री मोहम्मद अकबर :- उसमें वन क्षेत्रों का लिखा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये मैं भी विवाद में शामिल हो जाता हूं, नाराज मत हाइये। पूरे अरण्य क्षेत्र में जंगल की बात हुई है जंगल में झाड़ियों की बात हुई है शेर की बात हुई है भालू की बात हुई है बंदर की बात हुई है वे सब फारेस्ट में आते हैं इसलिए फारेस्टी जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें हाथी का भी जिक्र हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैंने यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दस्तखत से उत्तर जमा हुए हैं। आप व्यवस्था दे दीजिए । मैंने यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री जी उत्तर दें ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- आप लोग ही तो बोलते हैं कि संयुक्त जिम्मेदारी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त जिम्मेदारी अनुपस्थित रहने पर होती है, उपस्थित रहने पर नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न तो, वे उपस्थित हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में जैसे माननीय धर्मजीत जी ने बताया कि 57 हजार मिलियन टन कोयले का भंडार है, यह सही है । जिन जिलों में यह पाया जाता है, उसमें रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर एवं कोरिया जिले में विद्यमान है । वर्तमान में प्रदेश में कुल कोयले की 47 खदानें संचालित हैं । निजी कम्पनी के द्वारा 4 खदानें संचालित हैं । छत्तीसगढ़ में 44.2 प्रतिशत वन हैं और वन क्षेत्रों में कोयला खदानों के बारे में आज का विषय आपने यहां पर प्रस्तुत किया है । रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर एवं कोरिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र 36020 वर्ग किलोमीटर में से 49 प्रतिशत क्षेत्र जो 19340 हेक्टेयर वन भूमि पर 47 प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा कोयला खनन हेतु व्यपवर्तन की कार्यवाही प्रचलित है । अब कोल ब्लॉक के आवंटन के संबंध में बात आती है तो राज्य शासन के द्वारा कोयला खदानों का आवंटन नहीं किया जाता । राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है । कोयला ब्लॉकों के आवंटन की सम्पूर्ण कार्यवाही कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की जाती है । यहां तक कि जो भूमि का अर्जन है, वह कोल बियरिंग एरिया जो है, जहां पर कोल पाया जाता है, उसके अर्जन की कार्यवाही भी भारत सरकार के द्वारा की जाती है, उसमें छत्तीसगढ़ सरकार का कहीं कोई रोल नहीं है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अनुशंसा आप करते हैं । आपकी अनुशंसा आपकी एन.ओ.सी. होती है । आपकी अनुशंसा ली जाती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधान सभा से अनुमति ले लो, हम पास कर देते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, थोड़ा कायदा-कानून हम लोग भी समझते हैं, लेकिन आपका भी रोल है, आप चाहें तो उसको अटका सकते हैं और चार-पांच जगह को तो अटकाने की बात कह रहे हैं, बाकी प्रदेश है, जो करना है, आप करो ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा कोल धारित क्षेत्र अर्जन तथा विकास अधिनियम, 1957 की धाराओं के तहत ही किया जाता है । जो कोल बियरिंग एरिया है, उसमें राज्य सरकार एक्वीजीशन नहीं करती । इस गलत फहमी को दूर करने की जरूरत है कि राज्य सरकार करती है । कोल ब्लॉक का आईडेंटीफिकेशन राज्य सरकार के सिफारिशों के आधार पर नहीं होता, भारत सरकार भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ज्योलॉजिकल सर्वे के आधार पर करती है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चिट्ठी तो आपने ही लिखा है कि नहीं करना चाहिए । वन मंत्री जी, जब आप इतने ज्ञानी थे तो आपने चिट्ठी क्यों लिखी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- दो अलग-अलग बातें हैं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या अलग-अलग बात है ? आपने लिखा है ना ?

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं इसका जवाब दे रहा हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने लिखा है, मेरे पास आपकी चिट्ठी है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप जो बोल रहे हैं, वह सही है । मैं इसको बता रहा हूं । आपने यह कहा कि आपने क्यों लिखा कि नहीं देना चाहिए ? दो अलग-अलग बातें हो गईं । पहली बात क्या थी कि हमारी सिफारिश पर कोल ब्लॉक का आवंटन कोल ब्लॉक चिह्नित करने वाली बात है । नहीं दिया जाये, यह मांग तो हम कर सकते हैं, वह हमारा अधिकार है, लेकिन उसका आवंटन, उसको चिह्नित करने का अधिकार हमारा नहीं है । दोनों बात सही है, आपने जो अभी कही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के जिला रायगढ़, कोरबा, सरगुजा जिला के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बारे में आपने जो बात कही । स्थानीय जनप्रतिनधियों ने चिट्ठी लिखी थी कि 452 वर्ग किलोमीटर किया जाये । मंत्रिमण्डल की बैठक में ये तय हुआ कि जो 1995 वर्ग किलोमीटर का हमने पहले प्रेजेंटेशन वन विभाग के द्वारा दिया गया था, उसको कम नहीं किया जाएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- टी.एस. बाबा तो बोल रहे हैं कि चिट्ठी नहीं लिखा हूं । आपके सामने में बोले हैं, इसी सदन में बोले हैं । उनसे पूछ लीजिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं कहां इंकार कर रहा हूं । मैंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसमें नाम है, उस पत्र में उनका जिक्र है और टी. एस. बाबा यहां बोल रहे हैं कि मैंने चिट्ठी नहीं लिखी । यह तो और आपत्तिजनक है न ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- आप मेरी बात को सुनिए । मेरा यह कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो पत्र लिखा था, उसको मंत्रिमण्डल ने नहीं माना । उन्होंने मांग की थी कि 452 वर्ग किलोमीटर किया जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसमें टी.एस. बाबा का नाम है, वे बोल रहे हैं कि मैंने मांग नहीं की । इसके बारे में तो बताईए । मैं सब सुनूंगा, बिल्कुल आपका सम्मान करता हूं, आपके ज्ञान की कद्र करता हूं और मैं सीखना चाहता हूं और सुनूंगा । टी.एस. बाबा ने अभी यहां कहा कि मेरा कोई पत्र नहीं है, फिर उनके नाम का जिक्र उस 452 वर्ग मीटर वाले चिट्ठी में कैसे हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- वह टंकण त्रुटि में हो गया होगा, उसको छोड़िए न (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- वह टंकण त्रुटि में हो गया होगा। छोड़िये न। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, क्या बात है।

श्री मोहम्मद अकबर :- कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आपको जो आशंका थी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि 452 वर्ग किलोमीटर की मांग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार चाहती है, राज्य सरकार का कोई खेल हो, अदाणी को लाभ पहुंचाना चाहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सिरे से, सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि हमको जो 452 वर्ग किलोमीटर वाला जो आवेदन है, उसको मान्य नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब हम एक बार प्रेजेन्टेशन के आधार पर 1995 वर्ग किलोमीटर तय कर चुके हैं, तो हम 1995 वर्ग किलोमीटर ही रखेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिन कोल ब्लाकों में खनन कार्य चालू है, उसमें परसा (ईस्ट) केतेबसन कोल ब्लाक राजस्थान विद्युत मण्डल, एस.ई.सी.एल. मानिकपुर-2, आम गांव, हल्दीबाड़ी, चरचा कालरी, रजगामार, एन.सी.पी.एच एवं कुरूसिया कालरी, ये हो गया हसेदव अरन कोलफील्ड-10, मांड रायगढ़, गारेपेलमा, गारेपेलमा सेक्टर 4, 8, तलईपाली और एस.ई.सी.एल. है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बात आती है, जो सेंग्शन प्रोजेक्ट है, जिनका स्टेटस हसदेव केचमेंट एरिया का है, पारसा (इस्ट) एण्ड केपेवेशन, केप्टिव कोल राजस्थान विद्युत मण्डल, मानिकपुर ओपन कास्ट एस.ई.सी.एल., आमगांव एस.ई.सी.एल., हल्दीबाड़ी एस.ई.सी.एल., चरचा एस.ई.सी.एल., रजगामार एस.ई.सी.एल., मानिकपुर एस.ई.सी.एल., एन.सी.पी.एच. एस.ई.सी.एल., कुरुसिया एस.ई.सी.एल., भेलवाडीह एस.ई.सी.एल., सब तो एस.ई.सी.एल. है। यह सारा भारत सरकार का कोल ब्लाक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- गिदमुड़ी पुतरिया के बारे नहीं बता रहे हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं बता रहा हूं न, आप बैठिये तो। आपकी सारी शंकाओं को दूर करूंगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बोले कि सारा एस.ई.सी.एल., यानि समापन हो गया।

श्री मोहम्मद अकबर :- समापन हो गया नहीं, यह अपना नहीं है। मैं आपको सन् भी पढ़कर बता देता हूं। मैंने अभी जो पढ़ा, पारसा (ईस्ट) 16 मार्च, 2012, मानिकपुर ओपन कास्ट 19 अगस्त, 2011,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आमगाव 02 मार्च, 2021, हल्दीबाड़ी 02 मई, 2008, चरचा सन् 2006, रजगामार सन् 2006, मानिकपुर सन् 2006, एन.सी.पी.एच. सन् 2006, खुरसिया सन् 2006 को दिया गया है। अब क्या करें ? ये सब रनिंग कोल ब्लाक हैं। सारे रनिंग कोल ब्लाक हैं, जो अभी चल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप कहां चिरमिरी पहुंच गये। मैं तो आपको कटघोरा के पास जो अडानी का रेल्वे लाईन लगा है, उसके इर्दगिर्द की बात करिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपका जो विषय है, चिरमिरी नहीं पहुंचे हैं। आपका हसदेव मांड कैचमेंट एरिया का विषय है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो हसदेव मांड के पास का तो बता नहीं रहे हैं। गिदमुड़ी पुतरिया का बता नहीं रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- कैचमेंट एरिया को बहुत बड़ा एरिया होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- परन्तु गिदमुड़ी पुतरिया से नाले-नदी निकले हैं, टेम नदी निकला है, मैं वहीं से बता रहा हूं। परसा (इस्ट) में सौ ठो नदी-नाले को अदाणी पाट डाला है।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी पूरी बातों का जवाब दूंगा। आप मांड कैचमेंट एरिये में आईये। कोल माईनिंग प्रोजेक्ट 4 (बी) मेसर्स अंबुजा सीमेन्ट 01 जनवरी, 2013, गारेपेलमा कोल ब्लाक सी.एस.ई.बी. 17 सितम्बर, 2013, सलइपाली कोल ब्लाक एन.टी.पी.सी. 16 फरवरी, 2016, बरौद एस.ई.सी.एल., बरौद ओपन कास्ट एस.ई.सी.एल. 02 अप्रैल, 2004, बरौद एक्सपांसन 13 दिसम्बर, 2006, छाल ओपन इसमे तारीख नहीं है, गेवरा ओपन कास्ट लेकिन पुराना है। गेवरा ओपन कास्ट 05 मई, 2008, गेवरा ओपन कास्ट 20.04.2015, गेवरा ओपन कास्ट 20.04.2015, फिर गेवरा ओपन कास्ट 20.04.2015. सारा एस.ई.सी.एल. का है। क्या करें बताईये।

श्री कवासी लखमा :- यह पूरा बेंच डाले हो।

श्री रविन्द्र चौबे:- धर्मजीत भैय्या, पूरी बात तो यह है कि आप लोग पूरा कोल ब्लाक बेच डाले हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- बताऊंगा, बताऊंगा बोल रहे हैं, बाकी कहां का किस्सा कहानी निकाले हो। ऐसा है सन् 2006-07 कहने से काम नहीं चलेगा। आप केपेवेशन और गिदमुड़ी पुतरिया स्पेसीफिक बताईये। मैं इन दोनों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप एन.ओ.सी. नहीं देंगे, आप बता दे कि जो कोल ब्लाक चालू होंगे उनके एन.आ.सी. रोक सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। एन.ओ.सी. तो राज्य सरकार को देना है। अगर राज्य सरकार एन.ओ.सी. नहीं देगी तो कोल ब्लाक चालू नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अकबर :- अभी तो मैं जवाब दे रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

एक माननीय सदस्य :- यह पूरा एरिया आपका है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास भी जानकारी है। माननीय मंत्री जी यह बात बता दें कि कितने कोल ब्लाक पर खुदाई शुरू हो गई है और कितने पर नहीं हुई है ? जिन पर खुदाई शुरू नहीं हुई है, उसके बारे में आपको एन.ओ.सी. देना है। पर्यावरण का पाल्यूशन आपको देना है । अगर आप एन.ओ.सी. नहीं देंगे, पाल्यूशन का परमिशन नहीं देंगे तो यह माईन्स चालू नहीं हो सकती । यह आपका अधिकार क्षेत्र है । अगर आप बांगों हसदेव को बचाना चाहते हो, अगर हम बांध को बचाना चाहते हैं, आप एन.ओ.सी.मत दीजिए । जो माइन्स चालू नहीं हुई है, आप उसको पर्यावरण का परमिशन मत दीजिए।

डॉ.विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ...।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब, माननीय मंत्री जी का अभी उत्तर पूर्ण नहीं हुआ है। जितने विद्वतापूर्ण भाषण धर्मजीत सिंह जी ने दिया है, उतने विद्वतापूर्ण उत्तर दे रहे हैं । यह मेकरा का जाला है । मेकरा समझते हो, मेकरा । मेकरा समझते हो क्या । मेकरा यानी मकड़ी का जाला टाईप का । शांत बैठिये ।

डॉ. विनय जायसवाल :- दो मिनट तो दीजिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- मेकरा समझते हो मेकरा । मेकरा समझते हो क्या । मेकरा यानी मकड़ी, मकड़ीका जाला टाईप । शांत बैठो ।

डॉ.विनय जायसवाल :-बोलने नहीं दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। एनसीपीएच की बात आ रही है, खुरासिया की बात आ रही है, मैं उस विधान सभा से आया हूँ, कम से कम दो मिनट मेरी बात को सुनना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय:- विधान सभा वालों की बात सुनो यार । विधान सभा वालों की बात सुनों । पांच बार लोक सभा वाला बैठा है ।

डॉ.विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने बहुत ही विद्वतापूर्ण और बहुत ही आंकड़ों के साथ अपने भाषण को रखा है । मैं धर्मजीत सिंह जीकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- सुन तो लो, मजा आ जायेगा ।

डॉ. विनय जायसवाल :- एक मिनट बोलने दीजिए, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये ।

डॉ.विनय जायसवाल :- माननीय धर्मजीत सिंह जी ने बहुत हीअच्छे आंकडों के साथ खासकर पूरे नये विधायक हमारे यहां आये हुये हैं, हम बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत ही विद्वतापूर्ण इनका भाषण था, तारीफ भी करता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एस.ई.सी.एल. की बात कर रहे हैं, आप भी उस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, माननीया सांसद महोदया, अभी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रही है, आज जितने भी चिरमिरी के कोल ब्लॉक की बात हुई, खुरासिया की बात हो, एन.सी.बी.एच.की बात हो, हसदेव क्षेत्र के जो हमारे कोयला खदान है, आपकोभी पता है कि 100 साल से वहां उत्खनन हो रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक वैश्विक समस्या यह भी है कि खदान जो बंद हो रहा है, कोयला कोई उगाने वाली चीज तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोयला का हर साल उत्पादन करेंगे । कोयला धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, यह आपको भी पता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 100 साल खत्म नही होगा ।

डॉ.विनय जायसवाल :- पूरी बात सुन लीजिए । आज चिरमिरी नगर निगम है, 100 साल से उसका उसका विकास हुआ है । वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, स्वास्थ्य का विकास हुआ है, चार से पांच पींढ़ी के लोग वहां रह रहे हैं । एक बात और सुनिये, धर्मजीत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो पूरा विषयान्तर हो गया है ...। (व्यवधान)

डॉ.विनय जायसवाल :- बात सुन लीजिए । सारी चीजें आ जायेंगी । कृषि के तीन काले कानून केन्द्र सरकार ने कोरोना के समय लेकर आये । माइनिंग एक्ट को उन्होंने चेंज किया है । जिस चीज का हमने नेशनालाईजेशन किया था, अभी कोरोनाकाल में तीन कृषि कानून के साथ में एक श्रम कानून भी आया है । जो माइनिंग एक्ट आया है, उसमें कामर्शियल माइनिंग को किसने अनुमति दिया है । कामर्शियल माइनिंग की अनुमति किसने दी है । बाकी बात तो कर लिये । सौरभ जी, सुन लीजिए । कामर्शियल माइनिंग को अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए आपकी सरकार ने अनुमति दी है । वह भी कोरोनाकाल में अनुमति दी है । तीन कानून के बारे में सब लोग जान रहे हैं । जो श्रम कानून चेंज हुआ है, माइनिंग एक्ट में जो चेंज हुआ है, किसने किया है । यह आप मेरे को बताईये । किसने किय है ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ.साहब । ये बेचारा सौरभ दूसरे पार्टी का है । आप बैठ जाओ । बैठ जा भईया । ठीक ठाक है ।

डॉ.विनय जायसवाल :- भारत की नार्थ की जो कंपनी है, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- ए डॉक्टर वोतेक झन दबा । चपका जाही ।

डॉ.विनय जायसवाल :- मौका दीजिए, बोलने का । हम अपने क्षेत्र का विषय उठा रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं । चार पीढ़ी के लोग । क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोयला खत्म हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- इनका जवाब सुन लीजिए, फिर करेंगे । कल उस पर ध्यानाकर्षण दे देना ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक की जो जानकारी दी गई थी, संचालित कोयला खदानों के बारे में जो अभी रनिंग है। अब जो भारत सरकार की तरफ से आवंटित कोल ब्लाक हैं उनके बारे में भी जानकारी दे देता हूं। मदनपुर साउथ ए.पी.एम.डी.सी. परसा राजस्थान विद्युत मंडल गेदमुरी पतुरिया, सी.एस.ई.बी. चोटिया बालको, एस.ई.सी.एल. कोल इंडिया उसमें केतकी, कोरिया कालरी, वेस्ट कालरी, नार्थ कालरी डूमन हिल, मानिकपुर, चिरमिरी कालरी, कुसमुंडा, यह हसदेव अरण्य कोल्डफील्ड है। इसके बाद मांड रायगढ़ आता है। गारेपेलमा 4/1, गोरपेलमा 4/4 और गारेपेलमा 4/5, जिंदल पावर हिंडाल्को, हिंडाल्को। अब हंसदेव केचमेंट एरिया में पारसा ओपन कास्ट, गिरगिरी पतोरिया, चोटी अंडरग्राउण्ड, मदनपुर साउथ, केतकी अंडरग्राउण्ड, नार्थ चिरमिरी, वेस्ट चिरमिरी, डूमनहिल कालरी, चिरमिरी, लक्ष्मण कुसमुंडा, कोरिया कालरी, वेस्ट चिरमिरी, मानिकपुर ओपन कास्ट। यह पूरा अभी एलाटेड वाले कोल ब्लाक हैं। यह पुराने सरकार के समय का सारा का सारा एलाटमेंट है। अब आगे का यदि एरिया वगैरह पढ़ूंगा तो बहुत टाईम लग जायेगा कि कितना-कितना एरिया है। इसके अलावा मांड केचमेंट एरिया, गारेपेलमा 4/5, पेलमा 4/4, गारेपेलमा 4/1, हिंडाल्को जिंदल पॉवर। इसकी अलावा अभी भारत सरकार की सूची में जो कोल ब्लाकों का नीलाम होना है, उसमें 41 कोल ब्लाक का नीलाम होना है। उसमें से छत्तीसगढ़ के 9 कोल ब्लाक हैं। फतेहपुर ईस्ट, गारेपेलमा 4/1, गारेपेलमा 4/7 मदनपुर नार्थ, मोरगा 2, िसयान संकरपुर भटगांव, सोढिया, मोरगा साउथ, ये अभी इनकी सूची में है जो नीलाम किया जाना है। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं कि पहले तो आप कुछ बोलते थे, अभी कुछ बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दिनांक 01-07-2020 को केन्द्रीय कोयला मंत्री को भेजे गये पत्र में नीलाम में नहीं रखने हेतु यहां से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आग्रह किया गया है। मोरगा साउथ, मोरगा 2, मदनपुर नार्थ, सियान और फतेहपुर ईस्ट। ये यहां से चिट्ठी गई है कि इसको नीलाम में नहीं रखा जाये। यह आपकी जानकारी में मैंने दे दिया। अब बात-बात में आपका यह कहना है कि अदानी को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की सब कार्यवाही चल रही है। उसके 04 खदान हैं। एक खदान पारसा ईस्ट केतें वासन, यह रनिंग है। अभी रनिंग है। आपकी पूरी आशंका को दूर कर रहे हैं। दूसरा यह है कि पारसा और केंते एक्सटेंशन, इसमें भारत सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि इसमें biodiversity स्टडी के बाद ही इनको आवंटन किया जाना है। तो हमने कहा कि ठीक है, biodiversity, यह दोनों कोल ब्लाक पारसा, केंते एक्सटेंशन जो आप बोल रहे हैं, biodiversity स्टडी के बाद ही इसको दिया जायेगा। हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप पहले स्टडी पूरा कराईये। फिर भारत सरकार की तरफ से पता नहीं क्या हुआ, वहां से एक चिट्ठी आती है कि संबंधित जो कंपनी है, उसका एक आवेदन आया है कि biodiversity स्टडी चलती रहेगी और इनको कोल ब्लाक के लिए क्लीयरेंस वन विभाग दे दे। आपका क्या कहना है ? मतलब विभाग का उन्होंने अभिमत मांगा। हमने यहां से लिखकर दिया कि इस बारे में हम विचार कर रहे हैं क्योंकि हमको नहीं करना था। उसके कुछ दिनों के बाद चिट्ठी आती है कि भई इस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बारे में आपका अंतिम निर्णय क्या है, आप बताईये। हमने कहा कि यह हमारे स्तर का निर्णय नहीं है। biodiversity स्टडी होनी चाहिए। यदि देने वाली बात होती तो पहले चिट्ठी भारत सरकार की आई कि biodiversity स्टडी चलती रहेगी, आप अनुमति दे दो। हम दे देते। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार से जो आपको आशंका है कि अदानी के सामने सरकार झुक गई, उसके पीछे-पीछे दौड़ रही है, बिल्कुल गलत बात है। अदानी के सामने यह सरकार झुकने वाली नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी का अदानी जी से एम.डी.ओ. हुआ है क्या ? आपने 2019 में दिया है। क्या यह भी दिल्ली सरकार से आया था कि अदानी को दे देना है । एम.डी.ओ. बनाना है।

श्री मोहम्मद अकबर :- गिधुड़िया, पतोड़िया कोल ब्लाक एम.डी.ओ. नियुक्ति बी.जे.पी. शासन काल में हुआ है।

श्री कवासी लखमा :- हे, हे, हे,।

श्री धर्मजीत सिंह :- हे, हे, करने से नहीं चलेगा। मैं तो आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि दिल्ली से क्या ये आदेश आया था कि अडानी का एम.डी.ओ देना है। एम.डी.ओ. अडानी को देना है ऐसा लिख के आया था या आपने अपने विवेक से दिया है। ये बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- ये तो बी.जे.पी. सरकार के समय हुआ है।

श्री मोहम्मद अकबर :- इस विषय पर आपने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मैं ऐसा समझता हूं कि इस विषय पर पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बड़ी अच्छी चर्चा हुई।

श्री मोहम्मद अकबर :- लेमरू हाथी रिजर्व के बारे में मेन जो चिंता है इसके पहले सेमरसोत, बादलखोल, तमोरपिंगला तीन हाथी रिजर्व का बकायदा नोटिफिकेशन हुआ है। चौथा हाथी रिजर्व 2007 में नोटिफिकेशन के लिये भारत सरकार से आया हुआ है। लेकिन 2007 से अब तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इस बीच में 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गयी। इन्होंने भी अध्ययन कराया। अध्ययन करने के बाद फिर वन विभाग की तरफ से जो प्रेजेंटेशन केबिनेट में हुआ वह 1995 वर्ग किलोमीटर का हुआ। अब दो साल बीतने के बाद ये परिस्थिति आयी की कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों ने पत्र लिखा कि इसको 452 किया जाए क्योंकि भारत सरकार से जो आया था वह 452 किलोमीटर का था। उसको आधार बना कर पत्र लिखा गया लेकिन केबिनेट ने सिरे से खारीज कर दिया। 1995 वर्ग किलोमीटर ही रहेगा। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बहुत धन्यवाद।

सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 30 जुलाई, 2021 को 11:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(7 बजकर 51 मिनट पर विधानसभा शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2021 (श्रावण 8 शक् संवत् 1943) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 29 जुलाई, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं